दसम माला, खंड 2, अंक 19

5 अगस्त, 1991
1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 2 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 5 अगस्त, 1991 / 14 श्रावण, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
9	नीचे से पंक्ति 4 और 13	"श्री राम कपासे" के स्थान पर "श्री राम कापसे" पढ़िये।
54	नीचे से पंक्ति 3	"श्री बी॰ शोभनाद्रीश्वर राव" के पश्चात् "वाड्डे" जोड़िए।
219	1	"श्री रमेश वेन्नितल्म" के स्थान पर "श्री रमेश वेन्नितला" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 2, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 19, सोमवार, 5 अगस्त, 1991/14 श्रावण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1–21
*तारांकित प्रश्न संख्या 286 से 288 और 290	1–21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22–213
तारांकित प्रश्न संख्या : 289, 291 से 299 और 301 से 305	22–40
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1521 से 1604, 1606 से 1614 और 1616 से 1725	40–213
राजनीतिक नेताओं के टेलीफोन टेप किए जाने के बारे में	214–223
बरखास्त रेल कर्मचारियों की बहाली के बारे में ..	224–232
सभा पटल पर रखे गए पत्र	233–236
मंत्री द्वारा वक्तव्य ..	237–238
लखनऊ डिवीजन के सोनिक स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना	
श्री सी० के० जाफर शरीफ	
नियम 377 के अधीन मामले	238–241
(एक) गुंटकुल और सिकन्दराबाद को बड़ी रेल लाइन से जोड़े जाने तथा गुंटकुल से तुम्कुर तक नई रेल लाइन बिछाई जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त वेंकट रेड्डी	238–239
(दो) हिमाचल प्रदेश में भू-कटाव और बाढ़ की रोकथाम के लिए टोन्स, सरसा और गिरि नदियों के पानी को नहरों में छोड़ने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	239

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

(तीन) उत्तर प्रदेश में बरेली को वायुदूत सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता
श्री संतोष कुमार गंगवार 239

(चार) पूर्वोत्तर राज्यों में नियुक्त केन्द्रीय विद्यालय अध्यापकों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता
श्री मुहीराम सैकिया 240

(पांच) कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्रों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता
श्रीमती वसुन्धरा राजे 240

(छः) केरल में अचेनकोइल और अनंगमाली के बीच रेल मार्ग के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराये जाने की आवश्यकता
श्री पी०सी० थामस .. 241

बजट (सामान्य), 1991-92—सामान्य चर्चा 241–324

श्री मुमताज अंसारी .. 242–244

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 244–252

श्री इम्चालम्बा 252–254

श्री के०वी० तंगाबालू .. 254–258

श्री मोरेश्वर सावे .. 258–260

श्री विजय कृष्ण हान्डिक 260–262

श्री हरि किशोर सिंह 262–265

डा० आर० मल्लू 265–266

श्री विजय एन० पाटिल 266–268

श्री सत्यनारायण जटिया 268–274

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती 275–279

श्री पीटर जी० मरबनिआंग 279–280

श्रीमती गीता मुखर्जी 280–283

श्री एम० बागा रेड्डी 283–286

श्री के०एच० मुनियप्पा 286–288

श्री राम पूजन पटेल .. 288–291

श्री मुहीराम सैकिया 291–294

श्री सी०के० कुप्पुस्वामी 294–296

श्री मोहन लाल झिकराम 296–298

श्री सैयद मसूदल हुसैन 298–299

श्री पी०सी० थामस 299–301

श्री डी० पंडियन 301–304

श्री फूल चन्द वर्मा 305–306

श्री पृथ्वी राज डी० चव्हाण 306–310

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा .. 310–313

श्री गंगाधर सानीपल्ली 313

श्री अंकुशराव टोपे 314–316

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 316–318

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या .. 319–321

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 321–324

लोक सभा

सोमवार, 5 अगस्त 1991/14 श्रावण, 1913 (शक)

लोकसभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"बहराइच का कतरनियां घाट वन प्रभाग

[हिन्दी]

*286. **श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का कतरनिया घाट वन प्रभाग एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ सरकार का बसों, ट्रकों तथा रेलगाड़ियों के इस क्षेत्र से होकर आने-जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद] :

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य एक महत्वपूर्ण अभयारण्य है, जिसमें वन्यजीवों की अनेक प्रजातियां हैं और यह उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के बहराइच वन मंडल में स्थित है।

(ख) और (ग) अभयारण्य का प्रबन्ध और नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। बताया गया है कि उक्त अभयारण्य में से होकर गुजरने वाली बसों, ट्रकों और रेलगाड़ियों पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इससे इस क्षेत्र के निवासियों को कठिनाई होगी।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कतरनिया घाट वन प्रभाग के अन्तर्गत गैरूवाफेरी नाम की एक नदी नेपाल से निकल कर आती है, उस नदी के कटियारागोढ़ी नामक स्थान पर, जो नेपाल की बिल्कुल सीमा पर है और एक तरह से जंगल का बाहरी भाग है, उस स्थान पर जो 500 मीटर की लम्बाई में है, विगत 30 सालों से नेपाल से पानी के साथ बहकर आने वाले शिंगिल पत्थर का चुगान नदी तल से जंगल में रहने वाले हजारों थारू जनजाति के स्त्री पुरूष करते थे...

अध्यक्ष महोदय : आप पढ़ रहे हैं क्या ?

श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी : श्रीमन, प्रश्न है यह ।

अध्यक्ष महोदय : आप पढ़ नहीं सकते ।

श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी : हजारों आदमी, जनजाति के लोग गेरूवा फेरी नदी के तल से अपनी जीविका प्राप्त करते थे लेकिन उस पर इस कारण प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि ट्रकों के आवागमन के कारण पशु बिहार में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और इसको पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बन्द किया गया तो क्या इसको खालने का विचार सरकार कर रही है या नहीं ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय सैन्चुरी के बारे में जो कुछ भी है वह राज्य की जिम्मेदारी है। हमारे मंत्रालय ने अगर दिलचस्पी लेकर इसको बन्द कराया है तो मैं इस पर जरूर ध्यान देते हुए देखूंगा कि क्या हो सकता है ।

श्री लक्ष्मीनाराण मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा एक संस्तुति के लिए आपके यहां पत्रावली भेजी थी। क्षमा कीजिए, मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुख: है कि आपके मंत्रालय के एक अधिकारी ने निजी स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण इस आरोप को लेकर कि अवरोध उत्पन्न होगा, इस कार्य में अवरोध लगा दिया है और पत्रावली को रिजैक्ट करके वापिस भेज दिया है। क्या मंत्री महोदय इसको देखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे जानकारी दी। मैं इसकी जांच करुंगा और अगर और भी कोई इनके पास जानकारी हो, तो वे मुझे दे दें, तो मैं जरूर जांच करूंगा ।

श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी : धन्यवाद ।

श्री मदन लाल खुराना : आप "कमल" हैं, इसीलिए ।

श्री कमल नाथ : आपका तो यह चुनाव चिन्ह है ।

श्री मदन लाल खुराना : इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उनकी आवाज प्रदूषित हो गई है ।

"सुवर्णरेखा और टिहरी बांध परियोजनाओं को मंजूरी देना"

[अनुवाद]

***287. श्री सुधीर गिरि :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने वन और पर्यावरण की दृष्टि से सुवर्णरेखा और टिहरी बांध परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं, और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) टिहरी बांध परियोजना को निर्धारित शर्तों और सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने पर पर्यावरणीय और वानिकी दृष्टि से मंजूरी दे दी गई है। सुवर्ण रेखा परियोजना को जून, 1984 में केवल पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी दी गई थी, लेकिन वन भूमि को उपयोग में लाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित ब्यौरे न भेजे जाने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया।

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, भारत और बाहर के कुछ भूकम्प विज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार टिहरी परियोजना से उस क्षेत्र में भूकम्प की सम्भावना की दृष्टि से खतरा है। भूकम्प की सम्भावना के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा के सम्बन्ध में भूकम्प इंजीनियर और भूकम्प विज्ञान विशेषज्ञों का भिन्न मत है।

इस स्थिति को ध्यान मे रखते हुए क्या मैं माननीय मन्त्री से निम्नलिखित बातें जान सकता हूं :

(क) क्या मन्त्रालय के पास इसके पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया सम्भावित भूकम्प के परिणाम का अनुमान है;

(ख) इस परियोजना के कार्यान्वियन में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई कौन सी शर्तों का पालन करना है;

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वियन से जो परिवार प्रभावित होंगे उनके पुनर्वास के लिए परियोजना में किन सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा गया है ?

श्री कमल नाथ : महोदय, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न में कई प्रश्न पूछ लिये हैं। किन्तु मैं उनका कम से कम शब्दों में उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

टिहरी बांध के क्षेत्र में भूकम्प सम्बन्धी प्रश्न बहुत ही गम्भीर चिन्ता का विषय है। निसन्देह, इस विषय को तब से कई बार उठाया जा चुका है जब कई वर्ष पहले इस बांध के बारे में सोचा गया था। यह 1972 से चल रहा है। टिहरी बांध को जुलाई, 1990 में स्वीकृति दी गई थी। यह स्वीकृति कुछ शर्तों पर दी गई थी। इन —इनमें से बहुत सी–शर्तों को बांध के निर्माण के साथ-साथ लागू करना था। उन्हें इसके साथ ही कार्य आरम्भ करना है।

इसका भूकम्प सम्बन्धी पहलू, बहुत ही गम्भीर चिन्ता और भय का विषय है। पर्यावरण और वन मन्त्रालय के अनुसार रिचर स्केल पर 8.5 सीमा तक इस बांध की रूपरेखा बनाते समय भूकम्प के पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

फिर भी, इस बांध की मूल रूप रेखा में रिचर पर 7.2 सीमा तक भूकम्प सहन किया जा सकता है। 7.2 और 8.5 का अन्तर अपने आप में 300 गुना है और यह हिरोशिमा पर गिराए गए 10,000 एटम बमों के बराबर है। अब, हमने स्वीकृति के लिए जिन शर्तों को रखा है हम उन पर

कार्य कर रहे हैं, और हमने इसकी प्रगति की ओर टिहरी बांध प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित किया है। कुछ विशेष क्षेत्रों के सम्बन्ध में उन्हें अभी भी कुछ स्पष्टीकरण देने हैं। यह विषय उन पर निर्भर करता है। किन्तु माननीय सदस्य की गम्भीर चिन्ता में मैं भी भागीदार हूं क्योंकि बांध की किसी कमी से न केवल उस क्षेत्र पर बल्कि दिल्ली पर भी प्रभाव पड़ेगा।

श्री सुधीर गिरी : सुवर्ण रेखा परियोजना तथ्य को ध्यान में रखते हुए अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि इसके कार्यान्वियन से कई लाख एकड़ गैर-सिंचित भूमि, सिंचित भूमि में परिवर्तित हो जायेगी। इस क्षेत्र के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि जंगलों के काटने का प्रस्ताव कब अस्वीकृत हुआ था; इस परियोजना के कार्यान्वियन के कारण कितनी जंगल भूमि पर प्रभाव पड़ेगा; क्या राज्य सरकार ने आवश्यक विवरण भेजने में देरी होने के कारणों का उल्लेख कर दिया है, और क्या ब्यौरा मंगाया गया है ?

श्री कमल नाथ : यह उड़ीसा और बिहार के बीच एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ऐसे कुछ आवश्यक विवरण थे जिन्हें उड़ीसा और बिहार दोनों ने प्रस्तुत करना था। उड़ीसा सरकार ने जंगल अधिनियम के अनुसार सब विवरण भेज दिया है किन्तु बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया है। अतः, इस जंगल परियोजना में से बिहार के हिस्से को अस्वीकृत कर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि इस परियोजना को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दिया गया है, अपितु केवल बिहार के हिस्से को अस्वीकृत किया गया है। हमने 24-9-1990 को इसका अन्तिम उल्लेख किया था, उन्हें पुनः याद कराया गया था। इसकी स्वीकृति मन्त्रालय द्वारा दी जानी है और मंत्रालय उन्हें वह विवरण भेजने के लिए पुनः स्मरण करा रहा था जो मन्त्रालय द्वारा मंजूरी देने के लिए आवश्यक है। उन्हें 27-12-1990 और 10-7-1991 को पुनः स्मरण कराया गया। किन्तु, दुर्भाग्य से, कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण, इस प्रस्ताव को परियोजना सम्बन्धी विवरण न भेजने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष जी, देश में जितने भी बड़े प्रोजेक्टस हैं उसमें फारेस्ट और मिनिस्टरी एनवायरमेंट के तहत होना जरूरी होता है, जो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं एक तो पुनर्वास की और दूसरे फोरेस्ट की। अमूमन यह देखा जाता है कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, वह कागज में तो सारी शर्तें मान लेते हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि पुनर्वास और फोरेस्ट के मामले में कम्पलायंस होता नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से इस बारे में जानना चाहता हूं।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय: ये एनवायरमेंट मिनिस्टरी से संबंधित नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं कि इस योजना से जुड़े कुछ तथ्यों को पूरी ईमानदारी के साथ इस सदन में रखने का काम किया है। मेरी उनसे अपेक्षा भी है कि उन्होंने जिन बातों को यहां पर रखा है उनके क्रियान्वयन के बारे में इतनी मजबूती दिखाने का काम करें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस योजना के साथ कुछ ऐसी ताकतें जुड़ी हुई हैं जिनको देश से कोई मतलब नहीं है। वे देश को और विशेषकर जिस इलाके को इस योजना से खतरा है इसमें बिल्कुल लापरवाही करके आज तक आगे बढ़े हैं और उनके लोग इस मंत्रालय और

इस सरकार में भी बैठे हैं। अध्यक्ष जी, भूकम्प के मामले पर जो मंत्री महोदय ने भी यहां पर कहा। क्या यह सही नहीं है कि इस पर रूस के सबसे बड़े विशेषज्ञों ने यह कहा है कि जिस प्रकार की योजना आज आपने टिहरी में बनायी है, इसको आप अगर चलाओगे तो जो नुकसान होना है आपको, किसी ऐसी परिस्थिति में, जहां भूकम्प का खतरा है तो उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। करोड़ों लोग इसमें मर जायेंगे और देव प्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार ये सब पानी में बह कर नेस्तनाबूद हो जायेंगे। क्या यह सही नहीं है कि इसके बावजूद आपके मंत्रालय में और विशेषकर समूचे सरकार की सैक्रेटेरीज कमेटी ने योजना की आपत्ति में आयी हुई सिफारिशों की लापरवाही कर के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाने का काम किया। आज मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितना पैसा इस पर खर्च हुआ ? इस साल में कितना पैसा इसके लिए बजट में रखा गया है और जब 1972 में यह योजना शुरू हुई, 1990 में जिसको कंडीशनल क्लीयरेंस मिलती है और आज 1991 में हम लोग हैं, क्या मंत्री महोदय कम से कम इस पर ठोस निर्णय ले कर इस योजना को यहीं पर समाप्त करने का फैसला लेने की हिम्मत करेंगे ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, हिम्मत में कोई कमी नहीं आएगी। पर इस योजना पर सालों से चर्चा चल रही है देश में और विदेश में। सब प्रकार के एक्सपर्टस ने इसमें जांच की है। आज तक इसमें लगभग 450 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं हैं, कुछ ताकतों की, सैक्रेटरीज के बारे में। उन पर मैं जिक्र नहीं करना चाहता, कुछ नहीं कहना चाहता। पर यह बात सच है कि एक बहुत प्रसिद्ध अमेरिकन प्रोफेसर ब्रून नवम्बर 1990 में आए थे। उन्होंने एक बयान में यह जरूर कहा था कि इस प्रकार की योजना हम अमेरिका में कभी नहीं पास होने देते। जहां तक और देशों की इसमें राय है, हम नहीं जानते, न हम रूस की राय इसमें जानते हैं। कई सालों से, जैसे मैंने कहा इस पर तरह-तरह की क्वैरीज हुई हैं, तरह तरह की कमेटी बैठी है। जब जुलाई 1990 में यह एपरूव हुआ, एक पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी की जो जांच थी, उस जांच के अनुसार इस योजना को स्वीकृति नहीं देनी चाहिए थी। मैं बड़े साफ और स्पष्ट लफ्जों में कह रहा हूं। फिर भी जुलाई 1990 में इसको स्वीकृति दे दी गयी, कुछ कंडीशन्ज लगा कर। तरह-तरह की कंडीशन्ज लगायी थी। हम इसकी देख-रेख कर रहे हैं कि यह कंटीशन्ज पूरी हों। सबसे जो विशेष कंडीशन है, जो डिसासटर मैनेजमेंट प्लान है, जो डैम का डिजाइन है, जैसे मैंने कहा 8.5 रिचटर स्केल के अनुसार क्या यह डैम इसको बर्दाशत कर सकता है, ये फोर्सिज़ बर्दाशत कर सकता है। इसके साथ-साथ जो डिसासटर मैनेजमेंट प्लान की बात है, यह हमें अभी तक नहीं दिया गया है। अगर इसमें कुछ भी खतरे की बात हुई, ऋषिकेश, हरिद्वार या कहीं के लिए भी, मैं यह आश्वासन देता हूं कि फिर से इसको पूर्ण रूप से देखा जाएगा और जो अनुमति दी गयी है इसको विदड्रा करने में हम बिल्कुल हैजीटेशन नहीं करेंगे, हिचकिचाहट नहीं करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि इस साल के बजट में इसके लिए कितना प्रावधान आपने किया है ? क्योंकि, अगर जो कुछ बात आपने कबूल की हैं, उन बातों पर आपका विश्वास हो तो फिर इस पर आपको तत्काल काम बन्द करना चाहिए। डेढ़ करोड़ का जो इस पर इन्तजाम है वह खत्म करना चाहिए। क्योंकि ऋषिकेश और हरिद्वार को मिटाने के वास्ते हर साल हम 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ रुपये खर्च करें, इसको बर्दाशत नहीं करेंगे। मंत्री जी से मेरा ठोस यह सवाल है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस पर भ्रष्टाचार भी जुड़ा हुआ है। इसमें वहां पर बैठे हुए ठेकेदार हैं और जो इरीगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, वे आज करोड़पति हुए हैं लेकिन वहां पर अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ है। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है और वे करोड़पति हो गए हैं........(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : मैं, माननीय सदस्य से माफी चाहता हूं। इस साल के बजट एलोकेशन में कितना एलोकेट हुआ है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं उन्हें दे दूंगा। यह जानकारी दे दें कि इस प्रोजेक्ट में अभी तक पी०आई०बी० एप्रूवल नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, चूंकि मैं इस क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं अतः मेरे विचार को कुछ अधिक गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि इस परियोजना को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : आपको अपने विचार एक प्रश्न के रूप में रखने होंगे।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : जैसे आप अन्य सदस्यों को समय देते हैं उसी प्रकार कृपया मुझे भी समय दें। मैं इससे प्रभावित हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न करने में आपकी मदद कर रहा हूं।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि 8.5 एम रिचर स्केल के अनुसार बांध की योजना बनाई जाए। इसके साथ, इस योजना का एक अन्य पहलू भी है, अर्थात्, पीक ग्राउन्ड एक्सीलरेशन (पी०जी०ए०) जो 0.25 जी० से 1 जी० से अधिक में परिवर्तित होता है। क्या इन दोनों मुद्दों पर योजना बनाते समय विचार किया गया है।

मेरे विचार में इस बांध का निर्माण नहीं हो सकता है। अतः, इस बांध पर जो भी खर्च किया जायेगा वह व्यर्थ होगा। क्या माननीय मन्त्री महोदय यह कहेंगे कि जब तक आधारभूत परिस्थितियों और उसका ढांचा अन्तिम रूप नहीं ले लेता तब तक इस परियोजना के कार्य को रोका जा रहा है। अन्यथा, आप इस पर अतिरिक्त धन खर्च करते रहेंगे और बाद में इस परियोजना को न रोकने के लिए यही कारण देंगे।

श्री कमल नाथ : महोदय, उस क्षेत्र के माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं अवश्य उस पर और अधिक ध्यान दूंगा। यदि तकनीकी पक्ष में कोई कमी पाई गई, हालांकि वे कह रहे हैं कि ऐसा सम्भव नहीं है, यह बांध मेरी स्वीकृति के बिना किसी तरह भी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि किसी प्रकार की तकनीकी असंगति से कोई असम्भव परिस्थिति उत्पन्न हुई तो हम अवश्य इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए कदम उठाएंगे।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : मैं जानना चाहता हूं कि चालू वर्ष के लिए कितने खर्च का प्रस्ताव रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रवि राय ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इनके जवाब से यह साफ जाहिर हुआ है, कि टिहरी डैम अथारिटी कोई भरोसे की पात्र नहीं है। यह रियलाइजेशन किए हैं कि दिल्ली देश की राजधानी खतरे से बाहर नहीं है यह शंका प्रकट की है। इस बात को देखकर सिवाय इसके कि इस सारे प्रोजेक्ट को समाप्त किया जाए तो क्या उसके पास कोई और विकल्प है क्या।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय, जैसा मैंने कहा था,लगभग 450 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि पहले ही खर्च हो चुकी है। किन्तु इससे......... **(व्यवधान)**

श्री रवि राय : क्या टिहरी बांध परियोजना भरोसेमंद है ?....... **(व्यवधान)**

श्री कमल नाथ : मैं यहां उपस्थित माननीय सदस्यों की चिन्ता में भागीदार हूं ...... [व्यवधान]

[हिन्दी]

श्री रवि राय : यह सदन को बताएं कि क्या अथारिटी के ऊपर डिपेन्ड कर सकते हैं, यह शंका प्रकट की गई है, इस बारे में सवाल था।

श्री कमल नाथ : डिपेन्डेबल और अन-डिपेन्डेबल दूसरे सबजेक्ट की बात है .... **(व्यवधान)** मैंने पिछले प्रश्न में यह जरूर कहा था कि हमने जो कंडीशन लगाई है तो इस कंडीशान का पालन करने के लिए हम समय-समय पर जांच कर रहे हैं। जहां तो हमने कंडीशन लगाई थी और उसकी पूर्ति नहीं हो सकी, वहां हम उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो साढ़े चार सौ करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी कोई हेजीटेशन नही होगा कि जो एप्रूवल हमने इ०पी०एफ० को दी है, हम उसे विदड्रा कर लेंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : महोदय, अभी भी इस प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया गया है। क्या यह सच है कि अभी तक जो तकनीकी समस्या पैदा हुई है उनका हल ढूंढने में हम असमर्थ रहे हैं ? क्या यह वास्तविकता है या नहीं ? अगर यह ठीक नहीं है तो इस पर कितनी अतिरिक्त लागत आएगी तथा कितने समय में खामियों को दूर कर लिया जाएगा। अगर हम समाधान ढूंढने में असमर्थ रहे हैं तो इस वर्ष के बजट की तरह हर वर्ष अधिक धनराशि इस उद्देश्य के लिए आवंटित करने का क्या कारण हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर मैं उनसे चाहता हूं। 400 करोड़ रुपए की राशि व्यर्थ

करने के पश्चात् हर वर्ष करोड़ों रुपए व्यर्थ गंवाने का क्या लाभ है? इस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना चाहिए ।

श्री कमल नाथ : अगर मैं ऊर्जा मंत्री होता तो मैं इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देता । इस परियोजना के लिए धनराशि का आबंटन ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा किया जाता है । इन राशियों को आवंटित करने में दुर्भाग्यवश, मेरी कोई भूमिका नहीं है । मेरा मन्त्रालय केवल इस परियोजना को पर्यावरण के पहलू से स्वीकृति देने तक सम्बन्धित है; तथा जो यह तथ्य हैं कि इस पर 450 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं । पी०आई०बी० की स्वीकृति अभी नहीं मिली है तथा पर्यावरण और वनों के सम्बन्ध में इस परियोजना को कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति दी गई थी; जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है; इनकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या आप किसी अलग प्रारूप को अपना सकते हैं । अगर हां तो इसके लिए कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी तथा कब तक यह सम्भव हो पायेगा ।

श्री कमल नाथ : मैं यह नहीं जानता कि जो तकनीकी रूप में हमने निर्णय लिया है, उसे क्रियान्वित किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में टिहरी बांध परियोजना के प्राधिकारी सुझाव दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस सम्बन्ध में कुछ कहने में समर्थ हैं ?

श्री कमलनाथ : मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ :

श्री जार्ज फर्नान्डीज : एक मन्त्री ऐसा कैसे कह सकता है जबकि सरकार इसके लिए धन उपलब्ध करवा रही हो । आप इस सारे मामले को कुछ लोगों पर कैसे छोड़ सकते हैं जबकि अमरीका से लेकर रूस तक के विशेषज्ञों ने इसके विरुद्ध अपनी राय व्यक्त की है ? यह सरकारी धन है जिससे देश का भाग्य जुड़ा हुआ है ।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जवाब देने के लिए बुलाया है या प्रश्न पूछने के लिए.......

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने के लिए ।

कुमारी उमा भारती : मैं आपके माध्यम से जो सवाल करना चाहती हूँ वह अन्य परियोजना के सम्बन्ध में है । मैंने आपकी अनुमति प्राप्त की है इसलिए मैं सवाल पूछने का अधिकार रखती हूँ । मैं जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुछ जिले बुंदेलखण्ड के नाम से जाने जाते हैं । बुंदेलखण्ड भारत का अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । उस क्षेत्र में जो छतरपुर जिला है वह और भी गरीब है, क्योंकि वहां पर सिंचाई की योजना या छोटी-मोटी सिंचाई की योजना और साधन भी नहीं हैं । केन नदी जो बुंदेलखण्ड जिले से होती हुई छतरपुर से बहती है ।

अध्यक्ष महोदय : यह इससे सम्बन्धित नहीं है, अगर मंत्री महोदय उत्तर देना चाहें.....

कुमारी उमा भारती : अगर मंत्री महोदय इस सवाल के बारे में जानकारी रखते हों तो वे जवाब दें, क्योंकि मैंने आपसे प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी थी। इसलिए केन परियोजना के सम्बन्ध में जानकारी हो तो वे उत्तर दें। वहां 1980-85 में एक विशाल बांध बनाने की योजना बनी थी। ऐसा सुना गया है कि किन्हीं कारणों से उसे रोक दिया गया था। मैं जानना चाहती हूँ क्या वन एवम् पर्यावरण मंत्रालय ने उस केन परियोजना को अपनी स्वीकृति दी थी, यदि दी थी तो फिर उसे रोका क्यों गया और नहीं दी थी तो क्या कारण थे ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्द्ध नहीं है। फिर भी अगर आप इसका उत्तर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

श्री कमलनाथ : यद्यपि यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है, फिर भी मैं महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में तथ्य राज्य सरकार से प्राप्त कर सकती है। अगर यह मामला हमारे विचाराधीन पड़ा है, तो वे इसे मेरीं जानकारी में लायें।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्योंकि मैं इस बांध पर गया हूँ तथा मैंने इसके कई पहलूओं का अध्ययन भी किया है तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या वे इस सम्बन्ध में कुछ जायजा लेंगे कि इस बांध के पूरा होने के पश्चात् कितना लाभ अथवा हानि होगी ? अगर वह इसका ठीक तथा तकनीकी दृष्टि से जायज़ा लें तो मैं जानता हूँ कि लाभ की बजाय हानि ही अधिक सामने आयेगी। इसलिए इस सम्बन्ध में एक उचित जायज़ा ले कर उसे आम लोगों की जानकारी में लाया जाना चाहिए क्योंकि इस सम्बन्ध में बहुत अधिक शोर शराबा होने की सम्भावना है। इसलिए, सही अध्ययन करने के पश्चात् उन्हें यह बताना चाहिए कि वास्तव में लाभ अथवा हानि कितनी होगी ?

श्री कमलनाथ : मेरे मंत्रालय का लाभ अथवा हानि से कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है कि मैं ऊर्जा मंत्री तथा जलसंसधान मंत्री की ओर से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यह प्रश्न उन्हीं से पूछा जाना चाहिए।

श्री राम कपासे : मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार किया है कि पर्यावरण के पक्ष से इस परियोजना को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है। भूकम्प, जंगलों की सफाई आदि के बारे में पहले ही इतनी जानकारी पूरक प्रश्नों के माध्यम से सामने आ चुकी है तथा पर्यावरण मंत्री के नेतृत्व में एक समिति पहले ही इस संबंध में व्यापक खोजबीन कर चुकी है, तो ऐसी स्थिति में यह स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए थी। इसलिए, क्या सरकार इस सारे मामले पर पुर्नविचार करने के बारे में सोच रही है।

श्री कमलनाथ : हम ऐसे किसी मामले पर पुर्नविचार नहीं कर रहे हैं। हम उन शर्तों पर नजर रख रहे हैं जो कि स्वीकृति देते समय रखी गई थी तथा जैसे ही हमें लगेगा कि शर्तों का पालन नहीं हो रहा है, अथवा शर्तों का सन्तोषजनक ढंग से पालन नहीं हो रहा है, अथवा शर्तों का पालन हो पाना संभव नहीं है तो निश्चित रूप से हम कोई कदम उठाएंगे. . . .

श्री राम कपासे : आपदा निरोधी प्रबन्धन योजना तैयार नहीं की गई है। वनों पर पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि से स्वीकृति नहीं दी गई है। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि से दी गई स्वीकृति से आप सन्तुष्ट नहीं हैं। जब आपने सारे मामले का इतना गहन अध्ययन किया है तो आप इस पर पुर्नविचार क्यों नहीं करते ?

श्री कमलनाथ : माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं सहमत हूं। जैसा कि मैंने कहा कि यह शर्तें निर्माण कार्य तथा परियोजना कार्य की प्रगति के साथ-साथ पूरी होनी थीं। इन में से कुछ शर्तों को सन्तोषजनक ढंग से पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी हमें चिन्ता है। हमने परियोजना प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है। हम उनसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। अगर स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं हुआ तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम दी गई स्वीकृति को रद्द करने के लिए कदम उठाएंगे।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जानकारी दी है कि स्वर्ण-रेखा परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण को दुषित करने वाले जो क्षेत्र हैं, उनकी स्वीकृति भारत सरकार ने नहीं दी है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके अन्तर्गत वन-विभाग का कितना क्षेत्र पड़ता है, जिसको सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है। स्वर्ण-रेखा परियोजना, जो कि बहुउद्देशीय योजना है, वह अब तक वन विभाग के कितने क्षेत्र को दूषित कर चुकी है और सिंचाई विभाग द्वारा कितने क्षेत्र में काम किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दे दिया गया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत : टिहरी बांध के सम्बन्ध में बहुत से सुसंगत प्रश्न पूछे गए। इस सदन की यह भावना स्पष्ट है कि इस पर अब और धन व्यर्थ से खर्च नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु माननीय मंत्री जी ने अभी तक कहा है कि यह प्रश्न ऊर्जा मन्त्रालय से सम्बद्ध है। क्योंकि हम संयुक्त उत्तर-दायित्व की प्रणाली के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, इसलिए क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री इस मामले को मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् इस सदन को इस संबंध में मंत्रीमण्डल के निर्णय की जानकारी देने की चेष्टा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय मंत्री महोदय पर छोड़ा जाता है कि क्या वे इस मामले को मंत्री-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करें अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, इस पर सदन में बहस के लिए आप मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं हाफ-एन-आवर के अन्तर्गत डिसकशन के लिए स्वीकृति दे दूंगा। हाफ-एन-आवर अभी दे दिया है, हाफ-एन-आवर फिर दे दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह बहुत ही विसंगतियों से भरा हुआ है। मंत्री महोदय ने स्वयं तसलीम किया है कि इनकी मिनिस्ट्री ने इस परियोजना को क्लीयरेंस नहीं दिया है, पी आई बी ने भी क्लीयरेंस नहीं दिया है। यह भी मानते हैं कि अगर अर्थ-क्वेक से बांध टूटा या उसमें उछाला आया तो इससे दिल्ली तक को खतरा पैदा हो सकता है। यह भी कहा गया है कि इस परियोजना पर 4-5 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, भले ही 4500 करोड़ रुपया भी खर्च हो चुका हो, तब भी इस बात की अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि अर्थ-क्वेक होने से दिल्ली तक तबाही हो सकती है। तो इस खतरे को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय अपने विभाग

की तरफ से इस बात की पहल करेंगे कि फिर से तमाम सम्बन्धित मंत्रालय हैं, बैठकर के इन बांधों को बनाया जाये या नहीं बनाया जाए और विदेशी विशेषज्ञों की राय को देखते हुए फिर से इस पर कोई पहल करेंगे कि फिर से पूरी योजना पर विचार किया जाए, मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री कमल नाथ : इसमें पी०आई०बी० का क्लीयरेंस नहीं मिला यह बात सही है । लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा क्लीयरेंस नहीं मिला, यह बात सही नहीं है । हमारा कंडीशनल क्लीयरेंस मिला है । हमने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसको क्लीयरेंस दे दिया गया है । क्लीयरेंस रिपोर्ट की तीन लाइनें मैं हाऊस के लिए पढ़ देता हू :

[अनुवाद]

"भूगर्भीय तथा भूकम्पीय अध्ययन, इस परियोजना से जुड़े खतरे एवं जोखिम, पारिस्थितिक एवं सामाजिक प्रभावों, लागत एवं अनुमानित लाभों, पर विचार करने तथा उपलब्ध जानकारी तथा आंकड़ों की जांच करने के पश्चात् यह समिति इस सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुंची है कि टिहरी बांध परियोजना को वर्तमान प्रस्तावित रूप में क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए ।"

श्री चन्द्र जीत यादव : यही तो हम कह रहे हैं ।

श्री कमल नाथ : मैं इससे सहमत हूं । महोदय, समिति के इस निष्कर्ष के बावजूद स्वीकृति प्रदान कर दी गई । मैंने सदन को इसकी जानकारी दी है । इसलिए, सदस्यों द्वारा व्यक्त चिन्ता तथा स्वीकृति देने के पश्चात् से अब तक जो नई जानकारी सामने आई है; उसके परिपेक्ष्य में हम इस मामले पर पुर्नविचार करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी : जैसाकि मंत्री जी ने अभी बताया कि जुलाई, 1990 में हाउस को बताया कि जो रिपोर्ट पेश हुई है, इसमें विभाग का कोई हाथ नहीं है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे टैक्नीकल आदमी जिनके ऊपर आपने जिम्मेदारी दी है, वे कौन-कौन आदमी हैं और जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी हे, उनके विरुद्ध कोई एक्शन लेंगे ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं ।

मध्य प्रदेश की कपड़ा मिलों द्वारा भविष्य निधि के अपने अंश का न दिया जाना

[हिन्दी]

***288. श्री सत्य नारायण जटिया : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन कपड़ा मिलों के क्या नाम हैं जिन्होंने भविष्य निधि में प्रबंधकों का अंश जमा नहीं कराया और प्रत्येक मिल ने कब से यह धनराशि जमा नहीं करायी तथा प्रत्येक मिल पर ऐसी कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) अपना अंश जमा न कराने के लिए प्रत्येक मिल के प्रबंधकों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाई की गई है ?

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

क्रमांक	चूक करने वाली कपड़ा मिलों का नाम	चूक की अवधि	31-3-91 की स्थिति के अनुसार चूक की राशि (रु० लाखों में)	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इन्दौर।	2–65–9/72	55.66	**क्रमांक 1 से 7** ये सभी नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लि० के प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रीय-कृत मिल हैं।
2.	मैसर्स कल्याणमल मिल्स, इंदौर	3–70–4/72	11.33	कृत मिल हैं बकाया राशि राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि अर्थात् 1–4–1974
3.	मैसर्स स्वदेशी काटन एंड फ्लोर मिल्स, इंदौर	2–75–2/69	7.40	से पूर्व की है। रुग्ण कपड़ा मिल्स (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1974 के अधीन
4.	मै० हीरा मिल्स, उज्जैन	5–65–2/66	10.69	बकाया राशि के दावे संदाय आयुक्त के पास दायर किए गए थे।
5.	मै० बंगाल नागपुर काटन टैक्सटाइल मिल्स	9–60–4/61	1.29	आयुक्त के पास इन बकाया राशियों के भुगतान के लिए कोई कोष न बचने के
6.	मै० न्यू भोपाल टैक्सटाइल, भोपाल	2–62–2/72	6.92	कारण दावों की वसूली नहीं की जा सकी।
7.	मै० बुरहानपुर ताप्ती मिल्स।	3–69–6/71	5.19	
8.	मैसर्स हुकम चन्द मिल्स लि०, इन्दौर	8–83 से 9/88	160.11	**क्रमांक सं० 8 से 10**
9.	मैसर्स डी०एम०वलन मिल्स टैक्सटाइल प्रा० लि०, इन्दौर	11–85 से 7/88	0.08	इन मिलों को बकाया राशियों की अदायगी के लिए किश्त की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, तदनुसार वे बकाया राशि किश्तों में अदा कर रही हैं।
10.	मैसर्स विदासरिया मिल प्रा० लि०, धानी धार	3–84 से 3/87	0.10	
11.	मैसर्स इन्दौर टैक्सटाइल लि०, उज्जैन	4–81 से 1/86	5.43	**क० सं० 11 से 15**
12.	मैसर्स विमल मिल्स लि०, उज्जैन	11–91 से 11/90	73.99	इन सभी मिलों के विरुद्ध अभियोजन भारतीय दण्ड संहिता मामले दायर
13.	मै० बिनोद मिल्स लि०, उज्जैन	11–81 से 11/90	266.15	किए गये हैं चूंकि बी०आई०एफ०आर० के अन्तर्गत इन मिलों को बीमार मिलों के रूप में पंजीकृत किया गया है इसलिए उनके विरुद्ध कोई राजस्व वसूली संभव नहीं थी।

14.	मै० राजकुमार मिल्स लि०, इन्दौर	3–82 से 2/89	46.96	
15.	मै० श्री सज्जन मिल्स लि०, रतलाम	5–82 से 1/86	39.38	
16.	मैसर्स बिलासपुर स्पिनिंग मिल्स इंडस्ट्री लि०, बिलासपुर ।	12–81 से 5/90	14.81	**क्रम संख्या–16** क०भ०नि० प्राधिकारियों ने बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की है :— (क) 5–90 तक को चूक के लिए क० भ० नी० अधिनियम की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली प्रमाणपत्र दायर किये गये हैं । (ख) 10–89 तक की चूक के लिए क०भ०नि० अधिनियम की धारा 14 के अधीन अभियोजन मामले चलाये गये हैं। (ग) 5–90 तक कर्मचारियों की मजदूरी से काटे गये कर्मचारियों के अंशदान की अदायगी न करने के लिए भा०दं०सं० की धारा 406/409 के अधीन शिकायते दायर की गई हैं ।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, मजदूरों की भविष्य निधि मजदूरों के भविष्य के लिए होती है और जब तक मजदूर सेवा-निवृत्ति से पहले अपना काम करता रहता है, उसके वेतन में से कटौती होती है और उसमें मिल मालिक का भी कुछ पैसा जुड़ता है किन्तु यह भविष्य निधि का पैसा मजदूरों को उसकी सेवा-निवृत्ति के बाद मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है। यद्यपि इसके लिए नियम और कानून बने हुए हैं किन्तु इनके प्रावधान के रहते हुए भी मजदूरों को उसकी सेवा-निवृत्ति के बाद भुगतान नहीं होता है। फलस्वरूप मजदूर अपनी सेवा-निवृत्ति के बाद बहुत मुश्किल में पड़ जाता है और उसके परिवार का गुजारा भी बहुत मुश्किल हो जाता है।

मध्य प्रदेश में भी विनोद और विमल मिल में मजदूरों के भविष्य निधि का पैसा जमा करने के बाद भी दस वर्ष तक उसका भुगतान नहीं हुआ और दस वर्ष यह चलता रहा। इसके लिए जब कानून बने हुए हैं उस कानून के अन्तर्गत पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ में भुगतान न होने के कारण मजदूर का क्या होगा ? इसलिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो कानून में बाधा है, या जो प्रावधान हैं, इसको समाप्त कर के मजदूर को उसका भविष्य निधि का पैसा उसकी सेवा-निवृत्ति के बाद तुरन्त मिल जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे मजदूरों को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवर : महोदय, मध्य प्रदेश की मिलों के बारे में तो स्थिति यह है कि पहले वहां पर भविष्य निधि सूची में तृतीय प्रभार थी। परन्तु वर्ष 1989 में एक निर्णय लेकर सरकार ने इसे प्रथम प्रभार घोषित कर दिया है। इसलिए हम यह आशा करते हैं कि भविष्य में कामगार अपना धन जल्दी प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि अब इसे राजस्व पर प्रथम प्रभार बना दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर आया है, उसमें कहा गया है कि कानूनी तौर से उसकी मदद करके उसको भुगतान कर दिया जाए। मेरा प्रश्न इससे बनता है, एक तो यह है कि जो मजदूर जमा करता है और जो मिल मालिक जमा करता है, मिल-मालिक का पैसा तो जमा हुआ है और उसको तुरन्त भुगतान कर दिया जाना चाहिए किन्तु ऐसी भी मिलें हैं जो बिलासपुर की मिलें हैं, जिनमें मजदूर का हिस्सा भी उसमें जमा कराया हुआ है। अमानत में ख्यानत हो गई है। ऐसा जो हिस्सा मजदूर ने जमा कराया हुआ है, ऐसे भुगतान में विलम्ब नहीं होना चाहिए। 10 वर्ष तक लगातार मजदूर का जमा हुआ पैसा उसको भुगतान नहीं किया गया। इसके संबंध में भी निश्चित प्रावधान करने की आवश्यकता है। मैं आप के माध्यम से मजदूरों की राहत के लिए कोई निश्चित प्रावधान किए जाने की प्रार्थना करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवर : माननीय सदस्य, मध्य प्रदेश की किसी मिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह मिल भारतीय कपड़ा निगम ने अधिग्रहण कर ली है। मिल का अधिग्रहण करते समय

उन्होंने कहा कि भारतीय कपड़ा निगम द्वारा मिल के अधिग्रहण करने के पश्चात् पिछले बकाया के भुगतान की जिम्मेदारी पहले वाले मालिक की होगी।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, बात बहुत साफ थी कि इसमें जो भुगतान मजदूर ने किया है, उसका भुगतान तो निश्चित होना चाहिए। इसके लिए तुरन्त कोई कार्रवाई होनी चाहिए और सैंटर में ऐसा कोई फंड हो जिसके कारण मजदूरों को राहत मिल सके। ऐसी बात मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं... श्री दिग्विजय सिंह जी, आप बोलिए।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब दे रहे थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जवाब देना चाहते हैं ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य से इस बारे में सहमत हूं। यह गलती मिल मालिकों की वजह से हुई है। जब मजदूर सेवा-निवृत्त होते हैं तो उन्हें अपनी पूरी भविष्य निधि प्राप्त नहीं होती। उस वक्त उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हम मजदूरों की सहायता करने का प्रयत्न करते हैं। यहां तक की अगर किन्हीं कारणों से मालिक ने धनराशि जमा नहीं कराई है, जो यहां बताए गए हैं, मजदूर जब भी अपने कार्य से सेवा-निवृत्त होता है तो हम विशेष जमा फंड से कर्मचारी का भविष्य निधि का हिस्सा देते हैं। यहां तक कि अगर मिलें भी उनकी भविष्य निधि का अंश देने में चूक कर रही हैं तो हम कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि विशेष जमा निधि में से दी जाती है। उस सीमा तक मजदूरों को राहत प्रदान की जाती है।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, उद्योगपतियों द्वारा भविष्य निधि में प्रबन्ध के अंश का भुगतान न करना एक रोजमर्रा की बात हो गई है। ऐसे उदाहरणों की संख्या बहुत है जहां भुगतान न करने और अधिनिर्णय सम्बन्धी मामले अदालतों में लम्बित पड़े हैं। क्या माननीय मंत्री इन मामलों को जल्दी निपटाने के लिए एक विशेष अदालत अथवा विशेष न्यायाधीकरण का गठन करेंगे।

श्री पी० ए० संगमा : यह सच है कि बकाया राशि बहुत अधिक है जो लगभग 96.02 करोड़ रुपए है। अगर हम भविष्य निधि की कुल धनराशि देखें तो यह केवल एक प्रतिशत ही बैठती है। यद्यपि वास्तव में यह राशि 96.02 करोड़ रुपए है, लेकिन यह कुल धनराशि का केवल एक प्रतिशत है। स्थिति यह है। श्रम मंत्रालय कुछ ऐसे तरीके अपना रहा है जिनके फलस्वरूप बकाया राशि का वसूली में सुधार हो रहा है। जब से........ **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे विशेष अदालत का गठन करना चाहते हैं ?

श्री पी० ए० संगमा : वर्ष 1989-90 की कुल बकाया राशि 98. 96 करोड़ रुपए से घटकर 1990-91 में 96. 02 करोड़ रुपए रह गई है। बकाया राशि में कमी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप विशेष न्यायाधीकरण बनाएंगे ?

श्री पी० ए० संगमा : हमारे वसूली कार्यालय हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा प्रश्न लम्बित मामलों को जल्दी निपटाने के बारे में है। कुछ मामलों में आपराधिक आरोप तथा वित्तीय दायित्व भी हैं। बड़े लम्बे समय से ये सभी मामले लम्बित पड़े हैं और वह भी श्रम की कीमत पर। क्या माननीय मंत्री महोदय ऐसे मामलों के जल्दी निपटान के लिए एक विशेष अदालत अथवा न्यायाधीकरण के गठन पर विचार करेंगे ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री पी० ए० संगमा : 1990 से हमने वसूली तंत्र की शुरुआत की है। इससे पहले यह वसूली भविष्य निधि संगठन द्वारा नहीं की गई। यह कार्य संबंधित राज्य सरकारों के राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया था। शायद यही कारण था कि वसूली प्रक्रिया बहुत धीमी थी। अब हमारी अपनी वसूली तंत्र है जिसके परिणामस्वरूप इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है।

डा० देवी प्रसाद पाल : महोदय, मजदूरों द्वारा भविष्य निधि में दिया गया अंशदान उनका अपना पैसा है। पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों के अनुभव से यह पता चला कि नियोक्ता भविष्य निधि कमिश्नर के पास मजदूरों का अंशदान तक जमा नहीं करते। अतः जब मिल बंद हो जाती है अथवा कम्पनी बन्द होने की स्थिति में होती है तो मजदूरों को अपने धन से वंचित होना पड़ता है।

भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे नियोक्ताओं के विरुद्ध जो मजदूरों द्वारा किए गए अंशदान को भी जमा नहीं कराते, अभियोग चलाने की व्यवस्था है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि वह हमें बताएं कि कितने मामलों में ये अंशदान जमा नहीं कराया गया तथा क्या इन मामलों में कोई अभियोग चलाए गए तथा कितने मामलों में ये मुकद्दमें सफलतापूर्वक पूरे हुए व कार्यवाही भी की गई।

श्री पी० ए० संगमा : जहां तक कपड़ा मिलों का सम्बन्ध है इनमें चूककर्ताओं की चार श्रेणियां हैं। इनमें सबसे पहले राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, तथा उन पर बकाया राशि राष्ट्रीयकरण किए जाने से पहले की अवधि की हैं। दूसरी श्रेणी की मिलें जिनके साथ हमने समझौता किया है तथा उन्होंने किश्त के आधार पर भुगतान करना शुरू कर दिया है। अतः मुकद्मेबाजी का प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरे प्रकार की मिलें ऐसी श्रेणी की हैं जहां हमने अभियोजन प्रक्रिया शुरू की है लेकिन इतने में ही वे डी० आई० एफ० आर० के पास पहुंच गए हैं तथा उन्हें बीमार मिलें घोषित कर दिया गया है और उसके परिणामस्वरूप हम अभियोग नहीं चला सके। चौथी श्रेणी में वे मिलें हैं जो उपरोक्त तीन श्रेणियों के अन्तर्गत नहीं आतीं और हम तद्नुसार अभियोग प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, जवाब से यह लगता है कि ये मिलें मुख्यतः तीन श्रेणियों में बांटी गई हैं। इनमें से कुछ राष्ट्रीयकृत मिलें हैं और राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने इनका अधिग्रहण किया

है। और फिर उनसे जवाब आता है कि जब उस मामले में दावा किया गया था दावों को प्राप्त नहीं किया जा सका। क्योंकि पूर्व मालिकों द्वारा जो फंड छोड़ा गया था वह पर्याप्त नहीं था। जब भी राष्ट्रीय कपड़ा निगम बीमार मिलों का अधिग्रहण करता है तो ऐसी बातें हमेशा होती हैं और मेरा प्रश्न यह है : (क) सरकार क्या इसलिए फिर कानून संशोधित करने पर विचार करेगी ताकि जब राष्ट्रीय कपड़ा निगम इन मिलों की परिसम्पत्ति अधिग्रहण करे तो कम से कम मजदूरों को भविष्य निधि के भुगतान का दायित्व ले तथा (ख) आपके उत्तर से यह लगता है कि आपके पास वसूली तंत्र है। परन्तु यह इतनी कमजोर है कि कुछ मामलों में किश्तें दी जाती हैं तथा अन्य मामलों में भारतीय दंड संहिता या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अधीन मुकद्दमें चलाए जाते हैं तथा यह लगता है कि ये तरीके कमजोर हैं। तथा पूर्णरूपेण प्रभावी नहीं है। अतः क्या यहां भी सरकार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को और अधिक शक्तियां देने पर विचार करेगी ताकि वसूली भली प्रकार से हो सके तथा मजदूरों को उनकी भविष्य निधि से वंचित न किया जाये।

श्री पवन सिंह घाटोवर : महोदय, राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के बारे में, मैंने पहले ही बताया है कि वह सितम्बर, 1989 मे पहले होता था क्योंकि उस समय यह राजस्व पर अधिभार था। अब संशोधन के द्वारा हमने अधिभार को राजस्व में सम्मिलित कर लिया है ताकि मजदूरों की भविष्य निधि को प्राथमिकता मिले। अभियोजन के बारे में हमने वर्ष 1990 में एक वसूली व्यवस्था शुरू की है तथा हमने एक संस्थान की स्थापना भी की है जहां हम वसूली करने के लिए अपने इन अधिकारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षण देंगे। हम मिलों के बन्द होने के कारण अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मजदूरों को कोई कठिनाई न हो।

श्री राम नाईक : इतना सब करने के बावजूद क्या कोई ऐसा एक भी मामला है जिसमें न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को लताड़ पिलाई गई हो या पिछले दो या तीन वर्षों में कोई सजा दी गई हो ?

श्री० पी० ए० संगमा : महोदय, हमारे पास विस्तृत आंकड़े नहीं है परन्तु जब मैं श्रम मंत्रालय में था तो हमने बहुत सख्त कार्यवाही की थी।

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रहे हैं कि क्या सजा देने में ही यह समाप्त हो गई।

श्री पी० ए० संगमा : हां, लेकिन अब मेरे पास पूर्ण ब्यौरा नहीं है।

"(उड़ीसा में औद्योगिक इकाइयां)"

*290. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: –

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा जारी किए गये दिशा निर्देशों का उड़ीसा की औद्योगिक इकाईयों ने उद्योगों की स्थापना करते समय उल्लंघन किया है, जिसके कारण प्रदूषण फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उल्लंघनकर्ता औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) औद्योगिक इकाईयों को परिचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति लेनी पड़ती है तथा सूचना मिली है कि उड़ीसा में औद्योगिक इकाईयां प्रदूषण फैला रही हैं।

(ख) उड़ीसा में औद्योगिक इकाईयों से प्रदूषण, विशेषकर फ्लाई-ऐश को जमीन पर निपटाने, अमोनिया, फ्लोराइड, क्रोमियम, फिनौल तथा बहिस्रावों में पारे और उत्सर्जनों में धूलकणों से संबंधित समस्याओं के कारण होता है।

(ग) प्रदूषण के निवारण के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं ;

2. परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता मानीटरिंग केन्द्रों के नेटवर्क स्थापित किए गए हैं;

3. उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;

4. बहिस्रावों और उर्त्सजनों के विसर्जनों को निर्धारित सीमाओं में रखने के लिए उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है;

5. अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है और इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों से 31 दिसम्बर, 1991 तक निर्धारित मानकों का पालन करने की अपेक्षा की गई है;

6. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और निर्माण सामग्री में फ्लाई-ऐश के उपयोग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं; और

7. सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लघु औद्योगिक इकाईयों के समूहों को सहायता देने की एक स्कीम शुरु की गई है ।

श्री अर्जुन चरण सेठी : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में विशेष रूप से उन उद्योगों का नाम पूछा था जो प्रदूषण फैला रहे हैं। क्या मंत्री महोदय सदन को उन उद्योगों के नाम बतायेंगे जो प्रदूषण फैला रहे हैं तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं ?

श्री कमल नाथ : महोदय, औद्योगिक इकाईयों के प्रदूषण की निगरानी रखने का कार्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है तथा वे उद्योग जो दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, यह सूचना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उपलब्ध होगी। परन्तु वे उद्योग जो दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं उनकी एक सूची मेरे नोटिस में लाई गई है। वे उद्योग हैं : तलचर ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, नेलको, भारतीय उरर्वक निगम, एल्युमिनियम स्मैल्टर्स, नेलको, ओरिकैम लिमिटेड, इस्पात संयंत्र, राऊरकेला, जय श्री कैमिकल्स तथा ओरिएन्ट पेपर मिल्स इत्यादि। इन्हीं उद्योगों के नाम हमारे ध्यान में लाये गये हैं तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उनके साथ आवश्यक कदम उठाये हैं ।

श्री अर्जुन चरण सेठी : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि आठ उद्योगों में से छः उद्योग भारत सरकार के अधीन हैं। हमने इससे पूर्व सवर्ण रेखा के बारे में चर्चा की है। संबंधित उद्योगों के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा कई निजी उद्योगों ने इन दिशा-निर्देशों को माना है। चूंकि यह प्रश्न संसद में पूछा जा रहा है अतः यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि इसका सम्बन्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से है। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय केन्द्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण के अधीन वाली औद्योगिक इकाईयों को कोई निर्देश जारी करेंगे ?

श्री कमल नाथ : महोदय, कुछेक अत्यधिक प्रदूषण फैलान वाले उद्योगों को छोड़कर निजी उद्योग राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन आते हैं तथा उन्हें दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को अनुमति लेते समद हमसे पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग जो इन 17 श्रेणीयों में आते हैं ऐसे उद्योगों पर नियंत्रण करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना राज्य सरकार के परामर्श से तैयार की गई थी। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गई है। उनसे 31 दिसम्बर, 1991 तक प्रदूषण विरोधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहा गया है।

श्री बल्लभ पाणिग्रही : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि भारत सरकार तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा दिशा-निर्देश जारी करने के बावजूद भी बहिःस्राव के विसर्जन के माध्यम से प्रदूषण फैलना जारी है। ओरिएन्ट पेपर मिल द्वारा बहिःस्राव के विसर्जन द्वारा ब्रजराज नगर में ईब नदी में प्रदूषण हो रहा है। इसी प्रकार से भारतीय खाद्य निगम की इकाई जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है के कारण तलचेर में रामनामी

नदी में प्रदूषण हो रहा है। क्या यह सच है कि चूंकि इससे संबंधित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर सजा बहुत कम मिलती है इसी कारण लोग इस प्रकार के कार्यों से प्रदूषण फैलाते हैं ? चूंकि इसके लिए निर्धारित दण्ड बहुत कम है तथा चूंकि सजा और जुर्माना राशि भी बहुत कम होती है अतः वे उपचारात्मक उपायों पर धन व्यय करने की उपेक्षा उसी प्रक्रिया को जारी रखना अधिक उचित समझते हैं। इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री कमल नाथ : तलचेर स्थित भारतीय खाद्य निगम की इकाई के खिलाफ जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत मुकद्दमा दायर किया गया है। यह एक सच्चाई है कि ओरिएन्ट पेपर मिल के विरुद्ध भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बहिःस्रावों में कुछ रंग भी पाया गया है। (**व्यवधान**) जयश्री कैमिकल्स के मामले में पारा पाया गया है। यदि इस बारे में माननीय सदस्य हमें कुछ और जानकारी दें तो मुझे इस मामले की कार्यवाही करने में अत्यधिक प्रसन्नता होगी। कुछ दूसरे मामलों में पारा पाया गया है। ओरिएन्ट पेपर मिल के मामले में विशेषरूप से कुछ रंग पाया गया है।

माननीय सदस्य, महोदय के विचार में पर्यावरण सुरक्षा, अधिनियम इतना कड़ा नहीं है यह सही नहीं है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अत्यधिक कड़ी सजा निर्धारित की गई है। हम इस मामले की जांच करने के लिए कदम उठाएंगे।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : कई दशकों से प्रदूषण फैल रहा है तथा उस इलाके में तबाही हो रही है।

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन है तब भी चूंकि केन्द्रीय सरकार के पास समवर्ती अधिकार हैं मैं उस आधार पर इस पर गौर करूंगा। हम कारगर कदम उठाएंगे।

[**हिन्दी**]

श्री शंकरजी बघेला : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैम्बर पार्लियामेंट कम्पलेंट करता है कि यह इन्डस्ट्री बहुत पौलूशन करती है, राज्य सरकार का पौलूशन बोर्ड करप्ट है, पौलूटेड है तो सैन्ट्रल गर्वनमेंट उसकी बात नहीं मानती। क्या ऐज़ सैन्ट्रल गर्वनमेंट हमारे मैम्बर पार्लियामेंट की कम्पलेंट से कोई एक्शन लेंगे ? दूसरा क्या किसी एक्शन की वजह से कोई कम्पनी क्लोज़र या बन्द हुई ?

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य का जो आरोप है मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु उनका जो सुझाव है कि सैन्ट्रल पौलूशन कन्ट्रोल बोर्ड को इस पर भी इन्टरवीन करना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं। जहां तक यह प्रश्न है कि माननीय सदस्यों की कोई अलग कम्पलेंट आई है, इस पर एक्शन जरूर लिया गया है। ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं....... (**व्यवधान**)।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : मैं उनकी चिन्ता से पूरी तरह सहमत हूं तथा स्पष्टत: मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि कुछ कार्रवाई की गई है तथा आगे भी की जायेगी यदि कोई माननीय सदस्य मेरे ध्यान में कोई प्रदूषण सम्बन्धी मामला लायेंगे ।

श्री अंकुशराव टोपे : ऐसे कई उद्योग हैं जो बिना किसी प्रदूषण शोधन संयंत्र के चल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रदूषण शोधन संयंत्र को लगाना अनिवार्य कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही किया जा चुका है ।

श्री कमल नाथ : कई कदम उठाये गये हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श किया गया है। हम और भी कई कदम इस प्रकार से उठा रहे हैं ताकि उद्योग पर और ज्यादा नियंत्रण रखा जा सके।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि कितने वर्ष पूर्व सरकार के ध्यान में यह तथ्य लाया गया था कि अठारह उद्योग वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं तथा इस अवधि के दौरान भारत सरकार ने प्रत्येक मामले में क्या कदम उठाया है।

श्री कमल नाथ : 17 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग औद्योगिक इकाई नहीं है। वे उद्योग हैं। उन 17 उद्योगों की एक सूची है। सरकार ने कदम उठाये हैं तथा एक अधिसूचना जारी की गई है।

श्री लोकनाथ चौधरी : वे किस प्रकार के उद्योग हैं ? आपको उनका उल्लेख करना है। आप उस प्रश्न को टालने का प्रयत्न मत करिए। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। उत्तर भी स्पष्ट होना चाहिये।

श्री कमल नाथ : प्रश्न स्पष्ट है परन्तु क्षेत्र सीमित है ।

श्री लोकनाथ चौधरी : माननीय मंत्री जी को ईमानदारी से यह कहना चाहिये कि सूचना दी जायेगी।

श्री कमल नाथ : 17 ऐसे उद्योग हैं जिनका पता डेढ़ वर्ष पूर्व लगाया गया है। मुझे खेद है कि मैं इस समय सही तिथि नहीं दे सकता। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले इन उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है तथा एक अधिसूचना जारी की गई है तथा उन्हें समय दिया गया है तथा मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बारे में इससे भी अधिक कुछ करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पानी से फैलने वाले रोग

*289. **डा० विश्वानाथम कैनिथी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को यह जानकारी है कि देश में पानी से फैलने वाले रोगों में वृद्धि हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे रोगों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : '(क) और (ख) हैजा तीव्र अतिसारीय रोग (आन्त्रशोथ सहित), विषाणुज यकृतशोथ और आन्त्र ज्वर जैसे जल वाहित रोगों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों से देश में इन रोगों की घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत नहीं मिलता । तथापि, निरन्तर निगरानी रखी जा रही है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासनों को जब कभी जरूरत पड़ती है, आवश्यक सहायता और सलाह दी जाती है ।

राष्ट्रीय महिला आयोग

*291. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आयोग के लिए नियम बनाने के लिए इस मामले में सक्रिय व्यक्तियों और राष्ट्रीय महिला संगठनों से परामर्श किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

"टूवर्डस फ्रीडम" परियोजना

*292. **डा० ए० के० पटेल श्री शंकर जी वघेला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने "टूवर्डस फ्रीडम" परियोजना कब शुरु की थी;

(ख) इस परियोजना पर अभी तक कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी होनी थी;

(घ) इस परियोजना के कितने खंडों का मुद्रण अब तक किया जा चुका है; और

(ङ) इस परियोजना को कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 20 अगस्त, 1973 को।

(ख) 188 लाख रुपये।

(ग) परियोजना 1980 में पूरी हो जाने की सम्भावना थी।

(घ) एक खंड।

(ङ) 31 मार्च, 1994 तक।

महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणार्थ योजनाएं

[हिन्दी]

***293. श्री राजवीर सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणार्थ कौन सी नई योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गृहणियों को कोई विशेष राहत देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कुछ नए कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है। इनमें महिलाओं के विकास के लिए समेकित कार्यक्रम, महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय ऋण कोष की स्थापना और महिला अधिकार आयुक्त के कार्यालय की स्थापना शामिल हैं जिनसे गृहणियों सहित सभी श्रेणियों की पात्र महिलाएं लाभान्वित होंगी। चुने हुए ब्लाकों में किशोर लड़कियों को भी कवर करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना का विस्तार किया जा रहा है।

गंदी बस्तियों के लिए गैर-सरकारी संगठन

[अनुवाद]

***294. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गंदी बस्तियों की बढ़ती हुई समस्या से निपटने के लिए गैर-सरकारी संगठनों से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "यूनीसेफ" ऐसी परियोजनाओं का समन्वय करने और उनके लिए वित्तीय सहायता देने के लिए राजी हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग ने दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों की विकट समस्याओं से निपटने के कार्य में उसके साथ मिलकर कार्य करने के लिये गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों/धर्मार्थ ट्रस्टों से अनुरोध किया है ।

(ख) एक विज्ञापन के प्रत्युत्तर में दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग को गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों/धर्माथ ट्रस्टों से 52 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जांच के पश्चात 20 गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों(धर्मार्थ ट्रस्टों संलग्न विवरण के अनुसार) को उपयुक्त पाया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के लिये सहायता कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिये यूनिसेफ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग को 30 लाख रुपये की राशि दी है।

विवरण

गैर-सरकारी संगठनों का नाम	प्रथम किस्त के लिए प्रस्तावित राशि
	रुपये
1. आशा सदन	1,00,796
2. आश्रय	1,05,233
3. आल इन्डिया सेन्टर फार अर्बन एंड रुरल डवलपमेंट	63,026
4. बटरफ्लाईज	1,31,171
5. दिल्ली कैथोलिक आर्चडियोसाईज	1,19,397
6. दीपालय एजूकेशन सेन्टर	1,06,353
7. डी० ए० वी० हालीगा मेमोरियल ट्रस्ट	1,00,000
8. फोरे	1,11,376
9. गिल्ड आफ सर्विसेज	1,03,754
10. हर्ष	1,01,479
11. लव एंड केयर	1,22,866
12. राजीव नीलू कचवा पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट	1,16,723
13. इस्ट्रीज अर्बीमियर्स	1,55,289
14. सारन	77,929
15. स्मिता	96,754
16. सेवा भारती	72,639
17. तमन्ना	1,14,676
18. विरेन्द्र गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट	1,14,618
19. विवेकानन्द केन्द्र	64,107
20. वेलनसडे चैरिटी क्लब	97,497

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया व्यय

*295. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान विभिन्न इंजीनियरी, विकास और निर्माण तथा बागवानी कार्यों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की है;

(ख) दिल्ली, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों आदि के वेतन और मजदूरी आदि पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुख्य स्कंध के सम्पूर्ण कर्मचारीवृन्द आदि पर वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान विभिन्न इंजीनियरिंग, विकास संबंधी निर्माण और बागवानी कार्यों के लिए किया गया व्यय इस प्रकार है :--

1989-90--277.43 करोड़ रुपये

1990-91--330.20 „ „

इन आंकड़ों में वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कार्य प्रभारित श्रम पर किये गये क्रमशः 34.00 करोड़ रुपये और 36 करोड़ रुपये शामिल हैं किन्तु इसमें स्लम विंग, लाटरी और बस टर्मिनस (आई एस बी टी), जिनकी अलग विशिष्टताएं और खाते हैं, पर किया गया व्यय शामिल नहीं है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्य स्कन्ध के अधिकारियों और कर्यचारियों (कार्य-प्रभारित श्रमिकों को छोड़कर) पर वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान वेतन और मजदूरी के रूप में क्रमशः 29.35 करोड़ रुपये और 31.27 करोड़ रुपये का व्यय हुआ ।

वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्य स्कन्ध के समग्र कर्मचारीवृन्द (कार्य प्रभारित श्रमिकों को छोड़कर) पर क्रमशः 37.41 करोड़ रुपये और 38.54 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

"अम्बेडकर आवास योजना" के अन्तर्गत फ्लैटों का ड्रा निकालना

*296. **श्री रोशन लाल : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अम्बेडकर आवास योजना, 1989" के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण को श्रेणी-वार, कुल कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए;

(ख) क्या तब से फ्लैटों का ड्रा निकाल दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो ड्रा निकालने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) यदि ड्रा निकाला गया है तो सफल आवेदकों का श्रेणी-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सफल आवेदकों को फ्लैट कब तक आबंटित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अम्बेडकर आवास योजना, 1989 के अन्तर्गत श्रेणी-वार प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या इस प्रकार है :--

श्रेणी		आवेदनों की संख्या
मध्यम आय वर्ग		7,193
निम्न आय वर्ग		20,903
जनता		9,922
	योग	38,018

(ख) और (ग) अम्बेडकर आवास योजना में दो प्रकार के ड्रा निकालने का विचार है-- पहला, सफल पंजीकृत व्यक्तियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए तथा दूसरा, फ्लैटों के आबंटन के लिए/इनमें से अभी तक कोई भी ड्रा नहीं निकाला गया है और फ्लैटों का आबंटन नहीं किया गया है। यह मुख्यतः उच्च न्यायालय के स्थगनादेश और आवेदनों पर कार्रवाई में लगे समय की वजह से है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सभी सफल पंजीकृत व्यक्तियों को 1994-95 तक फ्लैट आबंटित किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों/हरिजनों/आदिवासियों पर हुए अत्याचार

*297. **श्री राम बदन : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जनजातियों/हरिजनों/आदिवासियों पर हुए अत्याचारों के कितने मामले गत छः महीनों के दौरान दर्ज किये गये और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने/कम करने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) उपलब्ध सूचना पर आधारित दो विवरण (अनुसूचित जाति के लिए विवरण संख्या–1 तथा (अनुसूचित जनजाति के लिए विवरण संख्या–2) संलग्न है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों की रोक थाम के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पारित किया गया है। इस अधिनियम में कठोर दंडों का प्रावधान है। अधिनियम के अधीन अत्याचारों के मामलों के शीघ्र परीक्षण हेतु विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं तथा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाती है। इस अधिनियम में अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास का प्रावधान है। भारत सरकार नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 दोनों ही के क्रियान्वयन के खर्च में राज्य सरकारों के साथ बराबर आधार पर (50:50) हिस्सा बांटती है। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए राज्य सरकारों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं जिसमें एहत्याती, निवारक, दण्डात्मक और पुनर्वासात्मक उपाय शामिल हैं।

विवरण-1

राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जनवरी-जून, 1991 के दौरान गैर-अनुसूचित जाति तथा गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गये अपराधों के मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	गम्भीर चोट	बलात्कार	आगजनी	अन्य अपराध	कुल	तक प्राप्त
1	आंध्र प्रदेश	07	51	12	03	89	162	मार्च, 91
2	बिहार	15	15	25	23	179	257	जून, 91
3	गोवा	—	—	—	—	—	—	मई, 91
4	गुजरात	08	43	06	09	288	354	अप्रैल, 91
5	हरियाणा	01	—	10	—	24	35	जून, 91
6	हिमाचल प्रदेश	—	01	05	—	11	17	मई, 91
7	जम्मू एण्ड काश्मीर	—	—	02	—	10	12	मई, 91
8	केरल	03	04	10	—	80	97	फरवरी, 91
9	मध्य प्रदेश	44	147	110	28	1855	2184	मई, 91
10	महाराष्ट्र	01	05	01	—	62	69	फरवरी, 91
11	उड़ीसा	03	02	02	06	76	89	मार्च, 91
12	पंजाब	10	01	01	—	01	13	फरवरी, 91
13	राजस्थान	10	31	28	10	274	353	मार्च, 91
14	तामिलनाडु	01	02	02	05	160	170	अप्रैल, 91
15	उत्तर प्रदेश	20	35	16	19	188	278	जनवरी, 91
16	पश्चिमी बंगाल	—	—	02	—	02	04	मार्च, 91
17	सिक्कम	—	—	—	—	07	07	मई, 91
18	दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	अप्रैल, 91
19	दिल्ली	—	—	—	—	03	03	जून, 91
20	पाण्डिचेरी	01	—	01	01	02	05	मई, 91

टिप्पणी :—1. असम तथा कर्नाटक राज्य सरकारों ने सूचना नहीं भेजी है।

2. अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

विवरण–2

राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जनवरी–जून, 1991 के दौरान गैर अनुसूचित जाति तथा गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गये अपराधों के मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	गम्भीर चोट	बलात्कार	आगजनी	अन्य	योग	तक प्राप्त हुए
1	2	3	4	5	6	7		9
1	आंध्र प्रदेश	05	06	07	06	11	35	मार्च, 91
2	बिहार	–	–	02	01	03	06	जून, 91
3	गुजरात	06	14	08	–	52	79	अप्रैल, 91
4	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	मई, 91
5	मध्य प्रदेश	05	36	13	01	133	188	जनवरी, 91
6	महाराष्ट्र	06	06	10	04	80	106	मई, 91
7	मणिपुर	02	02	–	–	–	–	जून, 91
8	मेघालय	–	–	–	–	–	–	अप्रैल, 91
9	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	मई, 91
10	उड़ीसा	–	02	–	03	26	31	मार्च, 91
11	राजस्थान	08	16	10	05	186	225	जून, 91
12	सिक्कम	01	01	–	–	07	09	जून, 91
13	तामिलनाडु	–	–	–	–	–	–	अप्रैल, 91
14	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	मई, 91
15	पश्चिमी बंगाल	03	–	–	–	–	03	मार्च, 91
16	अण्डेमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–	–	01	–	–	01	जून, 91
17	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	मई, 91
18	दादरा एवं नगर हवेली	–	–	–	–	06	06	जून, 91
19	दमन एवं द्विव	–	–	–	–	04	04	जून, 91

टिप्पणी :–1. असम, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल तथा उत्तर प्रदेश राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने आंकड़े नहीं भेजे हैं।

2. अन्य राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के बारे में सूचना शून्य है।

91-M/J(N)405LSS—3

[अनुवाद]

छोटे और मझोले कस्बों के समेकित विकास की योजना के अंतर्गत जाजपुर शहर को शामिल करना

*298. **श्री अनादि चरण दास** : : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा की ओर से जाजपुर शहर को छोटे और मझोले शहरों के समेकित विकास की योजना के अन्तर्गत शामिल करने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी हां, ।

(ख) और (ग) 8वीं योजना अवधि के दौरान छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत 15 कस्बों की सूची इस प्रकार है

1. जयपुर रोड
2. जयपुर
3. केन्द्रपाड़ा
4. भाद्रक
5. तितलागढ़
6. अंगुल
7. परलाखेमुण्डी
8. गोपालपुर
9. भन्जा नगर
10. रायागडा
11. नवरंगपुर
12. जापी
13. सुन्दरगढ़
14. झरसुगुडा
15. बारगढ़

राज्य सरकार ने यह भी बताया था कि इन 15 कस्बों में से निम्नलिखित 6 कस्बों पर प्राथमिकता के क्रम में वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान विचार किया जाएगा :–

1. केन्द्रपाड़ा
2. बारगढ़
3. गोपालपुर
4. जयपुर रोड
5. अंगुल
6. रायागडा

इसलिए इन 6 कस्बों को वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सहायता के लिए चुना गया था तथा स्वीकृति आदेश जारी किए गए ।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से विद्यालयों को सम्बद्ध करना

*299. **श्री पी० सी० थामस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिल्ली के पचास से अधिक विद्यालयों को सम्बद्ध करने से मना कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) केरल में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यताप्राप्त विद्यालयों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं ; और

(घ) इन विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के०मा०शि०बो०) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, दिल्ली में 63 विद्यालयों को के०मा० शि०बो० द्वारा सम्बन्धन प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि वे के०मा०शि०बो० के सम्बन्धन संबंधी उप-नियमों की शर्तों को पूरा नहीं करते, और केरल में 50 विद्यालयों को के० मा० शि० बो० से सम्बंधन प्राप्त हो गया है। उन विद्यालयों की अवस्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न गई है।

(घ) के०मा०शि०बो० से सम्बद्ध विद्यालयों के स्तर में सुधार के लिए उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) एन०सी०ई०आर०टी० के संशोधित स्कूल पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तकों का प्रयोग।

(ii) विद्यालयों को के०मा०शि०बो० के सम्बन्धन के उपनियमों के अनुसार शैक्षिक तथा आधार-भूत ढांचे के लिए निर्धारित मानदण्डों का कड़ाई से पालन अपेक्षित।

(iii) शैक्षिक सहायता सामग्री उपलब्ध करवाना तथा बोर्ड द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के स्तर को विनियमित करना।

विवरण

केरल राज्य में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्वावलम्बी विद्यालयों की सूचि

विद्यालय कोड सं०	नाम एवं पता
9301	आर्य केन्द्रीय विद्यालय, आर्य कुमार आश्रम, पट्टोम, त्रिवेन्द्रम, केरल-695004
9302	एन० एस० एस० पब्लिक स्कूल, पेरूम्थानी, त्रिवेन्द्रम, केरल-695008
9304	बी० एस० एस० सी० केन्द्रीय विद्यालय, सेंट जेवियर कालेज पी० ओ०, त्रिवेन्द्रम, (केरल)-695586
9305	एन० एस० एस० उच्च० माध्यमिक विद्यालय, एन० एस० एस० नगर, त्रिपुनितुरा, (केरल)-682301
9306	चिन्मया विद्यालय, लायम रोड़, त्रिपुनितुरा, (केरल)-682301
9307	एम० ई० एस० राजा आवासीय विद्यालय, राजानगर छवामंगलम, पी० ओ० कालीकट आर० ई० सी० जिला काजीकेडे , (केरल)-673601
9310	सेंट मैरी आवासीय पब्लिक स्कूल, पालीकरा, त्रिचुवल्ला, (केरल)-689101
9311	उरसूलाईन माध्यमिक विद्यालय, पञ्चायमबलम, पी० ओ० कन्नानोर, (केरल)-678688
9312	चिन्मया विद्यालय, पल्लावूर, जिला-पालघाट, (केरल)-678688
9313	एस० डी० वी० अंग्रेजी माध्यम माध्यमिक विद्यालय, अल्लेप्पे-688001 (केरल)
9314	श्री सत्य साई विद्यापीठ, श्री सलैम, कटानूर पी० ओ० जिला कालीकट-673531 (केरल)

विवरण—जारी

विद्यालय कोड सं०	नाम एवं पता
9315	चिन्मया विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, वरियम रोड, ईरलाकुलम, कोचीन-682016 (केरल)
9316	भारतीय विद्या भवन, भवन विद्या मन्दिर, एलामवकारा, कोचीन-682016, (केरल)
9317	टी०ओ०सी०एम० पब्लिक स्कूल, टी०ओ०सी० एस० नगर, सनाथा रोड, वैतिला-कोचीन, (केरल)-682019
9318	डेल्टा अध्ययन विद्यालय, टावर रोड, कोचीन-682001 (केरल)
9319	शिवागरी श्री नारायण विद्यालय, श्रीनिवासपुरम, पी० ओ० वरकला-695145, (केरल)
9320	मारियन विद्यालय, कलाथीपड़ी-केट्टायम-686010, (केरल)
9321	भवन विद्या मन्दिर, भारतीय विद्या भवन, गिरीनगर, कोचीन-682020, (केरल)
9322	व्यास विद्यापीठम, कालेक्कड़-पालघाट-678015,
9323	सैनिक स्कूल, कजहाकोटम-695585, जिला त्रिवेन्द्रम (केरल)
9324	कोचीन रिफाइनरी, विद्यालय, अम्बालामुकल-682302, जिला एरनाकुलम (केरल)

विवरण—जारी

विद्यालय कोड सं०	नाम एवं पता
9326	भारतीय विद्या भवन विद्या मंदिर, पोचाट्टी, पो० ओ० एराविमंगलम, त्रिचुर-680751 (केरल)
9327	होली त्रिनिति विद्यालय, कंजीकेडे पश्चिम, पालघाट, केरल
9328	चिन्मया विद्यालय, कन्नानोर-670001 (केरल)
9329	अल-अमीन पब्लिक स्कूल, एड़ापैल्ली, कोचीन-682024 (केरल)
9330	सांता मारिया अकादमी, सांता मारिया हिल, वल्लाचिरा पी०ओ० पल्लेसेरी, त्रिचुर-680562 (केरल)
9331	चिन्मया विद्यालय, चिन्मया गार्डन, कोलाजी, त्रिचुर-680010
9333	के०एम०एम० इंगलिश स्कूल, पो०ओ० पैरूमबदप्पा-679580 (केरल)
9334	जामिया हसानिया पब्लिक स्कूल, एस० वजाकुलम, एलवाये-683105 (केरल)
9336	मथा विद्यालय, थुमपोली, एलेप्पी, (केरल)
9338	अंसर अंग्रेजी विद्यालय, अंसर केन्द्र, पेरूमपिलवू, पी०ओ० करिक्कड़-680519 (केरल)
9339	सी०के०एम०एस०एस० विद्यालय, चलाकदी-680307, (केरल)

विवरण—जारी

विद्यालय कोड सं०	नाम एवं पता
9340	सबागिरी अंग्रेजी विद्यालय, अंचल पी०ओ० क्विलोन जिला, (केरल)
9341	सेवासदन केन्द्रीय विद्यालय, पी०ओ० गांधी सेवा सदन, पालघाट जिला-679302
9345	एस०नी०डी०ए० पब्लिक स्कूल, चित्तौड़, एरनाकुलम, कोचीन-682027 (केरल)
9332	हाई रेंज स्कूल, माता पट्टी, पो०ओ० एदंवुकी-जिला, (केरल) 655616
9337	सेंट एंथोनी स्कूल, अनाक्कल पी०ओ० कानीराप्पल्ली, कोट्टायाम जिला, (केरल)-680507
9325	महात्मा गांधी पब्लिक विद्यालय, एरनाकुलम, कोचीन-682016 (केरल)
9344	दयापुरम आवासीय विद्यालय, दयापुरम पो०ओ० आर० ई० कालेज कालीकट-623601 (केरल)
9343	चेरापलचेरी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, चेरपुलचेर जिला पालघाट, (केरल)
9342	बाप्पूरी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, परली, पो०ओ० पालघाट, (केरल)
9346	जौहेना पब्लिक स्कूल, कोचीन-682004 (केरल)
9335	एस० एन० विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय, तालाप, कन्नानौर-670002 (केरल)

विवरण—समाप्त

विद्यालय कोड सं०	नाम एवं पता
9347	बी०एम०एम० अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पोथेनपुरम, पमपदी, कोट्टायम, (केरल)-686502
9348	ग्रेस केन्द्रीय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय चेलाकरा-680586 (केरल)
9349	महात्मा गांधी मेमोरियल माडल स्कूल, वरकला (केरल)
9350	एस० एन० विद्या भवन, पन्नापिन्नी जिला-त्रिचुर, (केरल)
9351	श्री नारायण पब्लिक स्कूल, कोजूनचेरी (केरल)-689641
9353	आर्मी प्राथमिक विद्यालय, कन्नानौर, द्वारा डी०एस०सी० केन्द्र, कन्नानौर, केरल-670013
9352	मर थोमा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कोजूनचेरी, (केरल)-689641

कर्मचारियों के प्रतिनिधि को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी मंडल में शामिल किया जाना

*301. **श्री लोकनाथ चौधरी**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : } क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने शासी मंडल की 54वीं बैठक में सिद्धान्ततः यह निर्णय किया है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके शासी मंडल में शामिल किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह तय कर लिया गया है कि ऐसा किस ढंग से किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रतिनिधित्व की कार्य विधि (माडेलिटीज) संघों के प्रतिनिधियों के परामर्श से तय की जाएगी। इस सम्बन्ध में उनसे सुझाव मांगे गए हैं परन्तु उनमें से सभी ने अपने सुझाव नहीं भेजे हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए संयुक्त सलाहकार तन्त्र

*302. **डा० सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र की योजना में प्रस्तावित परिषद् के गठन के संबंध में उत्पन्न गतिरोध को इस बीच दूर कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) संयुक्त सलाहकार तंत्र (जे०सी०एम०) की योजना को केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें स्टाफ की ओर से सात प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान है। स्टाफ की ओर से प्रतिनिधित्व के प्रावधान के सम्बन्ध में विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों में सहमति की कमी रही है, इस कारण से संयुक्त सलाहकार तंत्र की योजना को कार्यान्वित करना संभव नहीं हो पाया है।

[हिन्दी]

खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

*303. **श्री तेज नारायण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केन्द्रीय सरकार खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देती है; और

(ख) यदि हां, तो 1990 और 1991 के दौरान दिये गये ऐसे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990-91 (अब तक) के दौरान खिलाड़ियों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए गए :—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने की संभावना वाले खिलाड़ियों को मुक्त भोजन/आवास, कोचिंग और प्रशिक्षण देना। इन खिलाड़ियों को निजी खेल किट भी प्रदान किए जाते हैं। प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए आने-जाने के रेल-भाड़े की प्रतिपूर्ति भी की गई।

(ii) जो खिलाड़ी ओलम्पिक, विश्व चैम्पियनशिप, एशियाई खेल, एशियाई चैम्पियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप जैसी विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतते हैं, उन्हें नकद/यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया प्रमाण-पत्रों के रूप में विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जनवरी 1991 में 155 खिलाड़ियों को कुल 1,00,13,991 रुपए के विशेष पुरस्कार दिए गए थे।

(iii) जूनियर और उप-जूनियर स्तर के प्रतिभावान लड़कों और लड़कियों को राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों (प्रत्येक को 2700 रुपये प्रतिवर्ष) तथा राज्य चैम्पियनशिपों (प्रत्येक को 1800 रुपए प्रतिवर्ष) में स्थान अर्जित करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है और इसके अतिरिक्त जो खिलाड़ी अपनी स्थिति को बनाए रखते है या उसमें सुधार करते हैं, उनकी छात्रवृत्तियां नवीकृत भी की जाती हैं।

(iv) कालेज तथा विश्वविद्यालयों में प्रत्येक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रतिवर्ष 3600 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। जिन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन को बनाए रखा या उसमें सुधार किया उनकी छात्रवृत्तियों को नवीकृत भी किया गया।

(v) (क) मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी अन्तर विश्वविद्यालय खेल टूर्नामैन्टों में सर्व-विजेता विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है।

(ख) सभी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता विश्वविद्यालय को क्रमशः 50,000 25,000 तथा 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

(ग) 13 विशिष्ट खेल विधाओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय विजेता विश्वविद्यालय को प्रत्येक खेल विषय में क्रमशः 50,000, 30,000 तथा 20,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

(vi) माह जून 1990 में वर्ष 1988 के लिए 5 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए।

(vii) जिला खेल टूर्नामैन्ट में विजेता स्कूलों को 9 विशिष्ट खेल विधाओं में उन सभी जिलों में जहां टूर्नामैंट हुए थे, प्रत्येक विधा के लिए 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

(viii) सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की अध्यक्षता में एक दल गठित किया गया है जो खिलाड़ियों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश तथा रोजगार के लिए दिए गए प्रोत्साहनों और सुविधाओं के वर्तमान स्तर का पता लगाएगा और इस संबंध में एक समान नीति का सुझाव देगा।

(ix) अपेक्षित प्रक्रिया में छूट देकर सरकारी रोजगार के लिए कीर्तिवान खिलाड़ियों पर विचार किया जाता है।

(x) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अनुदेश जारी कर दिए हैं कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं तथा ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए

आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले सरकार में सेवारत खिलाड़ियों को ड्यूटी पर समझा जाए। भारत में आयोजित ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी से यात्रा तथा भारत से बाहर विदेशों में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय महत्व से प्रतियोगिताओं के लिए मितव्ययी श्रेणी द्वारा हवाई जहाज से यात्रा करने की मंजूरी दी जाती है। सरकार यात्रा व्यय वहन करती है।

(xi) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागों को सरकार में खिलाड़ियों को वेतन वृद्धि की मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया है तथा ये एक व्यक्ति को उसके जीवन में 5 से ज्यादा नहीं दी जा सकती। ऐसी मंजूर की गई वेतनवृद्धि उसके सेवानिवृत्त तक उसी दर से लागू रहेगी, परन्तु यह किसी सेवा मामले जैसे पदोन्नति पर वेतन निश्चित करने, सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त करने या मंहगाई भत्ते/नगर प्रतिपूर्ति भत्ते आदि के लिए नहीं गिनी जाएगी।

दिल्ली में पट्टा प्रणाली

*304. **श्री कालका दास :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में पट्टा प्रणाली समाप्त कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अधिसूचना कब जारी की गई थी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) कतिपय श्रेणियों के पट्टा-धारण अधिकार को पूर्ण स्वामित्वाधिकार में परिवर्तित करने के लिए आदेश 11 मार्च, 1991 को जारी किए गए थे। इस सम्बन्ध में कुछ और मुद्दे जांचाधीन हैं।

[अनुवाद]

जड़ी-बूटियों से "एड्स" का इलाज

*305. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सिकंदराबाद से प्रकाशित होने वाले 27 जून, 1991 के डेक्कन क्रोनिकल में "हर्बल मेडिसिन टु क्योर एड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई वैज्ञानिक क्लिनिकल परीक्षण किया गया है और क्या उसे "एड्स" ग्रस्त रोगियों पर बड़े पैमाने पर आजमाया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) देश में सिक्किम सहित, प्रत्येक राज्य में अब तक "एड्स" के कितने रोगी होने की खबर मिली है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री '(श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ) सरकार को 27 जून, 1991 के डेक्कन क्रोनिकल में "हर्बल मेडिसिन टु क्योर एड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है। मानव रोगक्षमता ह्रास (एच आई वी) संक्रमित रोगियों पर मयूरी-शिखा जड़ी-बूटी की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए अभी कोई नैदानिक परीक्षण नहीं किए गए हैं।

देश में 30 जून, 1991 तक एड्स रोगियों की सूचित की गई राज्यवार संख्या इस प्रकार है—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एड्स रोगियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	1
असम	1
चण्डीगढ़ (संघ शासित)/पंजाब	8
दिल्ली	10
गोवा	2
गुजरात	1
जम्मू व कश्मीर	1
केरल	2
महाराष्ट्र	24
मणिपुर	4
पांडिचेरी	3
राजस्थान	1
तमिलनाडु	8
उत्तर प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	1
सिक्किम	..
योग :	68

[हिन्दी]

बिहार के निर्धन वर्गों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

1521. श्री भोगेन्द्र झा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खटाबे, टाटमा (तांती) जैसी बिहार की निर्धन जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 341 (2) में की गई व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जातियों की विद्यमान सूचियों में कोई भी संशोधन केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से ही किया जा सकता है।

(अनुवाद)

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् का अनुदान-सहायता-एकक

1522. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय औषध शोध संस्थान, लखनऊ में केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् का एक अनुदान-सहायता-एकक था;

(ख) क्या यह एकक तीन वर्ष की अवधि के लिए स्थापित किया गया था और अब इसे बन्द कर दिया गया;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ):

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"झूम खेती"

1523. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के शुरु में और इस समय कुल कितने क्षेत्र पर झूम खेती की जाती है और इस पर कितने आदिवासी परिवारों का जीवन निर्वाह निर्भर करता है;

(ख) ऐसे कितने अदिवासी परिवार उन स्थानों पर बस गये हैं जहां झूम खेती के अन्तर्गत भूमि पहले से विकसित है और कृषि उत्पादन की दृष्टि से ठीक है; और

(ग) सातवीं योजना अवधि के आरम्भ से अन्य स्थानों पर बसे हुए आदिवासी परिवारों की संख्या क्या है और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है'?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) कृषि और सहकारिता मंत्रालय द्वारा 1983 में झूम खेती के सम्बन्ध में स्थापित कृत्यक बल ने अनुमान लगाया

था कि 11 राज्यों में 622236 परिवार प्रति वर्ष 9956 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झूम खेती करते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, झूम खेती के नियंत्रण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत नौ राज्यों में 26532 परिवारों को फिर से बसाने के लिए चुना गया है, जिस पर कुल अनुमानित लागत 174 करोड़ रुपये आयेगी। इस स्कीम को लागू करने के लिए 1987-88 से 1990-91 तक की चार वर्षों की अवधि में नौ राज्यों को केन्द्र द्वारा 50. 91 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। परिवारों को फिर से बसाने का कार्य विभिन्न चरणों में है।

[हिन्दी]

राजस्थान में महिलाओं की शिक्षा

1524. श्री राम नारायण बैरवा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार नारी शिक्षा के मामले में रास्थान सबसे पिछड़ा राज्य है;

(ख) क्या इस प्रकार से पिछड़े राज्यों में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए संघ सरकार का और अधिक वित्तीय सहायता देने तथा विशेष योजना बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उनको प्रोत्साहन देने तथा उन्हें स्कूल में बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं जैसेकि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वर्दियां, मध्याहन भोजन और उपस्थिति छात्रवृत्ति और प्रारंभिक वाल शिक्षा कार्यक्रमों, क्रेचों और बालवाड़ियों के माध्यम से सहायता सेवा दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूलों में और अधिक अध्यापिकायें नियुक्त की जा रही हैं तथा लड़कियों के लिए अलग शौचालय सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में केवल लड़कियों के लिए स्थापित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का वित्त-पोषण केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में विदेशी सहायता से महिलाओं की शिक्षा के लिए पृथक घटक सहित विशेष परियोजनायें भी चलाई जा रही हैं।

नीदरलैंड की शत प्रतिशत सहायता से कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात के 10 जिलों में अप्रैल, 1989 में महिला समाख्या नामक परियोजना प्रारम्भ की गई। परियोजना का उद्देश्य महिला संघों के माध्यम से सम्बन्धित गांवों में महिलाओं को शिक्षा के लिए एकत्र करना है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं को अधिक से अधिक शामिल करने के लिए निम्नलिखित के माध्यम से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं :–

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में कम से कम 50% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक महिला शिक्षार्थियों को एकत्र करना;

शैक्षिक अर्हताओं में विधिवता लाकर बड़ी संख्या में महिला प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति करना;

महिलाओं के लिए कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को बड़ी संख्या में शामिल करना;

महिला अध्यापिकाओं का विशेष अभिविन्यास और प्रशिक्षण;

महिला साक्षरता और महिलाओं को अधिकार देने पर फिल्मों का निर्माण और प्रसारण।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पिछड़े क्षेत्रों में स्थित पात्र कालेजों को तथा पात्रता की शर्तों में ढील देकर महिला कालेजों को विकास अनुदान देता है। इसके अतिरिक्त महिला छात्रावासों के लिए वि०अ०आ० 100% अनुदान देता है।

[अनुवाद]

कालेजों में प्रवेश हेतु अल्पसंख्यक भाषा समूह द्वारा चंदा इकट्ठा करना

1525. **श्री जे० चोक्का राव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक भाषा समुदाय सांविधानिक प्रावधान का लाभ उठाते हुए भारी मात्रा में चंदा इक्कठा करके इंजीनियरिंग मेडिकल और अन्य अंग्रेजी माध्यम के कालेज प्रारम्भ कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक उनके द्वारा अल्पसंख्यक भाषा कालेजों को छोड़कर कितने इंजिनियरिंग मेडिकल और डिग्री कालेज प्रारंभ किए गए हैं ;

(ग) क्या संविधान में ऐसा संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है जिससे उन्हें केवल अपनी भाषा और धर्म के विकास हेतु संस्था प्रारम्भ करने की अनुमति हो ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) अल्पसंख्यक भाषा समूह प्रति व्यक्ति/बढ़े हुए शुल्क पर आधारित इन्जीनियरी और चिकित्सा सहित कालेज आरम्भ कर रहे हैं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम की धारा 2 (च) के अन्तर्गत अगस्त 1989 की यथास्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त कालेजों की सूची एक प्रकाशित दस्तावेज है और संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चत्थामंगलम स्थित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

1526. **श्री ई० अहमद :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में चत्थामंगलम स्थित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज में सुधार करने तथा इसके विकास हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का इस कालेज के वर्तमान शासी निकाय का पुनर्गठन कर इसे राज्य सरकार से असम्बद्ध करने का भी विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार केरल के क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट को इसके विकास के लिए अनुदान प्रदान करती है। यह कालेज को प्रौद्योगिकी तथा प्रयोगशालाओं के उभरते हुए क्षेत्रों में सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भी सीधे केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद द्वारा रोग विषयक अनुसंधान

1527. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः वर्षों के दौरान केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् द्वारा कुछ रोगों के बारे में किये गये अनुसंधानों का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) क्या उक्त अनुसंधानों के सम्बंध में तैयार की गई विस्तृत रिपोर्टों को प्रकाशित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) 1984 से 1990-91 के वर्षों के दौरान परिषद् द्वारा क्लिनिकल समस्याओं पर किए गए अध्ययनों की संख्या भिन्न-भिन्न वर्षों में 26 से लेकर 34 तक भिन्न-भिन्न है। इनमें से (8) कलिनिकल अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्ष निकाल लिए गए हैं और उन्हें वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश नवोदय विद्यालय

1528. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के ऐसे जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित करने का विचार है जहां पहले ये विद्यालय नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) नवोदय विद्यालय योजना में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की परिकल्पना की गई है। मध्य प्रदेश के कुल

45 जिलों में से 29 जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं। नवोदय विद्यालय खोलना संबंधित राज्य/संघशास्ति क्षेत्र सरकारों के प्रस्ताव पर आधारित होता है जिन्हें, विद्यालय खोलने के लिए निःशुल्क 30 एकड़ उपयुक्त भूमि और पर्याप्त भवन तथा अन्य अवस्थापना सुविधाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराने होते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन छात्रावासों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण

1529. **श्री पीटर जी० मरबनिआंग :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के स्नातकोत्तर तथा स्नातक विद्यार्थियों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन विभिन्न छात्रावासों में छात्रावास-वार कुल कितनी-कितनी सीटें आरक्षित की गई थी और वर्ष 1991-92 के लिए कितनी-कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं, और

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन विभिन्न छात्रावासों में वर्ष उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के स्नातकोत्तर और स्नातक विद्यार्थियों को छात्रावास-वार कुल कितनी-कितनी सीटें आवंटित की गई थी तथा वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी-कितनी सीटें आवंटित की गई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान विद्यार्थियों को 6 छात्रावासों में, जिनमें 938 सीटें हैं, छात्रावास में आवास प्रदान करता है। इन छात्रावासों में रिक्त सीटों में से 15% सीटें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए तथा 7.5% अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित की जाती है। छात्रावासों में पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

अवर स्नातक विद्यार्थियों को विभिन्न कालेजों द्वारा प्रबन्धित छात्रावासों में आवास प्रदान किया जाता है।

(ख) 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित स्नातकोतर छात्रावासों में अनु०जाति/अनु० जनजाति के विद्यार्थियों को आवंटित की गई छात्रावास सीटें निम्नलिखित हैं :-

छात्रावास का नाम	1989-90		1990-91	
	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अनु०जनजाति
ग्वायर हाल	5	5	5	8
जबली हाल	6	7	5	2
स्नातकोतर पुरुष छात्रावास	9	6	9	7
स्नातकोतर महिला छात्रावास	10	52	13	53
अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भवन	5	3	4	3
मानसरोवर छात्रावास	7	10	10	9

क्योंकि प्रवेश प्रगति पर है, 1991-92 में अनु० जाति/अनु० जनजाति के विद्यार्थियों को आवंटित की गई छात्रावास सीटों की सही संख्या बताना संभव नहीं है।

91-M/J(N)405LSS—4

अनन्तपुर जिले में नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय खोलना

1530. **श्री गंगाधर सानी पल्ली :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर और अनन्तपुर जिले में वर्ष 1991-92 के दौरान नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) नवोदय विद्यालय की योजना में एक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की योजना है। आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में पहले ही एक नवोदय विद्यालय चल रहा है। रेलवे बोर्ड ने अनन्तपुर जिले के गुटी में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया है, तथापि 1991-92 के दौरान नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

होम्योपैथिक दवाइयों का निर्यात

1531. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी उद्योग किस सीमा तक होम्योपैथिक दवाइयों जैसे मदर-टिंक्चर, तनूकृत घोल, बायो-केमिक गोलियां आदि का निर्माण करने में आत्म-निर्भर तथा सक्षम है;

(ख) क्या उपर्युक्त उत्पादों में से किसी उत्पाद का देश से निर्यात किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो स्वदेशी उद्योग की वृद्धि को देखते हुए होम्योपैथिक दवाइयां के निर्यात का औचित्य क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (घ) आज की विश्व अर्थ व्यवस्था में जो स्वयं तेजी से बदल रही है और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का रुझान विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की ओर बढ़ रहा है तथा उद्योग की पारस्परिक निर्भरता राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर रही है, ऐसे में कोई भी आधुनिक उद्योग वास्तव में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है।

देश में होम्योपैथिक उद्योग विभिन्न मदों का आयात करता है और निर्यात भी करता है क्योंकि वर्तमान नीति के अन्तर्गत उनके आयात अथवा निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

एड्स से मुक्त रक्त उत्पाद

1532. **श्री अमल दत्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्त उत्पादों का एड्स-मुक्त होना सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन उपायों का प्रभावी रूप से लागू होना सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी निगरानी तंत्र बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक एड्स-मुक्त रक्त-उत्पाद उपलब्ध हो पाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों में सा०का०नि० संख्या 691(अ) दिनांक 11-7-89 के द्वारा संशोधन कर दिया गया है जिसमें विनिर्माताओं के लिए एच०आई०वी० प्रतिपिण्डों से मुक्त होने के लिए प्रत्येक रक्त यूनिट के नमूने की जांच कराना अनिवार्य है । केवल वही रक्त जो सुरक्षित होता है, रक्त उत्पाद के विनिर्माण हेतु इस्तेमाल किया जाना है । ऐसी जांचें करने की तारीख कन्टेनर के लेबल पर भी अंकित की जाएगी ।

[हिन्दी]

कॉलेजों में रीडर और प्रोफेसर का पदनाम

1533. **डा० लाल बाहादुर रावल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कालेजों के वरिष्ठ लेक्चरारों को रीडर और प्रोफेसर का पदनाम न दिया जाये ;

(ख) क्या सरकार का इस फैसले पर पुर्नविचार करने तथा कॉलेजों के वरिष्ठ लेक्चरारों को रीडर और प्रोफेसर का पदनाम देने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो कब से ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 27-7-1988 को घोषित वेतन-मानों के संशोधन की योजना में यह व्यवस्था है कि वे लेक्चरार, जो वरिष्ठ वेतनमान में 8 वर्ष पूरे कर लेते हैं और वे मौजूदा लेक्चरार, जिनकी कुल 16 वर्ष अथवा इससे अधिक की सेवा है, वे रीडर/चयन ग्रेड लेक्चरार (दोनों 3700—5700 रु० वेतनमान में) के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति के पात्र होंगे । केवल वे ही व्यक्ति, जिनके पास अन्य बातों के साथ-साथ पी०एच०डी० की डिग्री है, वे रीडर के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे । जिनके पास पी०एच०डी० की डिग्री नहीं है परन्तु अन्यथा निर्धारित अपेक्षाएं पूरी करते हैं उन्हें चयन ग्रेड लेक्चरार के रूप में पदनामित किया जाएगा । वे पी०एच०डी० की डिग्री प्राप्त करने के बाद अपना नया मूल्यांकन करवा सकते हैं और यदि वे उपयुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें रीडर का पदनाम दिया जाएगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

अम्बेडकर गांवों का विस्तार करने के लिए केरल सरकार को वित्तीय सहायता

1534. **श्री कोड्डीकुन्नल सुरेश : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने केरल सरकार को अम्बेडकर गांवों का विस्तार करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अम्बेडकर गांवों में सुधार करने के संबंध में केरल सरकार को निर्देश जारी किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी हां । अम्बेडकर ग्रामस् के नाम से प्रसिद्ध अनुसूचित जातियों की आदर्श बस्तियों के समेकित विकास हेतु 1990-91 के दौरान केरल सरकार को 81 लाख रुपये मजूर किए गए थे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालयों के लिये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

1535. **श्री एस० एस० आर० राजेन्द्र कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार योजना का नाम स्वर्गीय श्री एम० जी० रामचन्द्रन के नाम पर रखने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) समूचे देश में स्कूली-बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का फ़िलहाल कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय वक्फ परिषद्

1536. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वक्फ अधिनियम में और संशोधन करने का है ताकि इसे केन्द्रीय वक्फ परिषद् और मुस्लिम सांसदों के कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार बनाया जा सके ;

(ख) क्या सरकार का वक्फ अधिनियम के गैर-विवादास्पद उपबंधों को लागू करने का विचार है जैसी कि विभिन्न मुस्लिम संगठनों और संस्थाओं ने मांग की है ;

(ग) क्या हरियाणा सरकार ने पंजाब वक्फ बोर्ड का विभाजन करने की मांग की है ताकि राज्य के लिए एक पृथक वक्फ बोर्ड की स्थापना की जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) विभिन्न तरीकों से वक्फ (संशोधन) अधिनियम को और आगे संशोधित करने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ख) गैर विवादास्पद पाए गए प्रावधानों अर्थात् वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 66 (जी) तथा 66 (एच) को लागू किया जा चुका है।

(ग) पंजाब वक्फ बोर्ड को, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के तीन अलग-अलग वक्फ बोर्डों में विभाजित करने के बारे में हरियाणा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(घ) पंजाब वक्फ बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि 31-10-1991 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

प्रशिक्षार्थियों के लिए वृत्ति और वेतनमान

1537. **श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा बेरोजगार युवकों को शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में विभिन्न पेशों में दो से चार वर्ष के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण दिलाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितना वृत्ति दी जाती है;

(ग) क्या कुछ फर्मों के मालिक अवकाशों के बदले वृत्ति में से कुछ राशि काट लेते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार वृत्ति में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) जी, हां।

(ख) अदा की जा रही वृत्तिका की राशि निम्न प्रकार है :—

प्रथम वर्ष :— 290 रु० प्रति माह

द्वितीय वर्ष :—330 रु० प्रति माह

तृतीय वर्ष :—380 रु० प्रति माह

चतुर्थ वर्ष :—440 रु० प्रति माह

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि फर्मों के घोषित अवकाशों के लिए ऐसी कोई कटौतियां नहीं की जाती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, नहीं। सरकार केन्द्रीय शिक्षुता परिषद की सिफारिश पर वृत्तिका में संशोधन पर विचार करती है। फिलहाल, वृत्तिका में वृद्धि पर विचार करने के लिए परिषद् से कोई सिफारिश नहीं आई है।

[अनुवाद]

शहीदों की स्मृति में स्मारकों का निर्माण

1538. **श्री साईमन मरांडी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के संथाल परगना के अंतर्गत भोगनाडिच, पचकठिया और कंचना में देश के शहीदों की स्मृति में स्मारक बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त स्थानों पर पर्यटन संबंधी कौन-कौन से विकास कार्यक्रम शुरू किये जाने की संभावना है और यदि इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इडुक्की, केरल में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय

1539. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में इडुक्की वन मण्डल में औषधिक पौधों व जड़ी-बूटियों इत्यादि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का इदुक्की में एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय आरम्भ करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् के अधीन क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम के एक औषधीय पादपों के सर्वेक्षण दल ने इदुक्की जिले के वन क्षेत्र का सर्वेक्षण किया तथा इस क्षेत्र में उपलब्ध कई औषधीय पादपों का पता चला। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी सूचित किया है कि भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, कोयम्बतूर का दक्षिण सर्कल इदुक्की जिले की पहाड़ियों पर अनुसंधान कर रहा है और इस क्षेत्र में औषधीय महत्व के बहुत से पादप पाए गए। इस क्षेत्र में पाए गए कुछेक महत्वपूर्ण औषधीय पादप इस प्रकार हैं :—

पिप्पली (पिपर लोंगम); तमाल (सिन्ना मोमोम तमाल); शालक-पर्णी (डेसमेडियम गैंगेटिकम); प्रश्नीपर्णी (यूरेरिया पिक्टा); बिल्व (एगिल मार्मेलोस); अग्निमंथ (क्लेरोडेन्ड्रम फ्ल्येमिडिस); अशोक (सराका अशोक); केतकी (पैंडामस रोकस बुधियानम); कंटकारी (सोलानम जैम्धो कारपम); मुस्ता (साइपर रोटनडस); अश्वगंध (वियानिया सोमनी-फेरा); शतावरी (एस्पेरेगसरिसेमोसस); अर्जुन (टर्मिनिलिया अर्जुन); श्योनका (ओरोक्सिलम इंडिकम) गंभारी (मिलिना आर्बोरिया); लंगली (ग्लोरीसा सुपरबा); विदरी (प्योरेरिया टयूबेरोसा); भरिच (पाइपर नाइग्रम); कुटज (होलरहेना एण्टी डाइसेंट्रिका); श्वेत कुटज (राइटिया टिंक्टोरिओ); निरगुंडी (वाइटेक्स नेन गुन्डो); इत्यादि।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय का इस समय इदुक्की, केरल अथवा कहीं भी कोई आयुर्वेदिक विश्व विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए बजट योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

रक्त-बैंकों पर नियंत्रण पर विधेयक

1540. **श्री मृत्युंजय नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रक्त-बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिए संघ सरकार का कोई विधेयक लाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) देश में रक्त बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिए संघीय सरकार का कोई विधेयक लाने का विचार नहीं है। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमों में रक्त बैंकों को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचे की व्यवस्था है।

दिल्ली में समता स्थल पर किया गया व्यय

1541. **श्री शिवशरण वर्मा :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बाबू जगजीवन राम की समाधि, समता स्थल के निर्माण पर कितना व्यय किया गया है ;

(ख) निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकार ने समता स्थल का विकास करने का कोई निर्णय नहीं लिया है, अतः इस पर कोई खर्च नहीं हुआ है।

एस० एस० के० एम० अस्पताल, कलकत्ता में और अधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना

[अनुवाद]

1542. **श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या एस० एस० के० एम० अस्पताल, कलकत्ता में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के ढांचे के अनुरूप और अधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के पांच जोनों में पांच चिकित्सा संस्थानों के कुछ विभागों का दर्जा बढ़ाने के लिए उन संस्थानों का पता लगाने के लिए एक समिति नियुक्त की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एस० एस० के० एम० अस्पताल कलकत्ता में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उस समिति को एक प्रस्ताव भेजा है। समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

त्रिपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव

1543. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मेडिकल कालेज की स्थापना किए जाने के बारे में त्रिपुरा सरकार का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम

[हिन्दी]

1544. **श्री केसरी लाल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990-91 के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा इसकी उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त अवधि के दौरान राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई और इसमें से कितने प्रतिशत का उपयोग किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में 1990-91 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्यों और उपलब्धियों का एक विवरण उपाबंध में दिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार को परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान 890.70 लाख रुपए (नगद और सामग्री दोनों के रूप में) की सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य को बकाया दावे के लिए 6,000 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उस वर्ष के दौरान उनके द्वारा 14,904 लाख रुपए खर्च किए गए।

विवरण

वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य और उपलब्धियां

परिवार नियोजन तरीके/मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	लक्ष्य 1990-91	उपलब्धि 1990-91 @ (अप्रैल 90 से मार्च 91)
(क) परिवार नियोजन तरीके		
1. नसबंदी	785,000	439,245
2. आई यू डी निवेशन	1,535,000	1,579,715
3. प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता	1,459,500	1,576,380
4. मुख सेव्य गोली उपयोगकर्त्ता	224,900	213,336
(ख) मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य कार्यकलाप		
(i) रोगप्रतिरक्षण		
1. गर्भवती महिलाओं को टेटनस के टीके	5,043,360	3,885,000
2. बच्चों को डी पी टी के टीके	4,410,000	4,469,000
3. पोलियो	4,410,000	4,332,000
4. बी सी जी	4,410,000	4,269,000
5. खसरा	4,410,000	4,009,000
6. बच्चों को डी टी के टीके	3,041,642	2,728,000*
7. टी टी (10 वर्ष)	2,591,028	1,983,000*
8. टी टी (16 वर्ष)	2,478,375	1,569,000*
(ii) पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम		
(क) कुल महिलाएं	4,145,200	2,352,000*
(ख) बच्चे (1—5 वर्ष)	4,284,700	2,256,000*
(iii) विटमिन "ए" की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम	4,639,400	1,180,000* (खुराकों में)

@आंकड़े अंतिम।

*फरवरी 1991 तक की उपलब्धियां।

[अनुवाद]

हैदराबाद में हल्की रेल परिवहन प्रणाली

1545. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद शहर में हल्की रेल परिवहन प्रणाली आरम्भ करने संबंधी प्रस्ताव की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली का ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद और सिकन्दराबाद के युग्म शहरों में हल्की रेल परिवहन प्रणाली आरम्भ करने के लिए मैसर्ज रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनोमिक्स सर्विसेज लि० (राईट्स) द्वारा तैयार किया गया तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन प्रस्तुत कर दिया है। मैसर्ज राईट्स द्वारा पता लगाए गए मार्ग इस प्रकार हैं :—

(i) बालानगर से खैरताबाद

(ii) खैरताबाद से चार-मीनार

(iii) मोजामजाही मार्किट से दिलसुखनगर

इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 307 करोड़ रुपए है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट में दी गई विभिन्न पूर्वधारणाओं के बारे में अपनी टिप्पणियां और स्पष्टीकरण देने तथा वित्त व्यवस्था, आर्थिक सहायता घटक और परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता आदि के बारे में अपनी योजना बताने के लिए कहा गया है। इन पहलुओं पर राज्य सरकार की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इन परिस्थितियों में इस परियोजना के कार्यान्वयन की सम्भावित तारीख बताना बहुत ही असामयिक है।

[हिन्दी]

जयपुर के चारों ओर मुद्रिका सेवा

1546. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या जयपुर और उसके आस-पास के क्षेत्रों को एक मुद्रिका रेल सेवा से जोड़ने के लिए सरकार का कोई योजना बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त जल आपूर्ति परियोजना

1547. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तमिलनाडु में तिरूप्पुर में जल आपूर्ति के संबंध में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक परियोजना प्रारम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। तथापि राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि तिरूप्पुर नगर पालिका, 4 नगर पंचायतों और 44 गांव पंचायतों में जीवन बीमा निगम ऋण सहायता से एक जलापूर्ति सुधार योजना कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटे और मझौले शहरों का विकास

1548. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने छोटे और मझौले शहरों के विकास की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन शहरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण I और II संलग्न हैं।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित लघु तथा मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास की छठी योजना में शुरू की गई योजना के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए लघु तथा मध्यम कस्बों को सहायता दी गई है। 1990-91 तक सहायता दिए गए 457 कस्बों में 166 कस्बे वे हैं जिनकी शिनाख्त प्राथमिकता कस्बों के रूप में राष्ट्रीय आयोग द्वारा की गई है।

शिनाख्त किए गए कस्बों में शहरी मूलभूत सेवाओं के दायरे का विस्तार किया गया है ताकि शहरी निर्धनों को गैर-औपचारिक, स्वास्थ्य देखरेख, पालन-पोषण, भरण आदि जैसी सामाजिक सेवाएं सुलभता से उपलब्ध हो सकें। बेरोजगार तथा अन्य रोजगार वाले शहरी निर्धनों को रोजगार मुहैया कराने के लिए नेहरू रोजगार योजना भी बनाई गई है।

विवरण-I

राष्ट्रीय शहरीकरण द्वारा प्राथमिकता विकास के लिये पता लगाए गए शहरों की सूची

तालिका "क"

राज्यों तथा संघ राज्यों की राजधानियां

क्रम०सं०	शहर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
2	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश
3	दीसपुर-गोहाटी	असम
4	पटना	बिहार
5	पणजी	गोवा
6	गांधीनगर	गुजरात
7	शिमला	हिमाचल प्रदेश
8	श्रीनगर	जम्मू तथा कश्मीर
9	जम्मू (शरदकालीन राजधानी)	वही
10	बंगलौर	कर्नाटक
11	त्रिवेंद्रम	केरल
12	भोपाल	मध्य प्रदेश
13	बम्बई	महाराष्ट्र
14	शिलांग	मेघालय
15	इम्फाल	मणीपुर
16	एजवल	मिजोरम
17	कोहिमा	नागालैंड
18	भुवनेश्वर	उड़ीसा
19	जयपुर	राजस्थान
20	गंगतोक	सिक्किम
21	मद्रास	तमिलनाडु
22	अगरतला	त्रिपुरा
23	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
24	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
25	पोर्ट ब्लेयर	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
26	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़, पंजाब तथा हरियाणा
27	सिलवासा	दादर तथा नागर हवेली
28	नई दिल्ली	दिल्ली
29	कवारत्ती	लक्षद्वीप
30	पांडिचेरी	पांडिचेरी

टिप्पणी—इन शहरों को इसलिये चुना गया है क्योंकि ये राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियां हैं। राजनीतिक शासन के संघीय ढांचे में अपने प्रशासनिक कार्यों के कारण ये राष्ट्रीय प्राथमिकता के पात्र हैं। इन शहरों के मामले में जनसंख्या मानदण्ड नहीं अपनाया गया है। दमन तथा दीव 1981 में तत्कालीन संघ राज्य क्षेत्र का भाग था और आज भी इसके प्रशासक का मुख्यालय पणजी में ही है।

तालिका "ख"

1981 के अनुसार दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर (तालिका "क" में पहले ही लिये गये शहरों के अलावा)

क्रम सं०	शहर	राज्य
1	अहमदाबाद	गुजरात
2	पूणे	महाराष्ट्र
3	नागपुर	वही
4	कानपुर	उत्तर प्रदेश

टिप्पणी :—एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को राष्ट्रीय प्राथमिकता शहरों का दर्जा दिया गया है क्योंकि वे न केवल मिलियन (दस लाख) से अधिक बिन्दु को पार कर गये हैं परन्तु राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनका अत्याधिक महत्व है।

तालिका "ग"

वे शहर जिनकी जनसंख्या 2001 में 1 लाख हो जाएगी

क्रम० सं०	शहर	जिला	राज्य
1	विशाखापतनम	विशाखापतनम	आन्ध्र प्रदेश
2	विजयवाड़ा	कृष्णा	वही
3	धनबाद	धनबाद	बिहार
4	जमशेदपुर	सिंहभूम	वही
5	रांची	रांची	वही
6	बोकारो इस्पात शहर	धनबाद	वही
7	सूरत	सूरत	गुजरात
8	बड़ौदरा	बड़ौदरा	वही
9	हुबली, धारवाड़	धारवाड़	कर्नाटक
10	कोचीन	अर्नाकूलम	केरल
11	इन्दौर	इन्दौर	मध्य प्रदेश
12	जबलपुर	जबलपुर	वही
13	ग्वालियर	ग्वालियर	वही
14	दुर्गभिलाई	दुर्ग	वही
15	राउरकेला	सुन्दरगढ़	उड़ीसा
16	लुधियाना	लुधियाना	पंजाब
17	अमृतसर	अमृतसर	वही
18	जोधपुर	जोधपुर	राजस्थान
19	कोटा	कोटा	वही
20	कोयम्बतूर	कोयम्बतूर	तमिलनाडु

क्रम सं०	शहर	जिला	राज्य
21	मदुरै	मदुरै	तमिलनाडु
22	तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली	वही
23	सालेम	सालेम	वही
24	वाराणसी	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
25	आगरा	आगरा	वही
26	इलाहाबाद	इलाहाबाद	वही
27	मेरठ	मेरठ	वही

टिप्पणी :—दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले सम्भावित शहरों की यह सूची जनसंख्या प्रक्षेपों की जनसांख्यिकी प्रक्रिया पर आधारित है। यह भी नोट किया जाए की इन शहरों में आर्थिक तथा जनसांख्यिकी संवेग के उदाहरण मिले हैं। सक्रिय शहरीकरण उत्पन्न करने के लिए इन शहरों में रोजगार तथा आर्थिक विकास उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने हैं, परन्तु साथ ही में यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाने हैं कि शहरी सुविधाएं समाप्त न हों। यह विचार किया जाएगा कि कुछ हद तक इन शहरों ने एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए काउण्टर मैगनेट की भूमिका निभाई है परन्तु यदि हम नहीं चाहते हैं कि ये शहर वर्तमान एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के भाग्य बने जो राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। संक्षिप्त में जबकि इन शहरों को समर्थन देने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिएं तो यह पता लगाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए कि इन शहरों में प्रवसन पर नियंत्रण लगाया जाए।

तालिका "घ"

आर्थिक संवेग उत्पन्न करने की सम्भावना वाले अन्य शहर

क्रम सं०	शहर	जिला	राज्य
1	अंकलेश्वर	भड़ौच	गुजरात
2	मंगलौर	दक्षिण खंड	कर्नाटक
3	दुर्गापुर	बर्धमान	पश्चिम बंगाल
4	हाल्दा	मिदनापुर	वही
5	पारादीप	कटक	उड़ीसा
6	कोरापट	कोरापट	वही
7	डिब्रुगढ़	लखीमपुर	असम

टिप्पणी :—शहरों की आर्थिक विकास सम्भावना का मूल्यांकन करने के लिये आयोग द्वारा की गई सांख्यिकी प्रक्रिया के आधार पर ये शहर तालिका "क", "ख" तथा "ग" में नहीं लिये गये हैं।

तालिका "क"

अवशिष्ट शहरों की सूची

क्रम सं०	शहर/कस्बा	जिला	राज्य
1	बुद्ध गया	गया	बिहार
2	थानेश्वर—कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	हरियाणा
3	लेह	लद्दाख	जम्मू तथा कश्मीर
4	मैसूर	मैसूर	कर्नाटक
5	जगदलपुर	बस्तर	मध्य प्रदेश
6	पुरी	पुरी	उड़ीसा
7	अलीगढ़	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश
8	दार्जिलिंग	दार्जलिंग	पश्चिम बंगाल
9	बोलपुर—शान्तिनिकेतन	बीरभूम	वही

टिप्पणी :—यह अवशिष्ट शहरों की सूची है इसका उद्देश्य कुछ शहरों सहित राष्ट्रीय प्राथमिकता शहरों की सम्पूर्णता का चित्रांकन करना है जो समाज, सांस्कृतिक तथा अन्य कारणों से विचारणीय है।

विवरण-II

राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले शहर

तालिका "क"

आर्थिक संवेग उत्पन्न करने की संभावना वाले शहर

क्रम सं०	शहर/नगर	जिला	राज्य
1	गन्तूर	गन्तूर	आंध्र प्रदेश
2	वारंगल	वारंगल	वही
3	राजामुंदरी	पूर्वी गोदावरी	वही
4	बैलोर	बैलोर	वही
5	कुरनूल	कुरनूल	वही
6	निजामाबाद	निजामाबाद	वही
7	तिरुपति	चितूर	वही
8	कुडापा	कुडापा	वही
9	भीमवरम	पश्चिमी गोदावरी	वही
10	खामम	खामम	वही
11	महबूब नगर	महबूब नगर	वही
12	करीम नगर	करीम नगर	वही
13	औंगले	पराकसप	वही
14	नरासरावपेट	गुन्तूर	वही

क्रम सं०	शहर/नगर	जिला	राज्य
15	नालगोंडा	नालगोंडा	आन्ध्र प्रदेश
16	मदनपल्ले	चितूर	वही
17	आदिलाबाद	आदिलाबाद	वही
18	धर्मावरम	अनन्तपुर	वही
19	सिदिपेट	मैदक	वही
20	दिगबोई	लखमीपुर	असम
21	बिहार शरीफ	नालंदा	बिहार
22	बेरमो	गिरडी	वही
23	पतरातू	हजारीबाग	वही
24	देहरी	रोहतास	वही
25	हजारी बाग	हजारी बाग	वही
26	बेगूसराय	बेगूसराय	वही
27	गिरडी	गिरडी	वही
28	नरकतियागंज	पश्चिम चम्पारन	वही
29	नवसारी	बलसाड़	गुजरात
30	आनन्द	खेड़ा	वही
31	हिमतनगर	साबरकंठ	वही
32	पानीपत	करनाल	हरियाणा
33	फरीदाबाद	फरीदाबाद	वही
34	हिसार	हिसार	वही
35	सोनीपत	सोनीपत	वहीं
36	सिरसा	सिरसा	वही
37	जिन्द	जिन्द	वही
38	गुलबर्ग	गुलबर्ग	कर्नाटक
39	दवनगेरे	दवनगेरे	वही
40	शिमोगा	शिमोगा	वही
41	रायचुर	रायचुर	वही
42	तुमकुर	तुमकुर	वही
43	बिदार	बिदार	वही
44	हरीहर	चित्रदुर्ग	वही
45	करवार	उत्तरी कन्नाड	वही
46	त्रिचूर	त्रिचूर	केरल
47	कन्नौर	कन्नौर	वही
48	शोरनूर	पालाघाट	वही
49	रायपुर	रायपुर	मध्य प्रदेश
50	बिलासपुर	बिलासपुर	वही
51	सतना	सतना	वही
52	राजनन्दगांव	राजनन्दगांव	वही

क्रम सं०	शहर/नगर	जिला	राज्य
53	देवास	देवास	मध्यप्रदेश
54	भिंड	भिंड	वही
55	मुरेना	मुरेना	वही
56	इटारसी	होशंगाबाद	वही
57	विदिशा	विदिशा	वही
58	गूना	गूना	वही
59	छतरपुर	छतरपुर	वही
60	शहडोल	शहडोल	वही
61	बेतुल	बेतुल	वही
62	उज्जैन	उज्जैन	वही
63	पीथमपुर	धार	वही
64	औरंगाबाद	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
65	धूले	धूले	वही
66	नानडेड	नानडेड	वही
67	इचलकरंजी	कोल्हापुर	वही
68	चन्द्रापुर	चंद्रापुर	वही
69	परभानी	परभानी	वही
70	बिड	बिड	वही
71	नासिक	नासिक	वही
72	तुरा	पश्चिम गारो हिल्स	मेघालय
73	कटक	कटक	उड़ीसा
74	बेहरामपुर	गनजम	वही
75	संबलपुर	संबलपुर	वही
76	भटिंडा	भटिंडा	पंजाब
77	बटाला	गुरदासपुर	वही
78	होशियारपुर	होशियारपुर	वही
79	फगवाड़ा	कपूरथला	वही
80	गोबिन्दगढ़	पटियाला	वही
81	रूपनगर	रूपनगर	वही
82	अलवर	अलवर	राजस्थान
83	भिलवाड़ा	भिलवाड़ा	वही
84	भरतपुर	भरतपुर	वही
85	टूटिकोरिन	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु
86	तिरुपुर	कोयम्बतूर	वही
87	शिवकाशी	रामनाथपुरम	वही
88	होसुर	धर्मपुर	वही
89	इरोडे	पेरियार	वही

क्रम सं०	शहर/नगर	जिला	राज्य
90	बरेली	बरेली	उत्तरप्रदेश
91	गाजियाबाद	गाजियाबाद	वही
92	मुरादाबाद	मुरादाबाद	वही
93	गोरखपुर	गोरखपुर	वही
94	मुज्जफरनगर	मुज्जफरनगर	वही
95	हरिद्वार	सहारनपुर	वही
96	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	वही
97	हल्द्वानी	नैनीताल	वही
98	उन्नाव	उन्नाव	वही
99	ऋषिकेश	देहरादून	वही
100	मथुरा	मथुरा	वही
101	आसनसोल	बर्धमान	पश्चिम बंगाल
102	सिलिगुड़ी	दार्जलिंग	वही
103	कृष्णनगर	नादिया	वही

टिप्पणी :—आयोग द्वारा की गई सांख्यिकी प्रक्रिया में लक्ष्य मानदण्डों को लागू करके इन शहरों तथा नगरों को चुना गया है। 20,000 से जनसंख्या वाले नगरों पर विचार नहीं किया गया है।

तालिका "ख"

30 प्रतिशत और उससे अधिक शहरी जनसंख्या वाले जिलों के मुख्यालय
(पहली वाली सूची में लिये गये जिलों को छोड़कर)

क्र० सं०	शहर/नगर	जिला	राज्य
1	मछली पटनम	कृष्णा	आंध्र प्रदेश
2	जामनगर	जामनगर	गुजरात
3	राजकोट	राजकोट	वही
4	भावा नगर	भावा नगर	वही
5	जूनागढ़	जूनागढ़	वही
6	अम्बाला	अम्बाला	हरियाणा
7	बल्लारी	बल्लारी	कर्नाटक
8	रतलाम	रतलाम	मध्य प्रदेश
9	जालंधर	जालंधर	पंजाब
10	अजमेर	अजमेर	राजस्थान
11	बीकानेर	बीकानेर	वही
12	कांचीपुरम	चेंगलपट्टू	तमिलनाडु
13	ऊटाकमंड	नीलगिरी	वही

क्रम सं०	शहर/नगर	जिला	राज्य
14	तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु
15	देहरादून	देहरादून	उत्तर प्रदेश
16	झांसी	झांसी	वही
17	दमण	दमण	गोवा, दमन तथा दीव
18	यमन	यमन	पांडिचेरी
19	माहे	माहे	वही
20	कराईकल	कराईकम	वही

टिप्पणी :— इस सूची में राष्ट्रीय प्राथमिकता की सूची में और तालिका "क" के अन्तर्गत लिये गये शहर शामिल नहीं हैं। ऐसे शहरों को राज्यों प्राथमिकता शहर घोषित करने का अभिप्राय यह है कि ऐसे शहरों में आधारभूत सुविधाओं का समर्थन करके विकास प्रक्रिया में तेजी लाना और इससे आर्थिक आधार में विस्तार करने में उनकी सहायता करना ताकि बड़े शहरों में प्रवसन की आवश्यकता को कम किया जा सके। संक्षिप्त में क्षेत्र के भीतर ही प्रवसन होगा और इससे वास्तविक शहरीकरण में सहायता मिलेगी।

तालिका "ग"

90 प्रतिशत और उससे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों के मुख्यालय

क्रम सं०	शहर/नगर	जिला	राज्य
1	सिलचर	काचर	असम
2	दिफू	मिकिर हिल्स	वही
3	धुबरी	गोलपारा	वही
4	तेजपुर	दारंग	वही
5	नौगांव	नौगांव	वही
6	जोरहाट	सिबसागर	वही
7	हाफ्लौंग	उत्तरी काचर हिल्स	वही
8	औरंगाबाद	औरंगाबाद	बिहार
9	नवादा	नवादा	वही
10	सासाराम	रोहतास	वही
11	छपरा	सरन	वही
12	सिवान	सिवान	वही

क्रम सं०	शहर/नगर	जिला	राज्य
13	गोपालगंज	गोपालगंज	बिहार
14	बतिहा	पश्चिमी चंपारन	वही
15	मातीहरी	पूर्वी चंपारन	वही
16	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	वही
17	मुज्जफरपुर	मुज्जफरपुर	वही
18	हाजीपुर	वैशाली	वही
19	समस्तीपुर	समस्तीपुर	वही
20	दरबंगा	दरबंगा	वही
21	मधुबनी	मधुबनी	वही
22	सहरसा	सहरसा	वही
23	पुरनिया	पुरनिया	वही
24	कटिहार	कटिहार	वही
25	दुमका	संथाल परगना	वही
26	डालटनगंज	पलामू	वही
27	पालनपुर	बांस कंठ	गुजरात
28	मंडी	मंडी	हिमाचल प्रदेश
29	धर्मशाला	कांगड़ा	वही
30	चम्बा	चम्बा	वही
31	ऊना	ऊना	वही
32	बिलासपुर	बिलासपुर	वही
33	केलौंग	लाहौल और स्पीति	वही
34	हमीरपुर	हमीरपुर	वही

क्रम सं०	शहर/नगर	ज़िला	राज्य
35	कुल्लू	कुल्लू।	हिमाचल प्रदेश
36	नाहन	सिरमौर	वही
37	पुलवामा	पुलवामा	जम्मू तथा कश्मीर
38	कपवाड़ा	कपवाड़ा	वही
39	डोडा	डोडा	वही
40	उधमपुर	उधमपुर	वही
41	कारगिल	कारगिल	वही
42	कोट्टायम	कोट्टायम	केरल
43	मालापुरम	मालापुरम	वही
44	इडुक्की	इडुक्की	वही
45	कलपेट्टा	वेनाड	वही
46	रायगढ़	रायगढ़	मध्य प्रदेश
47	सियोनी	सिवोनी	वही
48	पन्ना	पन्ना	वही
49	सिद्धि	सिद्धि	वही
50	जाबुआ	जाबुआ	वही
51	रायसेन	रायसेन	वही
52	मांडला	मांडला	वही
53	बालाघाट	बालाघाट	वही
54	अम्बीकापुर	सरगुजा	वही
55	रत्नागिरि	रत्नागिरि	महाराष्ट्र

क्रम सं०	शहर/नगर	ज़िला	राज्य
56	उखरुल	पूर्वी मणिपुर	मणिपुर
57	तेमंगलोंग	पश्चिमी मणिपुर	वही
58	करोंग सेनापति	उत्तरी मणिपुर	वही
59	विलियम नगर	पूर्वी गारो हिल्स	मेघालय
60	नोनगेस्टोइन	पश्चिमी खासी हिल्स	वही
61	जोवई	जैंतिया हिल्स	वही
62	तुवेनसांग टाउन	तुवेनसांग	नागालैंड
63	मौन	मौन	वही
64	बालेश्वर	बालेश्वर	उड़ीसा
65	बारीपाडा	मयूरभंज	वही
66	धेनकनाल	धेनकनाल	वही
67	फुलबनी	फुलबनी	वही
68	बोलनगीर	बोलनगीर	वही
69	भवानी पटना	कालाहंडी	वही
70	बाड़मेर	बाड़मेर	राजस्थान
71	जालौर	जालौर	वही
72	डूंगरपुर	डूंगरपुर	वही
73	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	वही
74	मांगन	उत्तरी सिक्किम	सिक्किम
75	नामची	दक्षिणी सिक्किम	वही
76	गयालसिंग	पश्चिमी सिक्किम	वही
77	धर्मपुरी	धर्मपुरी	तमिलनाडु
78	कैलाशहर	उत्तरी त्रिपुरा	त्रिपुरा
79	उदयपुर	दक्षिणी त्रिपुरा	वही
80	जौनपुर	जौनपुर	उत्तरप्रदेश
81	राय बरेली	राय बरेली	वही
82	बांदा	बांदा	वही
83	बस्ती	बस्ती	वही
84	बाराबांकी	बाराबांकी	वही
85	लखीमपुर खीरी	खीरी	वही

क्रम सं०	शहर/नगर	जिला	राज्य
86	अलमोड़ा	अलमोड़ा	उत्तर प्रदेश
87	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	वही
88	चमोली	चमोली	वही
89	नरेन्द्र नगर	टेहरी गढ़वाल	वही
90	पिथोरागढ़	पिथोरागढ़	वही
91	फतेहपुर	फतेहपुर	वही
92	सीतापुर	सीतापुर	वही
93	सुलतानपुर	सुलतानपुर	वही
94	बहराइच	बहराइच	वही
95	बेला प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	वही
96	दियोरिया	दियोरिया	वही
97	आजमगढ़	आजमगढ़	वही
98	बालिया	बालिया	वही
99	पौढ़ी गढ़वाल	गढ़वाल	वही
100	गाजीपुर	गाजीपुर	वही
101	बांकुरा	बांकुरा	पश्चिम बंगाल
102	मिदनापुर	मिदनापुर	वही
103	पुरुलियां	पुरुलिया	वही
104	सूरी	बिरभूम	वही
105	कूच बिहार	कूच बिहार	वही
106	माल्दा	माल्दा	वही
107	मुर्शीदाबाद	मुर्शीदाबाद	वही
108	तेजू	लोहित	अरूणाचल प्रदेश
109	बोमडिला	वेस्ट कामिंग	वही

टिप्पणी :—यह कम शहरीकृत निर्धन जिले हैं। इन जिलों से प्रवसन की संभावना अत्यधिक हैं। उत्साही शहरीकरण के अनुसार हमारी नीति को शहरों में प्रवसन को नियंत्रित करने के लिये उप-क्षेत्रीय स्तर पर रोजगारोत्पत्ति तथा आर्थिक विकास पर लक्षित होना चाहिये।

तालिका—घ

शेष सूची

क्रम सं०	शहर/नगर	जिला	राज्य
1	तिनसुकिया	लखीमपुर	असम
2	बोंगईगांव	गोलपाड़ा	वही
3	पोरबन्दर	जूनागढ़	गुजरात
4	पाटन	जूनागढ़	वही
5	महेसाना	महेसाना	वही
6	द्वारका	जामनगर	वही
7	बहादुरगढ़	रोहतक	हरियाणा
8	डलहौजी	चम्बा	हिमाचल प्रदेश
9	गुलमर्ग	बारामूला	जम्मू तथा कश्मीर
10	बेलगांव	बेलगांव	कर्नाटक
11	मांड्या	मांड्या	वही
12	मेडीकेरी	कोडगु	वही
13	कालीकट	कोजीकोड	केरल
14	एलिप्पे	एलिप्पे	वही
15	पटियाला	पटियाला	पंजाब
16	पठानकोट	गुरदासपुर	वही
17	कोडिकनाल	मदुरै	तमिलनाडु
18	नैनीताल	नैनीताल	उत्तर प्रदेश
19	मसूरी	देहरादून	वही
20	जलपायगुड़ी	जलपायगुड़ी	पश्चिम बंगाल

टिप्पणी :—यह सूची उन नगरों की है जो आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय आधार पर राज्य स्तर पर प्राथमिकता के पात्र हैं। यह एक निदर्शी सूची है और इसमें संशोधन का प्रावधान है।

[हिन्दी]

मंडल आयोग द्वारा दर्शाई गई पिछड़ी जातियां

1549. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पिछड़ी जातियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए मंडल आयोग ने आरक्षण सुविधा का प्रावधान किया है ;

(ख) क्या सभी पिछड़ी जातियों की पहचान कर ली गई है; और

(ग) क्या इनमें कुछ ऐसी जातियां भी शामिल हैं जो अस्तित्व में ही नहीं हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) मण्डल आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणियों में निर्धारित की गई जातियों और समुदायों के नाम मण्डल आयोग की रिपोर्ट के भाग II में दर्शाए गए हैं जिसे 30 अप्रैल 1982 को सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है।

(ख) मण्डल आयोग ने रिपोर्ट के पैरा 12.10 (प्रथम भाग खण्ड I) में इस प्रकार से कहा है :—

> "जबकि आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों की राज्यवार सूचियों को यथासम्भव व्यापक बनाने का प्रयत्न किया है, तथापि इस बात की फिर भी सम्भावना है कि पिछड़ों के रूप में सूचीबद्ध जातियों के अनेक पर्याय छूट गए हों। कुछ जातियां अनेक पर्यायों द्वारा जानी जाती हैं जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हैं और उन्हें पूरी तरह शामिल करना लगभग असम्भव है।"

(ग) तमिलनाडु सरकार ने यह बतलाया है कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट में दिए गए कुछ समुदाय 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद तमिलनाडु में हैं ही नहीं।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों के पोते/पोतियों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की पात्रता

1550. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों के पोते/पोतियों केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के तभी पात्र होंगे, जब ऐसे बच्चों के पिता की मासिक आय एक हजार रुपए से अनधिक होगी ;

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है तथा यह कहां तक संगत है; और

(ग) क्या इस शर्त को हटाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। पात्रता के लिए यह कोई अंतर्भूति शर्त नहीं है बल्कि यह केवल प्राथमिकता निर्धारण का आधार है। संसद सदस्य

के पोता-पोतियों को संसद सदस्य का आश्रित समझा जाता है और यदि उनके माता-पिताओं की आय प्रति वर्ष 12,000 रु० से ज्यादा नहीं होती तो उन्हें दाखिले में पहली प्राथमिकता दी जाती है।

[हिन्दी]

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा पोलिटेक्निकों का खोला जाना

1551. **श्री सज्जन कुमार :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में 1991-92 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा पोलीटेक्नीक खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यमुना नदी का प्रदूषण

1552. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी दिल्ली और आगरा के बीच अत्यधिक प्रदूषित है ;

(ख) यदि हां, तो उसे प्रदूषण-रहित करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए और चालू वर्ष के दौरान क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई योजना बनाई गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) जी, हां। दिल्ली और आगरा के बीच यमुना नदी के अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों को गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण में शामिल किया गया है जिन्हें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्कीमों की लागत में हिस्सेदारी के लिए सहमत होने के बाद ही हाथ में लिया जा सकेगा।

[अनुवाद]

खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रमिक

1553. **श्री काशी राम राणा**
श्री वी० एस० विजयराघवन } क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खतरनाक व्यवसायों में दस वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बालक श्रमिक (प्रतिबंध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संशोधन के परिणामस्वरूप बेरोजगार होने वाले बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) से (ग) जोखिमपूर्ण व्यवसायों में दस वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि कारखानों, खानों और विभिन्न जोखिमपूर्ण व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पहले से ही प्रतिबन्ध लगा हुआ है। बाल श्रम से संबंधित कानूनों के कठोर प्रवर्तन के अतिरिक्त अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य-देखरेख, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि के विशेष कार्यक्रमों की स्थापना के माध्यम से बाल श्रम की बहुलता वाले क्षेत्रों में पुनर्वास की परियोजनाएं शामिल हैं ।

"जंगलों की कटाई"

1554. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का जंगलों की कटाई के लिए नीलामी बंद करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गत समय में किसी राज्य ने जंगलों की कटाई बंद कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इसमें यह व्यवस्था है कि सरकार द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के बिना किसी वन में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और वनों से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पर्यावरणीय स्थिरता और परिस्थितिकीय संतुलन के लिए वनों के महत्व की तुलना में गौण समझे जाएं ।

(ग) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी राज्य ने अपने सारे वन क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में नागरिक सुविधाओं में सुधार

1555. **श्री बी०एल० शर्मा "प्रेम" :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण दिल्ली में और विशेषकर पूर्व दिल्ली में नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन किया गया और इसमें से वास्तविक रूप से कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) क्या इसमें पूर्व दिल्ली का हिस्सा बहुत कम रहा है, और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और पूर्व दिल्ली में नागरिक सुविधाओं में सुधार करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) संबंधित एजेन्सियों से जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समान वेतन ढांचा

1556. **श्री वी एस० विजयराघवन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पूरे दक्षिण भारत में एक समान वेतन ढांचा लागू करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) और (ख) केरल सरकार दक्षिणी राज्यों में कतिपय परम्परागत नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में असमानता समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करती रही है। केन्द्र सरकार ने समस्याओं की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने दक्षिणी राज्यों में परम्परागत नियोजनों में मजदूरी में एकरूपता लाने के लिए फरवरी, 1990 में कुछ सिफारिशें की। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए केवल राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करता है। अतः दक्षिणी क्षेत्र की राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे इस संबंध में आगे आवश्यक कार्रवाई करें।

चण्डीगढ़ में नसबन्दी और नलबन्दी के आपरेशन

1557. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चण्डीगढ़ में नसबन्दी और नलबन्दी के वर्षवार कितने आपरेशन किए गए ; और

(ख) उक्त बन्धीकरण आपरेशन कराने वाले दंपत्तियों को क्या प्रोत्साहन दिए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में किए गए महिला और पुरुष नसबन्दी आपरेशनों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	महिला नसबन्दी	पुरुष नसबन्दी
1988-89	2637	289
1989-90	2107	161
1990-91	2375	135
	(अनन्तिम)	(अनन्तिम)

(ख) इस समय भारत सरकार आम जनता को परिवार नियोजन अपनाने के लिए कोई प्रोत्साहन राशि नहीं देती है। बहरहाल, नसबन्दी कराने वाले सभी व्यक्तियों को मजदूरी की हानि के लिए 100 रु०की राशि प्रदान की जाती है। कुछ राज्य अपने संसाधनों में से कुछ प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी जो तीन या इससे कम बच्चों के बाद परिवार नियोजन के स्थायी तरीके अपनाते हैं, एक प्रोत्साहन वेतनवृद्धि और उनके द्वारा ली गई भवन-निर्माण अग्रिम राशि पर 1 2 प्रतिशत की छूट पाने के हकदार हैं। नसबन्दी के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी लेने की भी अनुमति है।

"महाराष्ट्र में वन भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करना"

1558. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को वन भूमि को अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने हेतु उपलब्ध कराने सम्बन्धी पेश किए गए अनेक प्रस्ताव अभी भी लंबित पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 10 मामले लम्बित हैं।

(ख) इन मामलों का तेजी से निपटान करने के लिये सभी सम्भव कदम उठाए गए हैं।

विद्यार्थियों को किताबें उपलब्ध कराने के उपाय

1559. डा० सी० सिलवेरा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्यार्थियों को दिल्ली पाठ्य-पुस्तक ब्यूरो और राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित कापियों और पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य-पुस्तकों की मांग और आपूर्ति की स्थिति की समय-समय पर निगहबानी की जाती है। कक्षा I से XII तक के लिये 1991-92 के सत्र हेतु रा० शै० अनु० प्र० परि० की सभी पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और विहित बिक्री केन्द्रों के माध्यम से वितरण के लिये भेज दी गई हैं। रा० शै० अनु० प्र० परि० की पाठ्य-पुस्तकें सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के प्रकाशन प्रभाग के 8 बिक्री भंडारों तथा 22 प्राईवेट थोक बिक्री एजेन्टों (13 दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के लिये तथा 9 अन्य नगरों के लिए) के माध्यम से वितरित की जाती हैं। रा० शै० अनु० प्र० परि० पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति के लिए विद्यालयों द्वारा दिए गए सीधे आदेशों पर भी पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति करती है तथा नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में एक बिक्री काउंटर भी खोल रखा है।

रा० शै० अनु० प्र० परि० से प्राप्त सूचना के अनुसार I से XII तक की कक्षाओं के लिए शैक्षिक सत्र 1991-92 के लिये छात्रों को समय पर पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई थी।

दिल्ली पाठ्य-पुस्तक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों का वितरण, शिक्षा निदेशालय दिल्ली प्रशासन द्वारा मानीटर किया जाता है। दिल्ली प्राशसन ने यह सूचित किया है कि इस वर्ष पाठ्य-पुस्तकों की कमी की उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है।

रा० शै० अनु० प्र० परि० और दिल्ली पाठ्य-पुस्तक ब्यूरो लेखन पुस्तिकाओं का निर्माण और वितरण नहीं करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं

1560. प्रो० राम कापसे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में कई सरकारी अस्पतालों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों का उपचार किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थियों को इन अस्पतालों द्वारा दी जाने वाली सेवा के एवज में दिए जाने वाला भुगतान अपर्याप्त है और इसकी प्रतिपूर्ति समय पर नहीं की जाती है ;

(ग) क्या संघ सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक अस्पतालों को निर्धारित दर सूची के अनुसार भुगतान किया जाता है ।

अस्पतालों के बिलों का यथाशीघ्र निपटान कर दिया जाता है लेकिन विभाग में पर्याप्त धन उपलब्ध न होने की हालत में कुछ विलम्ब हो सकता है ।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में आयुर्वेदिक औषधियों की उपलब्धता

1561. **श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधालयों के डाक्टरों द्वारा लिखे गए नुस्खों पर औषधियां उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या उपलब्ध न होने वाली औषधियों के मामले में बाजार से उनके खरीदने पर उस धनराशि की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जी, हां,। यदि कोई आयुर्वेदिक दवाई औषधालय/आयुर्वेदिक भंडार में उपलब्ध नहीं होती तो वह स्थानीय मांग पर अनुमोदित आयुर्वेदिक स्थानीय केमिस्ट द्वारा सप्लाई की जाती है । यदि स्थानीय केमिस्ट मांगी गई दवाइयों को सप्लाई करने में असमर्थ हो तो उन्हें लाभार्थियों द्वारा खुले बाजार से खरीदा जाता है और राशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है ।

[अनुवाद]

"वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन"

1562. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र के विकास कार्यों में बाधा पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का वनों के संरक्षण की आवश्यकता और विकास कार्यों में द्रुतगति के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 ने विकास कार्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बाधा उत्पन्न की है।

(ग) और (घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में कोई संशोधन करने के प्रश्न पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। अधिनियम के तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि ट्रांसमिशन लाइनें और पीने के पानी की आपूर्ति के लिए पाइप बिछाने के ऐसे प्रस्तावों को, जिनमें पेड़ों को काटना न पड़ता हो, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को सरलीकृत प्रोफार्मा में भेजा जाये। लेकिन, राज्यों के वन मंत्रियों के मई, 1989 में हुए सम्मेलन में दिए गए सुझावों के आधार पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मामलों के शीघ्र निपटान के लिये कार्यविधि को और अधिक सरल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) स्कूलों, अस्पतालों, औषधालयों, सामुदायिक केन्द्रों, सहकारी समितियों, पंचायतों, सरकारी लघु ग्रामीण औद्योगिक शेडों आदि के लिए भवनों, जिनका निर्माण उस क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिये किया जाना है, के लिये वन भूमि का उपयोग करने के बारे में प्रस्तावों पर अब विचार किया जाता है, किन्तु इस प्रकार के प्रस्ताव वास्तविक रूप से आवश्यक भूमि तक ही सीमित होने चाहिए तथा प्रत्येक मामले में मांगी गई वन भूमि एक हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) पहाड़ी जिलों तथा अन्य जिलों में जहां वन भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक है, वहां वनेतर भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर जोर नहीं दिया जाता है तथा उपयोग में लाये गये क्षेत्र से दुगुनी अवक्रमित वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि इसमें शामिल वन भूमि

5 हैक्टेयर से कम हो तथा उसका उपयोग सम्पर्क मार्गों, जल सम्बन्धी छोटे-छोटे निर्माण कार्यों, छोटे सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों, स्कूल भवनों, डिस्पेंसरियों, अस्पतालों, सरकार के छोटे ग्रामीण औद्योगिक शेडों के निर्माण अथवा किसी अन्य ऐसे कार्य के लिये किया जाना हो, जिससे उस क्षेत्र की जनता को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचता हो।

(3) अब केवल उन्हीं मामलों को सलाहकार समिति के विचारार्थ रखा जाता है जिनमें 10 हैक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र शामिल हो। जिन मामलों में 10 हैक्टेयर तक का वन क्षेत्र शामिल होता है उन पर सलाहकार समिति को भेजे बिना ही मंत्रालय द्वारा निर्णय ले लिये जाते हैं। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों को उन प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जिनमें एक हैक्टेयर से कम वन क्षेत्र शामिल हो।

प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और यदि राज्य सरकार से पूरी सूचना प्राप्त हो जाती है तो नीति यह है कि इस मन्त्रालय में प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से छः सप्ताह के भीतर निर्णय ले लिया जाये।

[हिन्दी]

प्रोपर्टी डीलरों द्वारा रोहणी में अवैध मकानों का निर्माण

1563. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहणी, दिल्ली में कुछ प्रोपर्टी डीलरों द्वारा अवैध रूप से मकानों का निर्माण किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

"सर्कस में खेल प्रदर्शन करने वाले पशुओं पर प्रतिबन्ध"

1564. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्कस में खेल प्रदर्शन करने वाले पशुओं, जैसे भालू, बन्दर, चीता, बाघ और कुत्ते पर कोई प्रतिबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिबन्ध को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) जीव जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत भारत सरकार ने 2 मार्च, 1991 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिये भालुओं, बन्दरों, बाघों, तेंदुओं तथा कुत्तों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने इस आदेश के कार्यान्वियन को स्थगित कर दिया है।

भारत में बच्चों की दयनीय स्थिति

1565. **श्री रमेश चन्द तोमर**
श्रीमती महेन्द्र कुमारी
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री प्रभुदयाल कठेरिया

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बच्चों की स्थिति दयनीय है और जिन परिस्थितियों में उनका पालन-पोषण, मानसिक और शारीरिक विकास सम्भव नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों के कल्याण के लिये क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) बाल कल्याण योजनाओं के लिये वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत किये जाने का विचार है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कोई निष्कर्ष उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु सरकार ने राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के अनुसरण में बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। बाल विकास और बाल कल्याण के कुछ मुख्य कार्यक्रम हैं—समेकित विकास सेवाएं, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा, बच्चों के लिये शिशुग्रह, गेहूं आधारित पोषाहार, बालवाड़ी पोषाहार, सर्वव्यापक रोग प्रतिरोधन कार्यक्रम जीवन रक्षक घोल देना (ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी) एम सी एच कार्यक्रम तथा देख-भाल और, सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना। मुख्य कार्यक्रमों, 1990-91 के दौरान स्वीकृत धनराशि और 1991-92 के दौरान स्वीकृत किए जाने के लिये प्रस्तावित राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत की गई धनराशि दर्शाने वाला विवरण

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	कार्यक्रम	उत्तर प्रदेश		मध्य प्रदेश		राजस्थान	
		1990-91	1991-92	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
1	समेकित बाल विकास सेवा योजना	2422.89 (305 परियोजनाएं)	2387.22 (305 परियोजनाएं)	1814.89 209 परियोजनाएं)	1840.49 (209 परियोजनाएं)	1270.69 (109 परियोजनाएं)	1296.84 (109 परियोजनाएं)
2	बच्चों के लिए शिशु-गृह	112.68 (885 शिशुगृह)	112.68 (885 शिशुगृह)	186.78 (1467 शिशुगृह)	186.78 (1467 शिशुगृह)	88.74 (697 शिशुगृह)	88.74 (697 शिशुगृह)
3	बच्चों के लिए अवकाश शिविर	6.00	5.00	2.00	2.00	2.46	2.50
4	देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चे	.89	–	6.41	1.69	11.83	3.04
5	राष्ट्रीय बाल कोष	–	–	3.25	–	4.58	–
6	गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम	10.00	–	20.00	–	60.00	–
7	प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा–स्वयं–सेवी एजेन्सियों को सहायता	62.91 (937 ई सी ई केन्द्र)	63.00 (937 ई सी ई केन्द्र)	24.46 (354 ई सी ई केन्द्र)	25.00 (354 ई सी ई केन्द्र)	20.25 (280 ई सी ई केन्द्र)	22.00 (280 ई सी ई केन्द्र)
8	सर्व-व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम	168.31	212.77	99.56	135.30	76.56	101.64
9	ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी	120.64	130.85	57.20	62.40	39.90	41.57

पुरानी दिल्ली से गंदी बस्तियों को हटाया जाना

1566. **श्री तारा चन्द खंडेलवाल :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से पुरानी दिल्ली क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रिपोर्ट और निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) सरकार का पुरानी दिल्ली क्षेत्र से गन्दी बस्तियों को कब तक हटा देने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पर्यावरण लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1567. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी कम्पनियों से पर्यावरण लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक अंश के रूप में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इसे कब शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार जिस प्रस्ताव पर विचार कर रही है वह यह है कि प्रत्येक कम्पनी अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन, प्रदूषण निवारण के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये उठाए गए अथवा प्रस्तावित कदमों, अपशिष्टों को कम करने, अपशिष्टों को पुनः प्रयोग में लाने और उनका उपयोग करने, प्रदूषण नियन्त्रण उपायों, पर्यावरणीय सुरक्षा पर निवेश और अपशिष्टों को कम करने, जल एवं अन्य संसाधनों के संरक्षण में इन उपायों के प्रभाव के सम्बन्ध में संक्षिप्त ब्यौरों का उल्लेख करेगी ।

अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का निर्माण

1568. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
डा० पी० वल्लल पेरुमान } : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1989 में अम्बेडकर आवास योजना शुरू की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र कब मांगे गये थे और आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि क्या थी, कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और आवेदकों से कितनी धनराशि एकत्रित की गई थी ;

(ग) इस योजना में, क्षेत्रफल-वार कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया अथवा करने का प्रस्ताव है और प्रति फ्लैट अनुमानित लागत कितनी है ;

(घ) पात्र आवेदकों को फ्लैट देने हेतु ये कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत फ्लैटों के निर्माण में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) अम्बेडकर आवास योजना 1-11-89 से 29-12-89 के बीच खुली रखी गई थी तथा 38,018 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदकों से करीब 30.27 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई है।

(ग) से (ङ) अम्बेडकर आवास योजना के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटन के लिए कोई अलग मकान बनाने का प्रस्ताव नहीं है। इस योजना में न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत जो फ्लैट बनाए जाएंगे उनमें से अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए नियत कोटे के अनुसार पंजीकृत व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में 20,000 फ्लैट आवंटित करने का विचार है। फ्लैटों की कीमत भूमि, सामग्री और श्रम, इत्यादि की लागत पर निर्भर होगी।

इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत किए जाने वाले सभी 20,000 व्यक्तियों को 1994-95 तक फ्लैट आवंटित किए जाने की सम्भावना है।

"जम्मू और कश्मीर में पर्यावरणीय क्षति"

1569. श्री राम विलास पासवान : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत में तेल के कुंओं में आग लगने से जम्मू और कश्मीर में काफी पर्यावरणीय क्षति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पर्यावरणीय क्षति के परिणाम का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) इस बात के कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं कि कुवैत में तेल के कुंओं में लगी आग के कारण जम्मू-कश्मीर में भारी पर्यावरणीय क्षति हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

देश में एड्स का फैलाव

1570. **श्री सी० श्रीनिवासन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स धीरे-धीरे देश के अनेक भागों में फैलता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने लोगों की पहचान की गई जो, एड्स से पीड़ित हैं ; और

(ग) इस रोग को फैलने से रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ):

(क) जी हां ।

(ख) 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार अत्यधिक जोखिम वाले 9.50 लाख व्यक्तियों में से जिन 5588 व्यक्तियों की जांच की गई उन्हें एच० आई० वी० पॉज़िटिव पाया गया । इन 5588 एच० आई० वी० पॉज़िटिव रोगियों में से 68 रोगियों के पूरी तरह से एड्स से ग्रस्त होने की सूचना मिली है ।

(ग) निम्नलिखित बिन्दुओं पर बल देते हुए भारत सरकार एड्स नियन्त्रण के लिये एक मध्यकालिक योजना कार्यान्वित कर रही है :

—एड्स उपचार केन्द्रों की स्थापना सहित एच० आई० वी० संक्रमण के शीघ्र निदान और उपचार के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना ।

—अधिक खतरे वाले और कमज़ोर वर्गों के बीच एच० आई० वी० संक्रमण को रोकने के लिये स्वास्थ्य शिक्षा ।

—रक्त और रक्त उत्पादों के जरिए एच० आई० वी० के संचरण के खतरे को कम करने के लिये एच० आई० वी० रोग प्रतिकारकों, दान दिए गए रक्त की जांच करने, भंडारण का आधुनिकीकरण करने, रक्त/रक्त उत्पाद के उपयोग को यौक्तिक बनाने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम ।

—भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खतरे वाले समूहों में एच० आई० वी० संक्रमण की व्यापतता में समय के रुझानों का अनुवीक्षण करने हेतु एच० आई० वी० संक्रमण हेतु प्रहरी निगरानी आरम्भ की ताकि नीति निर्माताओं/कार्यक्रम क्रियान्वयन कार्यकर्ताओं के लिये एच० आई० वी० संक्रमण की प्रमात्रा और उपचार योग्य एड्स के रोगियों की सूचना उपलब्ध हो सके ।

उड़ीसा में वनों की कटाई

1571. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में विशेषकर कालाहांडी, बोलनगीर, फूलबनी जिलों और सिमलीपाल के सम्पूर्ण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही वन-कटाई की जानकारी है, जिससे पर्यावरण

में "ग्रीन हाउस" पर गम्भीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप बारिश में कमी आयी है ;

(ख) क्या सरकार ने उड़ीसा में पर्यावरण असंतुलन का मूल्यांकन किया है, जिससे भूमि का भयावह रूप से कटाव हो रहा है और निम्न भूमि में बांधों तथा जलाशयों में मिट्टी जमा होती जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस पर क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) कालाहांडी, बोलनगीर, फूलबनी और पूरे सिमलीपाल रेंज में भारी मात्रा में वनों को काटे जाने की कोई खबर नहीं है। राज्य सरकार के तीन जिलों में वाणिज्यिक प्रयाजनों के लिये वनों की कटाई और वन कूपों में काम करने पर अक्तूबर, 1988 से प्रतिबन्ध लगा दिया है, जबकि सिमलीपाल में यह प्रतिबन्ध 1982 से लागू है। फिर भी पेड़ों के काटे जाने की छिट-पुट घटनाओं का पता चला है और उन पर कानूनी उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

(ख) से (घ) पर्यावरणीय खराबी के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया और बांधों व जलाशयों में गाद जमाव के बारे में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश शिकायत समिति

1572. श्री मोरेश्वर सावे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश शिकायत समिति को छात्रों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या ऐसी समितियां अन्य विश्वविद्यालयों में भी हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार इस वर्ष प्रवेश से सम्बन्धित शिकायतों को देखने के लिए दो शिकायत समितियां— एक मुख्य परिसर में व दूसरी दक्षिण परिसर में गठित की गई हैं। इस वर्ष प्रवेश शिकायत समितियों को दिल्ली कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से 271 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये सामान्यत: अंतराल वर्ष व छात्रों को उनकी रुचि के विषय-संयोजन न मिलने के कारण छात्रों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों से सम्बन्धित हैं। जिन छात्रों ने कक्षा XII व्यावसायिक शाखा में उत्तीर्ण की है, उन्होंने भी अपनी रुचि के पाठ्यक्रम में दाखिला लेने में आने वाली कठिनाइयों से सम्बन्धित शिकायतें की हैं।

(ख) कई विश्वविद्यालयों की प्रवेश से सम्बन्धित शिकायतों को दूर करने के लिए इसी प्रकार की प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय द्वारा शोध छात्रवृत्ति देना

1573. श्री मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों को शोध छात्रवृत्ति प्रदान की गई है उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने शोध प्रबन्ध निर्धारित समय में पूरे कर लिये हैं ;

(ग) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने शोध प्रबन्ध निर्धारित समय में पूरे नहीं किये ; और

(घ) संस्थान द्वारा शोध छात्रवृत्ति देने में कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों को शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई हैं, उनका ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । चूंकि आठों शिक्षावृत्तियां तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की गई हैं, अत: उनके शोध प्रबन्ध पूरे होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ)	1988-89	14,74,831 रुपये
	1989-90	10,79,125 रुपये
	1990-91	13,49,994 रुपये

विवरण

क्रम सं०	अध्येता का नाम तथा श्रेणी	शोध विषय	कार्यग्रहण की तारीख	अवधि	पूरा कर लिए जाने की तारीख
1	2	3	4	5	6
	1988—कोई नहीं।				
	1989				
1	श्री इकबाल सिंह, वरिष्ठ अध्येता	हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस	13-1-1989	3 वर्ष	जारी है।
2	डॉ० नीरा चंडोक, अध्येता	दि अर्बन पूअर एंड दि एंटीग्रेशन ऑफ दि इंडियन नेशन	1-12-1989	वही	वही
3	डॉ० तनिका सरकार, अध्येता	तारकेश्वर स्कैंडल्स एंड दि सोशल हिस्ट्री ऑफ बंगाल, 1870—1920	30-9-1989	वही	वही
4	श्री पी० पी० महापात्र, कनिष्ठ अध्येता	इंडस्ट्रियलाइजेशन एण्ड कॉशियसनैस, दि वर्क ऑफ जमशेदपुर वर्कर्स 1930—1980	17-7-1989	वही	वही
5	डॉ० सूसन विश्वनाथन, कनिष्ठ अध्येता	क्रिश्चियन मिशन इन इंडिया इन दि 19थ एण्ड 20थ सेंचुरी	15-9-1989	वही	वही
6	डॉ० इन्दु अग्निहोत्री, कनिष्ठ अध्येता	पंजाब : ए सोशल हिस्ट्री ऑफ दि डिप्रेशन ईयर्स	19-9-1989	वही	वही
	1990				
1	डॉ० सुरजीत मानसिंह, कनिष्ठ अध्येता	इंडिया एण्ड चाइना इन एशिया : रिट्रोस्पेक्ट एण्ड प्रोस्पेक्ट	1-1-1990	वही	वही
2	डॉ० उमा चक्रवर्ती, अध्येता	जेंडर, कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया : ट्रेसिंग इट्स रूट्स इन अर्ली इण्डिया एण्ड लोकेटिंग इट्स शिफ्ट्स इन कोलोनियल एण्ड पोस्ट-कोलोनियल इण्डिया।	12-2-1990	वही	वही

[अनुवाद]

साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए केन्द्रीय सहायता

1574. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी**
श्री रमेश चन्द तोमर } **क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उत्तर प्रदेश और राजस्थान को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त राज्यों में साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई ;

(ग) क्या इस बात की जांच की जाती है कि साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धनराशि का समुचित उपयोग किया गया है अथवा नहीं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त राज्यों में साक्षरता के विकास के लिये वर्ष 1991-92 के दौरान और अधिक धनराशि देने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के तहत उत्तर प्रदेश और राजस्थान में साक्षरता के संवर्धन के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का योजना-वार विवरण संलग्न है।

(ख) किसी विशेष राज्य/संघ शासित प्रदेश में साक्षरता की विकास दर का निर्णय दस वर्षीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पिछले दशक में की गई गणना के दौरान साक्षरता विकास की दर का प्रति वर्ष औसत क्रमशः 0.84 प्रतिशत और 0.87 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) इसके अलावा, महालेखाकार और नियन्त्रक तथा भारत के महालेखा परीक्षक के परीक्षित लेखों में विशिष्ट शिकायतों के प्राप्त होने पर सुधारात्मक उपाय शुरू किए जाते हैं।

(ङ) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता जो कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है देश में निरक्षरता उन्मूलन की व्यापक योजना का एक अभिन्न अंग है। इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान इन दोनों राज्यों को आवश्यकता के मुताबिक निधियां प्रदान किया जाना जारी रहेगा।

विवरण

(लाख रुपए में)

योजना	1989-90		1990-91	
	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	राजस्थान
(क) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण (आपरेशन ब्लैकबोर्ड)	2757 26	1568.63	860.94	3456.83
(ख) अनौपचारिक शिक्षा	539.64	197.77	1012.89	270.75
(ग) प्रौढ़ शिक्षा	1014.61	704.06	1485.00	562.56
	4311.51	2470.46	3358.83	4290.14

वैदिक गणित में शोध

1575. कुमारी उमा भारती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैदिक गणित में अब तक क्या शोध हुआ है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : वैदिक गणित में अब तक निम्नलिखित शोध कार्य किए गए हैं :—

(1) डा० टी० एस० भानुमूर्ति, रामानुजम गणित संस्थान, मद्रास के भूतपूर्व निदेशक ने श्री भारती कृष्णा तीरथजी द्वारा वैदिक गणित में दिए गए सूत्रों के प्रमाण प्रदान किए ।

(2) राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा विकास अध्ययन संस्थान ने यह महसूस किया कि कुछ मामलों में वैदिक गणित के तरीकों से कम्प्यूटर पर गुणा/भाग शीघ्र किया जा सकता है ।

(3) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को, वैदिक गणित में एक पुस्तक लिखने का कार्य सौंपा गया है, जिसका इंजीनियरों द्वारा उपयोग किया जा सकेगा ।

(4) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा चुनिन्दा सूत्रों पर भी दो मोनोग्राफ तैयार करने प्रारम्भ किए हैं जिसका उपयोग गणितज्ञों तथा अध्येताओं द्वारा किया जा सकेगा ।

पिचावरम वन का संरक्षण

1576. डा० पी० वल्लल पेरुमान : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वानस्पतिक महत्व के लिये प्रसिद्ध तमिलनाडु के दक्षिण आरकोट जिले में स्थित पिचावरम वन का संरक्षण करने तथा इसे रमणीय बनाने के लिये कोई योजना आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य को धनराशि मंजूर करने का विचार है ; और

(घ) सरकार का एक ऐसी पुस्तिका प्रकाशित करने का विचार है जिसमें इस वन में पाये जाने वाले दुर्लभ पेड़-पौधों का ब्यौरा दिया गया हो ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1988-89 में पिचावरम् वनों के कच्छ वनस्पति क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुरक्षा, शिक्षा और मनोरंजक गतिविधियां शुरू करने की एक स्कीम के लिये राज्य सरकार को 2.87 लाख रुपए की राशि मंजूर की है।

(घ) इस वन के दुर्लभ वृक्षों और पौधों के ब्यौरे दर्शाने वाली पुस्तिका प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इनकी सूचि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा देश के विभिन्न भागों में दुर्लभ, खतरे में पड़े और संकटापन्न पौधों के सम्बन्ध में प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में दी गई है।

विश्व भारती विश्वविद्यालय को रवीन्द्रनाथ टैगोर की पांडुलिपियां

1577. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि कविवर रवीन्द्र नाथ टैगोर की कृतियों की सभी पांडुलिपियों को जो हाल ही में लंदन में पायी गयी हैं, विश्व-भारती विश्वविद्यालय को सौंप दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) यू० के० में भारतीय उच्च आयोग ने 26-6-91 को लन्दन में आयोजित एक नीलामी में 27020.00 पौंड की कीमत पर रवीन्द्र नाथ टैगोर की कुछ दुर्लभ पांडुलिपियां प्राप्त की हैं। कुलपति, विश्व-भारती ने अनुरोध किया है कि ये पांडुलिपियां रवीन्द्र नाथ भवन में अनुरक्षण के लिए विश्वविद्यालय को सौंप दी जाएं। ये पांडुलिपियां पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्धारित किसी समुचित संस्था में रखी जाएंगी।

साक्षरता के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को धन आबंटन

[हिन्दी]

1578. श्री प्रभुदयाल कठेरिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री वीरेन्द्र सिंह
: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत साक्षरता को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान दोनों राज्यों में अलग-अलग साक्षरता की वृद्धि दर क्या रही और इसकी तुलना अन्य राज्यों की वृद्धि दर के साथ किस प्रकार की जा सकती है ;

(ग) इन राज्यों में साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत और उनमें भी महिलाओं का प्रतिशत क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान उक्त राज्यों में साक्षरता को प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और वर्ष 1991-92 के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य सरकारों को प्रारंभिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत साक्षरता के प्रोत्साहन के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता के योजनावार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) किसी विशेष राज्य/संघ शासित क्षेत्र में साक्षरता में वृद्धि दर दसवार्षिक जनगणना आंकड़ों के आधार पर निकाली जाती है । पिछले दशक के दौरान उ० प्र० व म० प्र० की साक्षरता में औसत वार्षिक वृद्धि दर 0.84 प्र० श० व 0.92 प्र० श० रही । तुलनात्मक स्थिति में, उ० प्र० व म० प्र० राज्य क्रमशः 27वें तथा 26वें स्थान पर आते हैं ।

(ग) 1990-91 की जनगणना के अनुसार उ० प्र० तथा म० प्र० की साक्षरता दर क्रमशः 41.71 प्र० श० व 43.45 प्र० श० है । इन दोनों राज्यों में महिला साक्षरता दर 26.02 प्र० श० तथा 28.3 प्र० श० है ।

(घ) प्रारंभिक शिक्षा सर्वसुलभीकरण, शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसका लक्ष्य (15—35) आयु वर्ग में 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, देश में निरक्षरता-उन्मूलन के मौजूदा व्यापक कार्यक्रम का अभिन्न अंग है ।

विवरण

(रुपए लाखों में)

योजना	1989-90		1991-92	
	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
(क) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण (ऑपरेशन ब्लैक-बोर्ड)	2757.26	—	860.94	1344.78
(ख) अनौपचारिक शिक्षा	485.30	613.32	925.47	781.95
(ग) प्रौढ़ शिक्षा	815.82	670.60	900.44	543.97
	4058.38	1283.92	2686.85	2670.70

इन्दौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने का प्रस्ताव

1579. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इन्दौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से छूट

[अनुवाद]

1580. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न औद्योगिक संस्थानों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की सीमा से छूट देने के लिए क्या मानदंड हैं ;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अथवा संघ सरकार द्वारा राज्यों को यह छूट देने हेतु कोई मार्ग निर्देश दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) से (ग) 1968 में राज्य सरकारों को जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार, यदि संबद्ध कारखानों/प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को मिलने वाले विद्यमान लाभ समग्र मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों से बेहतर हों तो क० रा० बी० अधिनियम के अधीन छूट दी जा सकती है। इन दिशा निर्देशों का अभी भी पालन किया जा रहा है ।

बिहार के किले

[हिन्दी]

1581. **श्री छेदी पासवान :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में ससाराम स्थित रोहतास किले और शेरशाह किले को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने अधिकार में ले लिया है ;

(ख) क्या सरकार इन किलों की मरम्मत और इनके रखरखाव पर कोई धनराशि व्यय कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, मद-वार, व्यय की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) रोहतासगढ़ किला पहले से ही केन्द्रीय संरक्षण में है। दूसरा किला, जो शेरगढ़ किला कहलाता है न कि शेरशाह किला, बिहार सरकार के संरक्षण में है।

(ख) और (ग) रोहतास गढ़ किले के रखरखाव तथा पहरा और निगरानी पर किया गया मदवार व्यय निम्न प्रकार है :—

	1988-89	1989-90	1990-91
	रु०	रु०	रु०
वार्षिक रखरखाव और अनुरक्षण	2506.00	4582.00	—
पहरा और निगरानी	39136.00	42996.00	46506.00
योग	41642.00	47558.00	46506.00

केरल में समन्वित बाल विकास योजना परियोजनाएं

[अनुवाद]

1582. श्री के० मुरलीधरन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान समेकित बाल विकास योजना की बहुत सी परियोजनाएं शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केरल सरकार से राज्य में समेकित बाल विकास योजना की नई परियोजनाएं शुरू करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) 1991-92 के लिए विभिन्न राज्यों में समेकित बाल विकास परियोजनाओं के आवंटन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाओं को स्वीकृति

[हिन्दी]

1583. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं, जिनकी स्वीकृति पर्यावरण और वन दृष्टिकोणों के कारण रुकी पड़ी है, का ब्यौरा क्या है ;

(ख) स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया है, और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं पर शीघ्र विचार करने के लिए राज्य सरकार और परियोजना प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क बनाये रखा जाता है। पूर्ण ब्यौरों के साथ प्रस्तुत सभी परियोजनाओं पर तीन महीने की अवधि के भीतर निश्चित रूप से निर्णय ले लिया जाता है।

विवरण

मध्य प्रदेश से प्राप्त पर्यावरण/वानिकी संबंधी मंजूरी के लिए लम्बित विकास परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लम्बित पड़े रहने का कारण
1	2	3
	क. परियोजनाएं जिनको पर्यावरणीय मंजूरी दी जानी है :	
1	मोंगरा परियोजना	मांगे गए ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए।
2	भारतीय स्टील प्राधिकरण लि० की भिलाई स्टील विस्तार परियोजना	
3	शीतलधारा भूमिगत खान (दक्षिण-पूर्वी कोलफील्ड्स लि०)	
4	टांडसी कोलियरी, वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	इसका अनुमोदन वानिकी मंजूरी से सम्बद्ध है।
5	भादनपुर चूना पत्थर खान, मैहर सीमेंट	
	ख. परियोजनाएं जिनको वानिकी मंजूरी दी जानी है :	
6	खनन-पट्टे का नवीकरण, मैसर्स एम० पी० महाराष्ट्र खनिज	परियोजना प्राधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखा जाता है। ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
7	तमिया टैंक परियोजना	वही
8	लघु सिंचाई पीपापुर टैंक परियोजना	वही
9	खनन–वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि० पाथालुरा क्षेत्र	वही
10	कटरा टैंक परियोजना	वही
11	लघु सिंचाई–भीमवाटिका टैंक परियोजना	वही

91-M/J(N)405LSS—7

1	2	3
12	खनन–राष्ट्रीय खनिज विकास परियोजना–स्थायी टेलिंग बांध	परियोजना प्राधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखा जाता है। ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
13	लघु सिंचाई–महोटोरा टैंक	वही
14	खनन–तुफा चूना पत्थर पट्टे का नवीकरण	वही
15	पत्थर की स्लैब निकालने के लिए अनुमति (कु० शीला सिंह)	वही
16	गोनेसनाल्ला टैंक	वही
17	आसापुर बांध	वही
18	मेहरा टैंक	वही
19	पडराहा टैंक	वही
20	भारत एल्यूमिनियम कम्पनी–खनन पट्टा	वही
21	त्रिशूल टाइल्स वर्क्स–खदान पट्टा	वही
22	सलप टैंक परियोजना	वही
23	तलवडिया–खिलिया बैरगाम रेलवे लाइन की दिशा मोड़ना	वही
24	धनपट्टी टैंक	वही
25	मुंडा टोला टैंक	वही
26	कनावस टैंक	वही
27	पाथाटैंक परियोजना	वहीं
28	नंदवा टैंक	वहीं
29	जोधपुर टैंक	वही
30	टस्सर की खेती–रेशम उत्पादन	वही
31	बाबरी टैंक	वही
32	मौरई सिंचाई परियोजना	वही
33	बाका कट्टा टैंक	वही
34	पौंडी जैतपुर	वही
35	चूना पत्थर खनन–मैहर	वही
36	कन्वेयर बेल्ट–मैहर	वही
37	नरेन्द्रपुर टैंक	वही
38	कच्छाडच टैंक	वही
39	चूना पत्थर खनन मैहर	वही
40	चूना पत्थर खनन	वही
41	400 कि० वा० बीना–मालनपुर–ट्रांसमिशन लाइन	वही
42	ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना	वही
43	800 कि० वा० ट्रांसमिशन लाइन, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	वही
44	वर्धा टैंक	वही
45	पट्टे का नवीकरण–चूना पत्थर का खनन	वही
46	अमबानिया दिक्परिवर्तन स्कीम	वही
47	वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, छिंदवाड़ा की खनन परियोजना	वही

1	2	3
48	रोघाट भिलाई इस्पात संयंत्र	परियोजना प्राधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क बनाये रखा जाता है। ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
49	खनन पट्टा, बस्तर में भिलाई इस्पात संयंत्र	वही
50	राजनन्दगांव में खनन पट्टा, भिलाई इस्पात संयंत्र	वही
51	पाडर खेडा टैंक	वही
52	बंडोकपुर समोर लघु सिंचाई परियोजना	वही
53	आम्हा टैंक परियोजना	वही
54	पारसोरा टैंक	वही
55	कु० शीला सिंह, विदिशा को फर्शी पत्थर खुली खानों के पट्टे	वही
56	मोहला सिंचाई परियोजना	वही
57	शहडोल जिले में पाइप लाइन बिछाने के लिए 0.441 है० वन भूमि के अधिग्रहण के बारे में	वही
58	सरगुजा जिले में एस ई सी एल द्वारा चिरीमिरी कालोनी क्षेत्र में खनन पट्टे के तहत 0.960 है० वन भूमि पर सतही अधिकार की मंजूरी	वही
59	खरगोन में श्री पारानथ पतिहार को पीली/सफेद मिट्टी की खुली खान के पट्टे के लिए 0.40 है० वन भूमि देना	वही
60	बारवाह, जिला खरगोन में पीली मिट्टी की खुदाई के लिए 0.900 है० वन भूमि पर उत्खनन—श्री किशोर दर्स	वही

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम का संशोधन

1584. श्री अरविन्द नेताम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रतिलिप्याधिकार की कमियों को दूर करने के लिए इसे संशोधित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :(क) और (ख) विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार का कापी राइट अधिनियम, 1957 को और अधिक व्यापक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए इसे संशोधित करने का प्रस्ताव है। तथापि प्रस्ताव अभी प्रारंभिक स्तर पर है।

पटना में चिकित्सा संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

1585. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का विचार बिहार राज्य के पटना शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह किसी संस्थान की स्थापना का है ;

(ख) यदि हां, तो संस्थान को कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(ग) संघ सरकार द्वारा अब तक उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यह संस्थान कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डो० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

पत्रकारों को पेंशन

[अनुवाद]

1586. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्रकारों को पेंशन सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) तथा (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने श्रमजीवी पत्रकारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के विस्तृत ढांचे के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ पेंशन योजना की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया और उन्होंने कतिपय सिफारिशें कीं। सरकार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद संस्थाएं स्थापित करना और खेल मैदानों का प्रावधान करना

1587. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद संस्थाएं स्थापित करने और खेल मैदानों का निर्माण करने का प्रस्ताव है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वाराणसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ऐसा कोई प्रस्ताव है ;

(घ) वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में किये जाने वाले तत्संबंधी कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री :(कुमारी ममता बनर्जी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, भारत सरकार के पास एक योजना है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में खेल सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य सरकार को 1.00 लाख रुपये तक का एक मुश्त अनुदान दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) खेल संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार खेल उपस्करों की खरीद तथा खेल मैदानों के विकास के प्रयोजन हेतु अनुदान देती है, लेकिन सीधे तौर पर ये कार्यकलाप प्रारम्भ नहीं करती।

उड़ीसा में भुखमरी से मौतें

1588. **श्री रवि राय : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा कराई गई न्यायिक जांच के निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया गया है जिसके अनुसार उड़ीसा के कोलाहांडी जिले के पांच अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भुखमरी के कारण मृत्यु हो गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ती रोकने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ओ०जे०सी० सं० 3517/88 तथा 525/89 में लोक हित के मुकदमें से उठे कालाहांडी तथा बोलगीर जिलों में भूख से मृत्यु के आरोपों की जांच करने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है। तथापि उक्त दोनों मामलों में उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है जिसके बाद राज्य सरकार उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वह कालाहांडी में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक गतिविधियां पहले ही शुरू की जा चुकी हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित निधियां उपलब्ध कराई गई हैं :—

(1) श्रम गहन कार्यों, नलकूपों को लगाने तथा भरण कार्यक्रमों के लिए राहत निधि में से 5.07 करोड़ रुपये।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अवसंरचना/आय पैदा करने वाली योजनाओं हेतु आई टी०डी०ए०/माइक्रो/माडा/समूह परियोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता में से 310.05 लाख रुपये।

(3) खेती शिफ्टिंग की रोकथाम के अंतर्गत 37.75 लाख रुपये।

इसके अतिरिक्त कालाहांडी जिले के 8 प्रखंडों में अक्तूबर, 1988 से सितम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई :—

(1) वृद्ध, गरीब अशक्त तथा निराश्रित व्यक्तियों तथा 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए 165.61 लाख रुपये।

(2) "गरीबी समाप्ति हेतु क्षेत्र विकास परियोजना (एडेप्ट)" के अन्तर्गत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए 27.17 लाख रुपये।

वर्ष 1991 के दौरान नवोदय विद्यालय खोलना

[हिन्दी]

1589. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 के दौरान कुछ नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इन विद्यालयों को खोलने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं इन स्थानों पर उपलब्ध हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां। वर्ष 1991-92 के दौरान चौदह नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	स्थान	जिला	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
1	धरंगधरा	सुरेन्द्र नगर	गुजरात
2	तारघड़ी	राजकोट	वही
3	कालूखेड़ा	रतलाम	मध्य प्रदेश
4	पालूस	सांगली	महाराष्ट्र
5	नांगतलांग	जैन्तिया पहाड़ियां	मेघालय
6	वोखा	वोखा	नागालैंड
7	बहराईच	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश
8	दलीप नगर	देवरिया	वही
9	पिहानी	हरदोई	वही
10	ज्ञानपुर	भाधी	वही
11	भारगैन	ऐटा	वही
12	जफरपुर कलां	पश्चिम जिला	दिल्ली
13	ताकुराचरा	दक्षिण त्रिपुरा जिला	त्रिपुरा
14	उज्जैन	सीवान	बिहार

(ख) जी, हां।

जोखिम भत्ता समिति की सिफारिशें

[अनुवाद]

1590. श्री बलराज पासी
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री भगवान शंकर रावत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** जोखिम भत्ता समिति की सिफारिशों के बारे में 27 फरवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 764 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोखिम भत्ता समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) जोखिम भत्ते के बारे में एक सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर अभी भी विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी क्वार्टरों का रख-रखाव

1591. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन सरकारी क्वार्टरों/कालोनियों का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा रख-रखाव किया जाता है वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी कालोनियों का समुचित रख-रखाव व अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यकरण में वांछित पारस्परिक संबंध व सुधार करने हेतु मुख्य अभियंता तथा निवासी कल्याणकारी संघ द्वारा सरकारी कालोनियों का अर्ध-वार्षिक निरीक्षण कराने की कोई प्रणाली विकसित करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध निधियों के साथ निहित मानकों के अनुसार अच्छी प्रकार देख-रेख की जा रही है और ये कालोनियां जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं पड़ी हुई हैं।

(ग) सरकारी कालोनियों का बार-बार निरीक्षण किया जाता है और मुख्य इंजीनियरो द्वारा ऐसोसिएशनों के अनुरोध पर इन कालोनियों के निवासियों की वैलफ़ेयर ऐसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से समय-समय पर बैठकें भी आयोजित की जाती हैं ।

वृक्षारोपण योजनाएं

[हिन्दी]

1592. **श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से सरकार का विचार किसानों की बंजर भूमि पर उस प्रकार का वृक्षारोपण का राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राज्य सरकार के सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत, लोगों की ईंधन और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजी, सीमान्त और अन्य प्रकार की परती भूमि पर वृक्षारोपण को, पौध की सप्लाई करके, तकनीकी-मार्गदर्शन एवम् वित्तीय प्रोत्साहन देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

शहरी विकास प्राधिकरण का गठन

[अनुवाद]

1593. **डा० विश्वनाथम केनिथी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक रूप और स्वतंत्र रूप से राज्यों की सभी योजनाओं को स्वीकृति देने तथा सभी नये विकसित क्षेत्रों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक एकीकृत और पृथक शहरी विकास प्राधिकरण गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्राधिकरण की संरचना तथा इसके विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) शहरी विकास राज्य का विषय है तथा केन्द्रीय स्तर पर एक समान शहरी विकास अभिकरण के सृजन का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अजन्ता की गुफाएं

[हिन्दी]

1594. **श्री तेज नारायण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजन्ता गुफाओं को विश्व विरासत सूची (वर्ल्ड हेरीटेज लिस्ट) में सम्मिलित कर लिया गया है और इनकी देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही है;

(ख) सरकार ने इन चित्रों को सुरक्षित रखने हेतु क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) गुफाओं के चित्रों और मूर्तियों के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी , हां।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) धूल साफ करने के पश्चात् नियमित रूप से रसायन लगाए जाते हैं,

(ii) समय-समय पर कीटनाशी छिड़के जाते हैं और धूम्रीकरण किया जाता है,

(iii) चित्रित सतह को आवश्यकतानुसार भराई करके उसे सुदृढ़ कर दिया जाता है, और

(iv) चित्रों को ह्रास से बचाने के लिए चित्रयुक्त गुफाओं में नियन्त्रित प्रकाश की व्यवस्था की जाती है ।

(ग) अजन्ता की गुफाओं के संरचनात्मक संरक्षण तथा रासायनिक परिरक्षण के वार्षिक रखरखाव के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान 4,10,782.00 रुपये व्यय किए गए हैं।

प्रौढ़ व्यक्तियों में निरक्षरता को समाप्त करने के लिये विश्वविद्यालय आयोग द्वारा तैयार की गई योजना

1995. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में प्रौढ़ व्यक्तियों में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है, तथा इस प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धन-राशि प्रदान की गई;

(ख) उन विश्वविद्यालयों और कालेजों के नाम क्या हैं जहां उक्त कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में, अलग-अलग विश्वविद्यालयों और कालेजों को कितनी धनराशि दी गई तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग, छात्रों तथा शिक्षकों को साक्षरता कौशल, कार्यात्मक कौशल प्रदान करने के लिए प्रेरित करने और प्रौढ़ निरक्षरों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने तथा इसे उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के जरिए बनाए रखने के लिए, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करता है। इस उद्देश्य के लिए, आयोग विश्वविद्यालयों को कोर सुविधाएं, जिसमें सहायक स्टाफ शामिल है तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आयोजित करने के लिए भी अनुदान देता है जबकि कालेजों को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए अनुदान प्राप्त होता है।

सामान्यतः 10 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के समूह को एक एकक माना जाता है और ऐसे प्रत्येक एकक को प्रशिक्षकों का मानदेय/शिक्षण का प्रावधान/शिक्षण/सामग्री/विद्युत/मिट्टी के तेल की कीमत तथा आकस्मिक व्यय इत्यादि मदों पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए प्रति वर्ष 22,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। उपर्युक्त मदों के अतिरिक्त, ऐसे निरीक्षकों को भी मानदेय देने का प्रावधान है जिनकी संख्या एक संस्थान द्वारा खोले गए एककों की संख्या के साथ सम्बद्ध है।

वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान, आयोग ने भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों को, जिसमें उनके संबद्ध कालेज शामिल हैं, कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए 12.23 करोड़ रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया है।

(ख) ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम जहां ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं, कालेजों का पता लगाया जाता है और उन्हें उस विश्वविद्यालय के जरिए अनुदान दिया जाता है, जिससे वे संबद्ध हैं। वि०अ०आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, यह उन महाविद्यालयों की संख्या के संबंध में सूचना रखता है और न कि उनके नामों के बारे में।

(ग) सातवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को 274.00 लाख रुपये का और बिहार के विश्वविद्यालयों और कालेजों को लगभग 50.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बिहार में 1030 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश में 2085 ऐसे केन्द्र अनुमोदित किए हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	महाविद्यालयों की संख्या जो प्रौढ़ शिक्षा योजना कार्यान्वित कर रहे हैं
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश	
1	आंध्र	30
2	कर्नाटक	12
3	नागार्जुन	25
4	उस्मानिया	30
5	श्री कृष्ण देव राय	14
6	श्री वेंकटेश्वर	30
7	पद्मावती	–
	असम	
8	गोहाटी	43

1	2	3
बिहार		
9	भागलपुर	14
10	बिहार	20
11	मगध	20
12	एल० एन० मिथिला	10
13	पटना	10
14	रांची	29
गुजरात		
15	भावनगर	9
16	गुजरात	6
17	एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा	–
18	सरदार पटेल	6
19	सौराष्ट्र	23
20	गुजरात विद्यापीठ	–
21	दक्षिण गुजरात	11
हरियाणा		
22	कुरुक्षेत्र	9
23	महर्षि दयानन्द	11
हिमाचल प्रदेश		
24	हिमाचल प्रदेश	15
जम्मू व कश्मीर		
25	जम्मू	14
26	कश्मीर	10
मध्य प्रदेश		
27	ए० पी० सिंह	30
28	देवी अहिल्या	18
29	डॉ० एच० एस० गौड़	20
30	गुरू घासी दास	6
31	जीवाजी	13
32	रवि शंकर	24
33	रानी दुर्गावती	35
34	विक्रम	19
35	कस्तूरबा ग्रामीण संस्थान	–
36	भोपाल	33
37	इंदिरा कला संगीत	—

1	2	3
महाराष्ट्र		
38	बम्बई	17
39	मराठवाड़ा	20
40	नागपुर	27
41	पुना	38
42	ए० एन० डी० टी	16
43	शिवाजी	17
मणिपुर		
44	मणिपुर	12
मेघालय		
45	एन० ई० एच० यू०	11
उड़ीसा		
46	बहरामपुर	22
47	सम्बलपुर	21
48	उत्कल	40
पंजाब		
49	पंजाबी	12
50	पंजाब	31
राजस्थान		
51	राजस्थान	25
52	बनस्थली विद्यापीठ	–
53	बी० आई० टी० एस०	–
54	एम० एल० सुखाड़िया	7
55	राजस्थान विद्यापीठ	–
तमिलनाडू		
56	अन्ना मलाई	–
57	भारथीदासम	17
58	भरथीयार	–
59	मद्रास	10
60	मदुरै कामराज	68
61	तमिल	–
62	गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान	–
63	अविनाशीलिगम गृह विज्ञान संस्थान	–
64	अलगप्पा	2
65	मदर टेरेसा	–

1	2	3
उत्तर प्रदेश		
66	अलीगढ़ मुस्लिम	–
67	अवध	24
68	बी० एच० यू०	–
69	बुन्देलखण्ड	9
70	गढ़वाल	10
71	गोरखपुर	36
72	कानपुर	17
73	काशी विद्यापीठ	–
74	लखनऊ	16
75	पूर्वांचल	19
76	रुड़की	–
77	गुरुकुल कांगड़ी	–
78	दयालबाग शिक्षा संस्थान	–
पश्चिम बंगाल		
79	बर्द्धवान	24
80	जाधवपुर	–
81	कल्याणी	4
82	उत्तर बंगाल	14
83	रवीन्द्र भारती	–
84	विश्व भारती	–
दिल्ली		
85	दिल्ली	14
86	जे० एन० यू०	–
87	जे० एम० आई०	–
कर्नाटक		
88	बंगलौर	5
89	कर्नाटक	27
90	मैसूर	18
केरल		
91	कालीकट	30
92	केरल	–
पांडिचेरी		
93	पांडिचेरी	5

दिल्ली के स्कूलों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध करना

1596. **श्री तेज नारायण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शिक्षा अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सभी विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ संबद्ध कर दिए गए हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) हालांकि दिल्ली शिक्षा अधिनियम, 1973 के अधीन कुछ स्कूल मान्यता प्राप्त हैं परन्तु वे सी० बी० एस० ई० के नियमों में विहित संबद्धन संबंधी शर्तें पूरी नहीं करते।

बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम

[अनुवाद]

1597. **श्री भाग्ये गोबर्धन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 206 जिले परिवार कल्याण कार्यक्रमों में पीछे चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक द्वारा 1981 की जनगणना से तैयार किए गए जिलेवार जन्म दर अनुमान के आधार पर 236 जिलों का पता लगाया गया जहां पर जन्म दर प्रति हजार 35 और इससे अधिक थी। इनमें से 142 जिले बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हैं।

(ग) देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए नियमित कार्यकलापों के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण कार्य का विस्तार करने के लिए विदेशी एजेंसियों की वित्तीय सहायता से क्षेत्र विकास परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। इन चार राज्यों के चुने हुए जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए चरणवार ढंग से नवीनतम सूचना शिक्षा और संचार परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

पुरातात्विक उत्खनन

1598. **श्री जे० चोक्का राव :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में फरवरी, 1991 के दौरान हुए पुरातात्विक उत्खनन ने प्राक-हड़प्पा सभ्यता के निर्माण का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो कथित उत्खनन का ऐतिहासिक आधार क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

वर्ष 1991 के दौरान, पुरातात्विक उत्खननों के फलस्वरूप धौलावीरा, जिला कच्छ, गुजरात में प्राक्-हड़प्पा के वास्तु अवशेषों का पता चला है ।

(ख) धौलावीश से प्राप्त प्राक्-हड़प्पा सांस्कृतिक अवशेषों से उस क्षेत्र एंव संलग्न क्षेत्रों की पूर्ववर्ती संस्कृतियों के संबंधों का पता चलता है ।

भारतीय भेषज परिषद में गैर-भेषज कर्मचारी

1599. **श्री जे० चोक्का राव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य स्तर पर भारतीय भेषज अधिनियम के अन्तर्गत गठित भारतीय भेषज परिषदों में गैर-भेषज कर्मचारी कार्य करते हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या संघ सरकार का उक्त परिषद् में भेषज कर्मचारियों को पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) भेषज अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार अर्हता प्राप्त फार्मासिस्टों के अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक तथा भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रतिनिधियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसे कुछ गैर-भेषज कार्मिकों को भी भारतीय भेषज परिषद के सदस्यों के रूप में लिया जाता है ; इसके अतिरिक्त इस परिषद में केन्द्रीय सरकार के छः नामित व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों के पास भेषज में डिग्री अथवा डिप्लोमा होने की आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार राज्य परिषदों में भी पांच सदस्यों में से दो गैर-भेषज कार्मिकों को राज्य सरकारों द्वारा राज्य परिषदों में नामांकित किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा चयन किया गया एक सदस्य, राज्य का मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, औषध नियंत्रण संगठन का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और राज्य का सरकारी विश्लेषक राज्य की भेषज परिषद के भी सदस्य हैं, जो भेषज अर्हताएं नहीं रखते ।

(ख) भेषज कार्मिकों को पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस परिषद के कारगर कार्यक्रम के लिए इसमें अन्य क्षेत्रों के भी सदस्य होने चाहिएं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय

1600. **श्री के० योक्का राव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारें चिकित्सा संबंधी शिक्षा पर भारी धनराशि व्यय कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मेडिकल छात्र पर प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष कितना व्यय किया जाता है;

(ग) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्रों में उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक मेडिकल छात्र को मेडिकल डिग्री देने से पहले उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) पूर्णतया केन्द्रीय योजना और राज्य योजनाओं के चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए सातवीं योजना के परिव्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

	करोड़ रुपये में
पूर्णतया केन्द्रीय योजनाएं	175.51
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1,432.20

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार चिकित्सा शिक्षा की लागत के बारे में दो अध्ययनों के निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

कालेज का नाम	निष्कर्ष
(i) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज नई दिल्ली; राष्ट्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण संस्थाओं द्वारा अध्ययन किया गया (1982-83) ।	1. 1978-79 के दौरान कालेज में प्रवेश प्राप्त एक छात्र पर औसतन 77,498 रुपये की धनराशि खर्च की गई ।
	2. 1981-82 और 1982-83 के दौरान कालेज में पढ़ रहे एक स्नातकोत्तर छात्र पर औसतन 26,261 रुपये की धनराशि खर्च की गई ।
(ii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान; टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज द्वारा अध्ययन किया गया (1989) ।	सम्पूर्ण स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम की लागत प्रति छात्र 5.33 लाख रुपये थी (वार्षिक लागत 1,06,570 रुपये) ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं एकीकृत स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण प्रदाय प्रणाली के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय परिचर्या कार्यक्रमों की समय-समय पर पुनर्संरचना की जाती है और उन्हें विषयोन्मुखी बनाया जाता है। ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे नामतः उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को बढ़ाने, विस्तार करने और समेकितन करने के लिए प्राथमिकता प्रदान की गई है। जटिल और इलाज के लिए जरूरतमंद रोगियों को मध्यम और प्रादेशिक स्तरों पर भेजा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते समय जिन आयामों पर विचार किया गया उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) उपयुक्त प्रौद्योगिकी।

(ii) व्यय करने की समर्थता

(iii) उपलब्धता

(iv) पहुंच और

(v) स्वीकार्यता

स्वास्थ्य एक राज्य विषय है और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा समेत विभिन्न योजनाओं को कारगार ढ़ंग से कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। वैसे यह नहीं कहा जा सकता कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त चिकित्सीय सुविधांए नहीं हैं।

(घ) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्कल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना

1601. **श्री अनादि चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की सरकार ने उत्कल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का संघ सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ सरकार ने उस पर कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) सरकार को जनवरी, 1991 में उड़ीसा सरकार से उत्काल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि उत्कल विश्वविद्यालय की स्थापना उड़ीसा के राज्य विधानमण्डल के अधिनियम के अधीन की गई है और नीति के एक मामले के तौर पर केन्द्रीय सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित नहीं करती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भुवनेश्वर, उड़ीसा में केन्द्रीय अस्पताल खोलने की मांग

1602. **श्री अनादि चरण दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर में एक केन्द्रीय अस्पताल खोलने की कोई मांग/प्रस्ताव संघ सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

गुजराल समिति की सिफारिशों की समीक्षा करने के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

1603. **श्री विजय कुमार यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने हेतु नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट 29-7-91 को लोक सभा पटल पर रख दी गई है।

"उद्योगों द्वारा प्रदूषण"

1604. **श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का पता लगाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) समस्या को सुलझाने के लिए कौन सी कार्यकारी योजना बनाई गई है ; और

(ग) प्रदूषण पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। पूरे देश में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 उद्योगों की पहचान की गई है, अर्थात्—थर्मल पावर प्लांट, लौह और इस्पात, उर्वरक, जस्ता प्रगालक (स्मेल्टर), ताबां प्रगालक, एल्यूमिनियम प्रगालक, तेल शोधक कारखाने, मद्य-निर्माणशालाएं, लुगदी और कागज (बड़े और लघु), अनिवार्य औषधियां रंग और रंगाई इण्टरमीडिएट्स, पेट्रो-रसायन, चर्मशोधनशालाएं, चीनी, कीटनाशक और फार्मास्यूटिकल्स। इकाइयों के नाम सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं ;

2. परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग केन्द्रों के नेटवर्क स्थापित किए गए हैं ;

3. उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं ;

4. बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जनों को निर्धारित सीमाओं में रखने के लिए उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है ;

5. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं ;

6. सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है ;

7. अपशिष्टों को कम करने की एक स्कीम शुरू की गई है ।

(ग) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है और इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों से 31 दिसम्बर, 1991 तक निर्धारित मानकों का पालन करने की अपेक्षा की गई है ।

शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिये उठाये गये कदम

1606. **डा० सुधीर राय :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अन्य राज्यों में शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिए केरल मॉडल अथवा वर्तमान मॉडल को अपनाने का विचार है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा मई, 1988 में प्रारम्भ किया गया पूर्ण साक्षरता अभियान इसकी मुख्य कार्य नीति थी । पूर्ण साक्षरता अभियान में सघन भौगोलिक क्षेत्रों में एक विशिष्ट समयावधि में 15 से 35 आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को व्यावहारिक रूप से सुपरिभाषित स्तर की साक्षरता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है । इस अभियान में गतिशीलता-अभियान, लोक-परम्परा और आधुनिक

मीडिया का प्रयोग सभी सुलभ व्यक्तियों का प्रशिक्षकों के रूप में तथा अन्य कार्यकर्ताओं का स्वैच्छिक आधार पर काम करने की सूचि बनाना आदि निहित है। शिक्षार्थियों द्वारा 3 आर एस के पूर्व-निर्धारित स्तरों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने त्रि-श्रेणीय साक्षरता प्राइमरें तैयार की हैं। इस मिशन ने प्रशिक्षकों तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण पर पर्याप्त बल दिया है।

केरल राज्य और पश्चिमी बंगाल के बर्दवान जिले में कार्यान्वित पूर्ण साक्षरता अभियान ने पूर्ण साक्षरता अभियान मॉडल के विकास में महत्वपूर्ण मील पत्थर का काम किया है तथा इसमें आवश्यक परिवर्तन करके इस अभियान को देश के अन्य चुनिन्दा जिलों में भी आरम्भ किया जा रहा है।

संलग्न विवरण में उन जिलों के नाम दर्शाए गए हैं, जिनमें पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सहायता से संस्वीकृत किए गए हैं।

विवरण

उन चुनिन्दा जिलों के नाम, जहां पूर्ण साक्षरता अभियान आरम्भ किए गए

आन्ध्र प्रदेश

1. चित्तूर
2. कुडापाड
3. जिला हैदराबाद
4. नैल्लूर
5. विशाखापट्टनम
6. करनूल
7. महबूब नगर
   (6 मण्डल और 2 नगर पालिकाएं)
8. खामाम
9. निजामाबाद
10. पश्चिमी गोदावरी
11. करीमनगर
12. नलगोण्डा**
13. 9 जिलों में प्रत्येक में एक मण्डल—
    *विजयानगरम्
    *पूर्वी गोदावरी
    *कृष्णा
    *गुंटूर
    *प्रकासम
    *अनन्तपुर
    *रंगा रेड्डी
    *आदिलाबाद
    *वारंगल (9 मण्डल)
14. मेडक

बिहार

15. मुजफ्फरपुर*
16. जमशेदपुर (शहरी)*
17. रांची (यूनीसेफ द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त)

18 गोवा

19. गुजरात (19 जिलों में 100 टी क्यू एस)

हरियाणा

20. करनाल जिले में पानीपत
21. केरल

कर्नाटक

22. बीजापुर
23. दक्षिण कन्नड़
24. मण्डया
25. रायचूर
26. टुमकुर

मध्य प्रदेश

27. दुर्ग
28. नरसिंहपुर
29. इन्दौर
30. रायपुर (8 ब्लॉक)
31. बिलासपुर (6 ब्लॉक)
32. रतलाम**
33. बिटूल (घोराडंगरी ब्लॉक)
34. रायगढ़ (7 ब्लॉक)

महाराष्ट्र

35. सिंधु दुर्ग
36. वर्धा
37. बम्बई सिटी**
38. पुणे जिला

उड़ीसा

39. सुन्दरगढ़ जिला और राऊरकेला सिटी
40. गंजम

तमिलनाडु

41. कामराजर
42. पी टी टी शिवागंगा
43. पुड़कोट्टया

उत्तर प्रदेश

44. फतेहपुर

पश्चिम बंगाल

45. मिदनापुर
46. बर्दवान
47. हुगली
48. बीरभूम
49. कूचबिहार
50. बांकुरा
51. उत्तरी 24-परगना
52. पॉण्डिचेरी संघ शासित क्षेत्र

नोट :—12, 32, 34 और 37 क्रम संख्या पर (चिह्नित **) के प्रस्ताव अभी स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

शिक्षा के लिए आवंटन

1607. **डा० सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1991-92 के लिए शिक्षा हेतु बजट में कितना आबंटन किया गया है; और

(ख) केन्द्रीय बजट का कितना प्रतिशत भाग शिक्षा पर खर्च किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग का वर्ष 1991-92 के लिए बजट सम्बन्धी आबंटन 1805.30 करोड़ रुपये है, जो कुल संघीय बजट का 1.59 प्रतिशत है।

बर्दवान जिले में शत प्रतिशत साक्षरता

1608. **डा० सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बर्दमान जिले ने शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली है ;

(ख) क्या सरकार ने अन्य जिलों में भी साक्षरता अभियान चलाये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कितने जिलों को इसके अन्तर्गत लाया जा रहा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) निम्नलिखित सदस्यों वाले एक दल ने पश्चिम बंगाल के बर्दमान जिले में शुरू किए गए साक्षरता अभियान पर एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की है :—

(i) प्रो० मोहित भट्टाचार्य, कुलपति बर्दमान विश्वविद्यालय।

(ii) डा० ए० के० जल्ललूद्दीन, परियोजना निदेशक (बेसिक शिक्षा तथा विकास) यूनिसेफ, नई दिल्ली।

(iii) श्री सत्येन मैत्रा, कार्यकारी समिति के सदस्य, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण नई दिल्ली।

(iv) श्री गुश्ताक ग्रहमद सदस्य कार्यकारी समिति रा० सा० मि० प्रा०, नई दिल्ली।

मूल्यांकन दल ने यह स्वीकार किया कि नौसीखियों के लक्षित वर्ग के 82.22% ने इस ग्रभियान के परिणाम स्वरूप ग्रध्ययन का रा० सा० मि० का स्तर प्राप्त कर लिया है।

(ख) ग्रौर (ग) उन ज़िलों ग्रादि के नामों की सूची, जहां पर साक्षरता ग्रभियान शुरू/संस्वीकृत किए गए हैं, संलग्न विवरण पर दर्शाई गई है।

विवरण

चुने हुए ज़िलों ग्रादि में पूर्ण साक्षरता ग्रभियान

आन्ध्र प्रदेश

1. चित्तूर
2. कुड्डापाह
3. हैदराबाद ज़िला
4. नैल्लोर
5. विशाखापट्टनम
6. कुरनूल
7. महबूब नगर (6 मंडल तथा 2 नगरपालिकाएं)
8. खम्माम
9. निज़ामाबाद
10. पश्चिम गोदावरी
11. करीमनगर
12. नलगोण्डा**
13. एक मंडल प्रत्येक 9 जिलों में—
    *विजयनगरम्
    *पूर्वी गोदावरी
    *कृष्णा
    *गुन्टूर
    *प्रकाशम
    *अनन्तपुर
    *रंगा रेड्डी
    *आदिलाबाद
    *वारांगल
14. मेडक

बिहार

15. मुजफ्फरपुर
16. जमशेदपुर (शहरी)*
17. (यूनीसेफ से अनुदान सहित)*

18. **गोवा**

19. गुजरात (19 जिलों में 100 तालुका)

हरियाणा

20. पानीपत

21 **केरल**

कर्नाटक

22. बीजापुर
23. दक्षिण कन्नड़
24. मण्ड्या
25. रायचूर
26. तुमकुर

मध्य प्रदेश

27. दुर्ग
28. नरसिंहपुर
29. इन्दौर
30. रायपुर (8 ब्लॉक)
31. बिलासपुर (6 ब्लॉक)
32. रतलाम**
33. बेतुल (घोराडोंगरी ब्लॉक)
34. रायगढ़ (7 ब्लॉक)**

महाराष्ट्र

35. सिंधु दुर्ग
36. वर्धा
37. बम्बई सिटी**
38. पुणे जिला

उड़ीसा

39. सुन्दरगढ़ जिला और राउरकेला सिटी
40. गंजम

तमिलनाडु

41. कामराजर
42. पी टी टी शिवगंगा
43. पुद्दुकोट्टई

उत्तर प्रदेश

44. फतेहपुर

पश्चिम बंगाल

45. मिदनापुर
46. वर्धवान
47. हुगली
48. बीरभूम
49. कूच बिहार
50. बांकुरा
51. उत्तरी 24-परगना
52. पॉण्डिचेरी संघ शासित क्षेत्र

नोट :—क्रम संख्या 12, 32, 34 तथा 37(**अंकित) में दिए गए प्रस्ताव अभी तक स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

स्वायत्त कॉलेजों का कार्य निष्पादन

1609. **डा० सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार स्वायत्त कालेजों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन दल स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वायत्त कॉलेजों की योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए प्रो० इकबाल नारायण, कुलपति, उत्तर पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 1991 में आयोग को प्रस्तुत कर दी। समिति की कुछेक महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं:–

—योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिससे उच्च शिक्षा पद्धति में प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन आयेंगे, इसे 8वीं योजना अवधि के दौरान जारी रखा जाना चाहिए।

—योजना के प्रभावी निरीक्षण के लिए राज्य स्तर पर एक उपयुक्त तन्त्र तैयार किया जाना चाहिए।

—विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के संशोधन और संविधियां तैयार करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि कॉलेजों को स्वायत्तता का स्तर सौंपने के लिए सक्षम प्रावधान बनाया जा सके।

—राज्य सरकारों को सरकारी स्वायत्त कॉलेजों से शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं करना चाहिए और उन्हें अनुरक्षण उद्देश्यों के लिए ब्लॉक अनुदान प्रणाली को पूरा करने के अलावा इन कॉलेजों के शिक्षकों के बढ़े हुए कार्यभार की समस्याओं का भी पता लगाना चाहिए।

—राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को समेकन और मामलों को हल करने के लिए स्वायत्त कॉलेजों के प्रिंसिपलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करनी चाहियें।

—विश्वविद्यालय को नए पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रम संयोजनों में लचीलेपन के संबंध में स्वायत्त कॉलेजों के निर्णय स्वीकार करने चाहिएं।

—स्वायत्त कालेजों को विकास, वित्त समितियों और आयोजना तथा मूल्यांकन समितियों को सक्रिय बनाने के लिए परिपेक्ष्य योजनाएं तैयार करनी चाहिएं।

आयोग ने समिति की रिपोर्ट को 6 जून, 1991 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकार कर लिया और 8वीं योजना में स्वायत्त कॉलेजों की योजना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजनाएं

1610. **श्री कालका दास :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बसी झुग्गी झोंपड़ी, बस्तियों, "स्लम" कटरों और पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मूलभूत जन सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी योजनाएं कौन-कौन सी हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान मूलभूत जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया था; और

(घ) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सभी झोंपड़ी बस्तियों, "स्लम" बस्तियों, पुनर्वास कॉलोनियों और अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत जन सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) :(क) से (ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

(घ) झुग्गी झोंपड़ी समूहों तथा "स्लम" कटरों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना एक अनवरत प्रक्रिया है। प्रत्येक वर्ष निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुये एक चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है। 67 अनधिकृत कॉलोनियों में जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है और 97 अन्य ऐसी कॉलोनियों में नलों के माध्यम से इस सुविधा का विस्तार किया गया है। कार्य की इन मदों के लिए कोई निश्चित् समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

सभी 44 पुनर्वास कॉलोनियों में पाइपों द्वारा पानी उपलब्ध किया गया है। सीवरेज सिस्टम 16 कॉलोनियों में कार्य कर रहा है और 9 अन्य कालोनियों में यह कार्य चल रहा है। सभी पुनर्वास कॉलोनियों में मार्च, 1995 के अन्त तक सीवरेज सिस्टम उपलब्ध कराने हेतु एक कार्यवाही योजना तैयार की गई है।

विवरण

योजना का नाम	गत तीन वर्षों में खर्च की गई राशि	बजट प्रावधान 1990-91
I. दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्लम विंग) द्वारा संचालित योजनाएं		
	(रु० लाख में)	(रु० लाख में)
1. झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में पर्यावरणीय सुधार	3426.67	716.00
2. भुगतान करो उपयोग करो जनसुविधा परिसर जिसमें चलते-फिरते शौचालय वाहनों सहित शौचालय और स्नानागार शामिल हैं।	283.05	200.00
3. स्लम विंग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में तैयार सुविधाएं/हॉल/बारात घर/बस्ती विकास केन्द्र आदि की व्यवस्था।	73.56	100.00
4. झुग्गी-झोंपड़ियों की आन-साईट पुनर्स्थापना के द्वारा स्लमों/झुग्गी-झोपड़ी समूहों और अनौपचारिक आश्रय का उन्नयन।	4.87	50.00
स्लम कटरे		
5. शहरी स्लमों में पर्यावरणीय सुधार	577.97	212.00
6. कटरों का संरचनात्मक सुधार	377.37	185.00
II. दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित योजनाएं		
7. दिल्ली नगर निगम ने अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए योजना बनाई है जिसमें निम्नलिखित शामिल है :— (1) सड़कें, (2) बरसाती पानी की नालियां, (3) सामुदायिक हॉल/केन्द्र, बारात घर और टेलीविजन कक्ष, (4) पथ प्रकाश सहित विद्युतीकरण, (5) बागबानी, (6) सुलभ शौचालय, (7) मलवहन/स्वच्छता सेवाएं, (8) सीवरेज/बरसाती पानी के पम्पिंग स्टेशन, जलापूर्ति में वृद्धि और (10) आऊट-फॉल सहित सीवरेज।	14636.74	5576.00

विकलांग व्यक्तियों के लिए चलायी जा रही संस्थाओं की सहायता

1611. श्री पी० सी० थामस : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए चलायी जा रही संस्थाओं को अनुदान-सहायता देने हेतु बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है ;

(ग) इनमें केरल से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है जो पिछले तीन वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं ;

(घ) इन आवेदन-पत्रों पर निर्णय लेने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन आवेदन-पत्रों को शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :(क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता की योजना के अन्तर्गत प्राप्त 90 आवेदन पत्र लंबित हैं ।

(ग) केरल राज्य से कोई आवेदन पत्र लंबित नहीं है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र में वैकल्पिक भू-खण्ड

1612. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदालत ने दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित वैकल्पिक भू-खण्डों के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या यह स्थगन आदेश आबंटित भू-खण्डों के बारे में अवस्थिति-परिवर्तन पर भी लागू होता है ;

(ग) क्या सरकार को, विधि आयुक्त से बिना कोई लाटरी निकाले, भू-खण्डों के आबंटन और वैकल्पिक भू-खण्डों के अवस्थिति-परिवर्तन में अनियमितताओं के बारे में, कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की ;

(घ) क्या दिल्ली में उत्तरी और पश्चिमी जोनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के निम्न आय की और मध्यम आय वर्ग के फ्लैट खाली पड़े हैं और इन्हें अभी भी आबंटित करना है, यदि हां, तो क्षेत्र-वार और कॉलोनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) गत 6 महीनों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के चेयरमेन ने कितने बिना बारी के मकानों के आबंटन और वैकल्पिक भू-खण्डों के अवस्थिति-परिवर्तन के आदेश दिये और क्या इन सभी को मकान और भू-खण्डों का आबंटन कर दिया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश को रियायती दरों पर कागज की पूर्ति

1613. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों को उचित दामों पर पाठ्य-पुस्तकों के लिये केन्द्रीय सरकार रियायती दरों पर कागज की पूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1990 से मध्य प्रदेश सरकार को किन कारणों से ऐसी पूर्तियां क्यों नहीं की गई हैं ; और

(ग) मध्य प्रदेश को रियायती दरों पर कागज की पूर्ति करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकाएं तैयार करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त सफेद मुद्रण कागज की आपूर्ति योजना 31 मार्च, 1990 के अंत तक जारी थी। तत्पश्चात् यह योजना बंद कर दी गई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वन ग्रामों का समन्वित विकास

1614. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1984-85 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत वन-ग्रामों के समन्वित विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित तथा स्वीकृत कर दिया था ;

(ख) क्या भारत सरकार ने, इस तथ्य के बावजूद कि राज्य सरकार के अपने संसाधनों से 25 प्रतिशत पहले खर्च करने के अनुबन्ध को पूरा करने के लिए, अपने संसाधनों से पहले ही पर्याप्त धन खर्च कर दिया है, वर्ष 1987-88 से अपना 75% अंश रोक लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और सरकार राज्य सरकार को कितनी जल्दी धन दे देगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1984-85 में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परंतुक के अन्तर्गत अनुदान के लिए 83 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वन ग्राम विकास संबंधी एक प्रारूप परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

(2) वन ग्रामों के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की शर्त पर 1984-85 में उक्त परंतुक के अन्तर्गत 5.96 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी।

(3) 1985-86 में इसी परियोजना के लिए संविधान के उसी परंतुक के अन्तर्गत 0.5 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी।

(4) 1987-88 से आगे संविधान के उसी परंतुक के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष अनुपातिक आधार पर 4.5 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है।

(5) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परंतुक के अन्तर्गत गाडगिल सूत्र के अन्तर्गत राज्यों को दिए गए ब्लॉक अनुदानों का एक हिस्सा होते हैं और ये राज्यों के लिए अतिरिक्त रूप में नहीं होते हैं।

(6) मध्य प्रदेश राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि इस परियोजना को राज्य आदिवासी उपयोजना का एक अभिन्न अंग बनाया जाये ताकि राज्य सरकारों की पहले से चल रही योजनाओं के अन्तर्गत इसके लिए धन राशि जुटाई जा सके। यदि कोई कमी रह जाती हो तो, उसे वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अन्तर्गत निधियों में से पूरा किया जायेगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश स्थित भोपाल में फुफ्फुस (वक्ष सम्बन्धी) रोग संस्थान की स्थापना

1616. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में एक फुफ्फुस (वक्ष) रोक संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव संघ सरकार को भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में संघ सरकार ने कोई निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) भोपाल गैस त्रासदी होने पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सुझाव पर राष्ट्रीय औद्योगिक त्रासदी फुफ्फुस (वक्ष संबंधी) संस्थान की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया।

विभिन्न स्तरों पर कई विचार-विमर्शों के पश्चात् पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की कि प्रस्तावित संस्थान दिल्ली में बनाया जाए, जिसके तीन क्षेत्रीय केन्द्र जो अहमदाबाद, पुणे और भोपाल में हों।

[अनुवाद]

"उड़ीसा एस० सी०/एस० टी० बिलो पॉवर्टी लाइन" शीर्षक से समाचार

1617. **श्री भाग्य गोवर्धन** : क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को नेशनल काउंसिल आफ अप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च (एन०सी०ए०ई०आर०) द्वारा किये गये अध्ययन की जानकारी है जैसा कि 6 जुलाई, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "उड़ीसा एस०सी०/एस०टी० बिलो पॉवर्टी लाइन स्टडी" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वर्ष 1977-78 में 48 प्रतिशत तथा वर्ष 1984-85 में 37 प्रतिशत कमी हुई है ;

(ग) क्या नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च के प्रकाशित निष्कर्षों से, जिसमें यह कहा गया है कि उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों के 79 प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों के 63 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, पता चलता है कि उड़ीसा में वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अध्ययन से पता चला है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से संबंधित घराने ग्रामीण उड़ीसा में निर्धनता समूह हैं।

(घ) आदिवासी उपयोजना कार्यनीति विशेष संघटक योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता और अन्य योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

विजयवाड़ा में विज्ञान संग्रहालय

1618. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा जिले में विजयवाड़ा में गांधी हिल पर उपलब्ध बड़े भवन में विज्ञान संग्रहालय/केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या कलकत्ता के राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र की एक समिति ने उस स्थान का दौरा किया है ; और

(घ) इस संग्रहालय/केन्द्र के कब तक स्थापित होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के एक दल ने विजयवाड़ा का दौरा किया। यदि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् की नीति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश राज्य शासन विकसित स्थल उपलब्ध करवा देता है और निर्माण लागत में भी भागीदार होता है तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् वहां विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने पर विचार करेगी।

दिल्ली में कामकाजी महिला होस्टल

1619. डा० ए० के० पटेल
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : **क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कितने कामकाजी महिला होस्टल हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) प्रत्येक होस्टल की क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की आवश्यकता के बारे में कोई आकलन किया गया है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार द्वारा इन होस्टलों पर किया जाने वाला वार्षिक व्यय कितना है;

(ङ) क्या निकट भविष्य में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में और होस्टल खोलने का विचार है; यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ; और

(च) क्या अन्य महानगरों में भी इसी प्रकार से होस्टल बनाए गए हैं ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) :(क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और संसद पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

"बिहार में वन संरक्षण योजनाओं का कार्यान्वयन"

1620. श्री तेजनारायण सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाढ़ आने के लिये वन-कटाव किस सीमा तक जिम्मेवार है ; और

(ख) बाढ़ की विभीषिका की रोकथाम करने के लिये बिहार के बाढ़-प्रभावित जिलों में कार्यान्वित की जा रही वन संरक्षण योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वृक्ष वर्षा की तेजी को कम कर देते हैं, भूमि में जल के रिसाव में सुधार करते हैं और सतही बहाव को कम करते हैं, इसलिए वन-नाशन की वजह से आमतौर पर बाढ़ आ जाती है। देश में बाढ़ लाने के लिए वन-नाशन एक कारण के रूप में किस हद तक उत्तरदायी है—इस सम्बन्ध में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कृषि मंत्रालय के अधीन मृदा संरक्षण विभाग, सोन, अजय और पुनपुन जैसी नदियों, जिनमें अक्सर बाढ़ आ जाती है, के आवाह-क्षेत्रों में समन्वित जलसंभर प्रबन्ध की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन नदियों का आवाह-क्षेत्र पलामू, हजारीबाग, देवघर, औरंगाबाद और गया जिलों में पड़ता है। यह स्कीम 1981 से चल रही है और सातवीं पंचवर्षीय

योजना में अब तक 570 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सुधार किया जा चुका है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6,400 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्र का सुधार किये जाने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिलों में दामोदर नदी के आवाह्-क्षेत्रों के सुधार के लिए दामोदर घाटी निगम को भी राशि प्रदान की गई है ।

[अनुवाद]

राजधानी की सरकारी कॉलोनियों में ईंट के रास्तों की मरम्मत

1621. **श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कॉलोनियों जैसे आर० के० पुरम् में ईंट के रास्ते टूट-फूट गये हैं तथा इन्हें सही ढंग से बिछाने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो काफी समय बीत जाने के बावजूद इन्हें न बिछाने अथवा इनकी मरम्मत न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन रास्तों को प्राथमिकता के आधार पर बिछाने/मरम्मत करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) मुख्य मार्ग, स्कूटर गैरेज तथा क्वार्टरों के प्रवेश-मार्ग के मध्य ईंटों के रास्ते टूट-फूट गये थे । इनमें से कुछ की, जहां तक निधियां उपलब्ध थीं, मरम्मत कर दी गई है तथा शेष की मरम्मत भी निधियों की उपलब्धता के आधार पर कर दी जायेगी।

होस्टलों को अर्धआवासीय विद्यालयों में बदलना

1622. **डा० विश्वनाथम केनियी : क्या कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए होस्टलों को अर्द्धआवासीय विद्यालयों में बदलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कितने होस्टलों को बदलने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या होस्टलों में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है ; और

(घ) यदि हां, तो होस्टलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

91-M/J(N)405LSS—9

केवल तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों की लड़कियों के लिये आवासीय विद्यालय

1623. **डा० विश्वानाथन केनिथी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों जहां महिलाओं में शिक्षा का स्तर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम है, में रह रहे परिवारों की लड़कियों के लिए विशेष रूप से और आवासीय विद्यालय खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) छात्राओं के लिए आवासीय स्कूल खोलना राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का काम है।

विश्वविद्यालयों में अनुशासन

1624. **श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए देश में विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुशासन बनाये रखने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण में सरकार व विश्व० अनु० आ० ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए कई कदम उठाए। इस संबंध में उठाए गए कुछ मुख्य कदम निम्नलिखित हैं :

—1-1-1986 से कालेज व विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन। अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण व कैरियर प्रगति के लिए प्रदत्त किए गए अवसर। अध्यापन व्यवसाय में सर्वोत्तम प्रतिभा आकर्षित करने के लिए अखिल-भारतीय पात्रता परीक्षा आरंभ की गई।

—विश्वविद्यालय व कालेज के नए नियुक्त अध्यापकों के पुनः अनुस्थापन के लिए शैक्षणिक स्टाफ कालेज स्थापित किए गए।

—विज्ञान व कला में पाठ्यचर्या को आधुनिकीकृत करने के लिए 27 पाठ्यचर्या विकास केन्द्र स्थापित किए गए। अवर-स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 27 विषयों के लिए आधुनिक पाठ्यचर्या तैयार की गई है।

—विश्व० अनु० आ० द्वारा विशेष सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत जैसे उच्च अध्ययन केन्द्र सी० ओ० एस० आई० पी०, सी० ओ० एच० एस० आई० पी० , सी० ओ० एस० आई० एस० टी० आदि में अध्यापन व शोध में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदत्त की गई थी।

—विश्व० अनु० आयोग ने विश्वविद्यावय पद्धति में अनुसंधान की प्रगति के लिए प्रमुख सुविधाएं व सेवाएं प्रदत्त करने के लिए अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किए।

—कुछ चुने हुए कालेजों व विश्वविद्यालय विभागों को स्वायत्तता प्रदत्त करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई।

—शैक्षिक कैलेंडर के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देश वितरित किए गए। इन मार्गनिर्देशों में विश्वविद्यालय/कालेजों द्वारा कम से कम 180 अध्यापन दिनों का पालन करने पर जोर डाला गया है।

—प्रथम डिग्री प्रदत्त करने हेतु।

न्यूनतम स्तर व न्यूनतम कार्य दिवस आदि के लिए विश्व० अनु० आ० द्वारा अधिसूचित विनियम।

"मेजर इंडस साइट फाऊंड इन कच्छ" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

1625. **डा० ए० के० पटेल**
श्री शंकर जी वघेला } : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1991 "टाइम्स ऑफ इंडिया" में मेजर इंडस साइट फाउंड इन कच्छ" शिर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो खुदाई से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं ;

(ग) क्या प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनलेखन की दिशा में इन खोजों से कोई पुरातत्व/ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाले गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) उस एजेंसी का नाम क्या है जो इसकी खुदाई और मूल्यांकन कार्य कर रही है ; और

(च) इस प्रयोजन के लिए चयनित स्थलों के साथ इस समय उपरोक्त स्वरूप के चल रहे अन्य खुदाई कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सत्र 1990-91 के दौरान धौलावीरा, जिला कच्छ गुजरात में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप प्राक्-हड़प्पा, आप-हड़प्पा, विकसित-हड़प्पा तथा परवर्ती कार्यों की क्रमानुसार बस्तियों के साथ-साथ, उनके विशिष्ट मृदभाण्ड एवं अन्य वस्तुएं प्रकाश में आई हैं। हड़प्पा (सैन्धव) कालीन भव्य दुर्ग तथा विशाल प्रवेश-द्वार एवं इसके भीतर जलाशय के अवशेष तथा नगर के मध्य एवं निचले प्रभाग के अवशेष शामिल हैं। महत्वपूर्ण उपलब्धियों में प्रस्तर-स्तम्भों

के अवशेष, सोपान-पंक्ति, सीत-मोहर, ठप्पे, बाट, मातृदेवी की मृण्मूर्तियां, तांबें के उपकरण तथा आभूषण, विभिन्न प्रकार के मनके, विशिष्ट मृदभाण्ड एवं फर्श पर हड़प्पा लिपि में जड़े हुए नौ अक्षर शामिल हैं।

(ग) और (घ) उत्खनन से उपलब्ध साक्ष्यों ने प्रमाणों के हड़प्पा संस्कृति की आद्यैतिहासिक नगर-विन्यास एवं वास्तु शैली के साथ-साथ जल-प्रबन्ध की प्रणाली, पत्थर तराशने के लिए खराद के संभावित प्रयोग के नए प्रारूप प्रस्तुत किए हैं। ये सभी विशिष्टताएं देश के तकनीकी एवं सांस्कृतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

(ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उत्खनन शाखा-V ने उत्खनन तथा मूल्यांकन कार्य दोनों की ही कार्यान्वित किया है।

(च) वर्तमान में प्राक्-हड़प्पा व्यवसाय से संबंधित कोई उत्खनन कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

संस्कृत के अध्ययन/अध्यापन में कठिनाइयां

(हिन्दी)

1626. **श्री राजवीर सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संस्कृत के अध्ययन/अध्यापन में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया गया है ;

(ख) देश में इस समय कितने संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने संस्कृत अध्ययन/अध्यापन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने तथा इन विद्यालयों को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी नहीं। संस्कृत शिक्षण के समन्वय और स्तर को बनाए रखने के अलावा संस्कृत के अध्ययन/शिक्षण में आ रही किन्ही विशेष कठिनाइयों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) देश में इस समय कार्यरत संस्कृत स्कूलों की संख्या मालूम नहीं है। तथापि, 15 राज्यों/संघ शासित प्रशासनों से अभी तक एकत्रित प्रारम्भिक सूचना के अनुसार विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों द्वारा लगभग 2,000 संस्कृत पाठशालाएं/संस्थाएं चलाई जा रहीं हैं।

(ग) और (घ) संस्कृत संस्थाओं सहित स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से सम्बन्धित हैं। तथापि, संस्कृत के महत्व को देखते हुए केन्द्रीय सरकार संस्कृत शिक्षा को सहायता देने तथा उसे प्रोन्नत करने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। इस कार्य के लिए संस्कृत संस्थाओं/विद्यालयों को ठीक ढंग से चलाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(i) संस्कृत शिक्षा का विकास

(क) माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की छात्रवृति ।

(ख) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण।

(ग) संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति ।

(घ) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए किया गया कोई अन्य प्रस्ताव ।

(ङ) अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे संस्कृत के विख्यात अध्येताओं को वित्तीय सहायता।

(ii) स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को सहायता अनुदान

(क) शिक्षकों के वेतन के लिए वित्तीय सहायता ।

(ख) संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृति प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता।

(ग) अनुमोदित गैर-आवर्ती व्यय के लिए वित्तीय सहायता ।

(iii) आदर्श संस्कृत पाठशाला की योजना

(क) अनुमोदित आवर्ती व्यय की 95% तक की वित्तीय सहायता ।

(ख) अनुमोदित गैर-आवर्ती व्यय की 75% तक की वित्तीय सहायता ।

और अधिक केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

1627. **श्री राजवीर सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं और दिल्ली में विद्यालय कहां-कहां खोले गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो ये विद्यालय किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे और इनमें पढ़ाई कब से शुरू होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) इस समय देश में 740 केन्द्रीय विद्यालय खुले हुये हैं। दिल्ली में इस प्रकार के विद्यालयों की संख्या और स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) इनका विस्तार निधियों की उपलब्धता और उपभोगी एजेंसियों के उपयुक्त प्रस्तावों पर निर्भर करता है ।

विवरण

दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों की सूची

क्रम सं०	संघ शासित क्षेत्र का नाम और पता
	दिल्ली (30)
1	एण्ड्रयूजगंज, नई दिल्ली।
2	सदर बाजार, दिल्ली छावनी नं०-I
3	कन्धार लाईन्स, दिल्ली छावनी, नं०-II, नई दिल्ली।
4	गोल मार्केट, नई दिल्ली।
5	आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली।
6	आई० आई० टी० होज खास, नई दिल्ली।
7	जनकपुरी, नई दिल्ली।
8	के० रि० पु० ब० परिसर, झड़ोदा कलां, नई दिल्ली।
9	लारेंस रोड़, दिल्ली।
10	सेक्टर-IV आर० के० पुरम, नई दिल्ली।
11	सेक्टर-II आर० के० पुरम, नई दिल्ली।
12	सेक्टर-VIII, आर० के० पुरम, नई दिल्ली।
13	टैगोर गार्डन, नई दिल्ली।
14	मस्जिद मोठ, नई दिल्ली।
15	ए० जी० सी० आर० कालोनी, पो० ओ० कड़कड़डूमा, नई दिल्ली।
16	बदरपुर, ताप बिजली निगम, बदरपुर, नई दिल्ली।
17	दक्षिण ब्लाक 'ए' शालीमार बाग।
18	ए० एफ० एस० तुगलकाबाद, नई दिल्ली।
19	ए० एफ० एस० अर्जुनगढ़।
20	प्रगति विहार, लोदी रोड़, नई दिल्ली।
21	पुष्प विहार, एम० बी० रोड़।
22	नं०-III, दिल्ली छावनी।
23	सैनिक विहार।
24	न्यू फ्रैण्ड्स सेन्टर।
25	सं० 67 स्काड्रन ए० एफ० मार्फत 56 ए० पी० ओ०, घोगा बवाना।
26	पीतमपुरा, दिल्ली-110034।
27	सरदार पटेल मार्ग (मौर्य होटल के पास), नई दिल्ली।
28	बी० एस० एफ० छावला, छावला-110071, नई दिल्ली।
29	विकासपुरी, नई दिल्ली।
30	ए० एफ० एस० रजोकरी, नई दिल्ली-110038।

स्वयं सेवी एजेंसियों को साक्षरता परियोजनाओं के लिये धनराशि का आवंटन

1628. **श्री राजवीर सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान साक्षरता परियोजनाओं को चलाने हेतु स्वयंसेवी एजेंसियों को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया, और

(ख) ऐसी एजेंसियों के नाम और पते का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 में स्वैच्छिक एजेंसियों को दिए गए सहायता-अनुदान तथा उनके नामों और पतों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 363/91]

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण का लोक शिकायत प्रकोष्ठ

1629. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल में अपने लोक शिकायत प्रकोष्ठ को और सुव्यवस्थित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा इनमें से कितनी शिकायतों पर विचार किया गया; और

(घ) शिकायतों पर कारगर ढंग से ध्यान देने के लिए सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक शिकायत सैल को एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन रखा गया है जो उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण को सीधे रिपोर्ट करते हैं। इस अधिकारी को विभिन्न विभागों द्वारा जनता से प्राप्त शिकायतों के निपटान से संबंधित सभी विषयों का प्रबोधन और समन्वय करने का प्राधिकार दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक पद्धति भी तैयार की गई है कि सभी शिकायतें दर्ज की जाती हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है तथा एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाई जाती है।

(ग) 1-4-90 से 31-3-91 तक के वर्ष के दौरान, शिकायत सैल द्वारा 2400 शिकायत प्राप्त की गई थीं। इनमें से 1600 शिकायतों पर ध्यान दिया गया है।

(घ) आशा है कि हाल ही में भारत सरकार के संयुक्त सचिव रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी की सार्वजनिक शिकायत सैल के प्रभारी के रूप में तैनाती जनता की शिकायतों को प्रभावी रूप से

निपटाने में सहायक होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रचालनों में विलम्ब को कम करने तथा अधिक सुस्पष्टता लाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में कई प्रक्रियाओं को परिवर्तित तथा सुव्यवस्थित किया गया है। शिकायतों के निवारण के लिए और उपाय तैयार करने के लिए सैल में किए गए कार्य का आवधिक प्रबोधन भी किया जा रहा है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पब्लिक स्कूलों की सम्बद्धता

1630. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में फेट आफ 40,000 स्टूडेंट्स हैंग्स इन बैलेंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पब्लिक स्कूलों को अपने से सम्बद्ध न करने में फैसले के परिणामस्वरूप इन स्कूलों के विद्यार्थियों का भविष्य अनिश्चित हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन स्कूलों को सम्बद्ध न करने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं। विद्यार्थी अन्य स्कूलों में दाखिला लेने के लिए स्वतंत्र हैं ताकि उनको शिक्षा प्राप्ति में बाधा न हो।

(ग) संबंधित स्कूल के०मा०शि०बो० के नियमों में विहित संबद्धन संबंधी शर्तों को पूरा नहीं करते।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यालयों का परीक्षा परिणाम

1631. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में दिल्ली प्रशासन और सहायता प्राप्त विद्यालयों का परीक्षा परिणाम अत्यधिक निराशाजनक रहा;

(ख) यदि, हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नए उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली प्रशासन द्वारा यथा मूल्यांकित घटिया निष्पादन के कारण नीचे दिए गए हैं :—

(i) मंडल आयोग आंदोलन और सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण स्कूलों का बंद रहना;

(ii) यातायात की सुविधाओं में अवरोध;

(iii) के०मा०शि०बो० द्वारा 4 विषयों की बजाय सभी 5 विषयों में सफलता के लिए निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य करके नई प्रणाली शुरु करना;

(iv) कुछ विषयों में पाठ्यचर्या में तथा मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन ;

(v) नए खोले गए स्कूलों को सुविधाएं/उपकरण प्रदान करने में विलम्ब।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाए है :–

(i) मार्च/अप्रैल, 1991 में आयोजित प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती;

(ii) वर्तमान माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को संयुक्त विद्यालयों में बदलना;

(iii) स्टाफ, उपकरण, फर्नीचर आदि की व्यवस्था;

(iv) टेन्ट लगे आवास के स्थान पर पक्की/अर्द्ध-पक्की इमारत बनाना;

(v) व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरु करना;

(vi) प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधाएं ;

(vii) कमजोर बच्चों के लिए उपचारी कक्षाएं लगाना;

(viii) स्टडी-कार्नर योजना शुरू करना ;

(ix) सेवाकालीन प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रावधान, अनुस्थापन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि ।

दिल्ली में उपरिपुल

1632. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कतिपय उपरिपुलों का निर्माण करने का निर्णय काफी समय से दिल्ली शहरी कला आयोग के पास लम्बित पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का विचार इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) दिल्ली नगर कला आयोग ने राजधानी में फलाई ओवरों के निर्माण के लिए दिल्ली प्रशासन के 9 प्रस्तावों में से 6 प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। शेष 3 प्रस्तावों में फलाई ओवरों के निर्माण संबंधी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और एक करार के लिए आयोग, दिल्ली प्रशासन और दूसरे संबंधित अभिकरणों से विचार विमर्श कर रहा है।

सरकारी आवास का नियमित किया जाना

1633. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या **शहरी विकास मंत्री** 16 मई 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8977 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवाहित लड़कियों के नाम पर सरकारी आवास को नियमित करने के बारे कोई प्रस्ताव रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेवानिवृत्ति हो रहे/मृतक सरकारी कर्मचारियों की पुत्र वधुओं के नाम पर भी सरकारी आवास को नियमित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उनके नाम पर भी सरकारी आवास को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या यह भी प्रस्ताव है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अथवा मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को तब तक सरकारी आवास से न हटाया जाय जब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण उसे फ्लैट आबंटित न कर दे, बशर्ते प्राधिकरण के पास वह फ्लैट के लिए पंजीकृत हो, ताकि उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) तथा (ख) जी, हां प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं। सामान्य पूल वास की विकट कमी को देखते हुये पुत्र वधुओं के मामलों में इस रियायत के अवसरों को बढ़ाना संभव नहीं है।

(ङ) तथा (च) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पंजीकृत व्यक्तियों को अन्य सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों से भिन्न मानना विभेदक होगा। सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में आबंटन अनिश्चित काल तक जारी रखकर मकानों को रोकना भी संभव नहीं होगा जब कि बड़ी संख्या में सेवारत कर्मचारियों को आबंटन प्राप्त करने के लिए बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

भूखंडों की बिक्री और खरीद को विनियमित करना

1634. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में मुख्तारनामें पर भूखंडों, भूमि, दुकान इत्यादि की बिक्री और खरीद को विनियमित किया है;

(ख) क्या सरकार को इस कार्य से काफी राजस्व मिलने की संभावना है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अत्यधिक ऊंची दरों पर मुख्तारनामे के मामलों को विनियमित करने के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रति क्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) तथा (ख) साधारण मुख्तारनामें पर बिक्री और खरीद को विनियमित करने के लिये मई, 89 से मार्च, 90 के बीच एक योजना चलाई थी। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित रिहायशी भूखण्डों से संबंधित 248 मामलों में विक्रय अनुमति प्रदान की गई थी और ऐसे सौदों के विनियमन के लिये वसूल की गई अनर्जित वृद्धि के 50% भुगतान के प्रति 10,74,24,648 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिना बारी के सरकारी आवास का आबंटन

1635. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1990 से मार्च, 1991 तक, दिल्ली में कितने सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी के सरकारी आवास, टाईप-वार, आबंटित किए गए;

(ख) बिना बारी के आबंटन किन विशेष आधारों पर किए गए;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कुल कितने अनुरोध प्राप्त हुए, और

(घ) उक्त अवधि में बिना बारी के आबंटन के लिए कितने मामले अस्वीकार किए गए तथा इन्हें अस्वीकार करने के क्या कारण थे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जिन सरकारी कर्मचारियों को जनवरी, 1991 से मार्च, 1991 के दौरान बिना बारी के रिहायशी वास आबंटित किये गये हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

टाइप ए	215
टाइप बी	287
टाइप सी	299
टाइप डी	136
टाइप ई	118
टाइप स्पेशल	19
होस्टल	20
योग	1,094

(ख) एस आर–317–बी–25 के अनुसार सरकारी वास का आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियमावली, 1963 का शिथिलीकरण कर तदर्थ (बिना पारी के) आबंटन किये जाते हैं। ये अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों को दिये जाते हैं :—

(i) सेवा निवृत्ति होने वाले/मृतक आबंटितों के आश्रितों/पति/पत्नियों,

(ii) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों,

(iii) विशिष्ट बिमारियों जैसे टी०बी०, कैंसर, आदि से पीड़ित व्यक्तियों,

(iv) कतिपय विशिष्ट व्यक्तियों जैसे मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के जजों, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, आदि के निजी स्टाफ को,

(v) प्रधान मंत्री कार्यालय के मुख्य कार्मिकों,

(vi) अनुकम्पा और दूसरे आधारों पर प्राप्त हुए अनुरोधों के मामले में,

(ग) और (घ) इस प्रकार के कोई आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

लोकनायक जय प्रकाश अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सीय फोटोग्राफी विभाग

1636. श्री रोशन लाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल के अधिकारियों ने पृथक चिकित्सीय विभाग/अनुभाग स्थापित करने के लिए दिल्ली प्रशासन को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन को प्रस्ताव कब भेजा गया;

(ग) क्या प्रस्ताव अभी भी दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है, और

(घ) प्रस्ताव पर अंतिम फैसला कब होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अलग से नैदानिक फोटोग्राफी विभाग/अनुभाग खोलने के लिए उन्हें लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

दिल्ली में पैदल-पथों के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जाना

1637. **श्री रामवृदन : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पैदल पथों तथा सड़क विभाजक लाइनों के निर्माण में नागरिक अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर घटिया सामग्री का प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) संबंधित स्थानीय निकायों और अन्य संगठनों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा के भुवनेश्वर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय

1638. **श्री अनादि चरण दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए०जी० कालोनी इकाई–4 भुवनेश्वर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सभी वर्गों को वहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय का लाभ नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन कर्मचारियों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संबंधी योगदान क्यों वसूल किया जा रहा है ;

(ग) क्या भुवनेश्वर स्थित महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारियों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संबंधी योगदान इस योजना के नियमों के अन्तर्गत ही लिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (घ) केवल महालेखाकार, भुवनेश्वर के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ए०जी० कालोनी, यूनिट–IV भुवनेश्वर में एक एलोपैथिक औषधालय खोला गया है। केवल महालेखाकार के कार्यालय, भुवनेश्वर के कर्मचारियों से ही उन तक संलग्न विवरण में दी गई दरों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं पहुंचाने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अंशदान लिया जा रहा है।

विवरण

संशोधित वेतनमान में वेतन	अंशदान की दर
	रु०
1. 1200 रु० तक वेतन पाने वाले लाभार्थी	1.00
2. रुपये 1200 से ऊपर 1500 रु० तक	2.00
3. रुपये 1500 से ऊपर 1800 रु० तक	3.00
4. रुपये 1800 से ऊपर 2500 रु० तक	4.00
5. रुपये 2500 से ऊपर 3200 रु० तक	5.00
6. रुपये 3200 से ऊपर 4000 रु० तक	6.00
7. रु० 4000 से ऊपर 5000 रु० तक	9.00
8. रु० 5000 से अधिक वेतन पाने वाले	12.00

बाल श्रमिक

1639. **श्री एन० डेनिस**
श्री टी० जे० अंजलोज : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन स्थानों अथवा रोजगारों का पता लगाया है जहां बाल श्रमिकों से काम लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) जनगणना आंकड़ों के आधार पर देश में बाल-नियोजन के निम्नलिखित क्षेत्र हैं :—

(1) खेती-बाड़ी

(2) कृषि श्रम

(3) पशुधन, वानिकी, मछली पकड़ना, शिकार, बागान इत्यादि

(4) खनन तथा उत्खनन

(5) विनिर्माण, संसाधन, नौकरी करना, मरम्मत कार्य, आदि

(क) आवास उद्योग

(ख) अन्य

(6) निर्माण

(7) परिवहन भण्डारण तथा संचार

(8) व्यापार तथा वाणिज्य

(9) अन्य सेवाएं

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ऐसे अनेक अधिनियम हैं जो कारखानों, खानों तथा अन्य नियोजनों में बालकों के नियोजन को प्रतिबद्ध और/अथवा विनियमित करते हैं। बाल श्रम (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986, इस प्रयोजन के लिए एक विशेष कानून है बाल श्रम से संबंधित कानूनों के कठोर प्रवर्तन के अतिरिक्त अन्य कदम भी उठाये जा रहे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा पोषण स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि के लिए विशेष कार्यक्रमों की स्थापना के माध्यम से बाल श्रम की बहुलता वाले क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय परियोजनाएं भी शामिल हैं।

विवरण

5.8.1991 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1639 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

1981 की जनगणना के अनुसार (0 से 14 आयु वर्ग) बाल श्रमिकों का राज्यवार विवरण।

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	0–14 वर्ष तक की आयु के बाल श्रमिकों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	1,951,312
2	असम	**
3	बिहार	1,101,764
4	गुजरात	616,913
5	हरियाणा	194,189
6	हिमाचल प्रदेश	99,624
7	जम्मू एवं कश्मीर	258,437
8	कर्नाटक	1,131,530
9	केरल	92,854
10	मध्य प्रदेश	1,698,597
11	महाराष्ट्र	1,557,756
12	मणिपुर	20,217
13	मेघालय	44,916
14	नागालैंड	16,235
15	उड़ीसा	702,293
16	पंजाब	216,939
17	राजस्थान	819,605
18	सिक्किम	8,561
19	तमिलनाडु	975,055
20	त्रिपुरा	24,204
21	उत्तर प्रदेश	1,434,675
22	पश्चिम बंगाल	605,263
23	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1,309
24	अरूणाचल प्रदेश	17,950
25	चंडीगढ़	1,986
26	दादर एवं नागर हवेली	3,615
27	दिल्ली	25,717
28	गोवा दमन एवं द्वीप	9,378
29	लक्षद्वीप	56
30	मिजोरम	6,314
31	पांडिचेरी	3,606
	कुल	13,640,872

**आसाम में उस समय अशांत स्थिति होने के कारण 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी।

डाक्ट्रेट की जाली डिग्री

1640. **श्री एन० डेनिस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीयों द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों से डॉक्ट्रेट की जाली डिग्रियां प्राप्त की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसी डिग्रियों की प्राप्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अनेक भ्रामक विज्ञापन विदेशी विश्वविद्यालयों के नाम से समाचार-पत्रों में दिए जाते हैं जो बड़ी संख्या में छात्रों को अपनी डिग्रियां प्राप्त करने के लिए आकर्षित करते हैं जिनमें डाक्ट्रेट की डिग्रियां शामिल हैं। इन विज्ञापनों से तथ्यों की गलत जानकारी प्राप्त होती है और एक ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं कि उनके पाठ्यक्रम भारत में स्वीकार्य हैं । इनमें से कुछ विश्वविद्यालय अपने ही देश में मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं । अतः भारतीय विश्वविद्यालय संघ, जो भारत और विदेश से डिग्रियों तथा डिप्लोमाओं दोनों की समानता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त निकाय है, ने समय-समय पर "विश्वविद्यालय समाचार" में नोटिस जारी किए हैं जिनके संघ से इस प्रकार की संस्था की मान्यता के संबंध में स्थिति का पता लगाने के लिए छात्रों और अन्यों को सलाह दी है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अनुसार यह पता चला है कि निम्नलिखित स्वयं घोषित विदेशी विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं, और पी०एच०डी० सहित डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं :

(i) अंतर्राष्ट्रीय मिसौरी विश्वविद्यालय

(ii) ईस्ट जार्जिया विश्वविद्यालय

(iii) कैलीफोर्निया न्यूपोर्ट विश्वविद्यालय

(iv) स्टेंटन विश्वविद्यालय

(v) पैसिफिक वेस्टर्न विश्वविद्यालय ।

वि०अ०आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वि०अ०आ० के तहत ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करना संभव नहीं है । तथापि विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्रियां प्रदान करने के संबंध में मिथ्या वर्णन के बारे में शिकायतों की एन०आर०टी०पी० आयोग द्वारा जांच की गई थी । एक मामले में आयोग ने मेसर्स यूनीवर्सल न्यू आर्डर एजूकेशन सोसाइटी आफ न्यू बाम्बे और एक प्रो० पी०जी० बालाकृष्णन न्यू बाम्बे, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मिसोरी (यू०एस०ए०) की तरफ से कार्य कर रहे थे, के खिलाफ कार्रवाइयों को उनके इस वचन पर वापस ले लिया कि वे अनुचित व्यापार कार्यों में नहीं फंसेंगे । दूसरे मामले में आयोग ने मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स एसोसिएशन आफ

मद्रास को यह निर्देश दिया कि वह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से डिग्रियां प्राप्त करने के लिए तथाकथित उनकी सेवाओं के संबंध में झूठे और गलत दावे करने को रोकें।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पदों के लिये प्रत्याशियों के लिये प्रत्याशियों की चयन-सूची

1641. **श्री लोकनाथ चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के रूप में नियुक्ति के लिए 1988-89 में तैयार की गई चयन-सूची के सभी प्रत्याशी अब तक नियुक्त कर लिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस अत्यधिक विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या उस चयन-सूची को अब लागू किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) 1988-89 में तैयार किया गया (सीधी भर्ती वालों का) पैनल 1989-90 के दौरान से लागू होना था। पैनल में, वास्तव में रिक्त स्थानों से 50% ज्यादा नाम शामिल किए जाते हैं और इसे पदोन्नति, नियुक्तियां तथा स्थानान्तरण प्रभावी होने के बाद उत्तरवर्ती शैक्षिक-सत्र में कार्यान्वित किया जाता है। क्योंकि चयन किए गए सभी उम्मीदवारों की नियुक्तियां अभी तक नहीं हो पाई हैं अतः पैनल अभी भी चल रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण

1642. **श्री कालका दास** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 से वर्ष 1990 के दौरान संघ शासित प्रदेश दिल्ली में, क्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ख) दिए गए मुआवजे की राशि क्या है;

(ग) अधिग्रहीत भूमि में से विकसित और अविकसित आवासीय योजनाओं के लिए निर्धारित की गई भूमि का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) अविकसित भूमि को कब तक विकसित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1988 से 1990 के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अर्जित भूमि का क्षेत्रफल, क्षेत्रवार तथा वर्षवार इस प्रकार है :—

वर्ष	क्षेत्रफल बीघा–विश्वा
1988	769—05
1989	995–01
1990	1719–03
	3483–09

(ख) भुगतान किए गए मुआवजे की राशि इस प्रकार है :—

1988 – 92,29,514.45 रुपए

1989 – 2,07,65,151.91 रुपए

1990 – 6,91,65,586.82 रुपए

(ग) और (घ) विवरण एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

मलेरिया का उन्मूलन

1643. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रुग्णता और मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक कारण मलेरिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सिक्किम सहित प्रत्येक राज्य में मलेरिया की कितनी-कितनी घटनाएं हुई;

(ग) क्या मलेरिया रोगाणुओं पर नियंत्रण करने हेतु डी०डी०टी० और अन्य कीटनाशक निष्प्रभावी होने के कारण उक्त बीमारी को रोकने में सहायता नहीं हो पा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य विकल्पों का क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) भारत में मलेरिया रुग्णता का एक प्रमुख कारण है, लेकिन मृत्यु का कारण नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मलेरिया के रोगियों और इस रोग से हुई मौतों की सिक्किम सहित राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। डी०डी०टी० और अन्य कीटनाशकों के प्रति रोगवाहकों की प्रतिरोध शक्ति मलेरिया के रोगियों की संख्या में हुई वृद्धि का एक कारण है। प्रस्तावित और इस्तेमाल में लाई जा रही वैकल्पिक विधियां इस प्रकार हैं :—

पर्यावरणिक तालमेल और परिवर्तन करके तथा लार्वाभक्षी मछलियों का प्रयोग करके मलेरिया नियंत्रण की जैव-पर्यावरणिक विधियों पर बल देना। इन विधियों को देश के कुछ भागों में प्रयोगात्मक आधार पर अपनाया गया है।

मानव और मच्छर विशेष रूप से जनसंख्या के कमजोर वर्गों अर्थात् गर्भवती महिलाओं और युवा बच्चों के बीच संस्पर्श को रोकने के लिए औषध-संसिक्त मच्छरदानियों/परदों/रस्सियों का प्रयोग करना।

प्रचलित कीटनाशकों के स्थान पर सिंथेटिक पाइरोथ्रायड्स के साथ विस्तृत फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं।

विवरण

मलेरिया की घटनाएं और मौतें (1988–90)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रोगियों की संख्या			मौतों की संख्या		
		1988	1989	1990	1988	1989	1990
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	62535	82519	81366	1	2	5
2	अरुणाचल प्रदेश	19254	20865	12370	2	0	1
3	असम	56296	62274	60282	4	6	10
4	बिहार	29278	40008	27227	4	13	2
5	गोवा	6732	4495	4832	–	–	1
6	गुजरात	460683	598653	488541	67	60	26
7	हरियाणा	9237	23711	50452	–	–	–
8	हिमाचल प्रदेश	10209	8589	14379	–	–	–
9	जम्मू व कश्मीर	4430	3068	5478	–	–	–
10	कर्नाटक	127008	106683	56980	8	0	0
11	केरल	5147	6126	6411	1	1	1
12	मध्य प्रदेश	306882	252886	195147	8	16	3
13	महाराष्ट्र	84030	122314	109806	5	8	6
14	मणिपुर	1076	9570	90	2	2	–
15	मेघालय	11863	10701	7037	–	–	–
16	मिजोरम	20339	18417	13823	16	17	8

विवरण—क्रमागत

1	2	3	4	5	6	7	8
17	नागालैंड	3744	3051	1603	—	—	—
18	उड़ीसा	206068	260815	237994	82	118	78
19	पंजाब	33342	32146	29141	—	2	—
20	राजस्थान	104109	112316	85864	2	1	66
21	सिक्किम	23	30	17	—	—	—
22	तमिलनाडु	75953	90478	117428	—	—	—
23	त्रिपुरा	6178	5991	5079	1	—	4
24	उत्तर प्रदेश	135096	101815	98927	—	—	—
25	पश्चिम बंगाल	36318	18822	19423	5	16	4
26	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3360	2655	2391	1	1	—
27	चंडीगढ़	14157	15407	26813	—	—	—
28	दादरा और नगर हवेली	5845	4741	5015	—	—	—
29	दमन व दीव	779	784	801	—	—	—
30	दिल्ली	14423	10761	12044	—	—	—
31	लक्षद्वीप	1	4	6	—	—	—
32	पांडिचेरी	309	784	801	—	—	—
33	कोयला क्षेत्र	126	104	97	—	—	1
	योग	1854830	2022809	1777253	209	268	222

धूम्रपान को हतोत्साहित करना

1644. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने धूम्रपान की आदत छुड़ाने के लिए निकोटिन के स्थान पर दूसरे उत्पादों को विकसित किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का कतिपय क्षेत्रों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को धूम्रपान के खतरों से जागरूक करके उनकी धूम्रपान की आदत छुड़ाने के लिए एक व्यापक विधेयक लाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित विधेयक की विशेषताएं क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन, जनेवा से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा बिल्कुल हाल ही में निकोटीन के स्थान पर विकसित किया गया उत्पाद एक निकोटीन है जो चिपचिपा प्लास्टर अथवा चकते जैसा पदार्थ है जो त्वचा के साथ चिपक जाता है। यह पदार्थ परात्वचीय रूप में 7 से 21 मि०ग्रा० निकोटीन प्रतिदिन प्रदान करता है जो शक्ति पर आधारित होती है। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को धूम्रपान छोड़ने से उत्पन्न होने वाले लक्षणों पर काबू करने में सहायता करने में कारगर होने की सूचना दी गई है।

(ख) और (ग) : जी हां, विधि मंत्रालय और अन्य संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श लेते हुए इस प्रस्तावित कानून में सिगरेट पर मौजूदा कानून, नामतः "सिगरेट (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विनियमन) अधिनियम, 1975" में संशोधन करने की व्यवस्था है। इस प्रस्तावित कानून की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

सिगरेट पैकेटों/विज्ञापनों/होर्डिंगस पर मौजूदा सांविधिक चेतावनी कि "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" को निम्नलिखित एक अथवा अन्य प्रभाव डालने वाले नारों से बदला जाएगा :—

1. धूम्रपान से कैंसर हो जाता है।
2. धूम्रपान से आपका जीवन कम हो जाता है।
3. धूम्रपान से हृदय संबंधी समस्याएं हो जाती हैं।
4. धूम्रपान से श्वसनीय विकार और बढ़ जाते हैं।
5. धूम्रपान गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खतरनाक होता है।
6. अपने प्यारे परिवार के लिए धूम्रपान बंद करें।

ये नारे सिगरेट पैकेटों पर बहुत बड़े आकार में जो ब्रांड नाम से कम आकार के नहीं होंगे, के पैकटों पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। सिगरेट के विज्ञापनों पर पूरी रोक लगाने पर भी विचार किया जा रहा है।

"गुजरात में लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाएं"

1645. **श्री काशीराम राणा**
श्री छीतूभाई गामित } : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा
श्री चंदूभाई देशमुख

करेंगे कि :

(क) गुजरात में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन दृष्टिकोण से मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है,

(ग) क्या अधिनियम के अन्तर्गत देरी से मंजूरी मिलने के कारण जलाशयों के निर्माण से प्राप्त सिंचाई का वर्तमान क्षमता की पूरी तरह उपयोग नहीं हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो अधिनियम के अन्तर्गत सरकार का ऐसे मामलों में शीघ्र मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी के लिए लम्बित गुजरात सरकार से प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मंत्रालय में लंबित 15 मामलों में से 8 मामलों के संबंध में वास्तविक सूचना मंगाने के लिए उन्हें राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया है। बाकी 7 मामलों के संबंध में यह मंत्रालय कार्रवाई कर रहा है।

(ग) पूरी सूचना प्राप्त होने पर मंत्रालय सभी मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करता है।

(घ) प्रस्तावों से संबंधित पूरी सूचना प्राप्त होने पर प्रत्येक प्रस्ताव के गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं।

विवरण

वन [संरक्षण] अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गुजरात से प्राप्त लंबित सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली सूची [31-7-1991 तक की स्थिति]

क्रम सं०	जिला	क्षेत्र	प्रस्ताव का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1	बनसंकाठा	26.35	लघु सिंचाई परियोजना, कपासिया	कार्रवाही की जा रही है।
2	बनसंकाठा	5.20	लघु सिंचाई स्कीम, जुफाली	कार्रवाई की जा रही है।
3	बनसंकाठा	4.70	छंतिया में परकोलेशन टैंक का निर्माण	राज्य सरकार से दिनांक 8-7-91 को जरूरी ब्यौरे मांगे गए हैं।
4	बनसंकाठा	7.30	ग्राम बछाडिया में लघु सिंचाई स्कीम	कार्रवाई की जा रही है।
5	खेड़ा	44.149	नर्मदा परियोजना फेज-2 की मुख्य नहर	दिनांक 21-6-91 को क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से निरीक्षण रिपोर्ट और राज्य सरकार से अनिवार्य ब्यौरे मांगे गए हैं।
6	भड़ौच	5.54	काकाडिअम्बा मझौली सिंचाई परियोजना	राज्य सरकार से दिनांक 17-7-91 को अनिवार्य ब्यौरे मांगे गए थे।
7	बलसाड़	97.875	दमनगंगा जलाशय परियोजना	दिनांक 28-6-91 को क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से रिपोर्ट और राज्य सरकार से अनिवार्य ब्यौरे मांगे गए।
8	पंचमहल	19.127	नर्मदा परियोजना फेज-I की मुख्य नहर	कार्रवाई की जा रही है।

विवरण—क्रमागत

1	2	3	4	5
9	बनसंकाठा	6.85	चूनिया लघु सिंचाई परि-योजना	कार्रवाही की जा रही है।
10	बनसंकाठा	7.28	कनपुरा लघु सिंचाई परि-परियोजना	वही
11	बड़ोदरा	172.358	गोमा मझौली सिंचाई योजना	दिनांक 26-6-91 को क्षेत्रीय कार्यालय से रिपोर्ट तथा राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे मांगे गए हैं।
12	राजकोट	4.18	नहर का निर्माण	राज्य सरकार से दिनांक 19-7-91 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गए हैं।
13	पंचमहल	12.2869	सूखी नहर का कार्य और स्थल खदान कार्य	कार्रवाई की जा रही है।
14	साबरकांठा	0.9877	हरनाम परियोजना-2 की केन्या-2 नहर का निर्माण	राज्य सरकार से दिनांक 2-7-91 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गए हैं।
15	साबरकांठा	0.934	हरनाम परियोजना-2 की नामारेची नहर का निर्माण	राज्य सरकार से दिनांक 3-7-91 को जरूरी ब्यौरे मांगे गए हैं।

[हिन्दी]

"गुजरात में भारी उद्योगों को मंजूरी"

1646. श्री काशीराम राणा : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावा (गुजरात में सूरत के निकट) में स्थापित किए जाने वाले उन भारी खतरनाक उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पर्यावरण संबंधी मंजूरी दे दी गई है;

(ख) मंजूरी हेतु अभी तक लंबित औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है, जिन्हें पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रमाण-पत्र किए बिना स्थापित किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के भारी जल संयंत्र और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

(ख) और (ग) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। पर्यावरणीय मंजूरी के बिना किसी औद्योगिक इकाई के कार्य करने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन होता है, तो उसके खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

"पोडू की खेती"

1647. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को वनों को नष्ट करके "पोडु" खेती बन्द करने के लिए तथा "पोडु" खेती पर निर्भर आदिवासियों के पुनर्वास हेतु धनराशि आबंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारत सरकार झूम खेती के नियंत्रण के लिए एक स्कीम के कार्यान्वयन हेतु कृषि मंत्रालय के जरिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करती रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि इस प्रकार है :—

राज्य	दी गई निधियां	(लाख रुपयों में)	
	1988-89	1989-90	1990-91
आंध्र प्रदेश	55.00	105.00	27.50
अरुणाचल प्रदेश	67.75	106.50	200.00
असम	52.00	145.00	127.50
मणिपुर	175.00	180.00	150.00
मेघालय	130.00	150.00	180.00
मिजोरम	178.00	250.00	255.00
नागालैण्ड	290.00	243.50	350.00
उड़ीसा	249.00	170.00	100.00
त्रिपुरा	105.00	150.00	150.00
कुल योग	1301.75	1500.00	1540.00

पूर्वी दिल्ली में मल-जल के निकास की व्यवस्था

1648. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मल-जल निपटान संयंत्र के कार्य नहीं करने के कारण पूर्वी दिल्ली क्षेत्रों में बिछाई गई भूमिगत पाईप-लाइनें चालू नहीं हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि यमुना पार क्षेत्र में 16 अनधिकृत/नियमित कालोनियों में मल निर्यास प्रणाली कार्य कर रही है। पूर्वी दिल्ली में कोंडली में 10 एम जी डी का मल-जल शोधन संयंत्र पहले से ही कार्य कर रहा है तथा 25 एम जी डी का एक अतिरिक्त मल-जल शोधन संयंत्र निर्माणाधीन है।

"केरल में औद्योगिक और विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति"

1649. **श्री वी० एस० विजयराघवन**
प्रो० के० वी० थामस
श्री कोड्डीकुनील सुरेश : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के अभाव में लंबित पड़ी औद्योगिक और विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनको शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) केवल दो परियोजनाओं अर्थात् :—कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड की पैट्रोलियम रिफाइनरी का विस्तार तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कयामकुलम सुपर ताप विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी जानी शेष है।

(ख) पेट्रोलियम रिफाइनरी के विस्तार के संबंध में मांगी गई सूचना जुलाई, 1991 में ही प्राप्त हुई है। कयामकुलम सुपर ताप विद्युत परियोजना पर जुलाई, 1991 में विचार किया गया है किन्तु पुनर्वास योजना तथा फ्लाईऐश के अपशिष्ट के उपयोग के संबंध में पूर्ण ब्यौरे अभी प्राप्त किए जाने बाकी हैं।

"चण्डीगढ़ में पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा देना"

1650. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पर्यावरण स्वच्छता राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का एक अंग है; और

(ख) यदि हां, तो चण्डीगढ़ में इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) चण्डीगढ़ में पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए उठाए गए कदमों में उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंध, मल-जल शोधन, अपशिष्ट जल निपटान, लोगों में स्वास्थ्य के खतरों तथा सामुदायिक भागीदारी के बारे में जागरुकता पैदा करना शामिल है।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यकरण की पुनरीक्षा

1651. प्रो० राम कापसे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में "अपना उत्सव" कार्यक्रम आयोजित करने वाले विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यकरण के बारे में कोई पुनरीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षा के क्या निष्कर्ष मिले हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, इन पर क्षेत्र-वार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्रों को कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार द्वारा किया गया क्षेत्र-वार व्यय दर्शाने वाला विवरण-संलग्न है ।

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए प्रस्तावित आवंटन 300.00 लाख रुपये है ।

(लाख रुपयों में)

	1988-89	1989-90	1990-91
1. उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला ।	130.00	95.00	54.36
2. पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, शांतिनिकेतन ।	71.13	102.06	27.29
3. दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर ।	280.00	103.49	22.20
4. पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर ।	130.00	102.00	5.20
5 उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र इलाहाबाद ।	45.00	132.90	13.28
6. उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर ।	113.67	28.66	29.75
7. दक्षिण-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर ।	30.00	96.56	10.67

[हिन्दी]

बीड़ी श्रमिकों को सुविधाएं

1652. **श्री बाऊदयालजोशी**
श्री दत्तात्रेय बंडारू } क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीड़ी उद्योग में कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं; और

(ख) उन्हें दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में लगभग 37,31,800 बीड़ी कर्मकार हैं। इसमें घरेलू कर्मकार भी शामिल हैं।

(ख) बीड़ी प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उपायों की वित्तीय व्यवस्था करने के उद्देश्य से बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 अधिनियम किया गया है। इस निधि का प्रयोग बीड़ी कर्मकारों तथा उनके परिवारों को स्वास्थ्य, आवास शैक्षिक, मनोरंजन और परिवार कल्याण सुविधांए प्रदान करने के लिए किया जाता है।

[अनुवाद]

छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां

1653. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय में छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां दी जाती हैं;

(ख) यदि हां तो विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के नाम सहित उनके द्वारा भारतीय छात्रों को दी जाने वाली ऐसी छात्रवृत्तियों का विषयवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी छात्रवृत्तियों पर विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए दाता देशों से जब भी छात्रवृत्ति की पेशकश प्राप्त होती है तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग देश भर में प्रेस विज्ञापनों के माध्यमों से उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। किसी विशेष भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था के लिए इस प्रकार की छात्रवृत्ति का कोई खांचा आबंटित नहीं किया जाता है। अपितु अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर चयन किया जाता है। ये छात्रवृत्तियां सामान्यतः डाक्टरल, उत्तर डाक्टरल अथवा विशिष्ट अध्ययनों के लिए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत विदेश भेजे गए छात्रों का ब्यौरा संलग्न दिया गया है।

देश का नाम	वर्षवार छात्रों की संख्या		
	1988	1989	1990
यू० एस० ए०	2	2	1
जापान	9	11	10
चीन	9	12	12
इन्डोनेसिया	–	1	1
यू० एस० एस० आर०	19	10	–
यू० के०	53	65	65
कनाडा	12	7	14
बुल्गारिया	2	2	1
चेकोस्लोवाकिया	3	2	–
डेनमार्क	3	2	–
फ्रांस	3	1	–
एफ आर जी	9	15	7
हंगरी	1	4	2
पौलैण्ड	–	–	1
यूगोस्लावाकिया	–	–	2
कोरिया (दक्षिण)	1	–	–
ऑस्ट्रिया	1	1	2
बैल्जियम	2	–	–
ग्रीक	2	2	–
इटली	40	11	7
नीदरलैंड	2	1	–
नॉर्वे	5	7	2
स्पेन	5	4	–

"हाथियों को मारना"

1654. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में हाथी-दांत प्राप्त करने के लिए हाथियों को अंधाधुंध मारे जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो हाथियों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) देश के विभिन्न भागों में हाथी दांत प्राप्त करने के लिए चोरी-छिपे शिकार करने वालों द्वारा हाथियों को अंधाधुंध मारे जाने के छिट-पुट मामले भारत सरकार के ध्यान में आए हैं ।

(ख) हाथियों की आबादी की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. भारतीय हाथी को जीवजन्तु (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है । इसलिए अब इस प्रजाति के शिकार और भारतीय हाथी दांत की वस्तुओं के व्यापार पर पूरा प्रतिबन्ध लगा हुआ है । भारतीय हाथी दांत की वस्तुओं के अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार पर भी पूरा प्रतिबन्ध है ।

2. "वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार ने राज्यों को चोरी-छिपे शिकार-रोधी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सहायता दी है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत एक करोड़ रुपये की सहायता दी गई । 1990-91 के दौरान 18.58 लाख रुपये मंजूर किए गए । वर्ष 1991-92 के लिए कुल 75 लाख रुपये का आबंटन निर्धारित किया गया है ।

3. एक स्कीम "हाथी परियोजना" को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है । इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(क) चराई पर नियंत्रण, चारे के लिए उपयुक्त प्रजातियों की पौधरोपण और आबादी को राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के बाहर बसा करके वास-स्थलों का सुधार ।

(ख) हाथियों के लिए प्रवास कोरीडोरों की पुन: बहाली ।

(ग) मानव-हाथियों के संघर्ष के खिलाफ सुरक्षा उपाय के लिए वनों की सीमाओं पर विद्युत तार की बाड़ लगाना ।

(घ) हाथियों द्वारा जीवन तथा सम्पत्ति की क्षति के लिए उचित मुआवजा ।

(ङ) राज्यों में चोरी-छिपे शिकार-रोधी ढांचे को मजबूत बनाना । वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान हाथी परियोजना के लिए अंतरिम बजट आबंटन 2.5 करोड़ रुपये हैं ।

4. आवश्यकता पड़ने पर चोरी-छिपे शिकार करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस और नागरिक प्रशासन की सहायता भी ली जाती है ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग का गठन

1655. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या चिकित्सा शिक्षा आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव संघ सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आयोग की प्रमुख विशेषतायें क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क) जी हां ।

(ख) कुछ दिनों पहले भारत सरकार द्वारा नियुक्त दो समितियों ने स्वास्थ्य विज्ञानों संबंधी शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए सिफारिशें की है, अर्थात् :—

(i) चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति, जिसने 2 मई, 1986 को संसद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ने एक स्वायत्त चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। यह आयोग स्वास्थ्य विज्ञान की सभी शाखाओं में विभिन्न चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों का समन्वय करने, योजना बनाने और कार्यान्वयन करने, स्वास्थ्य कार्मिक शक्ति के विकास के लिए योजना बनाने, चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थानों को निधि आबंटित करने और अनुदानों की अदायगी करने इत्यादि के लिए जिम्मेवार होगा। यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है।

(ii) स्वास्थ्य कार्मिक-शक्ति, उत्पादन और प्रबन्ध संबंधी विशेषज्ञ समिति (डा० बजाज समिति 1987) ने सिफारिश की कि स्वास्थ्य विज्ञानों संबंधी शिक्षा आयोग स्वास्थ्य संबंधित मामलों में विशेषज्ञतापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय संगठन के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पद्धति पर स्थापित किया जाए। इस आयोग के प्रचालन ढांचे में ये बातें शामिल होंगी :—

(i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्मिक-शक्ति संबंधी जरूरतों के लिए वास्तविक अनुमान लगाना;

(ii) अनुमानित स्वास्थ्य कार्मिक-शक्ति को तैयार करने के लिए सुविधाएं प्रदान करना जिसमें स्वास्थ्य विज्ञानों के एक या अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल है;

(iii) स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या में वांछनीय परिवर्तन कार्यान्वित करना;

(iv) विभिन्न स्तरों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मध्य आवश्यक पारस्परिक संबंधों की स्थापना को सुविधाजनक बनाना; और

(v) सभी विद्यमान व्यावसायिक परिषदों के साथ सम्पर्क स्थापित करना और यदि आवश्यक हो तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अन्य श्रेणियों के लिए परिषदों की स्थापना के लिए सिफारिश करना इत्यादि।

प्रस्तावित आयोग के कार्य और संरचना निश्चित करते समय उपयुक्त समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को क्रमशः बन्द करना

1656. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार देश भर में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को क्रमशः बन्द करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां तो अब तक इन केन्द्रों द्वारा प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार देश में प्रौढ़ जनसंख्या की निरक्षरता दूर करने के लिए किसी वैकल्पिक योजना पर विचार कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 1988 को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से केन्द्र आधारित कार्यक्रम के माध्यम से 10 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करना था; यद्यपि देश के कुछ भागों में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चला परन्तु शिक्षण अध्ययन के रूखे, अरूचिकर और प्रेरणा रहित शिक्षण/अध्ययन वातावरण स्टाफ का ठीक से चयन न करने, कार्यकर्त्ताओं में समपर्ण की कमी, घटिया किस्म के प्रशिक्षण, खराब प्रबंध प्रणाली, नौसिखयों की अनियमित हाजिरी, साक्षरता तथा अंक ज्ञान के पूर्व-निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने के बजाए केवल दाखिले पर बल देने मूल साक्षरता उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा के बीच सम्पर्क की कमी की वजह से नवसाक्षर फिर से निरक्षर हो जाएं तथा अन्य पहलुओं की वजह से इस कार्यक्रम को काफी बड़ा धक्का लगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसका लक्ष्य वर्ष 1995 तक 15–35 आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, में स्वेच्छा आधारित, मूल्य प्रभावी तथा परिणामोन्मुख जन अभियानों के माध्यम से एक निश्चित समय-सीमा के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में पूर्ण साक्षरता पर अधिक बल दिया जा रहा है। सरकार का यह प्रयास होगा कि वो वह पूर्ण साक्षरता अभियानों को जहां तक संभव हो अधिक से अधिक जिलों/राज्यों में शुरू करे तथा यथाशीघ्र परम्परागत केन्द्र आधारित परियोजनाओं का भी पता लगाए। संशोधित रूप में केन्द्र आधारित कार्यक्रम जो कि क्षेत्र-विशेष छोटा तथा संघटित तथा समयबद्द होगा, उसे केवल ऐसे दूर-दराज, पर्वतीय मरूस्थल तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा जहां पर पूर्ण साक्षरता के लिए जन-अभियानों के माध्यम से कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए पर्याप्त स्वंय सेवक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। केरल, जिसमें अभी हाल ही में पूर्ण साक्षरता प्राप्त की हैं, गोवा तथा गुजरात राज्य और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी के अलावा विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रशासनों के 45 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियानों को पहले से ही शुरू किया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, 25–30 अतिरिक्त जिलों में भी इसी तरह के पूर्व पूर्ण साक्षरता अभियानों को शुरू करने का प्रस्ताव है।

साक्षरता दर

1657. **श्री राम विलास पासवान :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 की अस्थाई जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य में पुरुषों तथा महिलाओं की पृथक-पृथक साक्षरता दर दर्शाते हुए निम्न साक्षरता प्रतिशत वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में अनुमानित साक्षरता दर की तुलना में वास्तविक साक्षरता दर में कितने प्रतिशत गिरावट आई है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक राज्य सरकार को साक्षरता दर बढ़ाने हेतु कौन-कौन सी विशिष्ट शिक्षण परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1991 के अनन्तिम जनगणना आंकड़ों के अनुसार, राज्यवार स्त्री पुरुष साक्षरता दरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, उ० प्र० राज्यों तथा दादरा व नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र की साक्षरता दरें, राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 52.11 प्र० श० से कम हैं।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को स्कूलों में रोके रखना, शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और वर्ष 1995 तक (15–35) आयु-वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखने वाला राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, देश में निरक्षरता-उन्मूलन के लिए चालू व्यापक कार्यक्रम के अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा पर विदेशी वित्तपोषण की परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है और उड़ीसा, म० प्र०, राजस्थान तथा उ० प्र० में इसी प्रकार की परियोजनाओं के लिए ऐसी ही सहायता के रास्ते निकाले जा रहे हैं।

विवरण

क्रम सं०	भारत/राज्य/संघ-शासित क्षेत्र	1991		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5
	भारत	52.11	63.86	39.42
	राज्य			
1	आन्ध्र प्रदेश	45.11	56.24	33.71
2	अरूणाचल प्रदेश	41.22	51.10	29.37
3	असम	53.42	62.34	43.70
4	बिहार	38.54	52.63	23.10
5	गोआ	76.96	85.48	68.20
6	गुजरात	60.91	72.54	48.50
7	हरियाणा	55.33	67.85	40.94
8	हिमाचल प्रदेश	63.54	74.57	52.46
9	जम्मू और कश्मीर*	लागू नहीं होता	एन० ए०	एन० ए०
10	कर्नाटक	55.98	67.25	44.34
11	केरल	90.59	94.45	86.93
12	मध्य प्रदेश	43.45	57.43	28.39
13	महाराष्ट्र	63.05	74.84	50.51

*जम्मू और कश्मीर में 1991 की जनगणना अभी नहीं की गई है।

1	2	3	4	5
14	मणिपुर	60.96	72.98	48.64
15	मेघालय	48.26	51.57	44.78
16	मिजोरम	81.23	84.06	78.09
17	नागालैण्ड	61.30	66.09	55.72
18	उड़ीसा	48.55	62.37	34.40
19	पंजाब	57.14	63.68	49.72
20	राजस्थान	38.81	55.07	20.84
21	सिक्किम	56.53	64.34	47.23
22	तमिलनाडु	63.72	74.88	52.29
23	त्रिपुरा	60.39	70.08	50.01
24	उत्तर प्रदेश	41.71	55.35	26.02
25	पश्चिम बंगाल	57.72	67.24	47.15
	संघ शासित क्षेत्र			
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	73.74	79.68	66.22
2	चंडीगढ़	78.73	82.67	73.61
3	दादरा और नगर हवेली	39.45	52.07	26.10
4	दमन और दीव	73.58	85.67	61.38
5	दिल्ली	76.09	82.63	68.01
6	लक्षद्वीप	79.23	87.06	70.88
7	पाण्डिचेरी	74.91	83.91	65.79

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए स्वीकृत की गई राशि

1658. श्री राम विलास पासवान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1990-91 के अंत में दिल्ली की गंदी बस्तियों में रहने वालों और कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यह राशि वर्ष 1989-90 के अंत में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए आवंटित राशि में से उपयोग न की गई राशि की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक है;

(ग) आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

91-M/J(N)405LSS—11

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निःशुल्क स्वास्थ्य देखरेख और अस्पताल सेवाएं

1659. श्री राम विलास पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर उन देशों के लिए जहां जनता निरन्तर गरीबी की रेखा से नीचे रहती है, निःशुल्क स्वास्थ्य देखरेख और अस्पताल सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु बिहार राज्य के लिए कितना केन्द्रीय आवंटन किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) देश भर में सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य परिचर्या और अस्पताली सेवाएं सबके लिए निःशुल्क हैं। संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य एक राज्य विषय है। वैसे कतिपय विशिष्ट रोगों की रोकथाम/उन्मूलन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुछ सहायता प्रदान कर रहा है।

(ग) केन्द्रीय सरकार रोगों की रोकथाम/उन्मूलन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से बिहार राज्य की सहायता प्रदान कर रही है। 1990-91 और 1991-92 के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय परिव्ययों सहित प्रमुख योजनाओं के लिए बिहार को दी जाने वाली सहायता की मात्रा इस प्रका रहै :—

योजनाओं का नाम	केन्द्रीय सहायता	
	1990-91	1991-92 (लाख रुपये)
1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (50 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित)	485.41	527.35
2. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (शत् प्रतिशत् केन्द्रीय से प्रायोजित)	133.00	140.00
3. राष्ट्रीय क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम (50 प्रतिशत् केन्द्रीय प्रायोजित)	63.96	97.00
4. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (शत् प्रतिशत् केन्द्रीय प्रायोजित)	51.38	93.05

केन्द्रीय सहायता प्रत्येक राज्य को उसकी आवश्यकताओं के साथ-साथ प्रत्येक योजना के लिए केन्द्र के पास धनराशि की समग्र उपलब्धताओं के अनुसार प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

"वनरोपण योजनाएं"

1660. **श्री हरि केवल प्रसाद : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) चालू वर्ष के दौरान कुल कितने क्षेत्र में वनरोपण का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार का विचार वनरोपण योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए स्वयं-सेवी एजेंसियों/गैर-सरकारी संठनों को कोई सुविधा प्रदना करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के लिए वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

(i) पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण के लिए)——150 करोड़ पौध

(ii) शामिल किया गया क्षेत्र (सार्वजनिक भूमि जिसमें वन भूमि भी शामिल है)—— 1.05 मिलियन हैक्टेयर

(ख) और (ग) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की अनुदान सहायता स्कीम के अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को वनीकरण और परती भूमि विकास कार्यकलाप शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।

गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण

1661 **श्री हरि केवल प्रसाद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का देश की गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब तक करने की संभावना है: और

(ग) यदि नहीं, तो गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा लोगों के शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सभी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को सम्बद्ध राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार से मान्यता प्राप्त करनी होती है । सम्बद्ध राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के शिक्षा अधिनियमों या नियमावली में निर्धारित मान्यता की शर्तें स्कूल कर्मचारियों को वेतन के भुगतान तथा शुल्क लेने पर नियंत्रण रखती है । कुछ ऐसे ही शिक्षा अधिनियम या नियमावली प्रति व्यक्ति शुल्क

(केपिटेशन फीस) तथा दान स्वरूप ली जाने वाली राशि पर भी रोक लगाते हैं। निजी विद्यालयों में दाखिले की मांग पर रोक लगाने के लिए यह जरूरी है कि सरकारी स्कूलों के स्तरों को उन्नत बनाया जाए तथा उन्हें अच्छे निजी स्कूलों के समकक्ष लाया जाए। सरकारी स्कूलों के स्तर को उन्नत बनाने का काम उन्हें पाठ्यक्रमों/पाठ्यपुस्तकों की वृहत एकरूप पद्धति प्रदान करने तथा कई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से उनकी वास्तविक सुविधाओं तथा शैक्षिक निवेशों में सुधार लाकर किया जा रहा है।

जहां तक तकनीकी संस्थाओं का सवाल है केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से दाखिले के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क (केपिटेशन फीस) लिए जाने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का आग्रह करती रही हैं। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने प्रति व्यक्ति शुल्क (केपिटेशन फीस) पर रोक लगाने का कानून भी बना लिया है। साथ ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) को अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी संस्थानों द्वारा लिए जा रहे शुल्क के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत तय करने के सांविधिक अधिकार भी दिए गए हैं।

[अनुवाद]

होम्योपैथिक दवाइयों का आयात

1662. **डा० कृपासिन्धु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने होम्योपैथिक दवाइयों के आयात के संबंध में पिछले दो वर्षों के दौरान स्पेन की यात्रा की है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ: (क) जी, नहीं। सलाहकार (होम्योपैथी) तथा निदेशक, होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला को 10 से 13 मई, 1990 तक अन्तर्राष्ट्रीय होम्योपैथी मैडिकल लीग बार्सिलोना (स्पेन) की 45वीं कांग्रेस में शामिल होने के लिए भेजा गया था। इस यात्रा का होम्योपैथी औषधों के आयात के साथ कोई संबंध नहीं था।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मगध महाविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने का प्रस्ताव

1663. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मगध विश्वविद्यालय, बोध गया को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। मगध विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार राज्य विधानमण्डल के एक अधिनियम के तहत की गई है तथा नीति के एक मामले के तौर पर केन्द्रीय सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित नहीं करती।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में मध्यम दर्जे के अस्पतालों (सैकेन्डरी लेवल हॉस्पिटलस) का विकास

[अनुवाद]

1664. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने संघ सरकार को राज्य में ए०पी० वैद्य विश्व परिषद् के नियन्त्रणाधीन मध्यम दर्जे के अस्पताल विकसित करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह योजना विदेशी सहायता से चलाई जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले की नवीनतम स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एक परियोजना के लिए जिसमें आन्ध्र प्रदेश में जिला स्तर और उप जिला स्तर के अस्पतालों, 10 चक्रवात आधारित चिकित्सा अस्पतालों, एक चक्रवात संकट रहित प्रशिक्षण केन्द्र और एक क्षयरोग अस्तपाल का निर्माण करने की मांग की गई है, विदेशी सहायता लेने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इस परियोजना की लागत 236.70 करोड़ रुपए है और यह दो योजना अवधियों अर्थात् 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधियों में चरणबद्ध है।

(ग) और (घ) यह प्रस्ताव विदेशी सहायता के लिए वित्त मंत्रालय को सस्तुत किया गया है जिन्होंने राज्य सरकार और योजना आयोग से कुछ स्पष्टीकरण मांग है।

रुग्ण औद्योगिक एककों के कारण बेरोजगार मजदूर

1665. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण औद्योगिक एककों के बन्द होने के कारण कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा विस्थापित मजदूरों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) बीमार इकाइयों को बन्द करने संबंधी सूचना अलग से नहीं रखी जाती हैं। उपलब्ध नवीनतम जानकारी के आधार पर वर्ष 1990 के दौरान इकाइयों के बन्द होने के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उद्योग का बन्द किया जाना औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के संगत प्रावधानों द्वारा शासित होता है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने बीमार इकाइयों को फिर से चालू करने के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए उपयुक्त पुनःस्थापना पैकेजों के माध्यम से राहत तथा रियायती वित्तीय सहायता देने संबंधी उपाय किए हैं। केन्द्र सरकार वस्त्र पुनः स्थापन निधी भी क्रियान्वित कर रही है जो कि बन्द कपड़ा मिलों के कामगारों को 3 वर्ष की अवधि के लिए टेपरिंग आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

5-8-1991 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 1665 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

1990 के दौरान इसमें दर्शाये गये कारणों से बन्द इकाइयों द्वारा प्रभाविम कामगारों की संख्या (अन्तिम)

कारणों के वर्ग	प्रभावित कामगार
1. वित्तीय अभाव	1186
2. बिजली की कमी	–
3. उत्पादों की मांग की कमी	806
4. कच्चे माल का अभाव	267
5. मशीनरी का खराब होना	–
6. अन्य	1454
7. अज्ञात कारण	191
जोड़	3904

स्रोत :—श्रम ब्यूरो, शिमला।

"आन्ध्र प्रदेश में गोलेटी सं० : 2 की खुला मुहाना ब्लाक परियोजना की स्वीकृति"

1666. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 49.75 हैक्टेयर वन भूमि को वन-इतर उद्देश्य के लिए उपभोग में लाने हेतु स्वीकृति देने का अनुरोध किया है, जिसकी अदीलाबाद जिले के बेलमपल्ली खण्ड स्थित रबन्ना सुरक्षित वन भूमि में गोलेटी सं० 2 खुला मुहाना ब्लाक के लिए आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) वन और पर्यावरण के दृष्टिकोण से स्वीकृति कब तक देने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार और संबंधित परियोजना प्राधिकरण से संबंधित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था। जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सूचना न भेजे जाने के कारण मामला रद्द हो गया है। अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर इस मामले को पुनः खोला जा सकता है।

कैपिटेशन शुल्क पर आधारित इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या में वृद्धि

1667. **श्री जे० चोक्का राव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कैपिटेशन शुल्क पर आधारित गैर-सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकारी कालेज, इंजीनियरिंग उद्योग की जन-शक्ति संबंधी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेजों की अनुमति देने के क्या कारण हैं जबकि बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग स्नातक बेरोजगार बैठे हैं; और

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) आठवें दशक के आरंभ में, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु राज्य सरकारों की अनुमति से स्ववित्त पोषण/बिना किसी अनुदान के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पूर्व-अनुमोदन के बिना अनेक निजी इंजीनियरी कालेज स्थापित किये गये थे।

(ख) राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति संरचना प्रणाली की सूचना के अनुसार सिविल, यांत्रिकी, विद्युत आदि जैसे परम्परागत विषयों से सम्बन्धित मांग को पूर्ण रूप से पूरा किया जाता है, परन्तु प्रोद्यौगिकी के नए उभरते क्षेत्रों में तकनीकी जन-शक्ति की मांग-आपूर्ति के बीच में व्याप्त कोई खाई विद्यमान नहीं है।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् परम्परागत विषयों में नए प्राइवेट इंजीनियरी कालेजों की स्थापना को प्रोत्साहित नहीं कर रही है, परन्तु उसने तकनीकी जनशक्ति की कमी वाले उभरते हुए क्षेत्रों में इस प्रकार के कालेजों की स्थापना की अनुमति दे दी है।

(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अनुसार, जब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना तकनीकी संस्था स्थापित नहीं की जा सकती है।

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

[हिन्दी]

1668. **श्री मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय भवन का कुछ भाग नेहरू कैम्ब्रिज सोसायटी तथा कमला नेहरू हास्पिटल सोसायटी को आवंटित कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप इस संस्था के मुख्य कार्यों के निष्पादन में बाधा आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय का छोटा सा भाग दोनों सोसायटियों को आवंटित करने से इसके मुख्य कार्यों के निष्पादन में बाधा नहीं आ रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार करने वालों पर मुकद्दमा चलाने के लिए विशेष अदालतें

1669. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मुकद्दमों का शीघ्र निपटान करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में दिए गए प्रावधान के अनुसार विशेष अदालतें स्थापित की हैं; और

(ख) ये विशेष अदालतें अब तक किन-किन स्थानों पर स्थापित की गई हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अपराधों के मामलों को शीघ्र निपटाने के प्रयोजन से अनूसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में की गई परिकल्पना के अनुसार राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 22 जिलों में विद्यमान जिला और सत्र न्यायालयों को विशष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है

तथा 6 जिलों में अनन्य विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। जहां ऐसे न्यायालय विनिर्दिष्ट/गठित किए गए हैं उनके नामों और स्थानों का विवरण नीचे दिया गया है।

1. विनिर्दिष्ट किए विशेष न्यायालय

क्रम सं०	न्यायालय का नाम	न्यायालय द्वारा शामिल किए गए जिलों का नाम
1	2	3
1	जिला और सत्र न्यायालय, अलवर	अलवर
2	जिला और सत्र न्यायालय, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
3	जिला और सत्र न्यायालय, बालोतरा	बालोतरा
4	जिला और सत्र न्यायालय, भरतपुर	भरतपुर
5	जिला और सत्र न्यायालय, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
6	जिला और सत्र न्यायालय, बूंदी	बूंदी
7	जिला और सत्र न्यायालय, चूरू	चूरू
8	जिला और सत्र न्यायालय, प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़
9	जिला और सत्र न्यायालय, डूंगरपुर	डूमरपुर
10	जिला और सत्र न्यायालय, गंगानगर	गंगानगर
11	जिला और सत्र न्यायालय, झालावाड़	झालावाड़
12	जिला और सत्र न्यायालय, जालौर	जालौर
13	जिला और सत्र न्यायालय, झुनझुनू	झुनझुनू
14	जिला और सत्र न्यायालय, मुड़ता	नागौर
15	जिला और सत्र न्यायालय, पाली	पाली
16	जिला और सत्र न्यायालय, सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर
17	जिला और सत्र न्यायालय, सिरोही	सिरोही
18	जिला और सत्र न्यायालय, टोंक	टोंक
19	जिला और सत्र न्यायालय, धौलपुर	धौलपुर
20	जिला और सत्र न्यायालय, सीकर	सीकर

2. गठित विशेष न्यायालय

क्रम सं०	न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय द्वारा शामिल किए जाने वाले जिले
1	2	3
1	विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, जयपुर	जयपुर
2	विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, जोधपुर	जोधपुर और जैसलमेर
3	विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, उदयपुर	उदयपुर
4	विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, अजमेर	अजमेर
5	विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, कोटा	कोटा
6	विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, बीकानेर	बीकानेर

जयपुर में खेल परिसर

1670. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने जयपुर में खेल परिसर की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार मे 2 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) भारत सरकार ने जयपुर में एक राज्य स्तरीय खेल परिसर के निर्माण हेतु हाल ही में 1.90 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता मंजूर की है ।

"पब्लिक टारगेट—डी०डी०ए०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[**अनुवाद**]

1671. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 मार्च, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "पब्लिक टारगेट-डी०डी०ए०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण में सुधार लाने के लिए उसमें उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध जनता के प्रति दिखाई गई उदासीनता के लिए कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : **(क)** जी, हां ।

(ख) और (ग) सार्वजनिक शिकायत सैल को सुव्यवस्थित किया गया है और अब एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन रखा गया है जो उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण को सीधे रिपोर्ट करते हैं । इस अधिकारी को विभिन्न विभागों द्वारा जनता से प्राप्त शिकायतों के निपटान से संबंधित सभी विषयों का प्रबोधन और समन्वय करने का प्राधिकार दिया गया है । यह सुनिश्चित करने के लिए एक पद्धति भी तैयार की गई है कि सभी शिकायतें दर्ज की जाती हैं, उन पर कार्यवाही की जाती है

तथा एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाई जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध उनकी उदासीनता की जब भी सरकार को शिकायतें प्राप्त होती हैं, दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श से उन पर कार्यवाही की जाती है। सार्वजनिक शिकायत सैल द्वारा किए गए कार्य का आवधिक प्रबोधन किया जा रहा है। प्रकाशित समाचार में विभिन्न मुद्दों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण से एक रिपोर्ट मांगी गयी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आबंटन के लिए "प्रोसैसिंग फी"

1672. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बिना बारी के फलैट आबंटित करने का अनुरोध करने वाले लोगों से 500 रुपये "प्रोसैसिंग फी" की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उन नियमों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत इस प्रकार की मांग की गई है;

(ग) विगत में ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें कितनी धनराशि शामिल है; और

(घ) कितने आवेदन स्वीकार किए गए और कितने फ्लैट आबंटित किए गए तथा कितने आवेदन अस्वीकार कर दिये गए ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) यह दिल्ली विकास प्राधिकरण का एक प्रशासनिक निर्णय है।

(ग) 1-1-1990 से 31-3-91 तक बिना बारी के आबंटन के लिए 215 आवेदन प्राप्त हुए थे और कुल 1,07,500 रुपये "प्रोसैसिंग फी" के रूप में एकत्र किये गये थे।

(घ) 215 मामलों में से फ्लैट आबंटन/नियतन के लिए 112 मामले अनुमोदित किये गये हैं जबकि 91 मामलों को निरस्त कर दिया गया।

समाचार शीर्षक "आंगनवाड़ी वीमेन एक्सपोज बूज"

1673. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "आंगनवाड़ी वीमेन एक्सपोज बूज" समाचार शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि एक आंगनवाड़ी महिला प्रतिदिन 9 रुपये से थोड़ा अधिक पाती है जबकि एक मजदूर प्रतिदिन 20 रुपये पाता है, इत्यादि;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने, आंगनवाड़ियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) दिल्ली में इसमें कितनी महिलायें कार्य कर रहीं हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिकाएं स्थानीय समुदाय से चुनी हुई स्वैच्छिक, अंशकालिक (साढ़े चार घंटे) अवैतनिक कार्यकर्त्ता होती हैं। उनके कार्य की स्वैच्छिक प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उनकी तुलना अन्य सेवा कर्मियों से नहीं की जा सकती। फिर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं/सहायिकाओं को निम्नलिखित मानदेय दिया जाता है :—

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता	रु० प्रति माह
मैट्रिकुलेट	275.00
मैट्रिकुलेट जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो	300.00
मैट्रिकुलेट जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो	325.00
नॉन मैट्रिक	225.00
नॉन-मैट्रिक जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो	250.00
नॉन-मैट्रिक जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो	275.00
सहायिका	110.00

(ग) सरकार समय-समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की सेवा-परिस्थितियों की समीक्षा करती रहती है और उनकी कार्य-परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए समुचित उपाय भी किए गए हैं। अक्टूबर, 1975 में योजना शुरू किए जाने के बाद से उनके मानदेय में चार बार वृद्धि की गई है। वे वार्षिक और प्रसूति छुट्टी की भी हकदार हैं।

(घ) इस समय दिल्ली में समेकित बाल विकास परियोजनाओं में 2,848 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और इतनी ही संख्या में सहायिकाएं रोजगाररत हैं।

"सी० पी० डब्ल्यू० डी० बिल्डिंग नार्म्स आउट डेटेड" शीर्षक से समाचार

1674. **श्री राजनाथसोनकर शास्त्री :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 फरवरी, 1991 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "सी० पी० डब्ल्यू० डी० बिल्डिंग नार्म्स आउट डेटेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

(क) जी, हां ।

(ख) संदर्भाधीन समाचार मूल रूप से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की पुरानी विशिष्टियों का उल्लेख करता है जिन्होंने सम्पूर्ण देश में निर्माण क्रियाकलापों को प्रभावित किया है क्योंकि निर्माण उद्योग में इनको अधिकांश रूप में अपनाया जाता है । यह बताया गया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग विशिष्टयों में नयी भवन निर्माण तकनीकियों और सामग्रियों का ध्यान नहीं रखा जाता है । यह भी बताया जाता है कि दर अनुसूची को आवधिक तौर पर अद्यतन नहीं किया जाता है तथा इसलिए यर्थाथ नहीं है । इसलिए यह सुझाव है कि चूंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने कार्यकरण में परिवर्तन लाने की कोई सम्भावना नहीं है, इसलिए निजी क्षेत्र सभी के उपयोग के लिए विशिष्टियों की अनुसूची स्वंय प्रकाशित करें ।

(ग) जो सरकारी निर्माण के लिए उपयुक्त हैं उन कार्यों को ध्यान में रख कर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियां एंव दर-अनुसूची तैयार की जाती है । भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विभिन्न संशोधनों तथा क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव और नयी सामग्रियों जिन्हें सरकारी निर्माण कार्य के लिए शामिल किया जा सकता है, को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विशिष्टियों को अद्यतन किया जाता है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों को 1977 में दो खण्डों में जारी किया गया था और तब से खण्ड I में 63 शुद्धिपत्र तथा खण्ड II में 19 शुद्धिपत्र शामिल किए गए हैं । नवीन तकनीकियों और सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण विशिष्टियों का संशोधन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रक्रियाधीन है । जब भी गैर-पारम्परिक निर्माण कार्य की मदों के लिए नयी सामग्रियों की आवश्यकता होती है उन्हें शामिल किया जाता है चाहे वे विशिष्टियों और दर-अनुसूची में न हों । जहां तक दर-अनुसूची का संबंध है इसे 1989 में जारी किया गया था और इसे 16 शुद्धिपत्रों द्वारा अद्यतन किया गया है ।

तथापि, यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की नयी सामग्रियों और प्रौद्योगिकीयों के प्रयोग में आवश्यक रूप से विवेकपूर्ण होना है क्योंकि उनके कार्यों में सार्वजनिक निधियों का उपयोग शामिल है और उन्हें संसाधन नियंत्रण के अधीन कार्य करना है ।

अम्बेडकर शताब्दी समारोह वर्ष में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

1675. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर शताब्दी समारोह वर्ष 1990-91 के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण योजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई,

(ख) क्या सरकार ने सम्पूर्ण राशि जारी कर दी है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :(क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 575.51 करोड़ (योजना 572.70 करोड़) तथा गैर योजना 2.81 करोड़ के कुल बजट प्रावधान मुहैया कराने की

व्यवस्था की गई थी। इसकी तुलना में 1990-91 के दौरान 585.31 करोड़ (योजना 582.54 करोड़ तथा गैर-योजना 2.77 करोड़ रुपये) का व्यय हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निवल प्रजनन दर

1676. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का प्रजनन दर को कम कर के केवल एक तक लाने का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है; और

(ख) क्या प्रजनन दर को कम कर के 1990 तक केवल एक तक लाने का पहले का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 के अनुसार सन् 2000 ईसवी तक शुद्ध प्रजनन दर एक तक लाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। बहरहाल, एक समीक्षा से पता चलता है कि यह लक्ष्य सन् 2006–2011 ईसवी तक ही प्राप्त किया जाएगा।

आदिवासी क्षेत्रों में रोग फैलने की अधिक घटनाएं

1677. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऐसे आदिवासी क्षेत्रों, जहां तपेदिक, मलेरिया, कुष्ठ रोग, कण्ठमाला और रक्तत्ल्पता रोग अत्यधिक होते हैं, की पहचान करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन अथवा सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त बीमारियों में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि आदिवासी क्षेत्रों में क्षय रोग की घटनाएं अधिक नहीं हैं।

विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में आयोडीन की कमी से होने वाला गलगण्ड रोग प्राय: देखा गया है। इसकी उप हिमालयी क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय भारत के कुछ अन्य छोटे भागों में, जिसमें आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों क्षेत्रों के लोग रहते हैं, होने की जानकारी है।

देश के आदिवासी क्षेत्रों में विशेषरूप से उड़ीसा (कोरापुट) और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मलेरिया रुग्णता और मृत्यु दर का एक मुख्य कारण है। मलेरिया की बहुत अधिक व्याप्तता का कारण भू-पर्यावरणिक स्थितियां तथा पहाड़ों की दूर-दूर तक बसी आबादी में कारगर वेक्टर नियंत्रण उपायों को सुनिश्चित करने में आने वाली कठिनाइयों का होना है।

सर्वेक्षण के दौरान प्रशिक्षित कुष्ठ कर्मचारियों द्वारा 201 स्थानिकमारी वाले जिलों का पता लगाया गया है जहां पर प्रति हजार में 5 या इससे अधिक कुष्ठ के रोगी हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद और अखिल भारतीय स्वच्छता विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों में पौषाणिक रक्ताल्पता व्याप्त है। इसके अतिरिक्त मध्य भारत के आदिवासी लोगों में दात्र-कोशिका रक्ताल्पता और जी 6 पी डी की कमी जैसे आनुवांशिक विकार आमतौर पर पाए जाते हैं।

(ग) आदिवासी लोगों में संचारी रोगों और पौषाणिक विकारों की व्याप्तता के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

1. गरीबी और अल्प-पोषण
2. अशिक्षा तथा स्वास्थ्य सवाओं की उपलब्धता के बारे में कम जानकारी होना जिसके कारण इनका कम उपयोग होता है।
3. स्वास्थ्य में सुधार लाने में आने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक रिवाज।
4. कई आनुवंशिक विकार जो आदिवासी क्षेत्रों में अधिक व्याप्त हैं।
5. सतत स्वास्थ्य कार्यकलापों में वर्जित कर्म, विश्वास और व्यवहार से बाधा आती है।

(घ) संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य राज्य विषय है। बहरलहाल, केन्द्रीय सरकार संचारी व अन्य रोगों को नियंत्रित करने/उनका उन्मूलन करने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग और सहायता प्रदान कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों में अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ-साथ राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम, मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है। समन्वित बाल विकास योजना, विशेष पोषण कार्यक्रम और मध्य-दिवस भोजन योजना जैसे पोषण कार्यक्रमों को भी आदिवासी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सात राज्यों अर्थात् राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक कार्य योजना का प्रस्ताव है। इस योजना में आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण के लिए समयबद्ध कार्यनीति बनाई गई है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में जहां पर आदिवासी राज्यों की प्रधानता है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, शतप्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चलाने का भी प्रस्ताव है।

यू० जी० सी० काशन अगेन्स्ट् "फेक" यूनिवर्सिटीज शीर्षक से समाचार

1678. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में यू० जी० सी० काशन अगेन्स्ट् "फेक" यूनिवर्सिटीज शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में यह व्यवस्था है कि जो विश्वविद्यालय संसद अथवा राज्य विधानमण्डल के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये जाते हैं अथवा जिन्हें समकक्ष विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया जाता है, केवल वे ही स्वंय को विश्वविद्यालय कहलाने और डिग्रियां प्रदान करने के हकदार हैं। आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार यूनीवर्सिटी विश्वविद्यालय विद्यापीठ के रूप में स्वंय को विश्वविद्यालय कहलाने वाली 27 संस्थाएं, वि० अ० आ० अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करके कार्य कर रही है। इन संस्थाओं की एक सूची संलग्न में विवरण दी गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन संस्थाओं के विरूद्ध छात्रों और सामान्य जनता को चेतावनी देते हुए समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की हैं। वि० अ० आ० ने इस प्रकार की संस्थाओं को स्वंय को विश्वविद्यालय न कहलाने तथा डिग्रियां प्रदान न करने के लिए नोटिस भी जारी किए हैं। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारी संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे वि० अ० आ० अधिनियम और अन्य पेनल विधियों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखे और उन पर मुकदमा चलाएं। वि० अ० आ० ने कुछ संस्थाओं के विरुद्ध कोर्ट में मामले दायर किये हैं।

वि० अ० आ० ने ऐसी जाली संस्थाओं की स्थापना, कार्य और बाहुलता को रोकने के लिए व्यापक सिफारिशें करने हेतु एक समिति गठित की है। समिति ने आयोग से सिफारिश की है कि वि० अ० आ० अधिनियम 1956 में उपर्युक्त संशोधन किए जाएं ताकि संस्था के साथ यूनीवर्सिटी विश्वविद्यालय/विद्यापीठ शब्द को जोड़ने के कार्य को संज्ञेय अपराध माना जाए जिसके लिए जेल जाने की व्यवस्था हो। आयोग ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

विवरण

स्वघोषित विश्वविद्यालयों/विद्यापीठों की सूची

1. मैथिली विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार)
2. तक्षशीला केन्द्रीय विश्वविद्यालय, उत्तम नगर, नई दिल्ली
3. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय, प्रयाग, इलहाबाद (उ० प्र०)
4. वाराणसिया संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, (उ० प्र०)
5. कर्मशियल विश्वविद्यालय लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली।

6. टेस्टेटर अनुसंधान विश्वविद्यालय, बोदिनया-कनूर (तमिलनाडु) ।

7. श्री नाराणय मुक्त विश्वविद्यालय, क्विलोन, (केरल) ।

8. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) ।

9. इलैक्ट्रो काम्पलेक्स होमियोपैथी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश)

10. न्यूजेरूसलम विश्वविद्यालय, कुथुपारंबा, कनोर (केरल) ।

11. विश्व सामाजिक कार्य विश्वविद्यालय, पेरूनणुन्नी (केरल) ।

12. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय) अचलतल, अलीगढ़ (उ० प्र०) ।

13. श्रीमती महादेवी वर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, मुगल सराय (उ० प्र०) ।

14. डी० डी० बी० संस्कृत विश्वविद्यालय, पुथुर, तिरिची (तमिलनाडु) ।

15. अमृतसर विश्वविद्यालय, अमृतसर ।

16. आर्य विश्वविद्यालय, श्रीनगर ।

17. पूर्वी आर्थोडाक्स विश्वविद्यालय, अम्बूर (उत्तरी आरकोटा) ।

18. पूर्वी आर्थोडाक्स विश्वविद्यालय, अम्बूर (उत्तरी आरकोट) ।

19. विज्ञान ग्लोब विश्वविद्यालय, कुबाकोनम ।

20. सासट जोन्स विश्वविद्यालय, किज्ञानाटम ।

21. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नागपुर ।

22. स्व संस्कृति विश्वविद्यालय, किज्ञानाटम ।

23. संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

24. व्यावसायिक विश्वविद्यालय, अमृतसर तथा दिल्ली ।

25. पश्चिमी कपूरथला विश्वविद्यालय ।

26. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयपीठ, कोसी कलां (मथुरा) ।

27. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन, विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों की इच्छानुसार तैनाती

1679. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों के स्नातकोत्तर अध्यापक तीन वर्षों तक एक ही विद्यालय में रहने के बाद इच्छानुसार से तैनाती के हकदार हैं; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात अन्य श्रेणियों के अध्यापकों को यह सुविधा प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां, रिक्त स्थानों की उपलब्धता की शर्त पर।

(ख) पी० जी० टी० से नीचे के वर्गों के शिक्षकों को क्षेत्रीय आधार पर नियुक्त किया जाता है। अतः उत्तर पूर्व में तीन वर्ष की अवधि के लिए टेनोर पोस्टिंग की विशेष सुविधा उन्हें नहीं दी जाती। तथापि, वे स्थानान्तरण दिशा निर्देश के अन्तर्गत अपनी-अपनी प्राथमिकता के अनुसार अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरण के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण को "हुडको" से सहायता

1680. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हुडको" भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण को भुवनेश्वर के 6 गांवों में भूखण्ड विकसित करने हेतु सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने किन शर्तों की पेशकश की है;

(ग) उक्त शर्तों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) चालू वर्ष के दौरान हुडको ने भुवनेश्वर, घटिकिया (भरतपुर और कलिंग नगर) के 10 सेक्टरों में 17.50 करोड़ रुपये की हुडको ऋण वचनबद्धता से 8947 भूखण्डों के विकास के लिये भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई 10 योजनाएं स्वीकृत की हैं।

(ख) से (घ) ऋण लेने वाला अभिकरण होने के नाते भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण द्वारा उपयोगिता और सामाजिक बुनियादी सुविधा और शहरी बुनियादी सुविधा योजनाओं के लिये हुडको के मानक मार्गनिर्देशानुसार हुडको द्वारा प्रस्तावित शर्तों को स्वीकार किया जाना अपेक्षित है।

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने लाभानुभोगियों की प्रस्तावित शर्तें उड़ीसा, सरकार, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के विरुद्ध आरोप

1681. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की थी ;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कल्याण मंत्रालय के अनुरोध पर, दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की गई थी।

(ख) और (ग) मुख्य, सचिव, दिल्ली प्रशासन से इस मामले में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें यह बताया गया है कि अध्यक्ष, दिल्ली वक्फ बोर्ड पर लगाये गए आरोप सिद्ध नहीं हो पाए और निराधार थे।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पद

1682. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 1-7-1991 को विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य के एक सौ अट्ठासी (188) पद रिक्त हैं।

(ख) खाली पदों की सूची संबंधी विवरण संलग्न है।

विवरण

31-7-1991 को प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की स्थिति

1. सं० 2 अहमदाबाद छावनी
2. सं० 3 बड़ौदा
3. भावनगर
4. जूनागढ़
5. ए० एफ० एस० नलिया
6. आई० एफ० एफ० सी० ओ० (इफ्फको) गांधी धाम
7. सं० 1 अहमदाबाद
8. सं० 1 उदयपुर
9. एस० ए० सी० अहमदाबाद
10. आई० ओ० सी० बरनगांव
11. साबरमती
12. धाम भुज

13. आमला
14. दुर्ग
15. ओ० ई० एफ० कानपुर
16. बारगोने
17. राजगढ़
18. सी० आर० पी० एफ० नागपुर
19. कम्पटी
20. सं० 2 अहमदनगर
21. भांडुप, बम्बई
22. नरसिंहपुर
23. सं० 3 झांसी
24. जी० सी० एफ० जबलपुर
25. आई० एस० पी० नासिक रोड
26. मनखुर्द
27. सं० 2 देहू रोड
28. सी० एम० ई० पूना
29. सं० 2 गोवा
30. एस० सी० पूना
31. सं० 1 कम्पटी
32. आर्मी एरिया पूना
33. सं० 2 नौसेनाबाग
34. अम्बिकापुर
35. एस० ई० सी० एल० गौरेलाबाद
36. मालेश्वर
37. ओ० एफ० बोलनगीर
38. बारीपाडा
39. डागराखंड
40. कोन्दामुंडा
41. टाटानगर
42. आई० ओ० सी० हाल्दिया
43. अंडल
44. आसनसोल
45. चित्तरंजन
46. अमेरी दुर्गापुर
47. सं० 2 बैरकपुर
48. सं० 2 खड़गपुर
49. ए० एफ० एस० सालूआ
50. गार्डन रीच कलकत्ता

51. आई० आई० एम० सी० जोका
52. बमनगची
53. सं० 2 साल्ट लेक
54. करनाल
55. एच० एम० टी० पिन्जौर
56. सं० 2 फिरोजपुर
57. नाभा छावनी
58. मंडी शहर
59. सं० 1 एच० बी० के० देहरादून
60. सं० 5 भटिण्डा
61. दप्पार
62. सं० 3 पटियाला
63. सं० 2 चण्डी मन्दिर
64. पहलूवास
65. आई० टी० बी० पी० देहरादून
66. पीतमपुरा
67. एस० पी० मार्ग
68. बी० एस० एफ० छावला
69. पलवल
70. ए० एफ० एस० दादरी
71. एन० टी० पी० सी० दादरी
72. चण्डी नगर मेरठ
73. झड़ोदा कलां
74. एस० एस० मेरठ
75. आई० एन० ए० कालोनी
76. सं० 2 दिल्ली छावनी
77. नाहरा
78. बाबूगढ़
79. ए० एफ० एस० छाबुआ
80. लोकरा
81. सं० 2 मिस्सामरी
82. मिसा छावनी
83. सं० 3 तेजपुर
84. सं० 2 बिन्नागुरी
85. ए० एफ० एस० दिगारू
86. खानापाड़ा गुवाहाटी
87. कोकराझार
88. अलीपुर द्वार जंक्शन

89. नया बोंगाई गांव
90. डोनीमलाई
91. सं० 2 ए० एफ० एस० डुंडीगर्ल
92. गाचव्रीबोवली
93. किला कुरनुल
94. सी० सी० आई० तुनदुर
95. सी० सी० आई० आदिलाबाद
96. एम० ई० जी० बंगलौर
97. डी० आर० डी० ओ० बंगलौर
98. कंचनबाग
99. गुलबर्गा
100. हसन
101. बी० सी० आई० येरागुनतला
102. सं० 2 जाला हल्ली
103. सं० 2 उप्पल
104. सत्यानारायणपुरम
105. बोवनपल्ली
106. भानला
107. सं० 2 अखनूर
108. सं० 1 श्रीनगर
109. ए० एफ० एस० आवन्तीपुरा
110. सं० 3 जालंधर
111. कपूरथला छावनी
112. सं० 2 अमृतसर
113. नगरोता
114. जिन्दराह
115. दामना
116. हुसैनीपुर
117. बनाड़
118. जोबनेर
119. बांसवाड़ा
120. रघुनाथपुरा
121. इवाना अलवर
122. अबिकानगर टोंक
123. खातीपुरा जयपुर सं० 4
124. झुनझुनू
125. जैसलमेर
126. बी० एस० एफ०, जोधपुर

127. सं० 2 सूरतगढ़
128. लालगढ़, जत्तन
129. सं० 2, अजमेर
130. बैरक रोड, आगरा
131. सं० 1 बीकानेर
132. नसीराबाद
133. मुरादाबाद
134. इज्जतनगर बरेली
135. सं० 2 ओ० ई० एफ० कानपुर
136. सं० बनवासा
137. अल्मोड़ा
138. बनवासा
139. ए० एस० सी० बरेली
140. जगदीशपुर
141. उत्तरकाशी
142. बक्शी का तालाब
143. सुल्तानपुर अमहाट
144. नया टिहरी शहर गढ़वाल
145. सं० 1 शाहजहांपुर
146. गोमती नगर
147. नई छावनी इलाहाबाद
148. सं० 2 कनानौर
149. पल्लापुरम
150. सं० 2 पांडिचेरी
151. ए० एफ० एस० आवडी
152. सं० 1 कलपक्कम
153. सं० 2 ओ० ई० एफ० तिरूचिरापल्ली
154. डी० सी० सी० मद्रास
155. मलापुरम
156. आईलैंड ग्राउंड मद्रास
157. विलिंगटन
158. सं० 2 तिरूपति
159. मंडपम् कैम्प
160. कटिहार
161. पवातु
162. नामकुन रांची
163. सिंहारसी
164. एन० टी० पी० सी० कहलगांव

165. हिनू रांची
166. सं० 2 एच० ई० सी० बरौनी
167. मुजफ्फरपुर
168. लखीसराय
169. सोनपुर
170. खगाउल
171. जयंत प्रोजेक्ट (सीधी)
172. ढोलचूरा
173. ए० आर० सी० डोमडुमा
174. कारबी अंगलोंग
175. ए० एफ० एस० जोरहट
176. लुमदींग
177. एन० ई० ई० पी० सी० ओ० उमरांगसी
178. लेमाखोंग
179. नेहू शिलांग
180. सत्तावा
181. सं० 2 इम्फाल सी० आर० पी० एफ०
182. बगफा
183. नीपा बारापानी
184. चुराचांदपुर
185. तिनसुखिया
186. जखामा
187. लेखापानी
188. सी० आर० पी० एफ० रामपुर

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रधानाचार्यों को नवोदय विद्यालयों से वापस भेजना

1683. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनेक प्रधानाचार्यों, जिनकी सेवायें नवोदय विद्यालयों से वापस कर दी गई थी की कहीं भी तैनाती नहीं की गई है और कई केन्द्रीय विद्यालय बिना प्रधानाचार्यों के चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रधानाचार्यों की सेवाओं का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) 1-7-91 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रिंसिपलों के 188 पद रिक्त हैं, तथापि सामान्यतया केन्द्रीय

विद्यालयों में प्रिंसिपलों के बिना कार्य नहीं चलता क्योंकि स्थानापन्न रूप से कार्य करने की प्रबंध कर दिए जाते हैं। नवोदय विद्यालय समिति से वापसी पर छः प्रिंसिपलों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) में कुछ समय के लिए विशेष कार्य अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक कार्यक्रमों से संबंधित कार्य दिए गए हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों के प्राथमिक अध्यापकों की पदोन्नति

1684. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में 18 वर्ष तक सेवा करने के बाद भी कुछ प्राथमिक अध्यापकों की पदोन्नति नहीं हुई है जबकि कुछ अन्य अध्यापकों को जिन्होंने 10 वर्ष का भी सेवाकाल पूरा नहीं किया है पदोन्नत कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों पर पदोन्नति, वरीयता और योग्यता के आधार पर विज्ञान और मानविकी वर्गों के लिए अलग-अलग की जाती है, और इसमें सम्बन्धित वर्गों में पदोन्नति के लिए रिक्त स्थानों की संख्या और उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर भिन्नता आ जाती है।

जनकपुरी, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के एक औषधालय का निर्माण

1685. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, नई दिल्ली के सी० ब्लाक में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के एक औषधालय का निर्माण करने हेतु कोई भूखण्ड नियत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय का निर्माण कब तक होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जनकपुरी में औषधालय भवन का निर्माण दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्माण योजनाओं की स्वीकृति के बाद शुरू किया जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वयं वित्तपोषण योजना के फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया

1686. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वयं वित्त पोषण योजनाओं के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया क्या है;

(ख) आवंटन को रद्द करने और पुनःस्थापित करने संबंधी प्रक्रिया क्या है;

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान ऐसे कितने फ्लैट आवंटित किए गए रद्द किये गये और पुनः स्थापित किए गए;

(घ) इन दो वर्षों के दौरान रद्द किए गए मामलों की संख्या कितनी है जिन्हें पुनः स्थापित नहीं किया गया है तथा जो निर्णय के लिए लंबित पड़े हुए हैं तथा ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें पुनः स्थापना के लिए मना कर दिया गया है; और

(ङ) 31 मार्च, 1991 तक पूरी की गई स्वयं वित्त पोषण योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) स्व-वित्त पोषित योजना के अंतर्गत फ्लैटों का हर बार अलग से रिलीज किए जाने वाले फ्लैटों के लिए प्रत्येक योजना में पात्र पंजीकृत व्यक्ति की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए तथा स्व-वित्त पोषित फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र में पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा इलाके के बारे में दिये गये अपने विकल्प के आधार पर लाटरी के माध्यम से किया जाता है।

सफल पंजीकृत व्यक्तियों को भुगतान करने व अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मांग आवंटन पत्र जारी किए जाते हैं।

फ्लैट तैयार हो जाने के बाद उन आवंटितियों की जिन्होंने पैसे का भुगतान कर दिया हो और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली हों उन्हें विशिष्ट फ्लैटों को आवंटन करने पर विचार किया जाता है।

(ख) आवंटितियों द्वारा समय पर किश्तों का भुगतान न करने तथा निर्धारित उपबन्धों/औपचारिकताओं का पालन न करने के कारण आवंटन रद्द कर दिये जाते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के गुण-दोष को ध्यान रखकर आवंटन को फिर से बहाल करने पर विचार किया जाता है। तथापि, सामान्य दशा में आवंटिती द्वारा निश्चित अवधि में 5वीं और अंतिम किश्त का भुगतान न करने पर आवंटन फिर से बहाल नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) संलग्न विवरण I के अनुसार।

(ङ) 31 मार्च, 1991 तक शामिल की गई स्व-वित्त पोषित योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गए हैं।

विवरण I

क्रम सं०	वर्ष	आवंटित प्लैटों की संख्या	रद्द प्लैटों की संख्या	बहाल किए गए प्लैटों की संख्या	अस्वीकृत मामलों की संख्या	प्रक्रियाधीन मामलों की संख्या
1	1989-90	3573	45	4	2	31
2	1990-91	1449	56	6	7	28

विवरण II

क्रम सं०	योजना का नाम	पंजीकरण का वर्ष
1	स्व-वित्त पोषित योजना-I	1977
2	स्व-वित्त पोषित योजना-II	1978
3	स्व-वित्त पोषित योजना-III	1979
4	स्व-वित्त पोषित योजना-IV	1981
5	सेवा-निवृत्त/सेवा-निवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष स्व-वित्त पोषित योजना	1981
6	सेवा-निवृत्त/सेवा-निवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष स्व-वित्त पोषित योजना	1983

[हिन्दी]

यमुना कार्य योजना

1687. **श्री मृत्युंजय नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) यमुना की सफाई कार्य योजना कब प्रारंभ की गई;

(ख) इसे कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या कार्य योजना को कार्यान्वित करने में काफी विलंब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) : यमुना नदी के घोर प्रदूषित क्षेत्रों की सफाई का काम गंगा योजना कार्य के दूसरे चरण में शामिल किया गया है जिसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राज्य सरकारों द्वारा, स्कीमों की लागत में हिस्सेदारी के लिए सहमत होने के बाद ही हाथ में लिया जा सकेगा।

पूर्वी दिल्ली की कालोनियों में सीवर डालने और ईंटें बिछाने के काम

1688. **श्री साईमन मरांडी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली की अनेक बस्तियों/कालोनियों में सीवर डालने और ईंटें बिछाने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कालोनियों/बस्तियों की संख्या कितनी है, जहां चालू वर्ष के दौरान इस काम के पूरा हो जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पश्चिमी विनोदनगर और उसके आस-पास के इलाकों में बरसात के मौसम में गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वहां के निवासियों को बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है,

(घ) इन इलाकों में सीवर, ईंटें बिछाने और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कब तक होने की संभावन है, और

(ङ) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि पूर्वी दिल्ली में स्थित 252 अनधिकृत/नियमित की गई कालोनियों में 16 कालोनियों में मल-निर्यास सेवाएं प्रदान कर दी गई है। ऐसी ही 93 कालोनियों को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने के लिए 1994-95 तक एक कार्य योजना तैयार की गई है तथा 26 कालोनियों में मल-निर्यास प्रणाली मुहैया किए जाने का कार्य चालू वर्ष में पूर्ण हो जाने की संभावना है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ईंटें बिछाने का कार्य निरन्तर रूप से चल रहा है तथा यमुना पार क्षेत्र में यह कार्य पहले ही प्रगति पर है/पूर्ण हो गया है। सामान्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में यह कार्य हाथ में लिया जाता है :–

(क) सभी अनुमोदित कालोनियों

(ख) दिल्ली नगर निगम के अधीन सभी सड़कों

(ग) दिल्ली नगर निगम के अधीन सभी नालों

(घ) नियमित की गई अनधिकृत कालोनियां

(ङ) ग्रामीण गांवों

(च) पुनर्वास कालोनियों

(छ) शहरी गांवों

(ज) अन्य कोई संस्वीकृत योजनाएं

जिन कालोनियों/सड़कों में ईंटें बिछाने का कार्य प्रगति पर है, उनकी संख्या की जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) भारी वर्षा के दौरान स्वच्छता की स्थितियां बिगड़ जाती हैं क्योंकि नालियों की केवल गन्दे पानी को बहाने की क्षमता होती है। बरसाती पानी की नालियों का विकास अभी तक

भ्रारंभ नहीं किया गया है। पश्चिमी विनोद नगर एक भ्रनधिकृत नियमित कालोनी है जो भ्रनधिकृत कालोनियों से घिरी हुई है। मल-निर्यास, ईंटें बिछाना भ्रौर नालियों प्रणाली का काम चरणों म किया जाता है, भ्रतः इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है। तथापि, जमीन के भ्रन्दर मल-निर्यास की व्यवस्था करने के लिए निविदा की कार्रवाई भ्रारंभ कर दी गई है।

(ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

त्रिनगर में विकास शुल्क के लिए दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन उपक्रम द्वारा नोटिसें जारी करना

1689. **डा० कृपासिन्धु भोई : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल प्रदाय भ्रौर मल व्ययन उपक्रम ने त्रिनगर के निवासियों को मल विकास शुल्क के भुगतान हेतु मनमाने ढंग से नोटिस जारी की है ;

(ख) यदि हां, तो जारी की गई नोटिसों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या उन लोगों को भी नोटिसें जारी की गई है जिन्होंने 10–15 वर्ष पहले सीवरों की कनेक्शन लेने के समय शुल्क का भुगतान कर दिया था ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं भ्रौर ऐसे नोटिस जारी करने से पूर्व भ्रभिलेखों की जांच न करने के क्या कारण हैं ; भ्रौर

(ङ) इस गलती के जिम्मेदार भ्रधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि त्रिनगर के प्लॉट धारकों भ्रौर उन भ्रन्य भ्रनधिकृत/नियमित की गई कालोनियों, जहां मल-निर्यास पद्धति स्थापित की गई है, के निवासियों को सीवरेज विकास शुल्क के तिमाही बिल जारी किए जा रहे हैं।

(ख) कोई नोटिस नहीं दिये गये हैं भ्रपितु सीवरेज विकास शुल्क की वसूली हेतु लगभग 2500 प्लॉट धारकों को बिल जारी किए गए हैं।

(ग) से (ङ) नगर निगम ने सूचित किया है कि ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जिनमें ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने भुगतान कर दिया है, को भी सीवरेज विकास शुल्क के बिल जारी किए गए हों, सीवरेज विकास शुल्क के बिल जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिकार्ड को सही करने के सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। तथापि, पहले किए गए भुगतान के तथ्य संस्थान के ध्यान में लाते ही, जारी किए गए बिल वापस ले लिए जाते हैं।

नवोदय विद्यालय

1690. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या मानवसंसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक स्थापित नवोदय विद्यालयों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) नवोदय विद्यालयों का राज्यवार विवरण संलग्न है ।

(ख) 31-3-1991 तक खोले गए 261 विद्यालयों पर इसी तारीख तक 352.28 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है ।

विवरण

अब तक खोले गए नवोदय विद्यालयों की राज्यवार संख्या के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	नवोदय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	20
2	अरुणाचल प्रदेश	5
3	बिहार	25
4	गोवा	2
5	गुजरात	9
6	हरियाणा	9
7	हिमाचल प्रदेश	8
8	जम्मू और कश्मीर	14
9	केरल	10
10	कर्नाटक	18
11	मध्य प्रदेश	29
12	महाराष्ट्र	20
13	मणिपुर	7
14	मेघालय	4
15	मिजोरम	2
16	उड़ीसा	12
17	पंजाब	7
18	राजस्थान	21
19	सिक्किम	1

1	2	3
20	नागालैण्ड	2
21	त्रिपुरा	2
22	उत्तर प्रदेश	35
23	अंडमान और निकोबार	2
24	चंडीगढ़	1
25	दादरा और नगर हवेली	1
26	दमन और दीव	2
27	दिल्ली	2
28	लक्षद्वीप	1
29	पांडिचेरी	4
	कुल	275

त्रिपुरा विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना

1691. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का त्रिपुरा विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का विचार है;

(ख) क्या इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने हेतु त्रिपुरा विश्वविद्यालय को अतिरिक्त अनुदान देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं। त्रिपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अन्तर्गत की गई है तथा नीति के एक मामले के तौर पर, केन्द्रीय सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित नहीं करती।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयातित होम्योपैथिक दवाइयों की जांच

1692. **डा० कृपासिन्धु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उन प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें आयातित होम्योपैथिक दवाईयों के नमूनों की पुन: जांच करने का अधिकार है जो एक बार होम्योपैथिक फार्माकोपिआ लेबोरेटरी, गाजियाबाद द्वारा अस्वीकृत कर दी जाती है, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष वार सरकारी प्रयोगशालाओं द्वारा घटिया घोषित की गई आयातित होम्योपैथिक दवाईयों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) ऐसे मामलों में औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम के नियम 41 के उप नियम (1) के परन्तुक के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकरण, यदि आवश्यक हो तो निदेशक, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता की रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

	प्राप्त नमूनों की संख्या	असफल नमूनों की संख्या
अप्रैल 1988 से मार्च, 1989 तक		
	02	01
अप्रैल, 1989 से मार्च, 1990 तक		
	14	13
अप्रैल, 1990 से मार्च, 1991 तक		
	26	04

असंगठित मजदूर

1693. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असंगठित मजदूरी की वे विभिन्न श्रेणियां कौन-कौन सी हैं जो मौजूदा श्रम कानून के दायरे में नहीं आती;

(ख) ऐसे मजदूरों को शोषण, उत्पीड़न और धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार देश में संगठित और असंगठित मजदूरों की अनुमानित संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) ऐसे अनेक केन्द्रीय और राज्य विधान मौजूद हैं जिनके दायरे में असंगठित श्रम की पता लगाई गई श्रेणियां आती हैं। सरकार कृषि श्रम तथा निर्माण श्रम के क्षेत्रों में केन्द्रीय विधान के लिए प्रस्तावों की जांच कर रही है।

(ग) 1 अप्रैल, 1991 के अनुसार श्रम बल का कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1981 की जनगणना के अनुसार देश में विभिन्न संगठित क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र में अनुमानित श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है :—

संगठित	226.79 लाख
असंगठित	2217.26 लाख

सेंट्रल वक्फ काउंसिल

1694. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल वक्फ काउंसिल की वर्तमान रचना क्या है और प्रत्येक सदस्य के कार्यकाल समाप्ति की तिथि क्या है ;

(ख) इसके सदस्य किस-किस राज्य से हैं और प्रत्येक राज्य के सदस्यों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ग) क्या काउंसिल के आकार की कोई सीमा है;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों को उनके राज्य की मुस्लिम आबादी के अनुपात में अपेक्षित प्रतिनिधित्व देने का है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) केन्द्रीय वक्फ परिषद में राज्यवार कोई प्रतिनिधित्व नहीं है ।

(ग) इस अधिनियम की धारा 8क (2) के अन्तर्गत, अध्यक्ष को छोड़कर, परिषद के सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(घ) वक्फ अधिनियम 1954 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

विवरण

केन्द्रीय वक्फ परिषद के सदस्यों की सूची

क्रम सं०	नाम	कार्यकाल समाप्त होने की तिथि
1	2	3
1	मौलाना निजामुद्दीन महासचिव इमारत शरइया पटना-801605 (बिहार) ।	22-7-92
2	श्री इब्राहीम सुलेमान सेत संसद सदस्य ए-I-हिलाल, कृष्णास्वामी रोड इरनाकुलम, कोचीन-II (केरल) ।	22-7-92
3	श्री अजीज सेत परिवहन मंत्री, वक्फ एवं हज कमेटी, कर्नाटक सरकार विधान सौध, बंगलौर (कर्नाटक) ।	22-7-92

91-M/J(N)405LSS—13

1	2	3
4	डॉ० श्रीमती नजमा हेपतुल्ला उपाध्यक्ष, राज्य सभा 4, अकबर रोड नई दिल्ली।	22-7-92
5	श्री अहमद एम० पटेल एट० पीरामन तालुका अंकलेश्वर, जिला–भड़ौच (गुजरात)।	22-7-92
6	श्री अब्दुल अजीज जरगर 142, (प्राइवेट हाउस), जवाहर नगर, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)।	22-7-92
7	श्री मुजीबुर रहमान एडवोकेट नागेश्वरतांगी, भुवनेश्वर-2 (उड़ीसा)।	22-7-92
8	श्री अंजुम कुदेर, पी-34, गार्डेन रीच रोड, कलकत्ता-700-024 (पश्चिम बंगाल)।	22-7-92
9	डा० टी० कमाल शरीफ 43, पोन्नापा मुदाली स्ट्रीट, तमिलनाडु मद्रास-600 084 (तमिलनाडु)।	22-7-92
10	डॉ० कुमारी ए० बी० मारीकर, निदेशक, मेडिकल सर्विसस, अमरूफा क्रेसेंट, ब्लॉक-ए, प्लॉट 1, 26 विक्टोरिया क्रेसेंट रोड इग्मोर, मद्रास-600 105।	22-7-92
11	डॉ० एस० ए० आई० तिरमिजी ए-54, जाकिर बाग कालोनी ओखला रोड, नई दिल्ली-25।	22-7-92
12	हाजी ख्वाजा खलीलुल्ला 7071, द माल शिमला-171 001 (हि० प्र०)।	22-7-92
13	श्री सलामतुल्ला ए-3, हजरत निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली-110 013।	22-7-92
14	श्री सैईद हामिद भूतपूर्व कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रपति के सलाहकार आई० एच० एम० एम० आर० एवं आई० आई० आई० एस०, हमदर्द नगर नई दिल्ली-110 062।	27-8-92

1	2	3
15	श्री सलमान खुर्शीद वाणिज्य उप-मंत्री, 2, मोतीलाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 011।	27-8-92
16	श्री सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी, सज्जाद नशीन, दरगाह हजरत शाह खामूश, हाउस नं० 5-6486, नामपल्ली, हैदराबाद-500 001 (आ० प्र०)।	27-8-92
17	मौलाना जमील अहमद इलयासी, अध्यक्ष, ऑल इण्डिया तजीमा आइमा, मस्जिद, कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली-110 001।	9-12-92
18	श्री असलम शेर खान, संसद सदस्य, एच० आई० जी० नं० 1, शिराज होटल के निकट, शिवाजी नगर, भोपाल (मध्य प्रदेश)।	29-6-94
19	श्री जफरयाब जिलानी 50, कच्चा हट्ट, अमीनाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।	22-7-92
20	रिक्त।	

[हिन्दी]

दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में वृद्धि

1695. श्री केशरी लाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान दिल्ली में नई झुग्गी बस्तियों की संख्या में, इलाकावा कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का इन झुग्गियों को नियमित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस अवधि के दौरान वर्तमान झुग्गी बस्तियों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने सरकार ने क्या कदम उठायें हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी बस्तियों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या उ किए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली प्रशासन ने यह जानकारी दी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग के प्राक्कलनों के अनुसार 1988 से 1991 की अवधि के दौरान झुग्गी झोंपड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन में झुग्गियों में रहने वाले व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए त्रिआयामी नीति अपनाता है :—

(i) तत्कालिक परियोजनाओं के लिए जिस जमीन की तुरन्त आवश्यकता पड़ती है उसमें बसे हुए झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को दूसरी जगह देना और उनका पुनर्वास करना।

(ii) सार्वजनिक परियोंजनाओं के लिए तय किए गए अनुसार झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में कम से कम प्राथमिक सुविधाओं की व्यवस्था करना लेकिन ऐसे परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिनकी तत्काल आवश्यकता न हो।

(iii) सार्वजनिक जमीन पर स्थित ज्ञात ऐसे झुग्गी-झोंपड़ी समूहों का उसी स्थान पर उन्नयन जिसे पुनर्स्थापना के अधीन किसी अन्य परियोजनाओं और उसी स्थान पर उन्नयन के लिए नहीं रखा गया है।

(घ) चालू योजना के अन्तर्गत झुग्गी-झोंपड़ी समूहों के पर्यावरणीय सुधार के लिए झुग्गी झोंपड़ी समूहों को नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाती है। पीने का पानी, परिधीय पथ प्रकाश खंबे शौचालय और स्नानागार की सुविधा से युक्त भुगतान पर उपयोग जनसुविधा परिसर, रद्दी कूड़ा करकट की सामग्री एकत्र करने के लिए ढलाव/कूड़ेदान, गलियों में खड़ंजे व नालियां बिछाने जैसी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मिल सकने वाली प्राथमिक नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाती है।

(ङ) जमीन के स्वामित्व वाली एजेंसियों को सरकारी जमीन को बचाने के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए हैं :—

(i) चौकसी के काम को समर्थ बनाया जाना चाहिए और खाली जमीन की सख्त निगरानी की जानी चाहिए। मौजूदा ढ़ील/मिली भगत/सूचना न देने की रोकथाम के लिए जिम्मेदारी की प्रणाली बांटी जानी चाहिए।

(ii) पुलिस की समय पर मदद ली जानी चाहिए और अतिक्रमण का पता चलाते ही प्रारंभिक स्तर पर ही हटा दिया जाना चाहिए।

(iii) मौजूदा झुग्गी समूहों के चारों ओर खाली जमीन की या तारों की घेरबाड़ अथवा चार दीवारी बनाकर रक्षा की जानी चाहिए ताकि इर्दगिर्द की खाली पड़ी जमीन पर इस प्रकार की बस्तियों के विस्तार को रोका जा सके।

पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में गैर-सरकारी प्रयोजनार्थ सर्विस स्टेम्पों का प्रयोग

1696. **श्री राम बदन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में सर्विस स्टेम्पों का प्रयोग गैर-सरकारी प्रयोजनार्थ किया जा रहा है और यदि हां, तो गत दो वर्षों के लिये तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभाग ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) भविष्य में गैर-सरकारी कार्य में सर्विस स्टेम्पों का प्रयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, ऐसा कोई दृष्टांत विश्वविद्यालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

एड्स के फैलाव को रोकने के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की सिफारिशें

1697. **श्री अमल दत्त :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एड्स संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने दान किए गए रक्त की क्रमिक जांच शुरू करने, सीरम पॉजेटिव रोगियों और एड्स रोगियों को सलाह देने और उनकी परिचर्या के लिए क्लिनिक सुविधाएं स्थापित करने, एड्स रोगियों सहित एच०आई०वी० संक्रमित व्यक्तियों के लिए अस्पताली नीति और एच०आई०वी० संक्रमण की प्रहरी निगरानी करने, एच०आई०वी० प्रतिपिंड रोगों के लिए नैदानिक सुविधाएं स्थापित करने, भिन्न-भिन्न समूहों में भिन्न-भिन्न अवधियों में संक्रमण की व्याप्तता के संबंध में सही सूचना तैयार करने और अत्यधिक खतरे वाले समूहों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की है।

(ख) भारत सरकार ने देश में एच०आई०वी० संक्रमित/एड्स रोगियों का क्लिनिकल उपचार करने के लिए 13 अस्पतालों का पता लगाया है और उन्हें सुदृढ़ किया है, 35 शहरों में नैदानिक जांच और दान किए गए रक्त की जांच के लिए एच०आई०वी० जांच केन्द्रों की स्थापना की है तथा अस्पताल संक्रमण नियंत्रण मानकों का संवर्धन करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।

[हिन्दी]

जयपुर में राष्ट्रीय नौकाविहार केन्द्र

1698. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा रेंगे कि :

(क) जयपुर के निकट रामगढ़ झील में एशियाड 82 के दौरान नौकाविहार प्रतिस्पर्धा आयोजन करने के पश्चात् इस झील की उपयुक्तता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय नौकाविहार संघ ा अन्य विदेशी दलों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से जयपुर के निकट रामगढ़ झील में एक राष्ट्रीय काविहार केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय किया था;

(ग) यदि हां, तो इसे अभी तक कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने प्रस्तावित स्थल को अपने कब्जे में ले लिया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का इस राष्ट्रीय नौकाविहार केन्द्र की स्थापना कब तक करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल कास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) एशियाड, 1982 के दौरान यार्टिंग तयोगिता जयपुर के निकट रामगढ़ झील में नहीं हुई थी। केवल रोईंग प्रतियोगिताएं ही वहां हुई थीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

पुस्तकों के मूल्य नियन्त्रण में रखने हेतु समिति

1699. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा ंगे कि :

(क) क्या पुस्तकों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का विचार यह पता लगाने लिए कि क्या पुस्तकों का मूल्य लागत आधारित है या नहीं, एक समिति की स्थापना करने का

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पुस्तकों के ऐसे प्रकाशकों को जो कि पुस्तकों के दाम लागत ई गुना अधिक निर्धारित करते हैं, दण्डित करने के लिए कोई प्रावधान करने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

अनुवाद]

"आन्ध्र प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम"

1700. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य के स्वयं सेवी अभिकरणों को विशेष हायता अनुदान राशि दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे स्वयं सेवी अभिकरणों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इन स्वयंसेवी अभिकरणों द्वारा किये गए कार्य ंध में कोई अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो कब और उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) आन्ध्र में वर्ष 1980-81 से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की अनुदान सहायता स्कीम के अधीन छक एजेंसियों को वनीकरण और परती भूमि विकास कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता की जाती है। वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में इस के तहत स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा (संलग्न विवरण) या गया है।

(ङ) और (च) अनुदान सहायता स्कीम के तहत किसी परियोजना को स्वीकृत करने से उसकी आमतौर पर राज्य वन विभाग के परामर्श से जांच की जाती है। वित्तीय सहायता सरी किस्त सामान्यतया मूल्यांकन कर लेने के पश्चात् ही स्वीकृत की जाती है। परियोजना रा हो जाने पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। आन्ध्र प्रदेश में स्वैच्छिक एजेंसियों को स्वीकृत ोजनाओं में से अब तक सात परियोजनाओं का अध्ययन किया जा चुका है। **अध्ययनों से पता** कि समग्र रूप में परियोजनाओं को संतोषजनक ढंग से क्रियान्वित किया गया है।

विवरण

वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता

क्रम सं०	एजेंसी का विवरण	प्रदान गई की धनराशि (रुपए लाख में)
1	एसिस्ट (भारत), गुन्टूर	0.15
2	सी० आर० ओ० एस० एस०, हैदराबाद	17.53
3	गोपावरम् ज्वाइंट फार्मिंग सोसायटी, कुड्डपाह्	0.12
4	हैल्प नीडी एसोसिएशन, कुड्डपाह्	1.63
5	इंस्टीट्यूट ऑफ रिसोर्स डैवलपमेंट एण्ड एस०, हैदराबाद	2.54
6	जागृति, नेल्लौर	2.40
7	नैशनल एजूकेशनल सोशल एण्ड कल्चरल, अनंतपुर	0.80
8	पी० आर० ओ० जी० आर० ई० एस० एस०, हैदराबाद	4.00
9	रायलासीमा सेवा समिति, तिरुपति	2.51
10	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, कुरनूल	9.01
11	रूरल एजूकेशन सोसायटी, चित्तूर	21.38
12	रूरल आर्गनाइजेशन फॉर अवेरनैस एण्ड डैवलपमैंट, मेडक	0.17
13	सारदा वैली डैवलपमैंट समिति, विशाखापतनम्	0.83
14	सोसायटी फॉर डैवलपमैंट ऑफ ड्राट प्रोन, अनंतपुर	2.20
15	सोसायटी फॉर सोशल एण्ड रूरल डैवलपमैंट, कुड्डपाह्	6.00
16	वीकर सैक्शन एजूकेशन सोसायटी, हैदराबाद	2.90
17	यात्रा, नालगोंदा	2.94
18	यूथ फॉर एक्शन, हैदराबाद	3.00
		80.11

नई दिल्ली नगर पालिका के सहायक शिक्षकों के मामले में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

1701. **श्री केशरी लाल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के सहायक शिक्षकों के मामले में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली नगर पालिका के उन सभी सहायक शिक्षकों को जिन्होंने 1 जनवरी, 1986 को बारह वर्ष से अधिक का सेवा-काल पूरा कर लिया था, वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उस तारीख से अगला उच्च वेतनमान दिया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1972 में नियुक्त सभी सहायक शिक्षकों को भी यह लाभ दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) नई दिल्ली नगर पालिका ने 1-1-86 से चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने शिक्षकों के वेतनमान के परिवर्तन की स्वीकृति दे दी थी। चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अतिरिक्त तीन स्तर (थ्री टिचर) वेतनमानों की व्यवस्था करके 12-8-87 को वेतनमानों में और सुधार किया जो 1-1-86 से लागू हैं। उस उत्तरवर्ती संशोधन के अन्तर्गत निचले ग्रेड में 12 वर्षों की सेवा के बाद सीनियर और सलेक्शन वेतनमान प्रदान किए जाते हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका में ऐसे सभी सहायक शिक्षकों को जिन्होंने 1-1-86 को मूल वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है अथवा जिनकी नियुक्ति 1972 में हुई थी, उन्हें सीनियर वेतनमान दे दिए गए हैं सिवाए कुछ एक ऐसे शिक्षकों को छोड़कर जो 1-1-86 को सेवानिवृत्त हो चुके थे या पद त्याग कर चुके थे अथवा पदोन्नत हो चुके थे।

[हिन्दी]

व्यावसायिक शिक्षा

1702. **डा० लाल बहादुर रावल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को दी गई प्राथमिकता के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की एक केन्द्र प्रायोजित योजना, 1988 से शुरू की गई थी। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद (जे० सी० वी० ई०) गठित की गई है ताकि व्यावसायिक कार्यक्रमों की उपयुक्त

ना और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत + 2 स्तर ावसायिक पाठ्यक्रमों को चलाने के लिये राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को पर्याप्त वित्तीय ा प्रदान की जाती है। अपेक्षित तकनीकी संसाधन सहायता और प्रबन्धकीय ढांचे के ी सहायता दी जाती है। उद्योग और विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के सहयोग से नौकरी से ाठ्यक्रमों को चलाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी/अर्ध-सरकारी नौकरियों में ायिक शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को रोजगार का पात्र बनाने के लिए ग्रुप "सी" पदों के ंयमों की समीक्षा की जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों के बीच स्व-रोजगार ाध्य बनाने के लिये शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवकों के लिये स्व-रोजगार की योजना (एस० ० यू० वाई०) के अन्तर्गत उन्हें प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है बशर्ते कि वे पात्रता ा मानदण्डों को पूरा करते हैं।

भाषा सम्बन्धी विवाद

1703. **डा० लाल बहादुर रावल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या भाषा सम्बन्धी विवादों में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन विवादों को हल करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास ालय (शिक्षा विभाग) सभी भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति और विकास के लिये कई योजनाएं ार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

इस विभाग के पास भाषाई विवाद सम्बन्धी कोई भी मामला न तो सूचित किया गया है ा ही ऐसा कोई मामला लम्बित पड़ा है।

मंत्रियों/भूतपूर्व मंत्रियों के नाम बकाया राशि

1704. **श्री राम बदन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मंत्रियों और भूतपूर्व मंत्रियों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है जिनके नाम पर आवास ़र्नीचर का किराया बकाया है,; और

(ख) सरकार बकाया पड़ी राशि की वसूली के लिये क्या कदम उठा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में उच्च चिकित्सा शिक्षा संस्थान

1705. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान संघ सरकार द्वारा किन-किन राज्यों में उच्च चिकित्सा शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में किसी भी राज्य में कोई उच्चतर चिकित्सा शिक्षा संस्थान नहीं खोला गया है। तथापि, उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थान शिलांग, मेघालय का प्रशासनिक कार्यालय, जिसे 1987 में मंजूरी दी गई थी, 1989 में खोला गया।

राज्यों को "हुडको" द्वारा सहायता

1706. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास और शहरी विकास निगम ("हुडको") ने शहरी विकास सम्बन्धी भिन्न योजनाओं के लिये तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश को वर्ष 1988-89 और 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि दी है,

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार से उक्त अवधि के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार अथवा "हुडको" द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश में विभिन्न शहरी मूलभूत सुविधा विकास योजनाओं (आवास के अलावा अन्य) और एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजनाओं के लिये दी गई वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है।

(ख) से (घ) हुडको द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 1988-89 से 1990-91 के दौरान स्वीकृत की गई शहरी मूलभूत सुविधा और कम लागत की स्वच्छता योजनाओं की स्थिति संलग्नक-1, में दिये गये विवरण क्रम सं०-4 के सामने दर्शाई गई है।

विवरण

मूलभूत सुविधाओं और कम लागत की स्वच्छता योजनाओं के लिए वर्ष 1988–89, 1989–90 तथा 1990–91 के दौरान तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों को हुडको द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के ब्योरे दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	राज्य का नाम	1988-89 परियोजना लागत	स्वीकृत किए गए हुडको ऋण की राशि	1989-90 परियोजना लागत (राशि लाख रु० में)	स्वीकृत किए गए हुडको ऋण की राशि	1990-91 परियोजना लागत	हुडको ऋण की राशि
1	तमिलनाडु	–	–	5544.36	3371.90	15648.27	10002.97
2	गुजरात	5048.95	1310.00	10250.98	5605.88	2376.71	1189.73
3	महाराष्ट्र	–	–	973.53	338.75	26694.27	12205.18
4	मध्य प्रदेश	233.25	103.67	1713.07	746.64	1172.85	1144.85
5	कर्नाटक	–	–	24000.00	3000.00	5595.85	3565.72
6	केरल	–	–	3855.71	2653.47	2326.53	1507.91
7	उत्तर प्रदेश	28.15	13.42	2232.01	1115.59	5776.61	4127.04
	योग	5310.35	1427.09	48569.66	16832.59	59591.09	33743.04

वृक्षारोपण कार्यक्रम

[अनुवाद]

1707. श्री अरविन्द नेताम : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृक्षारोपण कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिये उत्पादन, प्राप्ति, अच्छे किस्म के बीच महत्वपूर्ण तथ्य हैं;

(ख) यदि हां, तो अच्छे किस्म के वन और चारा बीजों के उत्पादन के लिये क्या व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या प्रमाणीकृत उच्च किस्म के वन-बीज उपलब्ध कराने के लिये कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) क्या सरकार का बीजों के प्रमाणीकरण, उच्च किस्म के बीजों के उत्पादन उनके भण्डारण और इनके प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षित करने हेतु एक एजेन्सी खोलने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। उत्तम बीजों के प्रयोग से न केवल पौध के अंकुरण और जीवितता दर में वृद्धि होगी बल्कि वृक्षारोपण की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी।

(ख) और (ग) राज्य वन विभागों और वन अनुसंधान संस्थानों ने उत्तम क्वालिटी के बीजों के उत्पादन हेतु अनेकों प्रजातियों के लिये बहु-उपयोगी वृक्षों, जर्म-प्लाज्म बैंकों, बीज उत्पादन क्षेत्रों और बीज-वाटिकाओं की स्थापना की है। पशु पालन विभाग तथा दुग्ध-विकास के 7 क्षेत्रीय केन्द्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाएं उत्तम चारा बीजों का उत्पादन करती हैं। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड, केन्द्र द्वारा प्रायोजित बीज विकास स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को बीज उत्पादन क्षेत्रों और बीज-वाटिकाएं स्थापित करने के साथ-साथ बहु-उपयोगी वृक्षों की पहचान करने, आवश्यक उपकरण, मशीनें खरीदने और बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं/बीज-गोदामों की स्थापना करने, तथा बीज विकास प्रौद्योगिकी में मानव शक्ति के प्रशिक्षण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड, भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी के माध्यम से विभिन्न केन्द्रों पर उत्तम क्वालिटी के चारे के बीजों के उत्पादन के लिये भी सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ) राज्यों द्वारा राज्य स्तर पर उपयुक्त बीज विकास और प्रमाणीकरण की सुविधाएं उपलब्ध किए जाने के लिये उन्हें केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

"वन सेवा कालेज को अन्यत्र ले जाना"

1708. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने राज्य वन सेवा कालेज को देहरादून से हटाकर जबलपुर ले जाने का निर्णय लिया था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कालेज को वहां से न हटाये जाने का क्या कारण है ; और

(ग) इस कालेज को देहरादून से हटाकर जबलपुर कब तक ले जाये जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार के साथ अभी भी पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

"वन और आदिवासियों पर समन्वित परियोजना"

1709. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वन और आदिवासियों के बीच सह... सम्बन्ध को स्वीकार किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार समेकित विकास हेतु "वन और आदिवासी" पर एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना शुरू करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) एवं (ग) भोगाधिकार में सांझेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों में फिर से वनरोपण तथा उनकी सुरक्षा के काम में आदिवासियों सहित ग्राम समुदायों को शामिल करने के लिये राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे रोजगार के अवसर तो प्राप्त होंगे ही साथ ही आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।

[हिन्दी]

संस्कृत पत्रिका

1710. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृति विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली "संस्कृत पत्रिका" का प्रकाशन कब से बन्द कर दिया गया है;

(ख) इसके प्रकाशन को बन्द करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके संशोधित प्रकाशन को पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव है ; श्रौ

(घ) यदि हां, तो कब से ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) शिक्षा विभा प्रशासनिक कारणों से "संस्कृति" नामक (हिन्दी में एक त्रैमासिक पत्रिका) का प्रकाशन वर्ष पूर्व रोक दिया गया था। तथापि शिक्षा विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय निदेशालय हिन्दी में "भाषा" नामक इसी प्रकार की त्रैमासिक पत्रिका को प्रकाशित क है।

उड़ीसा में महिलाओं पर अत्याचार

1711. **श्री गोविंद चन्द्र मुण्डा :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संघ सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में आदिवासी और क्षेत्रों में महिलाओं पर किए गए अत्याचारों और उत्पीड़न के उन मामलों का अध्ययन किय इसकी जानकारी में आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले से सम्बन्धित तथ्य क्या हैं ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिये विश्व बैंक से सहायता

1712. **श्री रवि राय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने संघ सरकार के भारत में चल रहे रोग उन्मूलन कार्यक्रम में सह करने सम्बन्धी अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संघ सरकार को कब तक सहायता प्राप्त होने की उम्मीद है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तार सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व बैंक ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोगी परियोजनाओं विशेषत: एड्स नियन्त्रण परियोजना, मलेरिया निवारण एवं नियन्त्रण, कुष्ठ उन्मूलन, दृष्टिहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम तथा क्षय-रोग कार्यक्रम के क्षेत्रों में रुचि दिखाई है। एड्स नियन्त्रण, मलेरिया तथा कुष्ठ के क्षेत्रों में परियोजनाओं की रूपरेखा विश्व बैंक को पहले ही भेजी जा चुकी है। दृष्टिहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम, क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम तथा अल्प-सेवित क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवा विकास सम्बन्धी रूपरेखा तैयार की जा रही है। विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ हुए प्रारम्भिक विचार-विमर्श के दौरान, उनके द्वारा यह बताया गया कि वे एड्स नियन्त्रण सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रक्रमण शीघ्रतापूर्वक करेंगे। इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्तूबर/नवम्बर, 1991 में एक मूल्यांकन मिशन आ सकता है। चूंकि परियोजनाओं के बारे में विचार-विमर्श का अभी प्रारम्भिक दौर चल रहा है इसलिए सहायता की ठीक धनराशि बता पाना सम्भव नहीं है।

सेन्ट स्टीफेन्स हॉस्पिटल का विस्तार और आधुनिकीकरण

1713. **श्री रमेश चन्द्र तोमर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने सेन्ट स्टीफेन्स हॉस्पिटल, नई दिल्ली के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिये कोई सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन द्वारा कितनी राशि की सहायता दी गई और कितनी राशि की सहायता अभी और दी जानी है ; और

(ग) प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) ओवरसीज विकास प्रशासन, यूनाइटिड किंगडम सेंट स्टीफन अस्पताल को, सेव दी चिल्ड्रेन फण्ड, जो सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम तथा विदेशी योगदान विनियम अधिनियम के अधीन पंजीकृत लाभ न कमाने वाला एक स्वैच्छिक संगठन है, के जरिए 45.77 लाख पौंड का अनुदान देने के लिए सहमत हुआ है। इस सहायता का समुपयोजन सेंट स्टीफन अस्पताल द्वारा मौजूदा प्रसूति विंग, कुछ फर्नीचर/उपस्करों तथा प्रशिक्षण को बदलने के लिए किया जाएगा। यह सहायता 3 वर्ष के लिये दी जाएगी जो वित्तीय वर्ष 1991-92 से शुरू होगी। अब तक कोई सहायता नहीं दी गई है।

प्रत्येक जिले में शिक्षा काम्पलेक्स

1714. **श्री बलराज पासी**
श्री महेश कुमार कनोडिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्रीमती महेन्द्र कुमारी } : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 27 फरवरी, 1991 को अतारांकित प्रश्न संख्या 825 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसी बीच सरकार ने प्रत्येक राज्य के हर जिले में शिक्षा काम्पलेक्स की स्थापना करने के मामले पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरता के सन्दर्भ में, क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति रा० शि० नी० को० की स० स० की सिफारिशों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद से हुई विभिन्न गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा० शि० नी०) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति गठित की है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय समिति के विचार प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा ।

भवन निर्माण केन्द्रों की स्थापना

1715. **श्री बलराज पासी**
श्री महेश कुमार कनोडिया : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कम लागत के आवास कार्यक्रम को प्रोत्साहित देने के लिए प्रत्येक राज्य में भवन निर्माण केन्द्र स्थापित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई ;

(घ) क्या इस कार्यक्रम की निगरानी करते समय केन्द्रीय सरकार को कोई त्रुटि नजर आई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां । राज्यों की एजेन्सियों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से हाऊसिंग और शहरी विकास निगम लि० (हुडको) के माध्यम से यह योजना चलाई जा रही है ।

(ख) 30-6-1991 की उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यवार गठित निर्मित केन्द्रों की संख्या नीचे दी गई है :—

राज्य	गठित केन्द्र
1	2
आंध्र प्रदेश	21
असम	1
बिहार	1
गुजरात	5

91-M/J(N)405LSS—14

1	2
हरियाणा	2
जम्मू और कश्मीर	2
कर्नाटक	19
केरल	25
मध्य प्रदेश	4
महाराष्ट्र	8
मेघालय	1
उड़ीसा	2
पंजाब	2
राजस्थान	12
उत्तर प्रदेश	6
तमिलनाडु	20
पश्चिम बंगाल	1
दिल्ली	7
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1
पाण्डिचेरी	2
योग	142

142 गठित केन्द्रों में से 62 क्रियाशील हो गये हैं।

(ग) 1990-91 के दौरान 40 निर्मित केन्द्र गठित किए गए हैं। इन केन्द्रों में विभिन्न कम लागत की प्रौद्योगिकियों और फ्लाई एश आधारित भवन निर्माण उत्पादों, फेरो सीमेंट भवन निर्माण संघटकों, दीवाल और छत तैयार करने के लिये हालो कंकरीट ब्लॉकों, फनीकुलर शैलों (कंकरीट और ईंट दोनों) आदि का काम अन्तर्निहित है। इन निर्मित केन्द्रों ने अब तक 4500 कारीगरों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया है।

(घ) और (ङ) कुछ राज्यों में भूमि आवंटन और निर्मित केन्द्रों के लिए संस्थाओं के गठन की समस्याओं को लेकर इन निर्मित केन्द्रों के गठन में कुछ देरी हुई है। इन केन्द्रों का संचालन करने के लिये सुयोग्य व्यावसाइयों के मिलने में भी कुछ कठिनाइयां हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में "स्लम विंग" के कामकाज की जांच

1716. **श्री रमेश चन्द तोमर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के "स्लम विंग" के कामकाज के बारे में हाल में कोई जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई कर्मचारी दोषी पाये गये हों तो सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अप्रैल–जून 1991 में उसने दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग के काम-काज की एक विशेष जांच की।

(ख) तथा (ग) जांच रिपोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग की त्रुटियों का उल्लेख किया गया है। इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए दिल्ली प्रशासन रिपोर्ट की जांच कर रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कालोनियों का रख-रखाव

1717. **श्री रमेश चन्द तोमर**
श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कालोनियों के रख-रखाव पर कालोनीवार कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) धन-आवंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) :(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 990-91 के दौरान अलग-अलग कालोनियों के रख-रखाव पर व्यय की गई धनराशि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) निधियों का आवंटन मानक मानदण्डों और भिन्न-भिन्न स्थानों तथा विभिन्न कालोनियों में काम की दशाओं जैसे सड़कों का क्षेत्र, नालियों की लंबाई, प्रसाधन ब्लाकों की संख्या, कूड़ेदानों की संख्या व किस्म, कचरे को इकट्ठा करने व निकालने के बिन्दुओं आदि की सुविधाएं कालोनी विशेष में किए जाने वाले रख-रखाव के हिसाब से किया जाता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में रक्त बैंक

1718. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कुल कितने रक्त बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इनके रख-रखाव के बारे में समय-समय पर सर्वेक्षण करती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को गत वर्ष एक में कुल कितने रक्त बैंकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) फिलहाल दिल्ली में 26 रक्त बैंक कार्य कर रहे हैं।

(ख) औषध नियंत्रक, दिल्ली प्रशासन समय-समय पर रक्त बैंकों का निरीक्षण करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

(ग) शून्य।

अम्बेडकर आवास योजना समाप्त करना

1719. **श्री मृजयुंज्य नायक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अम्बेडकर आवास योजना को समाप्त करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा और इस बारे में देरी के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) अम्बेडकर आवास योजन में दो ड्रा निकालने का विचार है–पहला, सफल पंजीकृत व्यक्तियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए और दूसरा, फ्लैटों के आबंटन के लिए। इनमें से अभी तक कोई भी ड्रा नहीं निकाला गया है और फ्लैटों का आवंटन नहीं किया गया है। यह मुख्यतः उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश और आवेदनों पर कार्रवाई में लगे समय की वजह से है।

सफल पंजीकृत व्यक्तियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए अक्तूबर, 1991 तक एक ड्रा निकाले जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति

1720. **श्री एन० डेनिस :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालयों में उपकुलपति के पदों पर बार-बार उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की प्रथा को रोकने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति विश्वविद्यालयों के अधिनियमों/संविधियों के संबद्ध प्रावधानों के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विजिटर की हैसियत से की जाती है। इन प्रावधानों के अंतर्गत, कुलपति की नियुक्ति इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा अनुशंसित कम-से-कम तीन व्यक्तियों के एक पेनल में से की जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले में, यह पेनल कार्यकारी परिषद द्वारा तैयार किया जाता है और इसे विश्वविद्यालय की कोर्ट द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है। केन्द्रीय

विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पेनल में सामान्यतया ऐसे प्रख्यात शिक्षाविद शामिल होते हैं जो अपनी ईमानदारी और क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इस पेनल में एक व्यक्ति को पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले, जो भी पहले हो, कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, विश्वभारती जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति पुनः नियुक्त के लिए पात्र नहीं है। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के लिए कोई रोक नहीं है जिसने किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, अन्य किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सेवा की हो। तथापि, केवल एक पदधारी कुलपति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में पहले सेवा की है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की कार्यविधि में अनुभव प्राप्त व्यक्तियों और नई प्रतिभा, दोनों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए हैं। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के संबंध में स्थिति कुल मिलाकर समान ही है।

बेरोजगार एम० बी० बी० एस० डाक्टर

1721. डा० जयन्त रंगपी : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में बेरोजगार एम०बी०बी०एस० डाक्टरों की राज्यवार संख्या क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31-12-89 तक चालू रजिस्टरों में आयुर्विज्ञान स्नातकों (स्नातकोत्तर सहित) की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	2537
2. अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3. असम	224
4. बिहार	1314
5. गोवा	217
6. गुजरात	635
7. हरियाणा	874
8. हिमाचल प्रदेश	205

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31-12-89 तक चालू रजिस्टरों में आयुर्विज्ञान स्नातकों (स्नातकोत्तर सहित) की संख्या
9. जम्मू और कश्मीर	38
10. कर्नाटक	826
11. केरल	2179
12. मध्य प्रदेश	658
13. महाराष्ट्र	3794
14. मणिपुर	130
15. मेघालय	2
16. मिजोरम	11
17. नागालैंड	शून्य
18. उड़ीसा	1430
19. पंजाब	274
20. राजस्थान	1861
21 सिक्किम*	–
22. तमिलनाडु	3729
23. त्रिपुरा	17
24. उत्तर प्रदेश	1348
25. पश्चिम बंगाल	3443
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3
2. चंडीगढ़	731
3. दादरा और नगर हवेली	7
4. दिल्ली	3977
5. दमण और दीव**	—
6. लक्षद्वीप	7
7. पांडिचेरी	398
जोड़	30869

टिप्पणी :—1. *इस राज्य में कोई भी रोजगार कार्यालय नहीं है।

2. **आंकड़े नहीं रखे गए।

3. यह जरूरी नहीं है कि रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर में दर्ज ये सभी स्नातक बेरोजगार हों इसके अलावा पंजीकरण स्वैच्छिक होने के कारण सभी बेरोजगार व्यक्ति रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं होते।

[हिन्दी]

राजस्थान में वृक्षारोपण योजनाएं

1722. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वन भूमि का कितना क्षेत्रफल है;

(ख) क्या सरकार ने थार मरुस्थल और अरावली पहाड़ियों में वृक्षारोपण योजनाओं पर काम आरम्भ कर दिया;

(ग) यदि हां, तो किए गए काम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राजस्थान का कुल वन क्षेत्र 31.15 लाख हैक्टेयर है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजना सहित केन्द्र और राज्य की विभिन्न प्लान स्कीमों के अन्तर्गत शामिल किया गया कुल क्षेत्र 2.84 लाख हैक्टेयर है। इन सभी स्कीमों के अन्तर्गत कुल व्यय 125.79 करोड़ रुपये का है ।

(घ) वर्ष 1990 से 91 एवमं 1991-92 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित वनीकरणों की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अन्तर्गत राजस्थान को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता 10.49 करोड़ रुपये है ।

बाल कल्याण योजना

1723. **श्री मृत्युजंय नायक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बाल कल्याण के लिए किन-किन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) देश में बाल देख-रेख पर प्रति बालक कितनी धनराशि खर्च की जा रही है; और

(ग) देश में बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) बाल कल्याण और बाल विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही कुछ मुख्य योजनाएं हैं—समेकित बाल विकास सेवा योजना, बच्चों के लिए शिशुगृह की योजना, गेहूं

आधारित पोषाहार कार्यक्रम, बालवाड़ी पोषाहार कायर्क्रम, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम और देखभाल और सुरक्षा के जरुरतमंद बच्चों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(ख) देश में केन्द्र और राज्य क्षेत्रों में बाल विकास और बाल कल्याण के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में कई स्वयंसेवी संगठन भी बाल विकास और बाल कल्याण के लिए योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं। अत: देश में बाल देखभाल के संबंध में प्रति बच्चे के खर्च का अनुमान लगा पाना संभव नहीं होगा।

(ग) भारत सरकार ने शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम शुरु किए हैं :--

(1) बाल्यावस्था के दौरान होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए रोगप्रतिरोधक टीके लगाना।

(2) विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली रक्तक्षीणता और, अन्धेपन के बचाव के लिए रोग निरोधन (प्रोफिलेकिसेस) तथा

(3) अतिसार रोग के कारण होने वाले मृत्यु की रोकथाम के लिए जीवन रक्षक घोल देना (ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी);

इसके अलावा सातवीं योजना के अंत तक प्रायोगिक आधार पर दो कार्यक्रम शुरु किए गए थे जिनका उद्देश्य मां और बच्चे की मृत्यु दर में कमी लाना था। ये कार्यक्रम हैं :--

1. घरों में ही प्रसूतियों के लिए जन्म से पूर्व और प्रसूति देखभाल की बेहतर व्यवस्था करने के लिए दाईयों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

2. बच्चों में गम्भीर श्वास संक्रमण रोग की रोकथाम के लिए एक गहन कार्यक्रम शुरु करना।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी भौतिक शिक्षा संस्थान में नियुक्ति यों में अनियमितताएं

1724. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या इंदिरा गांधी भौतिक शिक्षा संस्थान में भौतिक शिक्षा के लैक्चरारों की विवादस्पद नियुक्तियों के बारे में अनियमितताएं देखी गई थीं;

(ख) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि प्रधानाचार्य, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा खेल विज्ञान संस्थान की सूचना के अनुसार संस्थान में शारीरिक शिक्षा में व्याख्याताओं की नियुक्ति में कोई अनियमितताएं उनके ध्यान में नहीं आई हैं। तथापि, कुलपति प्राप्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए मामले की छानबीन कर रहे हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त विचार से प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खान दुर्घटनाएं

1725. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 और 1991 के दौरान आज तक किन-किन खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने मारे गए तथा प्रभावित परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

12.00 मध्याह्न

व्यवधान

राजनीतिक नेताओं के टेलीफोन टेप किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, कर्नाटक सरकार द्वारा टेलीफोन टेप किए जाने के मामले को लेकर मैंने 193 के अन्तर्गत आपको सूचना दी है। 19 लीडर्स जिन के अन्दर प्रधान मंत्री से जुड़े एक केन्द्रीय मंत्री और दो पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, के टेलीफोम टेप किए गए हैं। फोन टेप किए जाने के सवाल को लेकर राम कृष्ण हेगड़े की सरकार गिर गई थी। मेरा आपसे निवेदन है कि यह बहुत गम्भीर मामला है। अतः इस मामले पर हाऊस के अन्दर पूरी बहस की जाए। इस सरकार ने और पिछली सरकार ने भी बार-बार यह आश्वासन दिया था कि पोलिटिकल लोगों के फोन टेप नहीं किए जाएंगे। बार-बार आश्वासन देने के बाद भी कर्नाटक सरकार ने जिस तरह से टेलीफोन टेप किये हैं, उसके लिये मेरा निवेदन है कि 193 के अन्तर्गत उस पर यहां पूरी बहस करायी जाए और जो तथ्य हैं, उनके बारे में सरकार यहां जवाब दे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपूरा) : महोदय, यह पहला मौका नहीं है कि हम इस महत्वपूर्ण एवं नाजुक मसले पर चर्चा कर रहे हों। इस मुद्दे पर इस सभा में 1988 में काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी थी तथा काफी विरोध हुआ था तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री को बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी थी, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था।

यह बताया गया कि कर्नाटक में अनेक नेताओं के टेलीफोन चोरी-छिपे सुने गए थे। मैं भी उनमें से एक था।

हमें कुछ अधिकार और कर्त्तव्य निभाने पड़ते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ विशेषाधिकार हैं।

आप ही बताइए क्या ऐसी परिस्थितियों में इस सभा के सदस्य स्वतन्त्रतापूर्वक एवं कुशलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं।

यह लोकतान्त्रिक मूल्यों, सार्वजनिक जीवन में मनोबल तथा नैतिकता का उल्लंघन है।

मैं माननीय गृह मंत्री तथा माननीय संचार मंत्री से मांग करता हूं कि संयुक्त जांच का आदेश दें तथा सभा में तुरन्त वक्तव्य दें।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : अब कर्नाटक फिर समाचार पत्र के मुख पृष्ठ पर आ गया है। यह बहुत ही दुःखद घटना है तथा यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री के बाद दूसरे मुख्यमंत्री प्रमुख राजनीतिक नेताओं के टेलीफोन चोरी-छिपे सुनने का जघन्य कार्य कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के आन्तरिक विवाद से कोई मतलब नहीं रखती है। वास्तव में, यह हास्यास्पद है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : यह दलगत मामला नहीं है ।

श्री वी० धनंजय कुमार : यह प्रतिष्ठा का सवाल है । यह विशेषाधिकार का सवाल है । मैं कर्नाटक की प्रतिष्ठा के प्रति बहुत चिन्तित हूं । कर्नाटक में क्या हो रहा है ? वहां ज्वलंत मामले हैं । कावेरी जल विवाद ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है । टलीफोन चोरी छिपे सुनने के बजाये मुख्यमंत्री कावेरी जल विवाद को हल करने के प्रति और अधिक चिन्तित हो सकते थे । **(व्यवधान)** यह इस सभा के वरिष्ठ सदस्यों के विशेषाधिकार का सवाल है । मेरे मित्र श्री चन्द्रशेखर मूर्ति ने अभी-अभी कुछ कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : कृप्या उसका हवाला मत दीजिये ।

श्री वी० धनंजय कुमार : वरिष्ठ सदस्य श्री देवगौड़ा का टेलीफोन चोरी छिपे सुना जाता है और हमारे बहुत से वरिष्ठ नेताओं के टेलीफोन चोरी छिपे सुने जा रहे हैं । इस संबंध में मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अन्ततोगत्वा इस स्तर पर भारतीय तार अधिनियम के उपबंधों में कुछ संशोधन करने का विचार कर रही है ताकि इस के बाद कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न करे ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं आपको समय देता हूँ तो मैं जो कहता हूँ, उसका पालन कीजिये ।

श्री वी० धनंजय कुमार : यही उचित समय है जब कि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने के बारे विचार करना चाहिये । इस विशेष मामले में, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार जांच करवायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह जो भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मुझे याद है, इस सदन में जब कांग्रेस पार्टी इस तरफ बैठती थी और कर्नाटक में. . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृप्या संक्षेप में कहें ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं दो वाक्यों में अपनी बात को समाप्त करूंगा और कर्नाटक में टेलीफोन टेपिंग का मामला उठा था तो सदन में बैठे हुए इस तरफ के सारे के सारे कांग्रेसी सदस्यों ने खड़े होकर टेलीफोन टेपिंग के मामले पर हल्ला मचाया था और किसी भी चीज को, इस सदन के किसी भी नियम को इन्होंने नहीं छोड़ा, जिसका इन लोगों ने उस दिन उल्लंघन नहीं किया हो । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इनके मंत्रिमण्डल के एक मंत्री को ही टेलीफोन को, इन्हीं के दल के एक मुख्य मंत्री कर्नाटक में आज टेप करने का काम कर रहे हैं और वह भी आपके मंत्रिमण्डल की एक महिला सदस्य का और

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

इस सदन के अनेक सदस्यों के टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं, जिनमें से एक सदस्य ने खड़े होकर अपनी आपत्ति को यहां पर उठाने का काम किया है तो इन सब की क्यों चुप्पी है ? यह यहां पर मौन धारण क्यों किए हुए हैं ? . . . . . **(व्यवधान)** . . . . क्या मैं यह मानकर चलूं कि बंगारप्पा को कांग्रेस पार्टी की यहां की सरकार की तरफ से यह आदेश गया है कि वह टेलीफोन टेपिंग करें ? हम इसको जानना चाहेंगे, क्योंकि, आप लोगों की जो चुप्पी है, यह चुप्पी खूब बोल रही है । आप लोगों की चुप्पी आज खूब बोल रही है । आप दो जबान से बात नहीं कर सकते हो, जब यहां बैठते थे तब आप हल्ला मचा रहे थे । आज जाफर शरीफ और कमलनाथ जी वहां हैं, यह तब सदन में इस तरफ बैठते थे और इन्होंने हल्ला मचाया था ।

हम यह बात बता देना चाहते हैं कि इनके मसले पर से जब हमारी सरकार वहां पर थी तब यह बात आई थी तो हमने अपनी तरफ से इस पर आवाज उठाने का काम किया था और इसलिए आज हम यहां पर चाहेंगे कि प्रधान मंत्री इसका जवाब देने के लिए आएं, क्योंकि हमने अखबारों में पढ़ा है कि श्रीमती मार्गरेट अल्वा ने प्रधान मंत्री जी को लिखकर कहा है कि हमारा टेलीफोन टेप हो रहा है, हमको आप रक्षा दीजिए, हमको बचाइए । इसलिए प्रधान मंत्री को आप बुलाइए, उनसे जवाब दिलाने का काम कराइए और इस मसले पर सरकार क्या करने जा रही है, कर्नाटक की सरकार के बारे में, इस पर यहां पर सफाई से वार्ता हो जाए । **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण अडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, यह सवाल इस सदन में कई बार उठा है और मैं स्वयं जब 1977 में सरकार में था तब मुझे याद है कि बाबू जगजीवन राम जी ने एक इन्क्वायरी कमीशन के सामने इस बात का जिक्र किया और बताया कि किस प्रकार से राजनेताओं के फोन, राजनैतिक कारणों से टेप किए जा रहे हैं मुझे इस बात की खुशी है कि उस समय के प्रधान मंत्री जी ने तुरन्त कार्यवाही की और उसको रोक दिया । मेरी जानकारी में 1977 से लेकर 1980 तक की जो तीन साल की अवधि थी वही केवल ऐसी थी, जब पोलिटिशियन के फोन टेपिंग बन्द हुए, लेकिन 1980 के बाद से लेकर फिर शुरू हुए । बीच में दो बार इस सवाल को यहां पर सदन में उठाया गया तो आश्वासन दिया गया कि अब तक अगर होता था तो अब नहीं होगा । कम से कम पोलिटिशियन का नहीं होगा, ट्रेड यूनियन वर्कर्स का नहीं होगा, सामाजिक जीवन में जो व्यक्ति काम करते हैं उनका इस परपज़ के लिए नहीं होगा । टेलिफोन टेपिंग का जो अधिकार कानून में दिया गया है वह भी केवल क्राइम को रोकने के लिए दिया गया है । इस प्रकार के काम के लिए नहीं दिया गया है । मेरा तो सुझाव है और पिछली बार भी मैंने कहा था यह जो आउट-डेटेड लॉ अंग्रेजों ने बनाया था, जिसका दुरुपयोग हर एग्जेक्यूटिव करता था, यहां तक कि छोटे से छोटा पुलिस अधिकारी भी कर सकता है, उस कानून को समाप्त करने की जरूरत है और नया कानून लाने की जरूरत है । उस नए कानून के द्वारा कोई भी बंगारप्पा इस प्रकार का दुरुपयोग न कर सके इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए । इस केस में तो मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को, क्योंकि काम्यूनिकेशन केन्द्रीय विषय है, जवाब- दारी लेकर और आश्वासन सदन को अनेक बार दिए गए हैं । उन आश्वासनों का एक मुख्य मंत्री ने कैसे उनका उल्लंघन किया और किस प्रकार से किया ? इसकी पूरी कार्यवाही इसके खिलाफ करनी चाहिए । मैं तो समझता हूं कि इसमें अगर रत्तीभर की सच्चाई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया है, केन्द्र के एक मंत्री ने आरोप लगाया है । मैं समझता हूं कि बंगारप्पा को इस्तीफा देना चाहिए तुरन्त और इसके आगे कार्यवाही करनी चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय आप जानते हैं । आप नौवीं लोकसभा के भी सदस्य थे, यद्यपि पीठासीन अधिकारी नहीं थे । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत को स्पष्ट करते हुए, मैं कहूंगा कि यह आरोप तथा खण्डन समाचार पत्रों में छप चुके हैं ।

श्री निर्मल कुमार चटर्जी : आप जानते हैं कि उस समय सरकार को गिराने के लिए केवल दो सिपाही ही काफी थे । उस समय भी हमने सभा को याद दिलाया था तथा कार्यवाही की मांग की थी । वास्तविकता यह है कि टेलीफोन भी चोरी छिपे सुनने का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था । वे कौन लोग हैं, किनको अन्ततः इस कार्य को करने का अधिकार दिया गया है ? क्या हमें यह भी पता लगेगा कि नगरपालिका तथा ग्राम पंचायत अधिकारी भी पुलिस तथा संचार अधिकारियों के साथ मिलकर टेलीफोन चोरी छिपे सुनने के काम में शामिल हैं । यह सुझाव दिया गया है तथा हम जानते हैं कि राजनैतिक नेताओं के टेलीफोन चोरी छिपे सुनना उस स्थिति में संभव है यदि टेलीफोन उनके क्षेत्र में हो तथा यदि वे बी सी सी आई जैसे मामले में शामिल हों । और जब उन राजनैतिक नेताओं के टेलीफोन चोरी छिपे सुने जाते हैं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हों, तो हमें उसे अपवाद नहीं मानना चाहिए । परन्तु हमें याद रखना चाहिए कि श्री कुमार-मंगलम का टेलीफोन भी उसी सूची में था जिसमें कहा गया था कि टेलीफोन भी चोरी छिपे सुने जा रहे थे उस समय वह भी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार के द्वारा ही तथा अपने ही दल द्वारा **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : श्री प्रणव मुखर्जी का टेलीफोन भी ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह ऐसी स्थिति है, जिसका पता नौवीं लोकसभा के समय में लगा था और आज हम इसके बारे में एक बार फिर सुन रहे हैं यह बात दोहराई जा रही है । आज हमें कहना चाहिए कि शासकीय कांग्रेस (इ) इस हद तक बेशर्म है कि राज्य सरकार उस व्यक्ति तक का टेलीफोन चोरी छिपे सुन सकती है जो संसद सदस्य है तथा मंत्रिपरिषद् का सदस्य है । क्या इस स्थिति में यही लोकतन्त्र है ? अथवा यह एक ऐसी स्थिति है, जिसे बिना किसी देरी के ठीक किया जाना चाहिए । मैं की गई मांग का पूर्णतः समर्थन करता हूं, इसलिए नहीं कि श्री बंगारप्पा तथा सुश्री जयललिता के बीच कावेरी जल विवाद उठ खड़ा हो गया है । हम इसका पक्ष नहीं ले रहे हैं । हम मांग करते हैं कि.... **(व्यवधान)**

श्री एम० आर० जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : आपको यह नहीं कहना चाहिए । आपको नाम वापस लेना चाहिए । आपको यह नहीं कहना चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमने कभी भी इसकी मांग नहीं की है कि किसी मुख्य मंत्री को केंद्र द्वारा बर्खास्त किया जाये । हमने इसका समर्थन कभी नहीं किया । पर इस मामले में क्या यह जरूरी नहीं है कि यहां के सत्तारूढ़ दल से कर्नाटक के सत्तारूढ़ दल को यह निर्देश दिया जाये कि यदि इस तरह की गतिविधियों में वहां के मुख्यमंत्री संलग्न रहे तो उनके लिए इस्तिफा देने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा । हम सिर्फ यही चाहते हैं । हम यह भी मांग करते हैं कि संचार मंत्रालय इस पूरे मामले की सच्चाई के बारे में एक कथन प्रस्तुत करे तथा यह भी बताये कि इस व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा सकते हैं ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, यह एक गंभीर मामला है और मैं समझता हूं कि सदन के नेता अर्जुन सिंह जी यहां मौजूद हैं और आप सदन के गार्जियन हैं और रक्षक भी हैं। कोई भी मेम्बर आफ पार्लियामेंट हो या सार्वजनिक जीवन में जिसका काम होता है उसके टेलीफोन को टेप किया जाए, जैसाकि अभी अडवाणी जी ने कहा 1977 से 80 तक और हम यह भी कह सकते हैं 1989 से लेकर 91 तक, जब-जब भी गैर कांग्रेसी सरकार केन्द्र में रही है तब-तब ऐसा नहीं होता रहा है। जब-जब कांग्रेस की सरकार आती है तो किसी न किसी बहाने से टेलीफोन टेप होना शुरू हो जाता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यहां भारत सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं और सदन के नेता हैं और इतने मेम्बर आफ पार्लियामेंट एज़िटेटिड हैं। इसके ऊपर सब लोगों को रोष भी है और यह कोई एक पक्ष का भी मामला नहीं है, कांग्रेस के सदस्य ने यह मामला उठाया है मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। अभी तक जितने भी मामले पार्लियामेंट में हुए हैं, उसमें जो भी सदन के नेता रहे हों या संबंधित मंत्री रहे हों सबने स्वयं उठ करके कोंट्राडक्शन किया है और कहा है कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे। यह सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है, यह बहुत खेद की बात है, आप सदन के नेता हैं, आप उठ करके बोलिए कि इसमें रहस्य क्या है और अगर यह रहस्य नहीं है तो इसका कोंट्राडक्शन कीजिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : माननीय महोदय, मैंने विगत कुछ अवसरों पर यह देखा है। पासवान जी कुछ अधीर हैं और मैं अधीरता को बुरा नहीं मानता हूं बशर्ते कि कोई सचमुच बहुत उत्तेजित और चिंतित हो। मेरी समस्या यह है कि यदि कोई माननीय सदस्य कुछ बोल रहा हो तो मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं। मुझे तो सबको सुन कर ही कुछ कहना पड़ता है। मेरे धीरज का एक आधार और जिस अधीरता का प्रदर्शन किया गया वह शायद निराधार है।

इस खास मुद्दे पर मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सरकार इस तरह की किसी बात को न तो क्षमा करेगी न ही यह किसी को इसके लिए उत्साहित करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि यह सही निकला तो आप क्या करेंगे ?

श्री अर्जुन सिंह : पहले मुझे पूरी बात तो कहने दें। यदि आप मुझे वाक्य भी पूरा नहीं करने देना चाहते हैं तो और बात है।

जहां तक इस खास मामले का सवाल है, मैं इस सभा को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हम इस मामले के तथ्यों की जांच करेंगे, उन्हें एकत्र करेंगे और उनके बारे में सभा को सूचित करेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने बीच में ही टोका था। मुख्य मंत्री ने इस बात का स्पष्ट खंडन किया है। अतः मेरा कहना है कि उन्हें अपनी बात कहने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। किन्तु हम तथ्यों को एकत्रित करके उन्हें सभा के समक्ष जरूर रखेंगे। मैं आपको इसका आश्वासन तो दे ही सकता हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, हम यह जानना चाहते हैं कि श्रीमती अल्वा को इस बारे में चिट्ठी आई है या नहीं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम): यह बड़ी दुःखद बात है कि भारतीय तेल निगम के कार्यकारी निदेशक श्री दोराईस्वामी को जम्मू और कश्मीर के उग्रवादियों ने पिछले 38 दिनों से बंधक बना रखा है। यह कहा गया था कि कुछ उपाय करने का विचार किया जा रहा है तथा श्री दोराई-स्वामी की शीघ्र रिहाई के लिए सरकार उत्सुक है। पिछले 38 दिनों से देशवासी चितापूर्वक उनकी रिहायी की प्रतीक्षा में हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 38 दिनों में कोई परिणाम नहीं निकला है। गृह मंत्री ने दोनों सदनों को आश्वासन दिया है कि कुछ कदम उठाये जा रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि श्री दोराईस्वामी की रिहायी के लिए तुरन्त कदम उठाये जायें। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि जम्मू और कश्मीर में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सुरक्षा के पर्याप्त तथा अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किये जायें।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बतूर) : महोदय, मैं अपने क्षेत्र कोयम्बतूर में एल० टी० टी० ई० के लोगों की गतिविधियों के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। दो दिन पहले कोयम्बतूर में पुलिस ने एल० टी० टी० ई० के लोगों द्वारा चलाई जा रही हथगोलों की एक फैक्ट्री पकड़ी थी। एल० टी० टी० ई० की इस गतिविधि के कारण मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग अत्यधिक भयभीत हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कोयम्बतूर में एल० टी० टी० ई० की गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है। इस बारे में मैं गृह मंत्री से एक विस्तृत वक्तव्य चाहता हूं। . . .[**व्यवधान**]

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष सैकड़ों परीक्षार्थियों की बात रखना चाहता हूं जो सी ए की परीक्षाओं में बैठते हैं। "चार्टर्ड अकाऊंटेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली" उद्योग मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। 1984 में यह तय कर दिया गया था कि जितनी भी परीक्षाएं ली जाएंगी, सब हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ली जाएंगी और दोनों भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें तथा प्रश्न-पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। खेद का विषय है कि इस तरह की पुस्तकें अभी तक संस्थान उपलब्ध नहीं करा पाया है। आज सैकड़ों विद्यार्थियों के सामने यह कठिनाई है कि वे किस आधार पर तैयारी करें। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे इस बारे में यथोचित निर्देश दें, ताकि परीक्षार्थियों को उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध हो सकें।

[अनुवाद]

श्री पीटर मरबनिआंग (शिलांग) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक महत्व का एक गंभीर प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेघालय के सांवैधानिक अध्यक्ष यानि राज्यपाल ने विधान सभा के अध्यक्ष को यह मार्गनिर्देश दिया था कि वह इस महीने की 7 तारीख को शक्ति परीक्षण की व्यवस्था करें। इस महीने की 3 तारीख को, कांग्रेस के लोगों ने राज्यपाल से यह अनुरोध किया, चूंकि 7 तारीख को शक्ति परीक्षण है अतः किसी भी नये मंत्री को शपथग्रहण न करवाई जाये। फिर भी, 3 तारीख की 9.30 म० प० को राज्यपाल ने दो विधायकों को मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई। यह संविधान

की लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों के खिलाफ है तथा वह भी राज्य के अध्यक्ष द्वारा किया गया है जिसे कि संविधान का संरक्षक समझा जाता है। मुझे उम्मीद है कि यहां सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में नहीं हिचकेगी। पिछली बार भी इसी व्यक्ति ने, जिसे जनता दल की सरकार द्वारा श्री आर० आर० रहीम को हटाने के लिये राज्यपाल के रूप में शिलांग भेजा गया था तथा जिसने ईद त्यौहार के दो दिन पहले श्री आर० आर० रहीम को बर्खास्त किया था। उन्होंने कांग्रेस के बीस विधायकों में से केवल एक को शपथ दिलायी थी जो मुख्य मंत्री श्री बी० बी० लिंगद्रोह गुट में सम्मिलित हो गये थे। इस विधायक का नाम श्री एच० बी० डान है। दुर्भाग्यवश शुक्रवार को इस सदन में एक गलत सूचना दी गयी थी जिसके अनुसार श्री प्रीग्रेन डी संगमा, उपाध्यक्ष को, जो हर समय मुख्य मंत्री के साथ रहते हैं, कांग्रेस द्वारा अपहृत कर लिया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बलासौर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उड़ीसा के बालासौर जिले में 22 जुलाई की भारी वर्षा होने के कारण कंसबंसा नदी में बाढ़ आ गयी थी जिससे उसके दोनों किनारों के धान के खेत डूब गये थे। भद्रक नगरपालिका और बोंथ प्रखंड के निचले क्षेत्रों में सलान्दी नदी का पानी घुस गया था। इसके अलावा 23 और 24 जुलाई को भारी वर्षा होने के कारण तराई, कोचिला और गेगुती में बाढ़ आ गई थी। इससे भद्रक उप-प्रखंड के 299 गांव प्रभावित हुए थे। जिले में 1 लाख 50 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं तथा 18.6 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। एक व्यक्ति की बाढ़ में डूब कर मरने की खबर प्राप्त हुई है।

बांधो में दरारें पड़ने तथा एक लघु सिचाई परियोजना में दरारें आने और लकड़ी के पुलों के नष्ट हो जाने के बारे में पता चला है। भद्रक उप-खण्ड में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में उपयुक्त आपात-कालीन सहायता प्रदान नहीं की गई।

अत: मैं आपके माध्यम से इस सभा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, आज समाचार पत्र में यह खबर छपी है कि अनेक कम्पनियों द्वारा उर्वरकों के लिए आर्थिक-सहायता के बहाने करोड़ों रुपए ऐंठ लिए गए हैं। वास्तव में, यह कम्पनियां ऐसी आर्थिक सहायता के लिए हकदार नहीं थीं और उन्हें यह सहायता प्रदान भी नहीं की गई थी। परन्तु उन्होंने ऐसे समय में आर्थिक सहायता के रूप में अत्यधिक धनराशि प्राप्त कर ली जब कि सरकार के लिए किसानों को दी जाने वाली सहायता देना भी कठिन था। यह बहुत शर्मनाक बात है कि इस देश में इस प्रकार धनराशि ऐंठी जाती है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस मामले की जांच करे और इस संबंध में अत्यन्त कठोर कार्यवाही करे।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकरण के बाद हजारी-बाग जिले में दर्जनों कोयला खदानें बंद पड़ी हुई हैं। इन कोयला खदानों से तस्कर और माफिया

लोग डेढ़ लाख टन कोयला रोज निकाल रहे हैं और केन्द्रीय सरकार को करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है । हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो कोयला खदानें राष्ट्रीयकरण के बाद बन्द पड़ी हैं, उन कोयला खदानों को सरकार चालू करे ताकि केन्द्रीय सरकार को भी मुनाफा हो और हजारी बाग के रहने वाले आदिवासी, हरिजन और गरीब लोग हैं, उनको भी रोजगार मिल सके ।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान चावल की अत्यधिक कमी के कारण उड़ीसा की संकटपूर्ण स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं । केन्द्रीय सरकार द्वारा चावल की सप्लाई कम करने के कारण उड़ीसा राज्य में इस समय चावल की अत्यन्त कमी है । खुले बाजार में चावल के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं । पिछले तीन महीनों से, उड़ीसा राज्य को चावल की बिल्कुल भी सप्लाई नहीं की गई है । यद्यपि उड़ीसा सरकार द्वारा और अधिक मात्रा में चावल की सप्लाई के लिए अनुरोध किया जा रहा है, फिर भी उनके अनुरोध पर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है ।

उड़ीसा राज्य की चावल की न्यूनतम आवश्यकता 45 हजार मीट्रिक टन प्रति माह है परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा इतनी मात्रा में चावल की सप्लाई नहीं की जा रही है । इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं राज्य की आवश्यकता के अनुरूप और अधिक चावल की सप्लाई के लिए केन्द्रीय सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिएं ।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के अन्दर पिछले 10 सालों से अग्नेशस्त्र के लाइसेंस केन्द्रीय सरकार ने बन्द कर रखे हैं । जिसका नतीजा यह हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में नाजायज असलों की काफी बढ़ोतरी हो रही है और हर व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो रहा है। 10 साल से, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, समाज-सेवी हो, उनको भी लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है । जिसका अंजाम यह हो रहा है कि वहां पर कत्ल, डकैती और आतंकवाद निरन्तर बढ़ता जा रहा है । इसके तहत् वहां का हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश के चारों तरफ जितने भी स्टेट्स हैं, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, इन सब स्टेट्स में लाइसेंस मिल रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में लाइसेंस बन्द हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों के साथ जो अंगरक्षक थे, वे भी वापिस ले लिए हैं । राजनीतिक व्यक्तियों के पास अंगरक्षक थे, वे भी वापस ले लिए हैं । हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ।

इसलिए आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा अनुरोध है कि पहले भी प्रदेश सरकार ने लिखा है, उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने लिखा है कि इस राजाज्ञा को वापस लिया जाए और वह नोटीफिकेशन समाप्त किया जाए जिसके तहत् अग्नेशस्त्रों के लाइसेंस बन्द कर दिए गए हैं । सरकार से मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में कई सालों से बन्द लाइसेंसों को पुनः चालू किया जाए ।

91-M/JN(405)L88—16

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, हम त्रिपुरा में महिलाओं पर किये गये व्यापक आक्रमणों के मामले को संसद में तथा संसद के बाहर काफी लम्बे समय से उठा रहे हैं । जन-जातीय महिलाओं, अनुसूचित जातियों की महिलाओं तथा गरीब किसान महिलाओं की प्रतिदिन हत्या तथा बलात्कार किए जा रहे हैं तथा उन्हें उनकी जीविका के साधनों से वंचित किया जा रहा है क्योंकि त्रिपुरा में उन्हें उनके गांवों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है । अब महोदय, हम बार-बार इस मामले को उठा रहे हैं और हमें यह विश्वास है कि इस संबंध में पुलिस की निष्क्रियता त्रिपुरा में शासक दल की सांठ-गांठ के फलस्वरूप है । शासक दल महिलाओं पर होने वाले आक्रमणों को राजनैतिक आतंक के हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है । इसी कारण, वहां की पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है । और आज महिलाओं का एक शिष्ट मंडल त्रिपुरा के संसद सदस्य, माननीय श्री सन्तोष मोहन देव के कार्यालय में त्रिपुरा की महिलाओं के लिए न्याय की मांग करने के लिए गया । महोदय, इस संबंध में, मैं यह ध्यान दिलाना चाहती हूं कि आज मेरे इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या राष्ट्रीय महिला आयोग को कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं, मंत्री महोदय ने कहा कि इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । अब यदि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 जिसे दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, का शीघ्र कार्यान्वयन किया गया होता तो हमें श्री सन्तोष मोहन देव के पास न जाना पड़ता । त्रिपुरा में महिलाओं पर होने वाले आक्रमणों के संबंध में न्याय की मांग करने के लिए हम निश्चय ही राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जाते ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : चूंकि सभा के नेता यहां उपस्थित हैं, इसलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए । महोदय, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया उन्हें इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निदेश दें ।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : महोदय, हमने नियम 193 के अधीन इस विषय पर चर्चा के लिए सूचना दी थी परन्तु इस विषय को बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया । अतः इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए और हमें उत्तर दिया जाना चाहिए क्योंकि पिछले कई वर्षों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं । (व्यवधान)

श्री रमेश चेन्निथला : यह घटनाएं पश्चिम बंगाल में भी हो रही हैं । आप तब पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते ? (व्यवधान)

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकन्दपुरम) : महोदय, सम्पूर्ण देश में डाक विभाग से संबंधित विभागेतर कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए आपने जो मुझे अनुमति प्रदान की है उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं। विभागेतर कर्मचारी 20 साल अथवा इससे अधिक की सराहनीय सेवा अवधि पूरा करने के बाद भी रोजगार की सुरक्षा और अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते। अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि इनकी सेवाओं को स्थायी किया जाए।

इसी प्रकार, डाक-तार विभाग के इंजीनियरिंग प्रभाग को छोड़कर अन्य प्रभागों में 26 साल की सेवा पूरा करने के बाद भी दूसरी पदोन्नति देने के आश्वासन को कार्यान्वित नहीं किया जाता है। इस मामले की ओर भी ध्यान दिया जाए। यदि मंहगाई भत्ता मूल वेतन का 50 प्रतिशत बढ़ जाता है तो उस अतिरिक्त भत्ते को उस कर्मचारी के मूल वेतन में जोड़ दिया जाए ताकि उसे सेवानिवृति के बाद पेंशन में कुछ वृद्धि होने का सुअवसर प्राप्त हो सके।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, मैं आपका ध्यान एक अत्यन्त दुःखद घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि आन्ध्र प्रदेश के गुंटुर जिले में चिलानेलुर पेट्टा नामक स्थान पर घटित हुई है। दो किसानों की उस समय हत्या कर दी गई जब वे उर्वरक लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। वास्तव में, उन मारे गए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के घर में गया था। गुंटुर जिले में कावुरू गांव में एक छोटा किसान श्री अन्कम्मा चौधरी, जिसकी छोटी सी झोंपड़ी थी, मारा गया था। अनेक किसान अस्पताल में गम्भीर रूप से बीमार पड़े हैं तथा अनेक अन्य व्यक्ति गोलियों से घायल हो गए हैं। पुलिस किसानों पर पक्षियों की तरह गोलियां चला रही है। माननीय वित्तमंत्री जी को बजट चर्चा पर उत्तर देते समय स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देना चाहिए कि सरकार उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता जारी रखेगी। यह एक ऐसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय होता है जब किसानों को उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अन्यथा इससे सम्पूर्ण देश में बहुत अधिक विक्षोभ फैल जाएगा तथा और अनेक किसानों को अपनी जानें देनी पड़ेंगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बात का ठोस और स्पष्ट आश्वासन दिया जाये कि राज सहायता जारी रहेगी तथा किसानों की रक्षा की जायेगी।

12.36 म० प०

बरखास्त रेल कर्मचारियों की बहाली के बारे में

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : श्री राव को समर्थन देने के अतिरिक्त, मैं रेल मन्त्री द्वारा दिए गए इस आश्वासन के संबंध में प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उन बरखास्त किए गए रेल कर्मचारियों के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, जिनकी पुन: नियुक्ति के बारे में पिछली सरकार द्वारा घोषणा की गई थी । हम चाहते हैं कि रेल मन्त्री इस निर्णय को कार्यान्वित करे । रेल बजट पर उत्तर देते समय उन्होंने बताया कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे । हम उसी समय उत्तर प्राप्त करना चाहते थे । परन्तु उन्होंने कहा था कि पहले उन्हें मंत्रिमण्डल के साथ विचार-विमर्श करना होगा तथा सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा । जहां तक इस सरकार का संबंध है, मुझे आशा है कि यह एक क्रियाशील मंत्रीमंडल है । फिर भी, हमनें कहा कि हम एक अगस्त तक प्रतीक्षा करेंगे आज 5 अगस्त है । मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस बारे में क्या कहना है । क्या उस निर्णय को कार्यान्वित किया जाएगा ? उसे कब कार्यान्वित किया जाएगा ? आज हम सुस्पष्ट उत्तर चाहते हैं और उन्हें इसकी घोषणा करनी होगी । उस दिन आपके द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के कारण हम प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो गए थे, जब आपने कहा था कि इन रूपात्मकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए। अब 10–12 दिन बीत गए हैं और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी घोषणा आज ही की जाये । वह हमें वह तिथि अवश्य बताएं जब उन्हें पुन: नियुक्त किया जाएगा ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उस दिन हमने आपसे अध्यक्ष पीठ के सामने फर्श पर बैठने की अनुमति मांगी थी । आपने कहा था कि वह जवाब देंगे । उनके द्वारा दिए गए उत्तर को श्री सोमनाथ चटर्जी ने बताया है । यदि वह उत्तर नहीं देते तो हमें अध्यक्ष पीठ के सामने फर्श पर बैठना पड़ेगा । (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : इतने दिनों आप क्या करते रहे ? **व्यवधान**

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें अवश्य ही सभा में उत्तर मिलना चाहिए ।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आप इस सभा में उपस्थित हैं । उस दिन आपने मामले में हस्तक्षेप किया था । यह सही है कि मैंने यह कहा था कि मैं मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा । मैं आपको एक बात बता दूं । यह देखिये कि ये लोग मेरे ऊपर कितना दबाव डाल रहे हैं । (**व्यवधान**) जब मैंने आपके भाषण को धैर्य के साथ सुना है तो आप भी मेरा भाषण सुनें । (**व्यवधान**)

महोदय, पिछली सरकार ने निर्णय लिया था । मेरे माननीय मित्र तथा पूर्ववर्ती मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज़ यहां पर उपस्थित हैं । मैंने रिकार्ड देखे हैं । उन्होंने क्या किया है ?

मैंनें उस समय उन पर आप लोगों की ओर से कोई दबाव डालते हुए नहीं पाया है । उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वे उन लोगों को नहीं लेंगे जिन्होंने आपराधिक गतिविधियों में भाग लिया। अन्य कर्मचारियों के बारे में उन्होंने कहा था कि वे उनका ध्यान रखेंगे । यह उनका आश्वासन था ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, जहां तक उनके उत्तर का संबंध है, 'गुमराहकारी' शब्द का इस्तेमाल करने का अर्थ है कि उन्होंने बात को समझा नहीं है। 'गुमराह' कहना भ्रामक है। वास्तव में मंत्री महोदय को यह पता नहीं है कि सभा में क्या चर्चा हो रही है। 8 सितम्बर, 1990 को मेरे द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। यह मेरे द्वारा लिखा गया था तथा यह आदेश दिया गया था कि उन सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाये जिन्हें धारा 14(2) के अन्तर्गत हटा दिया गया था। उन लोगों को केवल बहाल करने का सवाल नहीं है। इस बीच बड़ी संख्या में कर्मचारी मर गये थे, अनेक कर्मचारी अवकाश प्राप्त कर चुके थे, तथा अनेक एक या दो साल में अवकाश प्राप्त करने वाले थे। अतः उस आदेश में मैंने कहा था कि उन सभी व्यक्तियों के संबंध में, जो मर गये थे, जो अवकाश प्राप्त कर चुके थे, तथा जो अवकाश प्राप्त करने वाले थे उनको कुछ विकल्प दिया जाना चाहिये। जो अवकाश प्राप्त करने वाले थे, उनको यह विकल्प दिया गया था कि वे या तो पुनः पदभार ग्रहण कर लें या अपने किसी बच्चे को रोज़गार दिलवा दें। उन लोगों के मामले में जो मर गये हैं या जिन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया है, हमें उनके कम से कम एक बच्चे को रोज़गार देना चाहिए। शेष कर्मचारियों के संबंध में उनको यह विकल्प दिया जाना चाहिये कि वे या तो अवकाश ग्रहण कर लें या अपने किसी एक बच्चे को रोज़गार दिलवा दें। यह एक बात है।

दूसरे, मैंने यह भी आदेश दिया था कि सभी कर्मचारियों को पिछली तारीख से, जबसे उन्हें हटाया गया था, बहाल किया जाये। उनकी सेवायें समाप्त न किये जाने की स्थिति में उन्हें जो भी पदोन्नति मिलनी थी, वह पदोन्नति उन्हें दी जानी चाहिये थी। मेरी समझ में नहीं आता है कि मंत्री महोदय सभा में इस तरह का वक्तव्य कैसे देंगे जोकि पूरी तरह तथ्यों से संबंधित नहीं है। वास्तव में रेलवे की नौकरशाही, जोकि बिल्कुल स्पष्ट है मंत्रियों तथा अन्य लोगों को, जो यहां पर उत्तर देते हैं ने गुमराह किया है मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे नौकरशाही से संपर्क करें। तथा उस आदेश का पता लगायें जो मेरे हाथों से लिखा गया है तथा उसके बाद वाले आदेश का भी जिसमें सारी बातें विस्तार से दी गयी हैं, क्योंकि रेलवे नौकरशाही ने मेरे द्वारा पारित आदेश को लागू नहीं किया था तथा उसके बाद सभा में वक्तव्य देने आये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अथवा वह अथवा वक्तव्य यहीं बदल सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उन्हें जो करना है वह यह है कि उसी जगह हस्ताक्षर करने हैं उन्हें ठीक जहां पर मैंने हस्ताक्षर किये थे, मेरे हस्ताक्षर के साथ ही।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, दुर्भाग्यवश उन्होंने मुझे अन्य तकनीक नहीं सिखायी थी। वह सही रास्ते से भटका सकते हैं और फिर सही रास्ते पर ला सकते हैं पर मैं यह नहीं कर सकता। मैं यह करने में असमर्थ हूं। **(व्यवधान)** महोदय, उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया परन्तु मैं सभा को केवल यह बता रहा था, कि मुझे रिकार्ड से क्या पता चला है। जहां तक उनके आदेश का संबंध है जो उन्होंने अपने हाथ से लिखा था मैं उन्हें तथा सभा के अन्य सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि मैं उसे निश्चित रूप से देखूंगा। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, यदि मैं इस सभा में उपस्थित नहीं होता तो मंत्री महोदय तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते रहते । **(व्यवधान)** यह हंसने की बात नहीं है । एक सदस्य सभा से अनुपस्थित हो सकता है । मंत्री महोदय ऐसा वक्तव्य कैसे दे सकते हैं ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह जानते हुए कि आप सभा में उपस्थित हैं मैंने यह वक्तव्य दिया है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, आपको मेरे अधिकारों की रक्षा करनी होगी । यदि मैं इस समय अनुपस्थित होता तो यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया होता क्या मंत्री महोदय को इस बात की अनुमति है कि वह बिना तथ्यों को जाने वक्तव्य दे दें ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता कि फाइल में क्या लिखा है तथा क्या नहीं लिखा है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, शायद मंत्री महोदय अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ सके ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज बहुत कुछ जानते हैं । वह इतना बोलते कि दूसरा व्यक्ति डर जाता है । आखिरकार हम सब एक ही श्रेणी के हैं । कृपया कम से कम मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश न करें ।

विषय पर आते हुए जैसा मैंने आश्वासन दिया था मैंने मंत्रालय को निदेश दिया है कि ज्ञापन तैयार करें तथा मंत्रिमण्डल में ले जायें । यह प्रक्रिया में है, तथा यह मंत्रिमण्डल में जायेगा । **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कृपया याद रखें, उस दिन आपके हस्तक्षेप के कारण हमने उस मामले को दोबारा नहीं उठाया था । मैंने कहा था कि मंत्री महोदय कम से कम यहां यह आश्वासन दें, कि वह अनुकूल सिफारिश लेकर मंत्रिमण्डल में जायेंगे और महोदय आपने कहा था जब मंत्री महोदय ने यह कहा था कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, तो मैं इसे ऐसा ही मानता ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि कानूनी तौर पर यह आश्वासन है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह हमारे लिये अब भी अच्छा है । तब मैं यह जानना चाहूंगा कि इस आश्वासन का क्या मतलब है, यह कहना बहुत आसान है कि हम दस्तावेज तैयार कर रहे हैं । मैं जानना चाहूंगा कि कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, तथा उन्हें तैयार करने में कितना समय लगेगा । ताकि हम उनके द्वारा निश्चित की गई तारीख पर जोर डाल सकें । **(व्यवधान)** सभा को और हमको इस तरह से धोखा नहीं दिया जा सकता । हमने सोचा था कि यह मंत्रिमण्डल में जाने के लिये बहुत कम समय की बात होगी । **(व्यवधान)** उन्हें स्पष्ट करना चाहिये अन्यथा मैं यह आरोप लगाऊंगा कि हमें गुमराह किया गया है तथा महोदय, आपको भी गुमराह किया गया था । आप हमें बचायें तथा सभा की गरिमा को बचायें । महोदय, यह मजाक की बात नहीं वह इस तरह इसको मजाक बनाकर नहीं छोड़ सकते । यह ऐसा मामला नहीं है कि इसे गंभीरता से न लिया जाये । इसमें सैकड़ों लोग हैं तथा उनका भाग्य भी इसमें शामिल है तथा इनके परिवार भूखे मर रहे हैं । उन्हें बिना किसी जांच के बर्खास्त कर दिया गया था । कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया । कुछ नहीं ।

महोदय, कठोर कानूनों को लागू किया गया है। वह उत्तर दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि आप रेलवे मिनिस्टर साहब को कहिए कि वह एक आश्वासन यहां लेकर आएं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप क्या कह रहे थे ?

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि बार-बार इस मामले को यहाँ लाया जाता है। पिछली लोक सभा के अंदर भी इस को उठाया गया था जब रेलवे मिनिस्टर साहब थे (व्यवधान) आप इन को कोई डायरेक्शन दीजिए...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, हर बार मैं यहां से डायरेक्शन दे दूं तो मैं ही गवर्नमेंट चलाने लग जाउंगा। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : क्योंकि उस दिन हाउस के अन्दर यह कहा गया, इस लिये हम आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : हम उनसे आश्वासन चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम इस सभा में अभी स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं। अतीत में अनेक बार हमने इस मामले को उठाया है और क्या हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जिन्हें नौकरी से हटाया गया है। उनके परिवार तथा उनके बच्चों का क्या हो रहा है ? क्या आपको उन लोगों के प्रति कोई मानवीय चिन्ता नहीं है ? इतना अधिक समय क्यों लिया जा रहा है ? बिना किसी जांच के उन्हें हटा दिया गया था। क्या हम सभ्य देश में रह रहे हैं या नहीं ? यह क्या है ? वे बहुत अधिक संख्या में नहीं हैं। हो सकता है 400 के करीब हों। सभा के रूप में हम सरकार को निर्देश दे सकतें हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का कहना साफ नहीं है। जार्ज साहब को आपने गलत कहा, आपने गुमराह किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने स्वयं कहा था और अब इस सदन को गुमराह मत करिए। साफ-साफ कहिये कि जो आदेश है उस आदेश को पिछली सरकार ने दिया था। उस फाइल को देखिए। इस सदन में साफ कहिए कि जो निकाले गए लोग हैं उनको बहाल किया जाएगा मानवता की दृष्टि से, नियमों और

दृष्टि से। जो मर गए काम करते-करते, उनके लिये सरकार ने वादा कर दिया, सदन में वादा कर दिया। सारे सदन को आप फिर गुमराह करने की बात मत करिए। साफ कहिए। **(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। एक मंत्री का यह कहना है कि पिछले मंत्री पर उन्होंने दबाव नहीं डाला था और विगत मंत्री ने स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि उन्होंने क्या लिखा है इस सभा की भी कोई मर्यादा होनी चाहिये। अतः मुझे तो यह महसूस हो रहा है कि कामगारों के साथ अन्याय करने के साथ-साथ माननीय रेल मंत्री ने सदन की मर्यादा भी कम की है। इस मामले में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कहकर क्या उन्होंने सदन की मर्यादा कम की है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था के बारे में न कहें।

(व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानवीय सहानुभूति सभा के एक विशेष वर्ग का ही विशेषाधिकार है। **(व्यवधान)** कृपया मेरी बात भी सुनें। यदि आप लोग सिर्फ खुद ही बोलते रहेंगे और दूसरों को कुछ कहने की अनुमति नहीं देंगे तो यह तो बड़ा अनुचित होगा। **(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी : औचित्य का प्रश्न यह है कि सभा की भी कोई मर्यादा होनी चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, यह सवाल वाद-विवाद में मेरे दिये गये उत्तर में मेरे वायदे से संबंधित है। यह मंत्रिमंडल में जायेगा। मैंने कहा था कि यह प्रक्रियाधीन है। मैंने इसे मंत्रिमंडल में ले जाने के लिये ज्ञापन तैयार करने के लिये मंत्रालय को निदेश दिया है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : कब तक यह काम होगा ? **(व्यवधान)**

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप मेरी बात तो सुनिये **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

यह तो कोई तरीका नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, आप इन्हें अपनी बात पूरी तो करने दें।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, मुझे अब आपकी सुरक्षा की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुरक्षा दे रहा हूं। इन्हें अपनी बात पूरी तो करने दें।

श्री लोकनाथ चौधरी : आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने तो दें ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मेरे माननीय मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने मुझसे कहा था यह 1 अगस्त को होना चाहिए । पर मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि श्री वासुदेव आचार्य लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के साथ 2 अगस्त को ज्ञापन देने आए थे । **(व्यावधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : कैसा ज्ञापन ? रिकार्ड सही कीजिए । मुझे सूचित किया है कि उन्होंने अगले दिन यानि शनिवार को अपना मिलने का समय निर्धारित किया था । जब यूनियन के प्रतिनिधि वहां गए तो उन्होंने कहा कि मिलने का कोई समय नहीं दिया गया है । मंत्री जी वयस्त हैं, वह आज नहीं मिल सकते हैं । मुझे यह बात आज एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने बतायी है । आप समय निर्धारित करते हैं फिर उसे रिकार्ड में नहीं करते हैं, फिर आपका कार्यालय कहता है "कोई समय नहीं निर्धारित किया गया है ।" यही तो आपका तरीका है । यह ज्ञापन आपको स्मरण-पत्र के रूप में दिया गया है ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं उनसे मिल चुका हूं । मुझे उनका ज्ञापन भी मिल चुका है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री द्वारा दिए वक्तव्य की इस सभा के लिए कोई प्रासंगिकता है ? अध्यक्ष के हस्तक्षेप का क्या हुआ ? इसे आकस्मिक समझा जा रहा है । वह कहते हैं कि "यह मामला मंत्री परिषद तक जाएगा । हम ज्ञापन तैयार कर रहे हैं ।" क्या आप इससे संतुष्ट हैं, महोदय ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या वे मुझे आदेश देंगे ? सरकार चलाने का यह तरीका नहीं है ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि मंत्री सोचते हैं कि वह संसद से ऊपर हैं, तो ऐसा नहीं है ।

श्री अर्जुन सिंह : मैं समझता हूं कि अनावश्यक व्यर्थ ही यह तनाव पैदा किया जा रहा है । मैं इस मामले के बारे में सदस्यों की चिंता को समझता हूं क्योंकि यह मसला उन बहुत सारे लोगों से संबंधित है जो काफी दुःखद स्थिति में हैं । यह और बात है कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई ? पर तथ्य यह है कि वे कठिनाई में है । माननीय मंत्री के वक्तव्य से यही लगता है । यहां दिया गया उनका वक्तव्य दूसरे दिन से संबंधित है । मैं उस वक्त उपस्थित नहीं था । पर उनका मामला ऐसा है जिसे उन्हें मंत्रिमण्डल में ले जाना है । मामले को मंत्रिमण्डल तक ले जाने में कुछ समय तो लगेगा ही । कोई भी यह बात निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि किस दिन मामला मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जाएगा क्योंकि इस प्रक्रिया में कुछ प्राथमिकताओं का ध्यान रखना पड़ता है । सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि सभा इस आश्वासन के दिए जाने के बाद हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि यह मामला मंत्रिमण्डल में यथाशीघ्र ले जाया जाए और इस पर कोई फैसला हो जाए ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसमें दस दिन तो पहले से ही लग चुके हैं । मेरा सवाल यह है कि यह 'जल्दी' आखिर कितनी लम्बी है ।

श्री अर्जुन सिंह : जल्दी का मतलब जितनी जल्दी हो सकती है ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष जी, मैंने आपको आज सुबह एक चिट्ठी भी लिखी थी कि सरकार को बी०सी०सी०आई० के मामले में जो कुछ जानकारी हो वह सदन को बताए लेकिन एक सप्ताह बीत चुका है, सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। आज भी मैं सोच रहा था कि शायद मनमोहन सिंह जी आएंगे परन्तु मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे मामले में, जिसमें हमें शंका है कि यह बोफोर्स काण्ड से भी बढ़कर मामला हो सकता है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार को क्या यह जानकारी वाशिंगटन से मिलने वाली है या क्या बात है। आज और कल भी सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में बाकायदा आया है, वाशिंगटन की खबर है कि युनाइटिड स्टेटस की सिनेट कमेटी में बी०सी०सी०आई० की बम्बई ब्रांच के बारे में बाकायदा बहस हुई है। हमें जो जानकारी मिली है, सारे सदन के लिए वह सनसनीखेज है, ऐसा लगता है कि

[अनुवाद]

यह तो एक अपराध कथा की तरह है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल 1986-87 का है। भारत सरकार को बाकायदा पता था—गवर्नमेंट आफ इण्डिया नोज द एन्टायर थिंग इसका मतलब यह था कि बी०सी०सी०आई० की बम्बई शाखा में स्पष्ट तौर पर गड़बड़ी थी। वह गड़बड़ी इस तरह की थी कि भूरे लाल ने, जो भारत सरकार का एक आफिसर है, 27 साल में उस बैंक को बन्द कर दिया था।

[अनुवाद]

लेकिन इस बैंक के बारे में, बन्द करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास इस बात का पर्याप्त सबूत है कि बी०सी०सी०आई० के प्रधान श्री आगा हसन आबेदी दिल्ली आकर प्रशासन के कई उच्चतम स्तर के अधिकारियों से मिले थे।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अखबार के उदाहरण दे रहे हैं।

श्री रवि राय : "...और गिरफ्तार लोगों को जेल से बाहर करवा लिया।"

अध्यक्ष महोदय : आप समाचार पत्र से उद्धरित कर रहे है। क्या ऐसा किया जा सकता है?

[हिन्दी]

श्री रवि राय : यह जानकारी तो हमारे सामने है, अध्यक्ष महोदय, इस जानकारी का सरकार खण्डन करे।

श्री अर्जुन सिंह आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने उस दिन निर्देश दिया था और यह बात वित्त मंत्री की जानकारी में लाई गई है। भारत के वित्त मंत्री कल इस पर अपना बयान सदन में देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : : कल।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री कल बयान देंगे, यह तो ठीक है, लेकिन जो मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं वह तो सुन लीजिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1986 साल में जो हुआ, मैं रिजर्व बैंक पर इल्जाम लगाना चाहता हूं कि भारत सरकार के बैंक के 6-7 कर्मचारियों

को इन्फोर्समेंट ने गिरफ्तार किया, लेकिन एक मुरारी जो मैनेजर थे, वे अभी तक लापता हैं, देश छोड़कर भाग गए हैं, उनका भारत सरकार को पता नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार द्वारा इस हाउस को जानबूझकर गुमराह किया गया है। यह मामला 1986 साल का है और इस सदन में बराबर हम 6-7 दिन से मामला उठा रहे हैं, लेकिन कोई बात सरकार की ओर से नहीं आई है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बी०सी०सी०आई० के सम्बन्ध में दो मुद्दे हैं—एक तो भारत सरकार तथ्य दे और सैकिण्डली थिंग जो पाकिस्तान से टैररिस्ट्स आ कर हमारे देश में गड़बड़ी करते हैं, उनको भी रुपया दिया गया है और इस मामले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति यहां आए और यहां आ कर इस मामले को रफा-दफा करने में भी मदद की है। इसलिए जो आज अखबारों में निकल रहा है, इस पर कल अर्थ मंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं यहां आकर सदन के सामने सारी स्थिति स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे फिर से रिकार्ड का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे अपने अधिकारियों से पता चला था कि उन्हें कुछ वक्तव्य प्राप्त हुए हैं पर मैंने उन्हें पढ़ा और देखा नहीं है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कौन सा वक्तव्य ?

अध्यक्ष महोदय : इस वक्तव्य को सभापटल पर रखना होगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कल जब वित्त मंत्री महोदय स्टेटमेंट दें, तो जो नाम आए हैं, हम चाहते हैं उन राजनेताओं के नाम क्या थे जिनके कि वहां खाते थे, यह भी बताएं। . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री क्या स्टेटमेंट देंगे, यह तो कल ही पता चलेगा।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कल जब वक्तव्य दिया जाए तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा की अनुमति दें यदि यह बहुत गम्भीर मामला है। जो एक बड़े अन्तर्राष्ट्रीय घोटाले का रूप ले रहा है और मेरे विचार से चर्चा के पश्चात् इस मामले की विस्तृत जांच के लिए एक सभा समिति गठित करने की आवश्यकता है। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह मामला बहुत गम्भीर है और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस मामले में एंटी नैशनल एक्टिविटीज इन्वाल्व हैं और इसमें सिर्फ ब्योरोक्रेट्स ही नहीं, बल्कि पॉलिटिशियन्स भी इन्वाल्व हैं और इतना ही नहीं डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के आदेश का सीधा-सीधा उल्लंघन हुआ है। यह उल्लंघन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, इसमें मतभेद हैं, क्या आप यह कहते हैं कि "वे यहां हैं" अथवा क्या आप यह कहते हैं कि "यह बताया गया है ?"

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह रिपोर्टेड है । हम तो रिपोर्टेड बात ही उठाएगें, हम सरकार में नहीं हैं, इसके बारे में तो सरकार बताए । हम लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वह रिपोर्ट के आधार पर जो अखबारों में छप रहा है उसके ऊपर कह रहे हैं । अभी यहां वी० पी० सिंह जी बैठे थे, वे चले गए हैं । उस समय वी० पी० सिंह जी फायनेंस मिनिस्टर थे । उस समय सारा का सारा कैंसिलेशन हो चुका था, फिर 1987 में नये ढंग से सारी चीज की गई और उस समय की सरकार द्वारा पॉलिटिकल संरक्षण दिया गया, तो मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आए, वह सिम्पल स्टेटमेंट न हो, बल्कि स्पष्ट हो क्योंकि हम लोग मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं और पब्लिक लाइफ में हैं अगर कोई एक सांसद गलती करता है, तो सारे के सारे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बदनाम हो सकते हैं । इसलिये वह व्यक्ति कौन है, वह राजनेता कौन है, जिसने इतना बड़ा घोटाला किया है जिसके साथ मिल कर के ब्यूरोक्रेट्स ने यह सारी की सारी चीज की है । मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि कल जब मंत्री महोदय बयान दें तो वह सारे आस्पैक्ट्स पर हो ओर जो अखबारों में निकल रहा है, चाहे वह इंडियन एक्सप्रैस है, फायनेंश्यिल एक्सप्रैस है, नवभारत टाइम्स है, जो क्लाउडी वैंदर है, जो छाया है, उस छाया को आप काटने का काम करेंगे और सारा का सारा मामला साफ तरीके से बतलाने का काम करेंगे कि कौन-कौन राजनेता इसमें इन्वाल्व हैं । यदि सरकार के पास नाम नहीं हैं, तो हम भी नाम दे सकते हैं **(व्यवधान)**

1.00 म० प०

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहता हूं कि जो बयान आएगा उस बयान में जैसा कि रामविलास जी ने कहा कि किन-किन चीजों का खुलासा हो, उसमें यह भी खुलासा हो कि अमरीकी सीनेट में जो बहस हुई है उसमें हमारे देश के उद्योगपति और राजनीतिक नेताओं के गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोगों ने किस तरह से इस्तेमाल करके हिन्दुस्तान का पैसा विदेश ले जाने का काम किया था, उस पर भी कल मंत्री जी के बयान में पूरी सफाई होनी चाहिये ।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, हम नामों और कार्यप्रणाली दोनों के बारे में जानना चाहते हैं ।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : हम यह चाहते हैं कि स्टेटमेंट आना चाहिये लेकिन फिर भी आज बिजनस ऐडवाईजरी कमेटी की मीटिंग है, हम यह चाहेंगे कि इस पर पूरी बहस होनी चाहिये और इसके लिये समय निकालना चाहिये । वह रिव्यू होती है तो सारा तथ्य देश के सामने आएगा क्योंकि फाइनैंस मिनिस्टर के पास इसकी जानकारी है । वैसे हमारे पास भी कुछ जानकारी है वह भी हम सभागृह के सामने रख सकेंगे । इसलिये उस पर पूरी डिबेट होनी चाहिये, ऐसी हमारी मांग है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा-पटल पर रखे जायेंगे ।

1.01 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे; शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड मद्रास का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। (देखिये संख्या एल० टी०-254/91)]

(3) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। (देखिए संख्या एल० टी०-255/91)]

(5) विश्वेश्वरैया (क्षेत्रीय) इंजीनियरिंग कालेज, नागपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। (देखिए संख्या एल० टी०-256/91)]

(7) (एक) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। (देखिए संख्या एल० टी०-257/91)]

(8) (एक) केन्द्रीय तिब्बत स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय तिब्बत स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय तिब्बत स्कूल प्रशामन, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। (देखिए संख्या एल०टी०-258/91)]

वर्ष 1991-92 के लिए खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : मैं वर्ष 1991-92 के लिए खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। (देखिए संख्या एल०टी०-259/91)]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू:

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1991 जो 27 फरवरी 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 93(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 1991 जो 16 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 23(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 145(अ), जो 27 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति प्रत्यायोजित की गई है कि वह उन प्रयोगशालाओं और विश्लेषकों

को मान्यता दे सकती है और प्राइवेट प्रयोगशालाओं और विश्लेषकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता मिलती रहेगी, पुनर्गठित प्रयोगशालाओं के विनिर्देश, नाम और प्रत्येक प्रयोगशाला द्वारा किए गए कार्य केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। (देखिए संख्या एल०टी०-260/91)]

राष्ट्रीय लोक सहकारिता तथा बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय लोक सहकारिता तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोक सहकारिता तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। (देखिए संख्या एल०टी०-261/91)]

भारतीय फार्मेसी परिषद् नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा परिषद् के कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) भारतीय फार्मेसी परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय फार्मेसी परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। (देखिए संख्या एल०टी०-262/91)]।

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1991, आदि

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1991 जो 22 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 40(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई । (देखिए संख्या एल०टी०-263/91)]

(2) लोह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लोह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1991 जो 22 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित संख्या सा० का० नि० 41(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) लोह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 की धारा 14 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लोह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) नियम, 1990 जो 29 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 619 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

[ग्रंथालय में रखी गई । (देखिए संख्या एल०टी०-264/91)]

(4) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(एक) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1990, जो 29 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 618 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1990, जो 22 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 42(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । (देखिए संख्या एल०टी०-265/91)]

(5) बेनजन—1971 से उत्पन्न विषक्ति परिसंकट से बचाव से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या 136 के अनुसमर्थन के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । (देखिए संख्या एल०टी०-266/91)]

1.03 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

लखनऊ डिवीजन के सोनिक स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : बड़े दुःख के साथ मुझे सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर रेलवे के इकहरी लाइन वाले कानपुर-लखनऊ बड़ी लाइन खंड पर, सोनिक स्टेशन पर 4-8-1991 को लगभग 8.00 बजे 1144 छपरा-ग्वालियर मेल और एक मिलिटरी स्पेशल गाड़ी के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गई।

कानपुर से आ रही मिलिटरी स्पेशल को लगभग 07.55 बजे सोनिक स्टेशन पर लूप लाइन पर लिया गया था और उसके कुछ ही देर बाद 1144 छपरा-ग्वालियर मेल विपरीत दिशा से उसी लाइन पर आ गई और वहां खड़ी मिलिटरी स्पेशल गाड़ी से उसकी आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसके परिणामस्वरूप मिलिटरी स्पेशल गाड़ी का इंजन और इंजन के बाद के 3 माल डिब्बे तथा 1144 छपरा-ग्वालियर मेल के पहले दो सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए। प्रथम दृष्टया यह टक्कर 1144 छपरा-ग्वालियर मेल के ड्राइवर की गलती के कारण हुई जिसने रिसेपशन सिगनलों का उल्लंघन किया था। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, 9 व्यक्तियों की जानें गई तथा 28 व्यक्ति घायल हुए।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही, मंडल रेल प्रबंधक, लखनऊ अपने साथ एक चिकित्सा दल तथा मंडल अधिकारियों को लेकर सड़क मार्ग द्वारा दुर्घटना-स्थल के लिए रवाना हो गए। लखनऊ तथा कानपुर के डाक्टरों सहित चिकित्सा यान भी तत्काल दुर्घटना-स्थल के लिए रवाना कर दिए गए थे। बचाव तथा राहत कार्यों की देख-रेख करने के लिए, महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे भी विभागाध्यक्षों के साथ दुर्घटना-स्थल के लिए रवाना हो गए थे।

मेरे सहयोगी, श्री मल्लिकार्जुन, रेलवे बोर्ड तथा उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 12.30 बजे वायु-सेना के एक विशेष विमान द्वारा दुर्घटना-स्थल के लिए रवाना हुए। वह उन्नाव तथा लखनऊ के अस्पतालों में भर्ती कराए गए घायलों को देखने भी गए।

जिन मृतकों की पहचान हो गई है उनके निकटतम संबंधियों तथा घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। इस मामले में, मृतकों के लिए अनुग्रह की राशि दुगनी करके 10,000 रु० गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों के लिए 2,000 रु० तथा साधारण रूप से घायल हुए व्यक्तियों के लिए 500 रु० कर दी गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को देय क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान रेल दावा अधिकरण द्वारा किया जाएगा। मृत्यु तथा पूर्ण अपंगता के मामले में देय क्षतिपूर्ति की राशि 2,00,000 रु० है। अन्य प्रकार की चोटों के लिए, यह राशि 16,000 रु० से 1,80,000 रु० के बीच होगी। बहरहाल, मैं इस दुःखद तथ्य से भली-भांति परिचित हूं कि इस अथाह नुकसान की भरपाई किसी भी धन-राशि से नहीं हो सकती।

91-M/J(N)405LSS—16

रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर क्षेत्र, जिन्होंने दुर्घटना-स्थल का दौरा भी किया था, इस दुर्घटना की सांविधिक जांच करेंगे। यह 7 अगस्त, 1991 से शुरू होगी।

इस दुःखद तथा भयावह दुर्घटना से मुझे गहरा आघात पहुंचा है। इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चार रेल कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है जिनमें 1144 छपरा-ग्वालियर मेल का ड्राइवर भी शामिल है। मैंने यह भी आदेश दिया है कि कार्य प्रणाली के महत्वपूर्ण पहलुओं, खास तौर पर गाड़ियां चलाने और गाड़ियों को गुजारने के काम में लगे कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखने के लिए, देश व्यापी अभियान चलाया जाए।

मेरे सहयोगी, श्री मल्लिकार्जुन, सभी रेल कर्मचारी और मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं तथा घायलों के प्रति सच्ची सहानुभूति प्रकट करते हैं।

मुझे विश्वास है कि सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करने में मेरे साथ हैं।

1.05 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुंटकुल और सिकन्दराबाद को बड़ी लाइन से जोड़े जाने तथा गुंटकुल से तुमकुर तक नई रेल लाइन बिछाई जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त वेंकट रेड्डी (अनन्तपुर) : गुन्टाकल दक्षिण भारत का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। तथा यह मद्रास तथा मुम्बई के बीच में है। यहां मीटरगेज तथा बड़ी लाइन है।

गुन्टाकल जंक्शन मीटर गेज लाइन द्वारा सिकन्दराबाद से बरास्ता द्रोणाचलम, कुरनूल तथा मेहबूबनगर से सीधा जुड़ा हुआ है। बंगलौर से गुन्टाकल तक एक बड़ी लाइन है। यदि गुन्टाकल और सिकन्दराबाद को एक समानान्तर बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाए तो इससे देश को बहुत लाभ होगा।

गुन्टाकल और सिकन्दराबाद के बीच समान्तर बड़ी लाइन बिछाने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तथा रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के पास विचाराधीन है।

मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की जाए तथा गुन्टाकल और सिकन्दराबाद के बीच समान्तर रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया जाए।

गुन्टाकल से तुम्कुर तक बरास्ता उर्वाकोन्डा, कल्याणदुर्ग, पावोगोडा तथा मदकसीरा एक नई रेल लाइन का भी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि प्रावोगोडा एक तीर्थस्थल है जो कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश को जोड़ता है तथा वह दोनों राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है।

[हिन्दी]

(दो) हिमाचल प्रदेश में भू-कटाव और बाढ़ की रोकथाम के लिए टोन्स, सरसा और गिरि नदियों के पानी को नह ों में छोड़ने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार की ओर से बहुत सा धन भूमि के कटाव को रोकने के लिये दिया गया है। परन्तु इससे अभी तक कटाव रोकने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। हिमाचल की भूमि का कटाव लगातार हो रहा है और राज्य सरकार ने इस भारी कटाव को रोकने के संबंध में कोई योजना नहीं बनायी है जिससे किसानों की करोड़ों रुपये की जमीन हर वर्ष बह जाती है और उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। मेरे क्षेत्र में शिमला जिलों में टांस नदी, सोलन जिला में सरसा नदी और सिरमौर जिला में गिरी नदी और गिरी बाटा में भारी भूमि का कटाव हो रहा है, उसे चैनालाईज किया जाये। अगर राज्य सरकार इस संबंध में कोई योजना भारत सरकार को नहीं भेज रही है तो इसका सर्वे करवा कर भारत सरकार इस कार्य को अपने द्वारा करे ताकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में जो बाढ़ें आती हैं उनको रोका जा सके। वन लगाने के लिये पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वृक्षारोपण किया जाये ताकि वहां के लोगों को इन सब योजनाओं द्वारा रोजगार प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त जो लोग सेब, नाशपाती, आड़ू, खुमानी आदि फलदार वृक्ष लगाते हैं, उन्हें राज्य सरकार को हिदायत देकर यह कहा जाये कि जो किसानों के रकबे खाली पड़े हैं और उसमें वृक्षारोपण नहीं है, उन्हें इन फलदार वृक्षों द्वारा हरा-भरा किया जाये ताकि किसानों को आमदनी भी हो और जमीन का कटाव भी रुक सके। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को इन वृक्षों का रोपण करने हेतु सहायता दी जाये।

(तीन) उत्तर प्रदेश में बरेली को वायुदूत सेवा जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, बरेली उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख केन्द्र है। महानगर के साथ-साथ बरेली का चयन केन्द्रीय सरकार द्वारा काउन्टर मैगनेट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। बरेली में कई बड़े-बडे उद्योग हैं। तीन चीनी मिलों के अतिरिक्त इफ्को, आंवला का उर्वरक कारखाना, सिनथेटिक केमिकल्स, कैमफर एलाइट, विमको की माचिस फैक्ट्री, आई०डब्ल्यू०पी० कत्था फैक्टरी आदि प्रमुख संस्थायें हैं परन्तु बरेली को अभी तक वायुदूत सेवा से नहीं जोड़ा गया है। इस कारण बरेली की व्यापारिक गतिविधियों में बाधा आती है और काफी संख्या में उन यात्रियों को जिनको बम्बई, कलकत्ता व दक्षिण भारत के राज्यों में जाना होता है, काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

बरेली को वायुदूत सेवा मे जोड़े जाने के लिये मैंने पूर्व में भी संबंधित मंत्री महोदय को लिखा था। मेरा आग्रह है कि माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री बरेली को वायुदूत सेवा से जोड़े जाने हेतु आवश्यक निर्देश अति शीघ्र दें।

[अनुवाद]

(चार) पूर्वोत्तर राज्यों में नियुक्त केन्द्रीय विद्यालय अध्यापकों की समस्याओं पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता

श्री मुहीराम सैकिया (नोगोंग) : महोदय, मैं सभा का ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालय के हजारों अध्यापकों की कठिनाईयों की ओर दिलाता हूं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिये यह जरूरी है कि वह भारत सरकार के नागरिक कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते आदि दें। हालांकि भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2–3 वर्ष तक तैनात किये जाने की व्यवस्था की है इसके बाद कर्मचारियों को लोकहित में उनकी इच्छा के स्थान पर तैनात कर दिया जाता है, किन्तु संगठन यह सुविधा केवल स्नातकोत्तर अध्यापकों को ही प्रदान करता है, तथा अन्य वर्गों के अध्यापकों को, जिनकी संख्या 90 प्रतिशत है, इस सुविधा से वंचित रखा गया है।

इसी प्रकार केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों को विशेष कार्य भत्ता भी नहीं दिया जाता है।

मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध है कि उनकी परेशानियों की ओर ध्यान दिया जाये और उनके साथ अविभाव न्याय किया जाये।

(पांच) कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्रों का पर्यटक केन्द्रों के रूप मे विकास किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : महोदय, सरकार द्वारा कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ क्षेत्र में पर्यटन की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिगे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। यह क्षेत्र रेल और सड़क यातायात से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहां पर अनेक प्राकृतिक आकर्षण हैं, जैसे नदियां, वन तथा वन्य पशु। किले, महल, हवेलियां तथा मानव निर्मित अतीत की अनेक वस्तुयें और झील, बांध तथा अन्य जलाशय हैं जो पर्यटकों के मनोरंजन के अच्छे स्रोत हैं। इस क्षेत्र के रंगारंग मेले तथा उत्सव, कोटा साड़ियां तथा हस्तशिल्प स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करते हैं।

इन सकारात्मक पहलुओं के बावजूद इस क्षेत्र में पर्यटन का अपेक्षित स्तर तक विकास नहीं किया गया है। स्थानीय लोग पर्यटन के आर्थिक महत्व के प्रति पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, विशेषकर उस क्षेत्र में उपलब्ध बेकार पड़े संसाधनों का उपयोग करने के बारे में। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार के माध्यम से इस क्षेत्र का पर्याप्त प्रदर्शन नहीं हुआ है। अतः इस क्षेत्र के प्रचार के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को गहन प्रचार अभियान देश तथा विदेश में चलाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को अनेक किलों, महलों तथा स्मारकों के उचित जीर्णोद्धार तथा रखरखाव के लिये, पर्यटन स्थलों को प्राकृतिक दृष्टि से मनोरम तथा सुन्दर बनाने, झीलों में से जंगली पौधों को निकाल कर, गाद हटाकर उसकी मरम्मत करने के लिये, जल खेलकूद सुविधाओं को शुरू करने के लिये, सड़कों को ठीक करने के लिये, पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के लिये स्वल्पाहार सुविधायें प्रदान करने के लिये, मध्यम वर्ग एवं विदेशियों के लिये, होटलों तथा जलपान गृहों के निर्माण के लिये, शीघ्र कदम उठाने चाहिये।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती हूं, कि इस मामले में तुरन्त कार्यवाही की जाये।

(छ) केरल में अचेनकोइल और अनंगमाली के बीच रेलमार्ग के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराये जाने की आवश्यकता

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मलायोर रेलवे रेल मार्ग का जिसका प्रस्ताव केरल के लिये अंचेलकोईल से अंगामाली तक 1989-90 के भारतीय रेलवे के स्थित पत्र में किया गया था। किन्तु उसका सर्वेक्षण अभी तक नहीं हो पाया है। केरल तथा सम्पूर्ण रूप से भारत के लिये यह रेल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह सबरीमाला, भगवान अय्यप्पा के तीर्थ स्थल के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा जिसके दर्शन के लिए करोड़ों लोग जाते हैं। एरुमेली में स्थित स्टेशन एक ऐसा स्थान है जो हिन्दु-मुस्लिम एकता तथा साम्प्रदायिक सद्भाव के लिये प्रसिद्ध है।. यदि केरल के कृषि, व्यापारिक तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के क्षेत्रों से होकर कोई रेल लाइन निकाली जाये तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बना जायेगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है, इस रेलवे का सर्वेक्षण तत्काल कराया जाये।

1.14 म० प०

[**अनुवाद**]

बजट (सामान्य) 1991-92—सामान्य चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब हम बजट पर सामान्य चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिये 15 घण्टे का समय आवंटित किया गया था; हम 15 घण्टे और 26 मिनट पहले ही ले चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को 6 घण्टे और 6 मिनट आबंटित किये गये थे और उन्होंने 5 घंटे 48 मिनट का समय लिया है; भा०ज०पा० को 3 घण्टे 10 मिनट आबंटित किये गए थे, वे 2 घण्टे 35 मिनट का समय ले चुके हैं; जनता दल को 1 घण्टा 31 मिनट का समय आवंटित किया गया था और वे 1 घण्टा 37 मिनट ले चुके हैं। मा०क०पा० को 57 मिनट का समय आबंटित किया गया था और वे 1 घण्टा 12 मिनट ले चुके हैं; मा०क०पा० को 21 मिनट का समय आबंटित किया गया था और वे 1 घण्टा 2 मिनट ले चुके हैं। तेलगू देशम पार्टी को 21 मिनट का समय आबंटित किया गया था और वे 35 मिनट ले चुके हैं। तथा अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक को 18 मिनट आबंटित किये गये थे और वे 10 मिनट ले चुके हैं। इसके लिए जो निर्धारित समय था वह समाप्त हो चुका है। मेरे विचार से हम जारी रखेंगे और जो सदस्य बोलना चाहते हैं उन सदस्यों को अधिक समय देंगे।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी (गांधी नगर) : हम वित्त मंत्री के जबाब की किस समय उम्मीद कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास सदस्यों की एक लंबी सूची है। वास्तव में वित्त मंत्रालय हम से यह जानना चाहते हैं कि वह यहां कब आयें। परन्तु हम सदस्य को बोलने का समय देने की कोशिश कर रहे हैं। जबाव आज 5 बजे या कल दे दिया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या हम यह समझें कि जबाव आज नहीं दिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, वे जानना चाहते हैं कि मंत्री यहां कब आयें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम यथासंभव अधिकाधिक सदस्य को मौका देने की कोशिश करेंगे। श्री मुमताज अंसारी बोल रहे हैं। उन्होंने 10 मिनट का समय पहले ही ले लिया है। माननीय सदस्य अब 2 मिनट में समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि 20-22 प्रतिशत जो हमारे रुपये का डिवेल्युएशन किया गया है उससे यह उम्मीद की जा रही थी कि हमारा इम्पोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमारा इम्पोर्ट चूंकि स्थिर है इसलिए वह घटने वाला नहीं है क्योंकि हम क्रूड आयल और पैट्रोलियम पदार्थ आदि मंगाते हैं। इसलिए ऐसी हालत में जो पैट्रोल का आयात होगा उससे कीमतों में इजाफा होगा और फिर गरीबों पर बोझ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए रुपए के डिवेल्युएशन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम प्रैट्रोल दूसरे मुल्कों से ला रहे हैं और उसका डाइवर्सिफिकेशन भी हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ गल्फ कन्ट्रीज से ला रहे हैं हालांकि होना यह चाहिए था कि इंडोनेशिया से लाया जाए, वैनिजुला से लाया जाए और दूसरे मुल्कों से लाया जाए। इसलिए यह जो डिवेल्युएशन किया गया है, वह गरीबों के हक में जानिब नहीं है। उससे तो और भी बोझा बढ़ेगा और कीमतों में इजाफा होगा।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि जो फारन कन्ट्रीज से लोन लिए जा रहे हैं कर्ज लिए जा रहे हैं, उसका भी बोझ इतना बढ़ता चला जा रहा है। अब और इससे आगे कर्ज लिया जाएगा तो यह बहुत नाइंसाफी जनता के साथ होगी, मुल्क और गरीबों के साथ होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारे जो कान्स्टीटूशन और दस्तूर बनाने वाले हैं उन्होंने कान्स्टीटूशन के आर्टिकल–292 में यह प्रोवीजन किया था—

[अनुवाद]

अनुच्छेद 292—"भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक तथा ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाये, प्रत्याभूति देने तक, संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है।"

[हिन्दी]

इस आर्टिकल के द्वारा पार्लियामेंट को पावर दी गई है, पार्लियामेंट को चाहिए था कि वह एक ऐसा कानून बनाए कि अब जो कर्ज़ लिया जाए फारन लोन लिया जाए उसके लिए एक लिमिट और एक सीलिंग फिक्स कर दी जाए। उससे बाहर लोन लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे मुल्क के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं और हमारे आनरेबिल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया है कि डैट-रशियो -सर्विस 21 परसेंट है हालांकि यह 21 परसेंट नहीं है वह 33 से 36 परसेंट हो गया है और जो दूसरे जरीए हैं, उनसे यह हासिल हुआ है। इसलिए आप जो भी एक्सपोर्ट बढ़ायेंगे या फारन एक्सचेंज कमायेंगे उसका एक तिहाई फारन लोन के रि-पेमेंट में आप दे देंगे। ऐसी हालत में यह जायज नहीं होगा कि फारन कन्ट्रीज से लोन लिया जाए और मुल्क पर इस तरह से बोझ बढ़ाया जाए।

मैं अब कुछ दूसरी बातों के बारे में भी कहना चाहता हूं। अभी राजीव गांधी फाउन्डेशन के लिए सौ करोड़ रुपए के विदड़ा करने की बात आई है, उनके जमीर ने उनको मलामत किया, ललकारा उस पैसे को लौटाने पर। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जिस तरह से मैडियवल-पीरियड में जहांगीर थे तो नूरजहां पीछे बैठ कर उनका दामन खींच कर उनकी हुकूमत चलाया करती थी। उसी प्रकार ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई नाचीज़ बैठी हुई है जो मुल्क की ताकत को अपनी मुट्ठी में खींचे हुए है। अगर तारीख पढ़ी जाए उसमें एक जगह इसी तरह से इन्साफ किया था जब नूरजहां ने अपने तीर-कमान से एक धोबी का कत्ल कर दिया तो ऐसी हालत में जहांगीर ने इंसाफ का मुजाहिरा किया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल फाउन्डेशन आफ काम्यूनल हार्मोनी जो एक संस्था बनाई गई है, यह बिल्कुल बेसलैस है क्योंकि उसमें भी बहुत सारे वायदे किए गए थे, लेकिन कोई पूरा नहीं हुआ। **(व्यवधान)** उसी तरह से दूसरी ओर भी बहुत सारी इस तरह की बातें इसमें नहीं की गई हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हारमोनी बनाई जाती है और दूसरे भी इस तरह के प्रपोजल्स हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप नेशनल फाउंडेशन कम्युनल हारमोनी बनाना चाहते हैं और हुकूमत की नीयत साफ है तो क्यों नहीं एन०टी० राइट फोर्स बनाते हैं और माइनोरिटी फाइनेंस कारपोरेशन को कायम करते हैं। यह हुकूमत इस तरह से धोखा देकर ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती।

दूसरी बात नान प्लान एक्सपेंडीचर की है जैसे कि इसमें 16,500 करोड़ रुपया रखा है उसमें कटौती की जानी चाहिए। यह अनप्रोडक्टीव कार्य है इससे इनफलेशन बढ़ता चला जाएगा, गेलेपिंग इनफलेशन होगा और इससे देश का कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पड़ौसी मुल्क हैं उनके साथ फ्रेन्डली रिलेशन रहना चाहिए। हमें आपस में मिल कर, बैठ कर यह तय करना चाहिए कि हम अपने एक्सपेंडीचर को कम करें और इस तरह से जो गरीब मुल्क हैं वह तय करें कि हम इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सब मुल्कों के साथ फ्रेन्डली रिलेशन कायम किया जाए, चाहे पाकिस्तान हो, बंगला देश हो या अफगानिस्तान हो। इस तरह के तमाम मुल्कों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे।

तो मैं हजुरे आली यह कहना चाहता हूं कि यह जो सोने की चोरियां हो रही हैं, 3.75 बिलियन डालर सोना इलिगल, गैर कानूनी तरीके से मुल्क में आ रहे हैं। उसी तरह से एक बिलियन डालर के लगजरिस आइटम्स की चोरी हो करके मुल्क में आ रही हैं इसको रोका जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन मामलों को मत दोहराइए जो आप पहले ही उठा चुके हैं। अब आप समाप्त करिए । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुमताज अंसारी : इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि इन सारी बातों को सरकार तक पहुंचा दिया जाए और फर्टीलाइजर की सबसीडी विदड़ा कर ली गई है और 40 परसेंट उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं , यह बिल्कुल नामुनासिब है, इसको जल्दी से जल्दी विदड़ा किया जाए। वरना हाउस के अन्दर और बाहर हम लोग मुजेहरा करने के लिए तैयार हैं और उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं।

इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, 18 जुलाई को इस सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए और उस समय तक बजट पेश नहीं हुआ था, मैंने कुछ बातें कहीं थीं । मैंने कहा था कि भुगतान संतुलन का जो संकट है उसका सबसे बड़ा कारण गैर कानूनी तरीके से भारत की पूंजी का बाहर जाना है । इस सम्बन्ध में मैंने गोल्ड स्मगलिंग की चर्चा की थी, अण्डर इनवायसिंग और ओवर इनवायसिंग को जिम्मेदार ठहराया था । इन तरीकों से बाहर जाने वाली दौलत का अगर हम हिसाब लगाएं तो पिछले 10 साल में 56 बिलियन डालर रही होगी । वित्त मंत्री जी इसे पूंजी का पलायन कहते हैं, सचमुच में ये पूंजी का पलायन नहीं है यह तो चोरी है, विशुद्ध चोरी। देश का धन विदेशों में जाता है और हम उसे रोकने में असमर्थ हैं। जब देश में आर्थिक संकट गंभीर हो जाता है, विदेशों में जमा धन की हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसे अमनेस्टी दे देते हैं, अभयदान दे देते हैं और काले धन को सफेद धन में बदलने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह सिलसिला कब तक चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण में कुछ ठोस सुझाव दिए थे, लेकिन मुझे खेद है कि सरकार ने उनको ध्यान में नहीं रखा, उनके प्रकाश में बजट के प्रस्ताव नहीं बनाए। सरकार आज भी यह बताने के लिये तैयार नहीं है कि भविष्य में इस तरह की पूंजी को अवैध तरीके से बाहर जाने से रोकने के लिये कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। अगर इस संबंध में प्रभावी कदम नहीं उठाए जाएगे तो पूंजी बाहर जाती रहेगी, देश आर्थिक संकट में फंसता रहेगा। अगर सरकार ने इस संबंध में कोई विचार किया हो तो सदन को उसे विश्वास में लेना चाहिये ।

अध्यक्ष जी, मैंने यह भी मांग की थी कि इंटरनेशनल मानेटरींग फण्ड के साथ हमारी बातचीत किस आधार पर हो रही है, इसके बारे में भी सदन को और देश को विश्वास में लिया जाना चाहिये । मैंने मांग की थी कि 2 पुराने वित्त मंत्री और आज के वित्त मंत्री, इन्होंने आई०एम०एफ० के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ जो पत्र-व्यवहार किया है, उसकी प्रतियां सभा-पटल पर रखी जानी चाहिये, लेकिन सरकार इस बारे में भी मौन धारण किए हुए है । इस बीच में आई० एम०एफ० से ऋण लेने का काम बराबर जारी है। हम प्रतिदिन समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि आई०एम०एफ० के प्रतिनिधि मण्डल आ रहे हैं, जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं । बोर्ड आफ डायरेक्टर्स

में 30 देश हैं। उनको पता है कि ऋण की शर्तें क्या हैं, हमारे श्री गोपी अरोरा को भी पता है कि ऋण की शर्तें क्या हैं लेकिन हमें पता नहीं है, इस सदन के सदस्यों को पता नहीं है। क्या यह स्थिति संतोपजनक है? इस पर सरकार ज़रा गंभीरता से विचार करे। आखिर हमें मालूम तो होना चाहिये कि आई०एम०एफ० के साथ क्या खिचड़ी पक रही है।

अध्यक्ष महोदय, 26 जुलाई 1991 के "इकनामिक टाइम्स" में वित्त मंत्री ने एक भेंट में कहा, जिसको मैं उद्धृत कर रहा हूं ——

[अनुवाद]

"अगर सारी शर्तें मान ली गई तो देश की सड़कों पर बड़ी बगावत हो जाएगी"

[हिन्दी]

अगर सारी शर्तें मान ली गई तो भारत की सड़कों पर बगावत हो जाएगी। ठीक है, सारी शर्तें भारत सरकार नहीं मानने जा रही है, माननी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कौन सी शर्तें हैं जो आई० एम० एफ० हमसे मनवाना चाहता है। क्या शर्तें इतनी अपमानजनक हैं कि उनको मानने से भारत की सड़कों पर विद्रोह हो जाएगा। यह वित्त मंत्री जी का स्वयं का ब्यान है। अब इस बयान के प्रकाश में यह और भी जरूरी हो जाता है कि सदन के सामने सारी बातें साफ कर दी जाएं। क्या शर्तें हैं और हमने कौन-कौन सी शर्तें मानी हैं और कौन-कौन सी शर्तें हमने अस्वीकार कर दी हैं। अध्यक्ष महोदय, यह इसलिये भी जरूरी है कि आई०एम०एफ० का संबंध केवल हम से ही नहीं है, और भी विकासशील देशों से है। हमने तो स्वतंत्रता प्राप्ति के 40 वर्षों में एक औद्योगिक ढांचा खड़ा किया है, अन्न के मामले में हम आत्म-निर्भर बने हैं, और दिशाओं में भी हमने प्रगति की है। यद्यपि गलत नीतियों के कारण देश आज आर्थिक संकट में फंस गया है, फिर भी हम इस स्थिति में हैं कि आई० एम० एफ० का थोड़ा बहुत सामना कर सकते हैं। जिन देशों की स्थिति हमसे भी खराब है, क्या उन पर आई०एम०एफ० की अपमानजनक शर्तें लागू नहीं होंगी। क्या उन शर्तों के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए? हम अगर इस संबंध में सदन को विश्वास में नहीं लेंगे तो पूरी तस्वीर देश के सामने नहीं आएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी मांग की थी कि विदेशी ऋण लेने में स्टेट बैंक की क्या भूमिका है, यह भी बताइए। स्टेट बैंक का काम नहीं है विदेशी कर्जा लेना। यह काम रिजर्व बैंक का होता है। स्टेट बैंक तस्वीर में क्यों लाया गया? ऐसा लगता है कि सरकार स्टेट बैंक का दुरूपयोग कर रही है। अभी समाचार मिला है कि स्टेट बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को भी, जिनका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है, जल्दी से हटाने की कोशिश हो रही है। कारण कि सरकार कुछ बातों पर पर्दा डालना चाहती है। वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक टाइम्स को दी गयी भेंट में यह भी कहा था, मैं उद्धृत कर रहा हूं ——

[अनुवाद]

"मैं बैंकिंग प्रणाली के बारे में चिन्तित हूं जिस पर काफी दबाव है।"

[हिन्दी]

ये स्ट्रेन्स क्या हैं, दबाव क्या हैं ? वित्त मंत्री सदन में नहीं हैं, पोट दुखे महाराज भी सदन में नहीं हैं। वे पोट दुखे हैं, मैं उनके सिर में दर्द नहीं करना चाहता।

स्टेट बैंक की रिपोर्ट अभी प्रकाशित हुई है 1991 की। यह वार्षिक रिपोर्ट है उसके अनुसार स्टेट बैंक ने विदेश में 19 हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया, जो मार्च, 1989 और मार्च 1991 के बीच में 8 हजार करोड़ ज्यादा बढ़ गया। अब यह गम्भीर बात है, चिन्ता की बात है। इस संबंध में स्टेट बैंक की भूमिका को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह जो बैलेंस आफ पेमेंट की क्राइसिस है, भुगतान का जो संकट है, उसमें हमारे अफसरों की क्या भूमिका है, इस पर भी विचार होना चाहिये। 1985–1991 के बीच में हर महीने स्थिति बिगड़ती गयी। क्या हमारे बड़े-बड़े अफसरों ने बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में चेतावनी दी ? क्या उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया ? क्या उनका यह दायित्व नहीं है कि वे जिस कदम को गलत समझते हैं कम से कम संबंधित मंत्री को, सरकार को उसके बारे में जानकारी दें, उसके बारे में चेताएं ? यह ठीक है कि नीति का निर्धारण मंत्रिमण्डल करेगा, राजनेता करेंगे राजनेता तो चुनाव लड़ते हैं। राजनेताओं को तो जनता के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। लोग उन्हें चुनाव में परास्त करते हैं। मगर जो बड़े-बड़े अधिकारी जो वित्तीय और आर्थिक मामलों के जिम्मेदार थे, उनकी भूमिका क्या थी, इस पर गहराई से विचार होना चाहिये।

एक सेमीनार हुआ था जिसमें श्री विमल जालान ने कहा,

[अनुवाद]

"नौकरशाह इस बात की परवाह नहीं करते कि उनके कृत्यों के क्या परिणाम होते हैं।"

[हिन्दी]

अब अगर उस सेमीनार की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है वह सही है तो वह तो बड़ी खलबली पैदा करने वाली है। अब सरकार कुछ नयी नीतियां बना रही है। नयी नीतियों को कार्यान्वित करने का भार भी इसी प्रशासन पर होगा, इसी तंत्र पर होगा। क्या नीतियां को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाएगा ? क्या अफसरों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा ?

मैं उद्योगपतियों के बारे में भी कहना चाहता हूं। उद्योगपति लिबरेलाइजेशन की मांग करते रहे हैं किन्तु अनेक उद्योगपति ऐसे हैं जिन्हें हिन्दुस्तान में एक संरक्षित बाजार की आदत पड़ गयी है।

जो प्रतियोगिता से डरते हैं, जो मैदान में आना नहीं चाहते और जो चाहते हैं कि कंट्रोल बने रहे, रेगुलेशन बने रहे जिससे कि वह भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के साथ गठबंधन करके अपनी गोटी लाल करते रहें। अब उन्हें भी प्रतियोगिता में उतरना पड़ेगा। क्या वे चुनौती का सामना करने के लिये तैयार हैं। मैं इस संबंध में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी इस

बारे में प्रधान मंत्री जी से चर्चा हो रही थी। देश में विवाद है कि फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी लगाई गई है, वह कहां तक ठीक है। उसे कम किया जाए तो कितना कम किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, क्या हम जानते हैं कि हम विदेशी मुद्रा खर्च करके यूरिया मंगा रहे हैं और उस कमी को पूरा करने के लिये हम गैस पर आधारित पांच फर्टिलाईज़र कारखाने लगाना चाहते हैं। उन पांच कारखानों में से तीन कारखानों के प्रमोटरों का कहना यह है कि कुछ मामलों में सरकार से हरी झण्डी नहीं मिली है, इसलिये निर्माण लगभग थम गया है। प्रतिदिन, चार करोड़ विदेशी मुद्रा का घाटा हो रहा है और जिस मामले पर हरी झण्डी नहीं मिली है, वह बहुत ही छोटा सा मामला है। लेकिन, कौन हरी झण्डी दे। दे भी तो क्यों दे। अगर यही स्थिति आगे रहने वाली है, तो हम जिस अर्थव्यवस्था को उदार बनाने की बातें कर रहे हैं, उनसे अपेक्षित लाभ नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ कर प्रस्तावों के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार ने एक्स पेंडीचेर टैक्स एक्ट–1987 में संशोधन करने की बात कही है। अभी तक पांच सितारा होटलों में खर्चे पर टैक्स लगता था। लेकिन अब वित्त मंत्री महोदय छोटे-छोटे होटलों को भी, जिनमें अगर एक एयर-कंडीशनर लगाया गया है, एक्सपेंडीचर टैक्स की सीमा में लाना चाहते हैं। पांच सितारा होटल, संख्या में कम है। वहां लगे हुए टैक्स को आसानी से वसूल किया जा सकता है। सारे देश में फैले हुए छोटे-छोटे भोजनालयों को अगर इस टैक्स को पकड़ में लाया गया तो मैं नहीं समझता कि सरकार को कितनी आमदनी होगी। यह जरूर है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। होटलों के, छोटे-छोटे होटलों के मालिक परेशानी के शिकार बनाए जायेंगे। मेरा निवेदन है कि इस बारे में सरकार को पुर्नविचार करना चाहिये।

जहां तक व्यक्तिगत आय-कर की सीमा का सवाल है। पिछले 18 महीनों में मुद्रास्फीती बढ़ी है। अब, 22 हजार की सीमा रखने का सचमुच में कोई अर्थ नहीं है। भविष्य में कीमतें और भी चढ़ सकती हैं। हम तो मांग करते रहे हैं कि यह सीमा चालीस हजार होनी चाहिये। लेकिन, कम से कम तीस हजार, इस बजट में निर्धारित कर दी जाए, इसको मैं मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न बार-बार मेरे मन को मथता रहता है कि क्या इस देश में अभी तक टैक्सों की चोरी करने वाले किसी सज्जन को सज़ा हुई है। मैं, सज्जन कह रहा हूं क्योंकि सज़ा नहीं हुई। इसलिये, मैं उन पर दुर्जन होने का आरोप नहीं लगाता। मुकदमें चले, मामले दायर किये गये। मगर, मुझे याद नहीं है। अगर कोई सदस्य याद करना चाहे तो श्री इन्द्रजीत गुप्त शायद इस संबंध में सहायता दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मदद की जरूरत क्या है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या टैक्सों की चोरी करने वाले किसी व्यक्ति को अभी तक इस देश में सजा हुई है ? क्या कोई ऐसा उदाहरण आपको याद पड़ता है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : टैक्स की चोरी की, वही तो प्रमाण नहीं मिलता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसका मतलब है कि चोरी भी हुई और सीना जोरी भी हुई। इस सफाई से चोरी हुई कि पकड़ नहीं सके। लेकिन मुझे मालूम है इंग्लैंड का एक उदाहरण मुझे मालूम है। क्वीन के जो घोड़े दौड़ाने वाला था सर लैस्टर पिगर।

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) एक अच्छा जॉकी थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गफूर साहब को घोड़ों के बारे में अच्छी जानकारी है। मैं तो घोड़े से जो नीचे नस्ल होती है उसकी बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सर लैस्टर पिगर को ढाई साल की सजा हुई थी और भारी जुर्माना हुआ था। लोग ईमानदारी से टैक्स दें यह जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि टैक्सों का बोझा इतना भारी नहीं होना चाहिये कि चोरी करना ज्यादा लाभदायक हो जाये और टैक्स अदा करना घाटे का सौदा हो जाये।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में प्रोफेसर कैल्डर के हवाले से कहा है कि 45 पर्सेंट से ज्यादा आयकर की सीमा नहीं होनी चाहिये। लेकिन उन्होंने इस बार उसको लागू नहीं किया है, उसे लागू करने का साहस नहीं जुटा सके हैं और कहा है कि आप पांच साल प्रतीक्षा करिये पता नहीं पांच साल में वित्त मंत्री कहां होंगे और हम लोग कहां होंगे। वह इतनी लम्बी प्रतीक्षा करने के लिये न कहें।

आयकर की सीमा अधिकतम सीमा सचमुच में हमारे विचार से 40 पर्सेंट से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसके बाद, जो टैक्स लगाया जाता है उसे ईमानदारी से वसूल करिये। उसमें कड़ाई करिये, किसी तरह की राहत मत दीजिये। लेकिन टैक्सों की चोरी का प्रोत्साहन अगर रोकना है तो भार इतना नहीं होना चाहिये जिसको व्यक्ति उठा नहीं सके।

बजट में डेप्रिसीएशन अलाऊंस को घटाने की बात कही है। अब 25 पर्सेंट कर दिया है..... पहले 33 पर्सेंट था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कम कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वही कह रहा हूं। बजट में डेप्रिसिएशन अलाऊंस 33 पर्सेंट से घटाकर 25 पर्सेंट कर दिया गया है। यही मैंने कहा है। यह घटौती ज्यादा है। मेरा सुझाव है कि 25 पर्सेंट पर इसको स्थिर कर देना चाहिये। नई औद्योगिक नीति बनी है उसके प्रकाश में भी औद्योगिक संस्थानों को थोड़ी स्थिरता प्रदान करने का प्रयत्न होना चाहिये।

वित्त मंत्री ने कहा है कि वह सबसे ज्यादा परेशान वित्त मंत्रियों में से एक हैं। हमारी उनके साथ सहानुभूति है। इसलिये हम केवल टैक्सों में राहत की बात नहीं कर रहे हैं, मैं उनको आमदनी के कुछ नये जरिये भी सुझाना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने मोडवेट स्कीम को रेशों और यार्न पर लागू करने का ऐलान किया है। उनका इरादा अच्छा है, मगर परिणाम गलत हो रहा है। सरकार 230 करोड़ रुपये की आमदनी खोएगी। लेकिन वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आशा प्रकट की है कि इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। यह नहीं हो रहा है। फाइबर और यार्न उद्योग वालों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। उन्होंने ने केवल यार्न की राहत हजम कर ली है प्रति किलो 11 रुपये और प्रति टन 11 हजार रुपये के दाम भी बढ़ा दिये। अगर उपभोक्ता को लाभ नहीं होता तो वित्त मंत्री का सारा उद्देश्य विफल हो जायेगा। इस बारे में अध्यक्ष महोदय मैं उल्लेख करना चाहूंगा 1988 में इसी तरह की स्थिति पैदा हुई थी। पी० ए० सी० की 156वीं रिपोर्ट में इस तरह के कंसेशन देने की, जिससे न उपभोक्ता को लाभ होता है न सरकारी खजाने में धन आता है, तीखी आलोचना की गई थी। उस रिपोर्ट पर सदन में काफी

हंगामा हुआ था। मैं समझता हूं कि रेशे और धागे के निर्माताओं को बुलाकर साफ कह देना चाहिए कि या तो वे उपभोक्ताओं को राहत दें, अन्यथा इस राहत को वापस ले लिया जाना चाहिए। इस तरह से कोई बात बनेगी नहीं।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि देश में बड़े पैमाने पर टैक्सों की चोरी होती है। वे काले धन को प्रकाश में लाने के लिये चोरों को आखिरी मौका देना चाहते हैं। अपने भाषण में उन्होंने यह कहा है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 80 हजार करोड़ रु० का काला धन देश में तैयार होता है। अब उसे सफेद बनाने की कोशिश हो रही है और वित्त मंत्री जी ने तीन योजनायें रखी हैं।

पहली स्कीम के अन्तर्गत जो व्यक्ति 30 नवम्बर के पहले अपने काले धन को नेशनल हाऊसिंग बैंक में जमा करा देगा, उसे अभयदान दे दिया जायेगा, उस पर कोई मुकद्दमा नहीं चलेगा। हां काले धन में उसे 40 परसेंट छोड़ना पड़ेगा। दूसरी स्कीम है जो भुगतान संतुलन की स्थिति सुधारने के लिये है। यह छूट देती है कि विदेशी मुद्रा में बाहर से धन किसी भी भारतीय के हाथों में रुपये के रूप में आ सकता है। ऐसे धन पर उपहार-कर नहीं लगेगा। धन कहां से आयेगा, इसकी भी जांच नहीं की जायेगी। तीसरी स्कीम के अन्तर्गत स्टेट बैंक भारतीय विकास बांड जारी करेगा जिनका मूल्य डालर में होगा। ये बांड अनिवासी भारतीय—नॉन रेजिडेंट इण्डियंस—खरीद सकेंगे। मुझे ताज्जुब है कि वित्त मंत्री महोदय ने इन तीनों योजनाओं को एक साथ मिलाकर क्यों नहीं देखा ?

देश के भीतर जो काला धन है, उसे बाहर लाने के लिए उन्होंने कहा है कि आप जमा करिये, 40 परसेंट छोड़ दीजिये और उस धन के बारे में पूछा जायेगा कि कहां से आया ? आपको दण्डित नहीं किया जायेगा। लेकिन उन्होंने जो दूसरी और तीसरी योजना बनाई है, उसके कारण सारी योजना में खटाई में पड़ गयी है। अगर 40 परसेंट काला धन देश के भीतर देने के बाद बाकी का धन आपको सफेद करने की सुविधा मिलती है तो सरकार के पास धन जमा करने की बजाय हवाला प्रीमियम से धन बाहर भेजकर उसे डालर के रूप में लाने की कोशिश क्यों नहीं होगी ? हो रही है। हवाला प्रीमियम का रेट बढ़ गया है। मुझे नहीं लगता कि लोग हाऊसिंग बैंक में धन जमा करेंगे। ये योजनायें अलग-अलग होनी चाहिये थीं। ये तीनों एक साथ नहीं आनी चाहिये थीं। शायद वित्त मंत्री को सही सलाह नहीं मिली आप जानते हैं कि इस समय हवाला का प्रीमियम रेट बढ़ गया है, 30 परसेंट हो गया है मगर 40 परसेंट सरकार जमा करा लेना चाहती है। करोड़ों रुपया प्रतिदिन हवाला के तरीके से देश के बाहर जाता है। अब उसको वापस डालर के रूप में लाने का वित्त मंत्री ने रास्ता खोल दिया है। यह गंभीर स्थिति है, इसको गहराई से देखा जाना चाहिये। लोग दुगना टैक्स देकर घाटा क्यों उठाना चाहेंगे ?

माफ कीजिये, जो पैसा बाहर ले गये हैं, वे बड़े चतुर हैं। उनकी देश भक्ति को हम जगाने का प्रयास भले ही करें मगर वे लालची हैं। उन्होंने देश के हितों के साथ न्याय नहीं किया है और अगर उन्हें धन लाने के लिए प्रेरित करना है तो सब तरह के छिद्र बंद करने के बाद और उचित प्रोत्साहन देने के बाद ही सम्भव हो सकता है। सवाल यह है कि सरकार पूंजी पलायन को रोकना चाहती है या उसे प्रोत्साहित करना चाहती है ? मेरा सुझाव है कि सरकार इन तीनों योजनाओं

पर फिर से विचार करे और योजनायें हो सकती हैं, और तरीके अपनाये जा सकते हैं जिनसे विदेशों में गयी हुई भारतीय पूंजी वापस लौटे। सरकार स्वयं पब्लिक सैक्टर की कुछ कम्पनियों में इक्विटी शेयर देने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री ने 20 परसेंट की बात कही है। कुछ विदेशी कंपनियों को 51 परसेंट, यहां तक कि 100 परसेंट की भागीदारी पर भी निमंत्रण देने की तैयारी हो रही है। मेरा सुझाव है कि सरकार पब्लिक सैक्टर की कुछ कंपनियां, जो अच्छी कंपनियां हों, उनका नेट मवार्थ क्या है इसका मूल्यांकन कराए। उनके शेयर होल्डिंग को नेशनल रेन्यूअल फंड में रखें और मूल्यांकन के अनुसार उसका दाम लगाएं। कीमत को बीयरर शेयर में बदलें और प्रति शेयर की कीमत, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपया हो। यह शेयर अपने लोगों को बेचे जाएं। यह पूछना जरूरी नहीं है कि धन कहां से आया। मुझे लगता है कि इससे धन भी आएगा और उससे जो दुष्परिणाम होने वाले हैं दूसरी योजनाओं से, उनसे भी बचा जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सोने की तस्करी के मामले पर आना चाहता हूं। अभी तक संसार में एक लाख छः हजार टन सोना खानों से निकाला गया है। इसमें से 10 हजार टन सोना हमारे यहां है, जिसमें से 5 हजार टन सोना होर्डेड है, तस्करी का है, 5 हजार टन! यदि हम इसमें से 2 हजार टन सोना लोगों से लेने का प्रबंध कर लें, मैं 5 हजार टन की बात नहीं कर रहा हूं, 2 हजार टन का सुझाव दे रहा हूं। यह जरूरी है कि वह सोना जेवर के रूप में नहीं होना चाहिए लेकिन यहां बिस्कुट के रूप में भी सोना है। अगर हम 2 हजार टन सोना राष्ट्र के लिए प्राप्त कर सकें गंभीर स्थिति को देखते हुए, और उसे ढाई परसेंट के ब्याज पर दस वर्ष में मैच्योर होने वाले गोल्ड बांड के आधार पर प्राप्त कर सकें तो वर्तमान संकट को हल करने का एक नया रास्ता निकल सकता है। मुझे याद है, चीनी आक्रमण के बाद श्री जवाहर लाल नेहरू जीवित थे और हमने लोगों से स्वर्ण दान की अपील की थी। बड़ी मात्रा में सोना आया था। उस सोने को हमने ब्याज के साथ वापस कर दिया था। आज आर्थिक क्षेत्र में उससे कम संकट नहीं है। सोना पड़ा हुआ है, जमीन में गड़ा हुआ है। उसे निकालना चाहिए। उससे वर्तमान संकट को हल करने का रास्ता खोजना चाहिए। वित्त मंत्री इस बारे में बिल्कुल चुप है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसंकुरा) : हम लोग रूपा का व्यापार करें, चांदी का व्यापार करें तो मुश्कलात क्या है? सोने की क्या जरूरत है? डाउरी के लिए! डाउरी मत लो सोने की।

[अनुवाद]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपकी हमारी उम्र तो डाउरी की नहीं है।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : आप अपने आप को कम आंक रहे हैं

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इस मामले में आपकी विशेषज्ञ सलाह लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अगर 2 हजार टन सोना हम प्राप्त करने में सफल हों, तो उसकी कीमत होगी 36 बिलियन अमेरिकन डालर्स! अब संसार में सोने का आकर्षण कम हो गया है। खाड़ी

के युद्ध में भी सोने का भाव नहीं बढ़ा। थोड़ा सा बढ़ा था, ज्यादा नहीं बढ़ा। लोग और तरह से संपत्ति अब रखना चाहते हैं। हमारे देश में भी अगर लोगों को प्रेरित किया जाए, इसके लिए लोगों को प्रेरित करना जरूरी है, और साथ में उनको यह भी दिखाया जाए कि आप का सोना सुरक्षित रहेगा और अगर सोना सुरक्षित नहीं रहेगा तो सोने के बदले में आपको ऐसा साधन मिलेगा, जो आड़े वक्त में आपको काम आ सके, और इसके लिए कई सुझाव मेरे पास हैं, लेकिन फिर वही बात है कि वित्त मंत्री नदारद हैं।

एक माननीय सदस्य : राज्य मंत्री बैठ हुए हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, राज्य मंत्री तो बैठे हुए हैं।

अगर हम 25 बिलियन डालर, सोने को बेचकर, कर्ज उतारने में लगा दें और शेष को हम इस तरह से इन्वैस्ट करें कि हमें 10 परसेंट का लाभ हो तो देश के आर्थिक संकट को हल करने में मदद मिलेगी। हम अगर चाहें तो सोना देने वालों को यह वायदा कर सकते हैं कि 10 साल बाद उन्हें बड़े शहरों में अच्छी जमीन दी जायेगी। सोने के साथ साथ अब जमीन का आकर्षण भी बहुत बढ़ रहा है। जमीन कम होती जा रही है। लोग जमीन के लिये किसी भी सीमा तक खर्च करने को तैयार हैं। जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। सरकार के पास काफी जमीन है, जो बेकार पड़ी है। श्री जसवंत सिंह जो यहां बैठे हुए हैं, वे चेयरमैन थे और उन्होंने इस बात की जांच पड़ताल की थी कि आर्मी कैन्टोनमेंटस में लाखों एकड़ जमीन पड़ी है। आर्मी के उपयोग की जमीन आर्मी के पास रहनी चाहिये और भविष्य के विस्तार को भी ध्यान में रखना चाहिए लेकिन अगर सरकार चाहे तो बड़े-बड़े शहरों में सोने के बदले लोगों को 10 साल बाद जमीन देने और साथ ही ब्याज भी देने का वायदा करे तो लोग सोना देने के लिये तैयार हो जायेंगे। इस बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दस साल बाद कौन सरकार रहेगी, इसका क्या पता।

कई माननीय सदस्य : देश तो रहेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब जो विकास पत्र लिये जा रहे हैं, कुछ 5 साल के लिये, लिये जा रहे हैं, कुछ 10 साल के लिये, लिये जा रहे हैं। भरोसे के बिना काम नहीं होगा कामरेड कुछ तो भरोसा रखना पड़ेगा।

मेरा एक और सुझाव है कि सरकार एन०आर०आईज० को देश में सोना लाने की इजाजत दें और वह सोना बिस्कुटों के रूप में होना चाहिये, और किसी रूप में नहीं। उस पर फ्लैट रेट मे ड्यूटी लगा दी जाये और वह ड्यूटी भी डालर्स में वसूल की जाये या सोने के रूप में वसूल की जाये। इससे तस्करी भी रुकेगी, देश में जो सोने की मांग है, वह भी कुछ अंश में पूरी होगी और हवाले का धंधा भी मंदा हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, भारतीय पूंजी जो स्वदेश लौटाने के लिये और उपाय भी जरूरी है। जैसा मैंने उल्लेख किया था कि नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत पब्लिक सैक्टर में भागीदारी के लिये हम निजी पूंजी को निमंत्रित कर रहे हैं, विदेशी पूंजी को निमंत्रित कर रहे हैं, अगर सरकार चाहे तो इस संबंध में गहराई से विचार करके योजना बना सकती है। परन्तु सरकार अभी तक अपना दिमाग नहीं बना पाई है और उसका कारण यह है कि संकट की गम्भीरता की अनुभूति तो सबको है लेकिन

राजनैतिक दबाव के बीच में रास्ता कैसे निकाला जाये, यह कठिनाई आ रही है। मेरा निवेदन है कि पहले सत्ता पक्ष अपना दिमाग बनाये और फिर प्रतिपक्ष से बातचीत करे। अभी संवाद नहीं हो रहा है। नीतियां निर्धारित हो गयी हैं और सदन के सामने भी रख दी गयी हैं। अब हमारे सामने विकल्प यही है कि या तो हम उन नीतियों को अस्वीकार करें या स्वीकार कर लें। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

मैंने पहले अपने भाषण में कहा था और मैं फिर उसी बात को दोहराते हुए अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाना चाहता हूं कि हम जिस गहरे आर्थिक संकट में फंसे हैं, उसके लिये अगर हमने अपनी नीतियों में दूरगामी परिवर्तन नहीं किये और जैसा मैंने प्रारम्भ में उल्लेख किया था मान लीजिये आज जो काला धन है, उसे हमने अमनेस्टी दे दी, पहले भी अमनेस्टी दी जा चुकी है, और काला धन सफेद हो गया तथा काला धन बनाने वाले मूंछों पर ताव देकर अपने धंधे में फिर से लग गये। 10 साल बाद फिर काला धन हमारे सामने एक प्रश्न बनकर खड़ा हो जाएगा, इसको रोकना होगा, काले धन के जनरेशन को रोकना होगा और इसीलिए यदि अर्थव्यवस्था को कानूनों से, कायदों से, नियमों से मुक्त किया जाता है, नौकरशाही के चंगुल से मुक्त किया जाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए।

यह ठीक है कि सरकार जो उपेक्षित वर्ग हैं, उपेक्षित क्षेत्र हैं, उनका ध्यान रखे, यह आवश्यक है और हमारी सरकार आज के जमाने में केवल ला एण्ड आर्डर मैनटेन करने वाली सरकार नहीं हो सकती, उसको समाज के कल्याण की चिन्ता भी करनी पड़ेगी। सरकार को अनेक काम स्वयं करने पड़ेंगे, लेकिन उन कामों को करते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमारे सीमित साधन हैं, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और भविष्य के लिए एक सही दिशा बननी चाहिए।

मैं विश्वास करता हूं कि वित्त मंत्री जब बहस का जवाब देंगे, तो इन बुनियादी प्रश्नों को भी उठाएंगे और सदन को विश्वास में लेने का प्रयत्न करेंगे।

2.02 म० प०

[अनुवाद]

श्री इम्चालम्बा (नागालैंड) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री शरद दिघे पीठासीन हुए

मैं कहना चाहता हूं कि लोकसभा के इस सत्र के शुरू होने के समय से ही देश की ढहती हुई अर्थव्यवस्था पर बड़ी गरमागरम बहस चल रही है। हम यह भी देख रहे हैं कि, पहले जो राजनैतिक पार्टियां सत्ता में थी वे एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं। परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि आज हर भारतीय नागरिक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इस संकट का सामना किस हद तक कर सकते हैं। दूसरे यह संकट कितने समय तक रहेगा। तीसरे इस समस्या से निपटने के लिए हम कौनसे सुधार करने जा रहे हैं। आज देश के सामने मुख्य सवाल यही है। चाहे-अनचाहे, हमें यह स्वीकार करना

पड़ेगा कि यदि हमने पहले के लक्षणों और चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया होता तो इस संकट से बचा जा सकता था या इसे कम तो किया ही जा सकता था। हम अक्सर यह पाते हैं कि जब कोई समस्या गंभीर रूप ले लेती है तभी हम उसे मानते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्र के सामने 60 प्रतिशत से अधिक वर्तमान राजनैतिक तथा आर्थिक समस्याएं हमारे अपने कामों के कारण हैं और हमारी लापरवाही के कारण हैं। मैं सरकार के नेताओं से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसी गलती को नहीं दुहराएं तथा उन्हें ज्यादा निष्ठावान होना चाहिए और उन्हें अपने समय को देश के हितों में लगाना चाहिए तथा पिछले दिनों की तरह राजनैतिक खेलों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए।

मैं समझता हूं कि आज हमारे सामने जैसी स्थिति है वह वैसी ही है जैसी कि सोवियत संघ में है। उदाहरणार्थ दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए विदेशी सहायता की मदद लेनी चाही, दूसरे, दोनों देशों को अपनी ढहती अर्थव्यवस्था को पुनरूजीवित के लिए सोना बेचना पड़ा। तीसरे दोनों देशों ने कई वर्षों तक समाजवादी व्यवस्था अपनायी थी और अब दोनों देश इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत में जिस तरह से सोना बेचा गया, आपात्तकालीन ऋण लिए गए, उसके कारण कुछ समय के लिए तो पूरा राष्ट्र स्तब्ध सा रह गया था।

हम पाते हैं कि आज तक इस आघात से नहीं उबरें हैं। अतः मैं समझता हूं कि यही समय है जब हमें अपने आपको स्थिर करना चाहिए। दूसरे, हमें इस बात को सदा याद रखना चाहिए कि इस संकट का अंतिम हल उधार लेना नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब तक हम इस संकट के मुकाबले के लिए अपने आर्थिक ढांचे को मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते।

सरकार जिस मुक्त अर्थव्यवस्था की बात कर रही है उससे देशी उद्योगों के लिए नयी मुसीबतें पैदा होंगी। जो उद्योग उपकरण तथा प्रबंध की दृष्टि से रुग्ण है उनका क्या होगा? क्या वे बाहरी बाजार के साथ प्रतिद्वंदता को झेल पायेंगे? मेरे विचार से हमे इस बात का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। देश में वर्तमान श्रम शक्ति का क्या होगा? नये आर्थिक कार्यक्रम में हमनें इनकी भूमिका के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। मेरे ख्याल से उन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। सबसे पहले तो जागरूकता की भावना को पैदा करने की जरूरत है। हमें देश में काफी श्रमशक्ति को महत्व देना होगा। बदली हुई परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका के बारे में हमें उन्हें बताना होगा। मेरे विचार में यह ज्यादा महत्वपूर्ण है।

जिस गंभीर और कठिन स्थिति का सामना हम अभी कर रहे हैं उसमें मेरा तो यही कहना है कि भारत सरकार को अर्थव्यवस्था के गैर-जरूरी क्षेत्रों पर होने वाले निवेश को स्थगित करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के भविष्य के लिए भी एक सुस्पष्ट नीति बनानी होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों और कर्मचारियों में अब पहले वाली समर्पण भावना नहीं रही है। अब वे उसी क्षेत्र के बेहतरी के बारे में चिंतित नहीं है जिसनें उन्हें रोजगार दिया है। उन्हें अब अपनी बेहतरी की चिंता ज्यादा है। आज यही हो रहा है। जहां तक मैं समझता हूं इस मनोवृत्ति को बदलना बड़ा मुश्किल होगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हम आज जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उससे निबटने में इन कर्मचारियों

91-M/J(N)405LSS—17

का उदासीन रवैया बिलकुल ही सहायक नहीं होगा । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से कुछ उपक्रमों में होने वाले मुनाफे से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए । यह भी संभव है कि यदि यह निजी क्षेत्र में हो तो इसे और ज्यादा मुनाफा हो । हमें इसका अध्ययन करना होगा ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आर्थिक उपायों का मतलब यह नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक कटौती की जाए । उदाहरण के लिए उर्वरकों पर राज-सहायता हटाने से, जिसके बारे में हमने काफी वाद विवाद भी किया है, हमारे किसानों को बड़ी हताशा हुई है । मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान हमारी तरह नहीं है । वे व्यावहारिक लोग हैं । वे जानते हैं कि उन्हें क्या कठिनाईयां होंगी सिर्फ वसूली मूल्य बढ़ाने से उन्हें मदद नहीं पहुंचेगी फिर इस वसूली मूल्य का तो उन किसानों को कोई फायदा ही नहीं होगा जो हमेशा तंगहाल रहते हैं । यही कारण है कि मैं समझता हूं कि हमें अपने दृष्टिकोण को बनाने में ज्यादा गंभीर और व्यावहारिक होना चाहिए । ऐसा होने के बाद ही हम अपने प्रयास में सफल हो सकेंगें ।

***श्री के० वी० तंगाबालू** (धर्मपुरी) : सभापति महोदय, वर्ष 1991-92 के लिए सामान्य बजट पर इस चर्चा में भाग लेते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है ।

हमें बड़ी खुशी है कि इस गंभीर आर्थिक स्थिति में यह बजट प्रस्ताव आशा की किरण के रूप में आया है । इस बजट में देश के लाखों लोगों के सपनों और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक सुदृढ़ और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण का प्रयास है । इस बजट में पिछली गलतियों को सुधारने का तथा भारत को एक नये युग में ले जाने का भी प्रयास है । यह बजट उत्साहजनक है ।

देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए हमारे स्वर्गीय नेता श्री राजीव गांधी के शानदार और गौरवपूर्ण कार्यों को सतत जारी रखने के लिए वित्त मंत्री ने जो प्रयास किए हैं उसके लिए मैं उनका स्वागत करने के साथ-साथ उनके प्रति अपना आभार भी प्रकट करता हूं । इस प्रकार उन्होंने अपने भाषण का आरम्भ उस मरहूम नेता के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देते हुए किया है, जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अपना तन-मन-धन सब समर्पित कर दिया ।

इन बजट प्रस्तावों में कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र में लोगों को किये गये वादों की झलक है । यह बजट उन सारे सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों की प्रतिकृति है जिसका आश्वासन हमने जनता को दिया था तथा जिसके आधार पर हम दुबारा सत्ता में आए ।

भारत एक विशाल देश है पर इसके अधिकांश लोग गरीब हैं । यहां के अधिकांश लोग विकास में गहरी रूचि रखते है । अतः अधिकांश लोग इस विकासोन्मुख बजट का स्वागत करते हैं । फिर भी विरोधी पक्ष के कुछ लोगों ने तुच्छ आधार पर राजनैतिक कारणों से इसका विरोध किया है । सिर्फ राजनैतिक कारणवश, वर्तमान आर्थिक स्थिति में इन आवश्यक प्रस्तावों की जरूरत को वे समझ नहीं रहे हैं । हमें इन संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर आर्थिक हितों में इस बजट का स्वागत करना चाहिए ।

---

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर ।

महोदय, जनता के उत्थान के लिए बनाए गए सभी कार्यक्रम अर्थव्यवस्था की दृढ़ता पर निर्भर करते हैं। कमजोर तथा अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था इन कल्याण कार्यक्रमों को नहीं चला सकती। अत्यधिक संसाधन होने के बावजूद भी, यदि हमारे पास उपयुक्त तथा कुशल योजना नहीं है तो हम अवश्य ही असफल होंगे। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था को वर्तमान कठिनाइयों से मुक्त किया जाए तथा समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें सुधार किया जाए। आज कांग्रेस सरकार पर यह जिम्मेदारी है। महात्मा गांधी, नेहरू जी, इन्दिरा गांधी तथा राजीव गांधी द्वारा जिन सिद्धान्तों और कार्यक्रमों का पालन किया गया, कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व द्वारा उसी को चालू रखा जा रहा है। हम प्रगति की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे।

महोदय, इस समय मुद्रा स्फीति बहुत अधिक बढ़ गई है। आज भारत गम्भीर आर्थिक संकट की स्थिति में है। हमारी अर्थ-व्यवस्था को दुबारा पटरी पर लाने के लिए भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है तथा कांग्रेस को दुबारा सत्ता में लाया गया है। हम इस काय को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे।

माननीय सदस्य श्री बाजपेयी, जिन्होंने मुझ से पहले भाषण दिया है, एक प्रश्न का उल्लेख किया है। मैं काले धन के संबंध में उनके सुझाव का स्वागत करता हूं। हम देश में बढ़ते हुए काले धन से अत्यन्त चिन्तित है। काले धन की वृद्धि की सीमा बजट में कुल व्यय से कहीं अधिक है। यह स्थिति की गम्भीरता है। इस काले धन के मालिकों द्वारा एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है। हमें अवश्य ही यह स्वीकार करना चाहिए कि काले धन के प्रभाव को कम करने तथा इसकी वृद्धि को रोकने में हम पूरी तरह असफल रहे हैं। परन्तु मैं यह सोचकर बहुत निराश हूं कि इस काले धन को समाप्त करने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। दूसरी ओर, बजट में बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। जब तक इस सभा के तथा बाहर के सभी वर्ग संगठित तथा संयुक्त प्रयास नहीं करते, तब तक काले धन पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

माननीय वित्त मंत्री जी ने मूल्य-वृद्धि पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। श्री वी०पी० सिंह और श्री चन्द्रशेखर की पिछली सरकारें मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने के अपने कर्त्तव्य में पूरी तरह असफल रही हैं। लगातार बढ़ती हुई कीमतों ने गरीबों, श्रमिकों, किसानों तथा पद-दलितों की कमर ही तोड़ दी है। इसलिए, हम यह चाहते हैं कि सभी बजट प्रस्तावों के उद्दश्य समग्र रूप से बढ़ते हुए इन मूल्यों को कम करने तथा मूल्य वृद्धि के उत्पीड़न से गरीबों को मुक्ति दिलाना होगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय को डीजल तथा मिट्टी के तेल का मूल्य और न बढ़ाए जाने के लिए धन्यावाद देना चाहता हूं। परन्तु एल० पी० जी० गैस सिलेन्डरों की कीमतें 20 प्रतिशत बढ़ गई हैं। गरीब तथा मध्यम वर्ग के परिवार मामान्यतः ईधंन के रूप में एल० पी० जी० गैस का इस्तेमाल करते हैं। इससे इन लोगों पर बुरा असर पड़ेगा और मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह एल० पी० जी० सिलेन्डरों के मूल्यों में की गई वृद्धि के बारे में पुनः विचार करें।

एक अन्य प्रश्न, जिस पर न केवल विपक्ष अपितु कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी उत्तेजित हो रहे है वह उवरंकों पर राज-सहायता समाप्त करने का मामला है । भारत में किसान समुदाय ही एक ऐसा समुदाय है, जो गरीबी में जन्म लेता है, गरीबी में ही जिसका पालन पोषण होता है तथा गरीबी में ही मर जाता है । उर्वरकों पर राज-सहायता बन्द करने का किसानों पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ेगा । इससे उनके रहन-सहन की पहले से ही दयनीय स्थिति और भी खराब हो जाएगी । उर्वरकों पर प्रदान की गई राज-सहायता में 40 प्रतिशत की कटौती करने से उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगी और जिससे कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी । दूसरी ओर सरकार यह दिलासा दे रही हैं कि वह प्रापण मूल्यों में वृद्धि करेगी । परन्तु मैं स्पष्ट रूप से यह बताता हूं कि आप 40 प्रतिशत राज-सहायता की कमी के स्तर तक प्रापण मूल्यों में वृद्धि नहीं कर सकते । यदि आप प्रापण मूल्यों में वृद्धि करेंगे तो इससे केवल कृषि उत्पादों के मूल्यों में ही वृद्धि होगी तथा उससे उपभोक्ताओं पर बहुत बुरा असर पड़ेगा । क्या गरीब किसान और उपभोक्ता ऐसी स्थिति का सामना कर सकेंगे ? इसलिए सरकार किसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी को निभाने के लिए बाध्य हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत हैं । मेरा सरकार से गम्भीरता पूर्वक अनुरोध है कि वह सम्पूर्ण मामले पर पुनर्विचार करे और उर्वरकों पर दी जाने वाली राज-सहायता को जारी रखे । मैं स्वंय किसान परिवार से संबंधित हूं और इसलिए मैं किसानों की दुर्दशा के बारे में जानता हूं । मुझे आशा है कि सरकार मेरे इस अनुरोध का उत्तर देगी ।

महोदय, अपने राज्य के बारे में बात करते हुए, मैं अत्यन्त खेद पूर्वक यह अवश्य बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु राज्य अनेक कारणों से विकास की पृष्ठभूमि से निर्वासित रहा है । केन्द्र ने राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया है । मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं । मैं अवश्य ही दृढ़ता-पूर्वक यह मानता हूं कि श्री वी० पी० सिंह की सरकार तथा चन्द्रशेखर की सरकार ने राज्य को यथोचित वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की ।

तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री सेल्वी जयललिता ने कई मांगे रखी थी । तमिलनाडु के माननीय संसद सदस्य ने भी अनेक मांगे रखी थीं । यह सभी सही मांगे हैं तथा इन पर सहमति व्यक्त करना उचित होगा ।

महोदय, केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत कार्यों के लिए तमिलनाडु को अवश्य ही 289 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने चाहिए । राज्य ने पहले ही राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से 191 करोड़ रुपये ले लिए हैं और शेष 98 करोड़ रुपए अवश्य ही राज्य को अविलम्ब दे दिए जाने चाहिए ।

महोदय, केवल गुजरात और तमिलनाडु में पूर्ण निषेधाज्ञा लागू है । महात्मा गांधी के इस देश में, क्या इन राज्यों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा सकता ? केन्द्र सरकार ने राज्यों को निषेधाज्ञा लागू करने के कारण होने वाले वित्तीय घाटे की 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है । उस आधार पर चालू वर्ष के दौरान, निषेधाज्ञा लागू करने के लिए तमिलनाडु को 390 करोड़ रुपये देय हैं तथा, वर्ष 1977-78 और 1980 तक की अवधि में निषेधाज्ञा लागू करने के लिए पहले ही 500 करोड़ रुपए बकाया हैं, जिसे राज्य को शीघ्र ही प्रदान किया जाना चाहिए ।

जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने सभी राज्यों को पेय जल प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकीय मिशन बनाया था। सभी गांवों को पेय जल प्रदान करने के लिए यह बहुत अच्छा मिशन था। हमने इस मिशन का स्वागत किया था। तमिलनाडु सरकार ने इस परियोजना के लिए इस वर्ष 40 करोड़ रुपए मांगे थे। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि तमिलनाडु को यह धनराशि अविलम्ब प्रदान की जाए।

ओकनाकल समेकित जल योजना बहुत लम्बें समय से लटक रही है। सात वर्ष पहले यह योजना केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजी गयी थी। केन्द्र सरकार को 120 करोड़ रुपए प्रदान करने थे। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस परियोजना के लिए अनुमति प्रदान करें। तथा इसे शुरू करने के लिए राज्य सरकार के 120 करोड़ रुपए भी आवंटित करें।

कृष्णा जल-परियोजना मद्रास शहर में 1993 तक पेय जल की आपूर्ति के लिए बनाई गई है। यह परियोजना कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश सरकार का संयुक्त प्रयास है। स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की उपस्थिति में इस परियोजना का उद्घाटन हुआ था। इस परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए की आवश्यकता है तथा इसके लिए विश्व बैंक को प्रस्ताव भेजा गया है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस परियोजना को इसकी निर्धारित तिथि तक पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायें।

महोदय, तमिलनाडु राज्य को गेंगिल फार्मूले के अन्तर्गत भी वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता को 450 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया जाना चाहिए।

महोदय, राजीव गांधी फाऊंडेशन को दिए जाने वाले 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि की अनावश्यक रूप से आलोचना की जा रही है। फाऊंडेशन के माननीय चेयरमैन ने सरकार को भेजे गए एक लिखित पत्र में इस राशि को अस्वीकार कर दिया। इस देश के करोड़ों कांग्रेसी फाऊंडेशन के लिए सहायता देंगे और सरकार द्वारा धनराशि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब फाऊंडेशन के चेयरमैन ने इस धनराशि को अस्वीकार कर दिया है तथा स्वयं सरकार ने धनराशि को वापिस ले लिया है तो विपक्षी दलों को अब अवश्य ही इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्हें हमारे नेता के नाम का अपमान नहीं करना चाहिए। सभी विवाद समाप्त हो जाने चाहिऐ।

महोदय, देश के लगभग 60 प्रतिशत लोग पिछड़ी जातियों के हैं। इसलिए, मैं पिछड़ी जाति आयोग के गठन के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। इससे यह सिद्ध होता है कि कांग्रेस ही एक अकेली ऐसी पार्टी है जो पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है।

महोदय, आज ठीक ही यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि तमिलनाडु राज्य भी पंजाब अथवा कश्मीर के रूप में बदल सकता है। केन्द्रीय सरकार को अवश्य ही इस स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। राज्य में आतंकवाद और युद्धसंलग्नता बढ़ रही है। तमिलनाडु सरकार राज्य में आंतकवाद को समाप्त करने के सभी संभव प्रयास कर रही है। तमिलनाडु राज्य के लोग भी राज्य में आंतकवाद को समाप्त करने तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता की सुरक्षा के लिए उतने ही दृढ़निश्चयी हैं।

तमिलनाडु सरकार ने अपने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 40 करोड़ रुपए की मांग की है। यह धनराशि शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए ।

इस चर्चा में भाग लेने का मुझे जो अवसर प्रदान किया गया है उसके लिए मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं बजट प्रस्तावों का स्वागत करता हूं ।

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन के अन्तिम वर्ष में सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए भारी ऋण की अन्तिम किश्त का भुगतान किया था, जिसका उन्होंने पहले 1981 में इकरार किया था । इसका यह अर्थ है कि वर्ष 1984 के अन्त तक हमारे देश के भुगतान सन्तुलन की स्थिति इतनी खराब नहीं थी जितनी कि आज है । उसके बाद से क्या हुआ कि हमारा देश ऋण के बोझ से दबता ही चला गया ?

मार्च 1985 में, भारत पर विदेशों का 35,000 करोड़ रुपये ऋण था वर्ष 1989 के अन्त तक यह बढ़कर 1,02,000 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1985–86 में विदेशी मुद्रा परि-सम्पत्ति 7,384 करोड़ रुपए के मूल्य की थी जो 1989-90 में घटकर 5,787 करोड़ रुपए मूल्य की हो गई और अब यह केवल 2,500 करोड़ रुपए रह गई है । उसके बाद से सरकार बिना किसी नीति योजना के वाणिज्यिक लघु अवधि ऋण लेती रही है ।

अतः पिछले 18 महीनों तथा खाड़ी युद्ध के दौरान राजनैतिक अस्थिरता के अतिरिक्त अनेक प्रकार के संकट पैदा हुए हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि जब तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपेक्षित ऋण की राशि प्राप्ति नहीं होती, हमें बिना सोच विचार के कोई खर्च नहीं करना चाहिए ।

हमारा बजट घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है तथा दूसरी ओर हम अत्यधिक मात्रा में भुगतान सन्तुलन की संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं । सरकार को अवश्य ही कुछ दृढ़ और अरुचिकर नीति संबंधी उपाय करने चाहिए ताकि हम वर्तमान आर्थिक संकट को दूर कर सकें तथा विश्व के आर्थिक कार्यक्षेत्र में मुख्य पात्र की भूमिका अदा करने के लिए अपने देश को तैयार किया जा सके ।

सौभाग्य वश, आज हम खाद्यान्न पदार्थ, कपड़ा, अनेक उपभोक्ता वस्तुओं और दवाओं की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर हैं । हम परिवहन, तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं, भारी तथा परिष्कृत रसायनों तथा पैट्रोकैमिकल्स इत्यादि की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आत्मनिर्भर हैं ।

हमारी वर्तमान नीतियां टाटा, बिरला और बजाज इत्यादि जैसे बड़े घरानों के कार्यकलापों को प्रतिबन्धित करने के लिए बनाई गई हैं । हमारे लिए वास्तव में यह आवश्यक है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जाएं जिसमें हमारे देश में हजारों टाटा और बिरला उनके जैसे अन्य अनेक घराने बन सकें ।

मैं आपका ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर दिलाना चाहता हूं । 1150 उद्यमों में से 248 केन्द्र में हैं और लगभग 900 राज्यों में हैं । इन 1150 उद्यमों में से केवल 10 में वास्तव में लाभ हो रहा है । अन्य 30 उद्यमों में बहुत कम लाभ हो रहा है । केन्द्र में शेष उद्यम घाटे

में चल रहे हैं। राज्यों के अधिकतर उद्यम राजकोष पर भारी बोझ हैं। उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है, जिन पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण है। इसका मुख्य कारण अधिक संख्या में नियोजन है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों में 22 लाख रुपए है तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों में लगभग 10 लाख रु० है। यह सुझाव दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व अधिकार को भारत के राष्ट्रपति के अधिकार से लेकर धीरे-धीरे बदल कर भारत के लोगों के अधिकार में दिया जाना चाहिए।

अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए हम निम्नलिखित क्षेत्रों में अनेक कार्य कर सकते हैं :

इस समय तेल और प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तक ही सीमित है। मैं मंत्रालय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक फैला दिया जाये तथा सभी लोगों को खुली निविदा में भाग लेने की अनुमति दी जाये।

कोयले के संबंध में, इसकी खोज का कार्य केवल कोल इंडिया और सिगरेनी कोयला खान तक ही सीमित न रखकर उसका विस्तार किया जाये।

जहां तक विद्युत का संबंध है स्थानीय राजनैतिक हस्तक्षेप जैसे अधिक नियुक्ति संयंत्र के रख रखाव में कमी, वित्तीय नियन्त्रण और जिम्मेदारी की कमी के कारण एक या दो राज्य विद्युत बोर्डों को छोड़कर राज्य विद्युत बोर्ड बहुत बुरी हालत में कार्य कर रहे हैं। संयंत्र भार घटक में अवश्य ही सुधार किया जाना चाहिए।

जहां तक कृषि का संबंध है, हमारे कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा बहुत अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

भारत के पास इतनी क्षमता है कि निकट भविष्य में लगभग 20,000 करोड़ रुपये के कृषि उत्पाद, संसाधित खाद्य पदार्थ तथा उद्यान उत्पाद का निर्यात किया जा सकता है।

एक और क्षेत्र है, वह है पर्यटन, वह एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से उपेक्षित है। पिछले वर्ष हमने लगभग 2,500 करोड़ रुपये पर्यटन से कमाये थे, परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसे क्षेत्रों का सुधार करने के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जहां और अधिक क्षमता उपलब्ध है।

जहां तक करों का सवाल है, कर ढांचे को सरल बनाना चाहिये। करों की चोरी को सख्ती से निपटा जाना चाहिये। एक राज्य से दूसरे राज्य मे माल लाने ले जाने के बीच में सभी बाधाओं को पूरी तरह से हटा देना चाहिये जिससे कि ईंधन पर होने वाले खर्च को बचाया जा सके जो कि लगभग 9,000 करोड़ रुपये तक हो जाता है।

सभापति महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मेरा यह अनुरोध है कि मंत्री महोदय, जो यहां पर उपस्थित हैं, निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देने की कृपा करें :

1. सरकारी खर्चे में कम से कम 5,000 करोड़ रुपये की वार्षिक कटौती करना आवश्यक है।

2. प्रशासनिक खर्च यथा संभव कम किया जाये ।

3. व्यक्तिगत कर दरों तथा निगमित कर दरों को 35 प्रतिशत तक कम किया जाये ।

4. आयकर से छूट की अधिकतम सीमा को 22,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाये ।

5. वर्तमान काले धन को उत्पादकता संबंधी निवेश में लगाया जाये तथा काले धन को और बढ़ने से रोका जाये ।

6. रुग्ण छोटे एककों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिये एक पृथक एजेंसी बनाई जाये ।

भारत में निजीकरण हो रहा है। निजीकरण की प्रक्रिया के दौरान लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि राजनीतिज्ञ तथा नौकरशाह इस अवसर को अपने लाभ के लिए, भ्रष्टाचार तथा संसाधनों के दुरूपयोग के लिये प्रयोग न करें।

भारत का भविष्य पहले के मुकाबले अधिक खतरे में मालूम पड़ता है। हाल के महीनों में सरकार राजनीतिक अस्थिरता के कारण बेकार रही है। देश जातिपरक हिंसा, धर्म पर आधारित हिंसा के कारण विभाजित है तथा क्षेत्रीय स्वायतता की मांग की जा रही है। आर्थिक विकास धीमा हो गया है तथा गरीबी इस स्तर तक पहुंच गयी है जो कल्पना शक्ति से परे है तथा उसका कोई समाधान नहीं नजर आ रहा है ।

अन्त में, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को समस्याओं के प्रति वास्तविक, सकारात्मक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये तथा राजनीतिक खेल खेलने छोड़ देने चाहिये ।

भाषण समाप्त करने से पहले, मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने राजीव गांधी न्यास में अंशदान देने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है तथा यथा प्रस्तावित उर्वरक रियायतों पर पुनः विचार करने का संकेत दिया है ।

राजस्व अर्जित करने के लिए उर्वरकों के बजाये सिगरेट तथा शराब पर कर और बढ़ाये जायें तथा एल० पी० जी० तथा पैट्रोल के मूल्य न बढ़ाये जायें ।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट) : सभापति महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा शुरू किये गये सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा की तथाकथित समाप्ति की चर्चा के दौरान बहुत कुछ कहा गया है। कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जो इस विचार से प्रसन्न हैं कि नेहरूवादी अवधारणा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है ।

दूसरी ओर कुछ ऐसे भी माननीय सदस्य हैं जो आर्थिक परिक्षेत्र में देश को नेहरूवादी दृष्टिकोण से बिल्कुल विमुख किये जाये की भर्त्सना करते हैं। मुझे डर है कि दोनों गलत हैं तथा वे एक भ्रम में हैं। नेहरू के आदर्श आज भी उतने ही सार्थक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र पर नेहरू के विचारों का गलत प्रत्यार्पण किया गया है। नेहरू ने उद्योगों पर सार्वजनिक नियन्त्रण के बारे में क्या कहा है, इसको ठीक करते हुए मैं उद्धरित करता हूं :

> "यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हर वस्तु का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया जाये। अपितु हमें ऐसा प्रयास करना चाहिये जिसके परिणामस्वरूप अन्ततोगत्वा अधिक उत्पादन हो तथा रोजगार के अधिक अवसर सुलभ हों" ।

मैं पुनः उद्धरित करता हूं :

"कुछ मूल उद्योग, प्रमुख उद्योग राज्य के नियन्त्रण में होने चाहिये, अंशतः इसलिये कि इन मूल उद्योगों तथा प्रमुख उद्योगों को निजी हितों द्वारा नियन्त्रित किया जाना खतरनाक है ......तथा अन्य उद्योगों को निजी नियन्त्रण में रखा जा सकता है" ।

महोदय, अब यह स्पष्ट है, कि नेहरू हमेशा कुछ चुने हुए उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के पक्ष में थे । वित्त मंत्री ने अपने बजट में नई औद्योगिक नीति के संदर्भ में जो कहा है वह केवल नीति में परिवर्तन है । आखिरकार लोगों द्वारा नीति को ऐतिहासिक समय में ही बनाया जाता है ताकि परिवर्तन इतिहास की एक निश्चित अवधि हुए के अनुरूप किया जा सके । महोदय, आप खुद जानते हैं, आधा से अधिक विश्व, जो कुछ वर्ष पूर्व नियन्त्रित दृष्टिकोण की अटूट दीवार बना हुआ था, तेजी से परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है ।

महोदय, यह समाजवादी व्यवस्था का पतन नहीं है जैसा कि अत्यधिक उत्साही कुछ आलोचक कहने की चेष्टा कर रहे हैं। यह परिवर्तनशील सामाजिक मूल्यों के प्रति व्यावहारिक पुनः समायोजन है जो मानव मात्र की नैसर्गिक प्रवृति है ।

अतः जैसा कि मैंने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र अभी भी भारतीय उद्योग में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में शीर्षस्थ ऊचाइयों के साथ अग्रणी है, परन्तु हमें अर्थ-क्षमता की बात ध्यान में रखनी चाहिये तथा यह अर्थ-क्षमता ही एकमात्र मानदण्ड है ।

दूसरे, मुझे झुग्गियां हटाने तथा कम लागत वाले आवास बनाने वाले इस प्रशंसनीय योजना के भविष्य के बारे में कुछ आशंका है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह प्रशंसनीय योजना है । परन्तु यदि इसे प्रवासी भारतीयों द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली प्रस्तावित योजना से जोड़ा गया, तो मुझे डर है कि इससे राजनीतिक इच्छाशक्ति की गम्भीरता समाप्त हो जायेगी । क्योंकि बिना हिसाब की धनराशि से साफ तौर पर बाहर आने की अपीलें अतीत में निरर्थक साबित हुई हैं । मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि झुग्गियों को साफ करने की इस योजना को अलग रखा जाये तथा प्रवासी भारतीयों को या काले धन के ठेकेदारों को इसके साथ अन्तर्ग्रस्त न किया जाये । इसमें यथार्थ में काले धन को सफेद धन में बदलने के बजट में प्रस्तावित सभी उपाय अत्यधिक निष्क्रिय है । शायद हम परिणामों का अंदाजा भगाये बिना बहुत अधिक रियायतें दे रहें हैं ।

एक और बात जिस पर हम जोर दे रहे हैं, वह है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना जिसके लिये मेरा दल तथा सरकार वचनबद्ध है । बजट में इस के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

असम में भयानक बाढ़ आयी है । फिर भी वहां पर बाढ़ नियन्त्रण के कोई स्थायी उपाय नहीं किये गये हैं । राज्यों से कहा गया है कि वे अपने संसाधन खुद जुटायें । परन्तु ऐसा राज्य जो प्रति वर्ष जबर्दस्त बाढ़ से तबाह हो जाता है कितने संसाधन जुटा सकता है। दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण के विरुद्ध ऋणों को अनुदानों में बदलने की बात, चूंकि इसे राष्ट्रीय समस्या माना गया है को अभी पूरा नहीं किया गया है । असम समझौते के परिणामस्वरूप तेल शोधक कारखाना तथा गैस क्रैकर परियोजना जिससे लाखों क्यूबिक मीटर गैस निकाली जानी है वह अभी तक शुरू नहीं हुई है तथा फाइलों तथा कागजों के बीच में दबी हुई है । ऐसी स्थिति में जबर्दस्त जन-विरोध उत्पन्न होता है

तथा अन्ततोगत्वा अलगाववाद पैदा होता है। मैं क्षेत्रवाद अथवा उग्रवाद की वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं इससे दूर हूं। मैं विश्वास रखता हूं, कि भारत में मजबूत केन्द्र की आवश्यकता है। भारत में एक ऐसे केन्द्र की आवश्यकता है, जिसमें मौलिक संस्कृति हो जो देश को नेतृत्व प्रदान कर सके तथा देश को एक दिशा प्रदान कर सके । फिर भी देश के इस मौलिक संस्कृति के मुख्य ढांचे के अन्तर्गत सरकार को चाहिये कि विचारों तथा दृष्टिकोणों में कुछ समायोजन करे। इसके लिये हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि देश की आर्थिक स्थिति केवल तभी ठीक रह सकती है जब देश के सभी राज्यों की राजनीतिक स्थिति ठीक रहे।

वित्त मंत्री से सहमत होते हुए कि सीधा विदेशी निवेश पूंजी से प्रमुख प्रौद्योगिकी तथा विपणन उपलब्ध होगा, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि सभी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति न दी जाये, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार उनमें से कुछ कम्पनियों का अच्छा रिकार्ड नहीं रहा है ताकि वे अनिवासी भारतीयों के साथ भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग को अस्थिर न कर सके तथा स्वयं को अनावश्यक राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त न कर सकें।

हमें उन परिस्थितियों तथा दिक्कतों का पता है जिसके अन्तर्गत वित्त मंत्री ने बजट बनाया है । यह वित्त मंत्री के लिए प्रशंसनीय बात है इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने कठिन तथा खराब परिस्थितियों में से एक रास्ता निकाला है। फिर भी सामाजिक उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध है। यह गरीबों तथा असहाय लोगों के पक्ष में जानबूझ कर अलग व्यवस्था की है जोकि समाज तथा देश में शान्तिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख बिन्दु हैं। अतः हमने देखा है कि बजट में नियमित कर, आयकर ब्याज के भुगतान पर और विलासिता की वस्तुओं पर भारी कर लगाकर अमीरों पर दबाव डाला है दूसरी ओर इस बात का ध्यान दिया गया है कि जरूरी वस्तुओं को अलग रखा जाये, तथा मिट्टी के तेल के मूल्यों में कमी की गयी है तथा खाद्य पदार्थों पर रियायतें दी गयी हैं तथा 'ईश्वर के दूत' के अनुमानों के विपरीत, कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात मान रहा है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि सरकार गैर टैरिफ रुकावटों को समाप्त कर रही है तथा सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत तक कम किया गया है, बजट में जबर्दस्त आयात पर रुकावट लगायी गयी हैं। इसके अलावा तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कहने पर खाद्य पदार्थों पर राज सहायता कम करने तथा योजना खर्चों को कम करने के बजाय वित्त मंत्री ने दोनों को बढ़ा दिया है। यहां भी मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है कि न कि धन को महत्व दिया गया है।

मैं एक बार फिर बजट का समर्थन करता हूं मुझे विश्वास है कि वास्तव में इस बजट से देश के सामने जो कठिन परिस्थिति है, ठीक होगी गहरे संकट में लाया गया यह दबाव डालने वाला बजट है जो अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित और सुदृढ़ करेगा। इसमें अपनी सिद्धान्तवादी विचारधाराओं को ढूंढने की चेष्टा करना अव्यवहारिक होगा ।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : सभापति जी मैं, आपका आभार मानता हूं कि इस बजट के मुत्तल्लिक बहुत बातें कही गयी हैं लेकिन मुझे इस बजट को देखकर बहुत ही निराशा हुई। मैं वित्त मंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं। वे जाने-माने अर्थशास्त्री हैं और वित्तीय प्रशासक भी हैं

लेकिन इस बजट को अगर एक वाक्य में कहा जाये तो यह स्वावलम्बन को तिलांजलि देने वाला, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में काम करने वाला, महंगाई वृद्धि, और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला बजट है।

सभापति जी, सन् 1956 की औद्योगिक नीति केवल पं० जवाहर लाल नेहरू की घोषणा नहीं थी, यह सारे राष्ट्रीय आन्दोलन की सूझ की उपज थी जिसके अनुसार स्वावलम्बन को आधार मानकर देश की औद्योगिक नीति तैयार की गयी। समय के साथ उसमें सुधार हुआ और समय की आवश्यकता के मुताबिक उसमें संतुलन लाने की कोशिश की गयी लेकिन आज की अर्थ-नीति में जो औद्योगिक नीति हमारे समक्ष पेश की गयी है, बजट के पहले उससे लगता है कि वित्त मंत्री जी ने कभी यह सुना ही नहीं कि स्वावलम्बन की ही रचना की गयी थी आर्थिक विकास के लिए और औद्योगिक विकास के लिए लेकिन इसमें राष्ट्रीय आन्दोलन की कुछ सूझ-बूझ की उपज ही नहीं और ऐसा लगता है कि सब चीजों के लिए सारे दरवाजें खोल दिये गये और जो कुछ करेंगे वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अर्थ शास्त्री ही करेंगे। इस उदार नीति का क्या मतलब ? उदार नीति का क्या अर्थ है ? सरकार किस तरह की उदार नीति अपनाने जा रही है ? सरकार की नीतियां परिलक्षित हों। पैप्सी कोला को लाइसेंस दे दिया गया। क्या सरकार द्वारा विशेष उदारवादी नीति के तहत कोला-कोला को लाइसेंस दिया जायेगा क्योंकि उसका लाइसेंस जनता पार्टी के शासनकाल में छीन लिया गया था। हम सरकार से सपष्ट रूप से आश्वासन चाहते हैं कि नान-असेंशियल—अनावश्यक—जो बहुत ही आवश्यक चीजें हैं, उनके क्षेत्र के अलावा किसी भी उद्योग को लगाने का अधिकार नहीं दिया जायेगा। इसी तरह से एम०आर०टी०पी० बनाया गया है। यह काफी दिनों की सोच-समझ की उपज था। आज निजी क्षेत्र में मांग की गयी थी कि हजार करोड़ की पूंजी लगाने वाले उद्योग में एम०आर० टी०पी० के औचित्य को एकदम साफ कर दिया। हम जानना चाहेंगे कि सरकार की सूझ के और इस सुझाव के पीछे क्या आर्थिक चिन्तन है ? क्या इस देश में औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र पर किसी तरह के नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं रह गयी है या सरकार ऐसा समझती है तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि हमारे उद्योगपति स्वेष्ट हो गये हैं। ये उद्योगपति इतने सचेत हो गये हैं कि सरकार के नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं है और उनको एकदम से खुली छूट है उद्योग लगाने की और अब कोई सार्वजनिक हित की बात सरकार सोचती नहीं, इसको देखकर सोचेगी।

सभापति जी, इसी सिलसिले में मैं सरकार से जानना चाहूंगा। सरकार भले ही इनकार करे लेकिन अमेरिकन बीमा कंपनियां, अमेरिकन बैंकों का बहुत दबाव है कि उनकी शाखायें यहां खुलें। कई अमेरिकन बैंक यहां काम कर रहे हैं। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं भले ही अपने बैंकों की कार्य-पद्धति के बारे में शिकायत हो लेकिन सरकार की इस संबंध में क्या नीति है, क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की अगली किश्त में किसी दबाव से झुकेगी ? हम चाहते हैं और सरकार से मेरा बहुत ही विनम्र अनुरोध होगा कि अमेरिकन एश्योरेंस कंपनियों और अमेरिकन बैंकों को यहां काम करने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। क्योंकि हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, वह कुछ कमियों के होते हुए भी अच्छा काम कर रही है।

सभापति जी, मैं सरकार की श्रम नीति के संबंध में भी उल्लेख करना चाहूंगा। बजट भाषण में कहा गया है कि इससे ज्यादा रोजगार की उपलब्धि होगी और रोजगार बढ़ेगा। मुझे तो बहुत शक है। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में तो अब कोई हम इन्वेस्ट करने नहीं जा रहे हैं तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। चीजों के दाम बढ़ेंगे तो उनकी मांग भी कम होगी। इसीलिए पूंजी निवेश सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं होने के कारण स्वाभाविक तौर पर बेरोजगारी बढ़ेगी। रोजगार की कमी होगी। इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार की श्रम नीति थी और बिल पेश किया गया था राज्य सभा में, उसको सरकार दोनों सदनों में फिर से पारित करे और इस संबंध में हम सरकार से एक आश्वासन चाहेंगे।

सभापति जी, बार-बार कहा गया है और उस दिन सवाल के जबाब में भी वित्त मंत्री जी ने आश्वस्त करना चाहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव में उन्होंने रुपए का अवमूल्यन नहीं किया है। सही बात है, यह हो सकता है। उनकी बात हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि बहुत जल्दी-जल्दी दो किस्तों में अवमूल्यन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। किसकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे? हवाला व्यापारियों की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे? किसकी प्रतिक्रिया आप जानना चाहते थे जो आपको बहुत जल्दी-जल्दी दो बार दो किस्तों में रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा? सभापति जी, आज यह चर्चा है कि हमारे अपने प्रशासकों ने और हमारे अर्थशास्त्रियों ने पहले किस्त का सुझाव दिया था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में दूसरा अवमूल्यन करना पड़ा। हम चाहेंगे कि वित्त मंत्री जी, इस संबंध में भी स्पष्ट करें।

सभापति जी, विदेशी ऋण नीति के संबंध में एक शब्द कहना चाहूंगा। सरकार, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र से और निजी क्षेत्र से ऋण लेती है और दुर्भाग्य की बात यह है कि धीरे-धीरे इसका अनुपात बदल गया है। क्योंकि सरकारी स्तर पर ऋण लिया जाता है, उसका सूद कम होता है और जो निजी स्रोत से ऋण लिया जाता है उसका सूद ज्यादा होता है। इस संबंध में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि 1970-72 में जो विदेशी ऋण लिया गया उसमें सरकारी क्षेत्र से कम सूद पर जो रुपया मिला वह 95.8% था और जो निजी क्षेत्र से लिया गया वह 4.9% था। 1980-82 में आफिशियल स्रोत से जो ऋण लिया गया उसका अनुपात था 83.9% और निजी क्षेत्र से 16.1% और 1989 में इसका अनुपात बढ़कर के आफिशियल स्रोत से 59.3% और निजी स्रोत से, 40% से ऊपर था और हमारे ऋण का जो बोझ बढ़ा है सभापति जी, और आज जो हमारा सिक्का हमारा रुपया उस दबाव में पड़ा हुआ है, इसी कारण से हम जानना चाहते हैं कि क्यों इस तरह की, व्यवस्था की गई है? क्या आवश्यकता थी इस अनुपात को बदलने की और दूसरे, यह जो पैसे आए वह किन मुद्दों पर खर्च किए गए? सरकार यह पेश करना चाहती है, परन्तु सदन यह जानना चाहता है कि जो इतना सार्वजनिक सरकारी या गैर सरकारी स्रोतों से ऋण लिया गया उसके अनुपात में इतनी तबदीली हुई, उसका इतना बड़ा दबाव हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है, आज यह सरकार स्पष्ट करे कि किन स्रोतों पर खर्च हुआ? विदेशी बैंकों से विदेशी मुद्रा लेकर हम इस हालत में पहुच गए हैं कि दुनिया में हम सबसे बड़े भिखमंगे बन गए हैं।

3.00 म. प.

अंत में, सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जिस सहज और आसान तरीके से देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है, मेरा उससे विनम्र मतभेद है। हमारे सामने उदाहरण है कि कोई भी देश आज तक उधार या कर्ज लेकर तरक्की नहीं कर पाया है, किसी देश का निर्माण नहीं हुआ, प्रगति नहीं हुई और न होना संभव है। दुनिया में आज तक जितने देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के चंगूल में फसे हैं, सभी की हालत पतली होती जा रही है, चाहे वह मैक्सिको हो अर्जेन्टाइना हो या कोई दूसरा देश हो।

मैं वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि आप जरा मजबूत दिल करके देश की आर्थिक स्थिति को सुधारें, मजबूत दिल से देश का निर्माण करने के लिये शृंगार और जितनी दूसरी अनावश्यक वस्तुएं हैं, उन पर टैक्स बढ़ायें और यदि उनका उत्पादन करने वाली फैक्टरियों को बंद करने का निर्णय भी करना पड़े तो उसमें पीछे न हटें बल्कि देश को और इस सदन को विश्वास में लेकर देश निर्माण के काम में आगे बढ़े। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ऐसा जाल है जो हम लोगों को दुनिया में भिखमंगा बनाकर छोड़ेगा और हमारी हालत बद से बदतर होती जायेगी, यही चेतावनी मैं आपके जरिये सरकार को देना चाहता हूं।

डा० आर० मल्लू (नगर कुरनूल) : सभापति महोदय, मैं इस बजट का स्वागत करता हूं क्योंकि इस बजट ने वित्तीय संकट के चंगुल से सामान्यतः आम आदमी को और खास कर कमजोर वर्गों के लोगों की रक्षा की है। साथ-साथ ग्रामीण विकास के लिए आबंटन को भी 3115 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3508 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसने एकमात्र रूप से ग्रामीण विकास के लिए अर्थात ग्रामीण जल सप्लाई के लिये 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

मैं इस बजट का इसलिए भी स्वागत करता हूं कि इसने समाज के सबसे निम्नवर्ग यानि, सफाई करने वाले लोगों के कल्याण के लिए भी 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस बजट में राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए प्रावधान किया गया है जिसमें बेहिसाब धन जमा किया जा सकता है जिसका प्रयोग गंदी बस्ती सफाई और गांवों के गरीब वर्ग के लोगों के लिए निम्न लागत के मकान दिये जा सकेंगे।

3.02 म. प.

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई :

महोदया, बजट का समर्थन करते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पुर्नविचार के लिये कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूं। उर्वरकों की कीमतों में अचानक वृद्धि से किसानों में भय पैदा हो गया है। तथा जैसा कि आप जानते हैं कि इधर पिछले कुछ समय से किसान अपनी समस्याओं को संसद में हल करने के लिए संसद सदस्यों के ऊपर छोड़ने को बजाये स्वयं हल कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में वे अब सड़कों पर उतर आये हैं और वे बंद तथा इसी तरह के अन्य आंदोलनों में लगे हैं। वे भंडारकों के पास खुद जाकर भंडार का वितरण करा रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो प्रजातंत्र को खतरा है। अतः इस मामले में मैं आपके मारफत से वित्त मंत्री से अनुरोध करुंगा कि किसानों के लाभ के लिए उर्वरकों की कीमतों को घटायें। ऐसा न करने से सिर्फ किसान ही नहीं। अपितु आम आदमी और दूसरों को भी लाभ होगा।

मुझे खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री ने घर में काम आने वाले आवश्यक बर्तनों को कर से छूट दी है परन्तु इसमें खाना बनाने वाली गैस को शामिल करना वे भूल गये हैं। जो आम आदमी द्वारा उपयोग में लायी जा रही है। आजकल, जैसा कि आप जानते हैं खाना बनाने वाली गैस कोयले से सस्ती पड़ती है। अतः शहरों और गांवों के काफी लोग खाना बनाने वाली गैस का उपयोग करने लगे हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री खाना पकाने की गैस की कीमतों में हुई वृद्धि पर पुर्नविचार करें। अब ग्रामीण लोगों के लिए भी चीनी एक आवश्यक वस्तु बन गयी है। इन दिनों शहरों और नगरों के लोग चाय और काफी के गलत प्रभावों को जान गये हैं। पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने शहरों और नगरों के लोगों की अपेक्षा चाय और काफी का अधिक उपयोग शुरु कर दिया है। यह इस बात से स्पष्ट है कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी दे रहे हैं और चीनी अब एक आवश्यक चीज हो गयी है। अतः मैं वित्त मंत्री से इस पर पुर्नविचार करने का आग्रह करता हूं।

पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के लिए मैं प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। इस मामले में न केवल पिछड़े वर्गों ने अपितु अन्य लोगों ने भी सरकार के दृष्टिकोण की सराहना की है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस आयोग को और अधिक धन दे और यह भी सुनिश्चित करे कि पिछड़े वर्गों पर ध्यान रखा जायेगा। अतः समान रूप से माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये इस बजट की मैं सराहना करता हूं और पूरे मन से इसका समर्थन करता हूं।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : सभापति महोदया, हम इस बात को समझते हैं कि पिछले पंद्रह महीनों की आर्थिक कुव्यवस्था तथा कुशासन एवं भुगतान संतुलन के समायोजन की वजह से कई कठोर कदम उठाने पड़े हैं। इसी के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि हुई, उर्वरक पर राज सहायता में कटौती हुई तथा रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडिशनरों, आदि पर करों में वृद्धि हुई। परन्तु हमें आशा थी कि आयकर सीमा को बढ़ाया जाएगा। इसे काफी पहले ही हो जाना चाहिए था तथा रुपए के अवमूल्यन की वहज से यदि इसे 7,000 रुपये या 10,000 रुपये कर दिया जाता तो अच्छा होता।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अब वह समय आ गया है जब कि बढ़ती आबादी के साथ कराधान को जोड़ना होगा या इसको हतोतसाहित करने के लिए कुछ करना होगा ताकि इसे बढ़ने से रोका जाए यदि एक बच्चे वाले परिवारों को कुछ प्रोत्साहन जैसे उच्चतर आयकर छूट की अधिकतम सीमा तथा कराधान की न्यूनतम दर जैसी सुविधाएं दी जायें तो वे एक बच्चे वाले परिवार को ज्यादा दिनों तक बनाये रखने की कोशिश करेंगे तथा काफी समय तक दूसरे बच्चे के लिए कोशिश नहीं करेंगे। आबादी पर नियंत्रण के लिए गंभीरता से कुछ सोचने का समय आ गया है। नहीं तो, इससे भी कठोर बजट लाना होगा और बिना ऐसे उपायों के अर्थव्यवस्था को बनाये रखना बहुत मुश्किल होगा।

जहां तक उर्वरकों में राज-सहायता की कटौती का सवाल है, अभी तक समाज तथा सम्मानित सभा के वर्ग ने इसकी सराहना नहीं की है। हमें उम्मीद है कि इस कटौती को कम करने के लिए कुछ न कुछ जरूर किया जायेगा। यदि इस राज-सहायता को पूर्णतया कायम रखा जायेगा तो हमें खुशी होगी, क्योंकि यदि किसानों की आदान लागत बढ़ेगी तो कीमतों में भी वृद्धि होगी। कृषि

उत्पादों का उपयोग उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में ही नहीं, वरन् जनता के भोजन के रूप में भी होता है तथा जो अतिरिक्त बच जाता है उसका निर्यात भी किया जाता है। यही कारण है कि इस पर गंभीर रूप से विचार होना चाहिए तथा हमें उम्मीद है कि बजट के अंतिम रूप से पारित होने के पहले वित्त मंत्री कुछ-न-कुछ जरूर करेंगे। छोटे या सीमांत किसानों को कुछ प्रोत्साहन देने की बजाय उर्वरकों पर राज-सहायता को बनाये रखना एक ज्यादा स्वागत योग्य कदम होगा।

करीब दो वर्ष पहले मैंने इस सभा में राज-सहायता के बारे में सुझाव दिया था कि उर्वरकों पर दी जाने वाली राज-सहायता में सिर्फ कृत्रिम या रासायनिक उर्वरकों पर ही नहीं अपितु जैविक खाद में भी दी जानी चाहिये, जैसे, गोबर गस प्लांट के जरिए किसान गोबर में नाइट्रोजन मिलाते हैं। गोबर में एक या दो प्रतिशत नाइट्रोजन को मिला दिया जाता है। यदि वे ऐसे प्लांट लगायेंगे तो उसमें भी उन्हें राज-सहायता दी जा सकती है। खाद्यान्न, जो कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल है, पैदा करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तभी यह कम कीमत पर उपलब्ध होगा और उस कीमत पर कृषि आधारित उद्योग और उपभोक्ता इसे खरीद सकेंगे।

जहां तक खर्च का सवाल है, इसमें, हम मंत्रालय के कार्यालयों और निगमों के कार्यालयों के खर्च की तुलना कर सकते हैं। विभिन्न मंत्रालयों के निगमों में अति विलासी-वैभवशाली संस्कृति नजर आती है। यदि आप ऊर्जा मंत्री के कार्यालय में जायेंगे तो आप पायेंगे कि बिजली के तार खुले है और दिवारों पर लटके हैं। यदि आप एन० टी० पी० सी० चेयरमैन के कार्यालयों में जायेंगे तो आप पायेंगे कि 1,000 करोड़ रुपये की फरक्का की परियोजना या किसी अन्य परियोजना का संचालन करने वाले प्रबंधक के कार्यालय, स्नानागार और शौचालय में भी केंद्रीकृत वातानुकूलित व्यवस्था है। यदि इसी तरह खर्च किया जाता रहा तो आप चाहे जितना भी कर लगा लें, चाहें जितनी बचत कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह समय है जब कि बैंकों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, जो इस तरह के खर्च कर रहे हैं, सरकारी नियंत्रण में लाया जाये। आप किस किस्म का नियंत्रण चाहते हैं, किस किस्म का करने हैं, वह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप सरकार किस प्रकार चलाते हैं। वह तो प्रत्येक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री पर निर्भर करता है। यह सरकार को एक चुनौती है। मैं निगम का नाम जाहिर नहीं करना चाहूंगा। दो साल पहले उसने प्रत्येक पांच रुपये मूल्य के आमन्त्रण-पत्र जारी किये थे। वे आवास के खजाने की लागत पर यह विलासितापूर्ण खर्च कर रहे हैं।

बम्बई और दिल्ली में महानगर टैलीफोन निगम लि० के कार्यालय है। एम०टी०एन०एल० के अधिकारियों को अधिक वेतन चाहिये, एक ओर तो बम्बई में फालतू खर्च किया जा रहा है दूसरी ओर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोग नई टेलीफोन लाइनों के लिये लालायित हैं और जो थोड़े बहुत टेलीफोन हैं भी तो वे भी धन की कमी की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ अन्य स्थानों में छोटे टेलीफोन केन्द्र धन न होने से, कुछ पुर्जों के न मिल पाने की वजह से बेमरम्मत पड़े हैं। किन्तु महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अधिकारी पांच सितारा विलास में मग्न है और उन्हें दफ्तर में अच्छी सुविधा-शर्तें प्रदान की गई हैं जो अर्थव्यवस्था पर अधिक बोझिल होने के कारण उन्हें नहीं दी जानी चाहिये।

इजाजत हो तो मैं दिल्ली में करों के भुगतान की बाबत कुछ बातें सुनाता हूं । हम वाजिब करदाताओं पर कर लगा रहे हैं किन्तु ऐसे लोग भी हैं जो करों से बचते हैं, जो कर दे सकते हैं परन्तु कर अपवंचन करते हैं । हर कालोनी में आपको प्रापर्टी डीलर मिल जायेंगे और बेनामी सौदे भी होते हैं । यदि आप लाइसेंस जारी करके इन प्रापर्टी डीलरों पर आय कर लगा दें तो आपको कुछ आमदनी होगी । मेरे अन्दाज से आपको दिल्ली में ही 15 से 20 करोड़ रुपये की आमदनी हो जायेगी । दूसरे शहरों में मकानों, फ्लैटों और बंगलों की खरीद-फरोख्त पर कुछ उपकर तथा अन्तरण शुल्क देकर करने की इजाजत है । यहां दिल्ली विकास अधिकरण और सरकार ने पिछले छः महीनों के दौरान ऐसे अन्तरण करने की अनुमति देने का प्रयास किया किन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना है और अच्छी आमदनी होगी ।

दूसरे लोग सोचते हैं कि दिल्ली वासियों को अधिक रियायतें दी जा रहीं हैं । सन् 2000 तक दिल्ली की आबादी एक करोड़ होगी । प्रत्येक 100 में एक व्यक्ति दिल्लीवासी होगा । किन्तु आप तो दिल्ली वालों को बड़ी-बड़ी रियायतें दे रहे हैं । उदाहरण के लिए आप परिवहन में रियायत दे रहे हैं और इस प्रकार करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है । दिल्ली परिवहन निगम को हर साल करीब 40 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है । यानि आप देशभर की जनता के लिये ईंधन की कीमतें बढ़ा देते हैं, तो भी दिल्ली के लोगों के लिए किराये की दरें और बढ़ जाती है और घाटा कम किया जा सकता है ।

अब समय आ गया है जबकि विभिन्न विभागों में कर्मचारी प्रणाली की समीक्षा की जाये और किफायत बरत कर खर्च में कटौती की जाए । उद्योग के विकास के साथ कतिपय क्षेत्रों के साथ कम्प्यूटर और इलैक्ट्रानिक मशीनें लगाने पर अब कर्मचारियों में कमी की जा सकती है और इन कर्मचारियों को लाभप्रद रूप में किन्हीं अन्य क्षेत्रों में नियोजित किया जा सकता है किन्तु इस समय आधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू किये जाने के बावजूद कर्मचारियों की संख्या उतनी ही है । इस पर बहुत गहराई से विचार करना होगा । यदि प्रत्येक मंत्रालय ऐसा करे, तो वह वही काम कम कर्मचारियों से कराकर कुछ किफायत कर सकता है ।

आज आशा यह है कि प्रौद्योगिकी के विकास से और प्रशासन की आधुनिक प्रणालियों से प्रशासन व्यय 19 से 20 प्रतिशत तक होना चाहिये जबकि बजट में विकास कार्यों के लिए 30 प्रतिशत धनराशि नियत करनी चाहिये । आज हो यह रहा है कि लगभग 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की निधि तो वेतन और प्रशासनिक व्यय पर प्रयोग की जा रही है और 50 प्रतिशत से कम धनराशि का उपयोग परियोजना अथवा योजना के अन्तर्गत विकास कार्य पर लगाया जाता है । इस गंभीर मसले पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है ।

मैं इन शब्दों के साथ ही मैं समय देने के लिये माननीय सभापति का धन्यवाद करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जाटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति जी :—

"वित्त मंत्री जी का सदन ने सुना बजट का भाषण,

और जारी यह संभाषण :—

अब मैं उद्धरित करता हूं, चार्वाक सिद्धान्त--

"यावत्जीवेत् सुखम् जीवेत्, ऋणम कृत्वा घृत्तम् पिबेत्,
भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागनम् कुतः ।"

अर्थात्—"जब तक जिओ, सुख से जिओ, कर्ज लेकर घी पिओ,
मर जाने के बाद कौन आता है, कर्ज चुकाने को।"

सरकार ने ऐसा ही किया है —

"जब तक जिओ, सरकार में जिओ, कर्ज लेकर घी पिओ,
सरकार से हटे तो कौन आता है, कर्ज चुकाने को।"

"सौ दिन में महंगाई कम करने के वादे से सरकार बनाई,
आते ही सरकार ने रुपये की कीमत घटाई, बेचारी महंगाई शर्माई,
रुपये की होते देख खिंचाई।"

"और सोना, सोने का क्या होना,
पड़ा-पड़ा यहां क्या करेगा, देश पर उसकी सुरक्षा का भार बढ़ेगा।
इसलिए कुछ बेचा और कुछ विदेश को ऐसे ही भेजा गिरवी,
सोने की चिड़िया का देश, चिड़िया सोना ले उड़ी विदेश,
देश का क्या होने वाला ?

"दुःख इस बात का नहीं,
कि चिड़िया उड़ी विदेश
बुढ़िया की मौत तो,
एक दिन होनी ही थी,
गम इस बात का है कि,
मौत ने घर का दरवाजा देख लिया।"

"आपने ही कहा—हम समाजवाद लाएंगे,
गरीबी हटाएंगे, देश की एकता बनाएंगे।
समाजवाद आया नहीं, वाद-विवाद हो गया,
गरीबी हटी नहीं, गरीब गरीब हो गया।
एकता बनी नहीं, ऐसा कैसे हो गया ?"

"वादे केवल वादे थे, पुख्ता नहीं इरादे थे,
भूल तो हुई कहीं, समृद्ध देश बना नहीं।
गांधी से गांधी तक, चार दशक बीत गये,
स्वदेशी की स्थापना के, स्वप्न सभी रीत गये।"

91-M/J(N)405LSS—18

"स्वतंत्र देश हो गया, स्वतंत्र हम हुए नहीं,
मानसिक दासता से हम अभी उबरे नहीं।
नई औद्योगिक नीतियां, अब विदेशी कम्पनियां,
व्यापार को स्वतंत्र हैं, यह विदेशी तंत्र है ?
हम कहां स्वतंत्र हैं ? अब कहां स्वतंत्र हैं।"

"आमदनी से महंगाई की, है दुगनी रफ्तार,
प्राइस इण्डैक्स बढ़ गया, लाइफ इण्डक्स बेकार,।
लाइफ इण्डैक्स बेकार, गुजारा कैसे होगा,
जब घोड़ा गाड़ी के पीछे जुतेगा।"

"अरे, कोई इनको समझाओ, महंगाई पर रोक लगाओ,
जितने टैक्स लगाये, उनसे चौगुना घाटा,
पैट्रोल तो पैट्रोल, रसोईगैस को मारा चांटा,
औसत आयवर्ग हुआ है आहत,
व्यक्तिगत आयकर में मिली नहीं है राहत,
इम्पोर्टेड सामान हुआ है सस्ता,
स्वदेशी माल की हालत खस्ता।"

शक्कर

"एक आस बाकी थी, चीनी के मिठास की,
सौ दिन में महंगाई कम करने वालों ने, कम कर दी मिठास भी,
कम कर दी मिठास भी, शक्कर के भाव बढ़ेंगे,
कहते थे, महंगाई हम कम करेंगे।"

"किसान के एहसान को, खेत और खलिहान को,
अथक श्रम मुस्कान को, भुला दिया किसान को।
बीज ठीक मिलता नहीं, खाद महंगा कर दिया,
दिया उसने देश को, हमने उसे क्या दिया ?
महंगी होगी खाद, लागत भी ज्यादा होगी,
तब फसल किस भाव बिकेगी, किसान को लाभ न होगा।
कहते हैं—समर्थन मूल्य बढ़ा देंगे, महंगाई के अनुपात में,
महंगा कृषि उत्पादन होगा, गरीब का क्या होगा ?"

"याद करो, सौ दिन के वादे का क्या होगा ?
घोषणा पत्र में छपा क्या केवल भरमाने को,
हाथी के दांत खाने के होते हैं अलग, अलग होते हैं दांत दिखाने को।"

"जिस कागज पर छपता था, मंहगाई का समाचार,
उस कागज पर भी पड़ी, महंगाई की मार,
कागज सस्ता करो जी, महंगाई की सस्ती खबर छपेगी ।"

"श्रमम् बिना न किमउपि साधनम् ।"

"श्रम के बिना असम्भव सब कुछ,
श्रम देश की शक्ति है, श्रम अराधना भक्ति है,
श्रम के बिना निरर्थक जान, श्रम है उद्योगों के प्राण ।
कौन बनाता हिन्दुस्थान ? भारत का मजदूर किसान ।"

"उद्योग में श्रम और पूंजी का बराबर का हिस्सा है,
एक पूंजी लगाता है और दूसरा पसीना बहाता है ।"

इसलिए—

"श्रम और पूंजी को, बराबर का महत्व मिलना चाहिए,
और उद्योग में श्रम और पूंजी की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए,
उद्योग श्रम आधारित होना चाहिए ।"

शिक्षा—

शिक्षा-शिक्षा भिन्न है
"अ" अमीर का
"अ" असहाय का
गरीब की शिक्षा
भिक्षा है ?
और सम्पन्न की
समृद्ध है ।

गांव—

एक ओर गांव है
अभाव ही–
अभाव है ।
पानी बिजली शिक्षा का
स्वास्थ्य और चिकित्सा का
ध्यान देगा अरे कोई ?
जहां अभाव ही अभाव है ।

आरक्षण—

आरक्षण के नाम पर
मचा बहुत कुहराम।
संरक्षण उनको नहीं मिला
अनुसूचित जाति, जन-जाति में जिनके नाम।
काम अभी बहुत कुछ करना है,
सब, समाज को लिए साथ में,
आगे बढ़ना है।

बेरोजगारी—

आराम है हराम
बात को अंजाम दो।
बेकार नौजवान को
हर हाथ को काम दो।

किया है जब वादा
काम तो देना होगा।
नौजवान कब तक
धरे हाथ पर हाथ
चुप बैठेगा ?

हर हाथ को काम दो,
नौजवान को स्वाभिमान दो।

राजीव फाऊन्डेशन—

फाऊंडेशन के नाम से
विरोध नहीं था हमारा।
पर फाऊंडेशन किसकी
देश की या और किसी की
यह देश ने जाना।

अब तक जितने नाम से
किए गए हैं काम
उन सब कामों का
क्या हुआ अंजाम ?

अरे ! काम नाम से
नहीं होता है
होता है अच्छा काम
जब करने वाला अच्छा
होता है।

अच्छा हुआ यह
बनाने से पहले,
गिरा दिया फाऊंडेशन का ढांचा।
सांच को नहीं आंच
यह समय ने जांचा।

देश में अपने क्षेत्र के बारे में जहां पर कि कुंभ का मेला हो रहा है उसको व्यक्त करते हुए में अपनी बात समाप्त करूंगा :—

देश में
हरिद्वार, प्रयाग
और नासिक में
कुंभ मेला आयोजित होता है
उज्जैन में,
सिंहस्थ कुंभ पर्व होता है।

उज्जैन
साहित्य-सस्कृति
कृष्ण सुदामा की मैत्री
कालिदास विक्रमादित्य
"महाकाल" की नगरी है।

कुंभ मेला सिंहस्थ पर्व के आयोजन के संबंध में,
विनम्र निवेदन है—

केन्द्र सरकार
उज्जैन में आयोजित
इस राष्ट्रीय एकात्मता के
सांस्कृतिक समारोह को
सफल बनाने हेतु
पूरी सहायता करे।

जिससे
देश विदेश से आने वाले
लाखों लोगों को
कोई असुविधा न हो।
और आयोजन पूर्ण सफल हो॥

एक बात मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं—

झुक-झुक करें प्रणाम
बात बात में
वाह ! वाह! ! कहिए
करें करारी घात
संभल कर उनसे रहिए।
कहे सत्य कविराय,
करते जो बात खरी
मिल उसे अपना जानो
करता चिकनी चुपड़ी बात
घात उसकी पहचानो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कविता में व्यवधान डालना अच्छा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जाटिया : मैं पूर्णता की ओर बढ़ रहा हूं :—

बजट में
विद्यमान प्रावधान
जिससे
प्रभावित होता
देश का
गांव–गरीब–जन सामान्य
और किसान।
उनको वापस लो।
स्वदेशी को करो प्रोत्साहन
स्वतन्त्रता को सार्थकता दो।
जनहित विरोधी
यह बजट है
मेरा विरोध दर्ज करो।
इतना कह कर
मैं शब्दों को
विराम देता हूं।
सभापति जी
मैं आपके माध्यम से
सदन को
धन्यवाद देता हूं। . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय। कृपया शांत रहें।

[अनुवाद]

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : सभापति महोदय, एक विशेषज्ञ अर्थशास्त्रवेत्ता वित मंत्री ने विशेषतापूर्ण कार्य किया है किन्तु डा० राबर्ट् सन के शब्दों में "मैं अपना दृष्टिकोण, एक बेवकूफ के नजरिए से उसके बेवकूफ मित्रों के बीच से इस भाषण में प्रस्तुत करूंगा और आशा केवल इतनी की जाती है कि कुछ बुद्धिमान लोग इस पर कुछ दिलचस्पी से देखेंगे। एक 'मूर्ख' से मेरा आशय उनसे था जो गणित के सरल किन्तु लम्बे विस्तार से भयभीत हैं।"

वित्त मंत्री से आशा की जाती है कि वह अर्थव्यवस्था का संचालन करे और देश को बुराइयों से निजात दिलाएं। किन्तु त्रासदी यह है कि संचालन वित्त मंत्री के हाथ में नहीं है, यह वास्तव में उच्च कमान--काला धन रखने वाले लोगों और बड़े जमींदारों, वाणिज्य मंडलों के प्रैसीडेंटों और सर्वोपरि रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक के हाथों में है। इसलिए उनकी नजर में प्रशंसा की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध-निदेशक माइकेल चामदेसस ने एशियन न्यूज इन्टरनेशनल को वाशिंगटन में बताया था कि अ० मु० कोष यह मानता है कि भारत का बजट और उसकी सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों से दो वर्षों में भारत विश्व अर्थव्यवस्था के मंच में एक प्रमुख आर्थिक खिलाड़ी होगा। "ऐसा ही कांग्रेस जन भी कहते हैं और वे संतुष्ट हो जाते हैं।"

बजट के स्वरूप को देखते हुए, वित्त मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि "वित्त मंत्री का जीवन कम होता है" पता नहीं डा० सिंह रहेंगे या नहीं किन्तु कांग्रेस के घोषणापत्र में जो वादे किए गए हैं, उन्हें शानदार ढंग से दफना दिया गया है और मुझे इसका पूरा यकीन है। मुझे विश्वास है कि कीमतें कम करने, लाखों युवाओं को रोजगार देने के वादे पूरे नहीं किए जाएंगे। तथापि वित्त मंत्री महोदय नमक पर से राज-सहायता वापस लेने के उत्सुक थे--कांग्रेस (इं) के घोषणापत्र में यही वादा किया गया था। वह कहते हैं काश "मैं वापस लौटा और मैंने यह पाया कि नमक पर पहले ही से कोई उत्पाद शुल्क नहीं है।" कांग्रेस (इं) देश की जनता से ऐसे वादे करती है।

बजट में वित्तीय संतुलन को कम करने, भुगतान अदायगी की शक्ति की बहाली के लिए हालात बनाने, मुद्रास्फीति को रोकने, समायोजन और विकास के बीच संतुलन बनाने की बात कही गई है और वह भी मानवीयता पूर्ण मुखौटा पहन कर। वित्त मंत्री महोदय ने इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वित्तीय घाटे को 8.5 प्रतिशत से कम करके 6.5 प्रतिशत, राजस्व घाटे को 3.5 प्रतिशत से कम करके 2.5 प्रतिशत और बजटीय घाटे को 10,779 करोड़ रुपए से कम करके 7,719 करोड़ रुपए कर दिया है। ऐसा उन्होंने यहां वहां खर्च और राज-सहायता में कटौती करके और कर व्यवस्था में सुधार करके करने की कोशिश की है। इसके साथ मुद्राह्रास, औद्योगिक नीति, नई व्यापार नीति और अनियंत्रित बाजार व्यवस्था—विनिश्चायक ब्याज दरें, गैर सरकारी क्षेत्र में सांझी निधि के लिए मार्ग खोलने की समर्थन सहायता भी शामिल हैं।

बजट में मुद्रास्फीति को रोकने की कोशिश की गई है और उसे गरीब जनता के लिए समझी जा रही है। किन्तु बजट विश्लेषण यह सुनिश्चित होता है, जैसा कि परिलक्षित होता है कि रुपए के अवमूल्यन और ब्याज की दरों में वृद्धि का मुद्रास्फीतिकारी असर होगा।

दूसरे, पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में तेज वृद्धि, उर्वरकों की राज-सहायता में कमी, अतिरिक्त उत्पाद कर में वृद्धि, चीनी के मूल्यों में वृद्धि, निर्माणाधीन परियोजनाओं की लागतों में वृद्धि और लगातार नगदी में बढ़ोतरी मेरे विचार से इन सब से हालात बेहद बिगड़ जाएंगे।

तीसरे, बजट में काला धन निकालने के प्रस्ताव हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत बुरी तरह से असफल हो जाएगी। सरकार का कर अपवंचकों के काले धन को, काले धन के 40 प्रतिशत धन को राष्ट्रीय आवास निर्माण बोर्ड में, जमा करवा कर सफेद धन बनाने का विचार है जबकि आम माफी योजन के अन्तर्गत वे यही काम 20 प्रतिशत पर कर सकते हैं अथवा वे अनौपचारिक हवाला बाजार से डालर खरीद सकते हैं और उन्हें विदेश में रह रहे किसी आदिवासी भारतीय को भेज सकते हैं। जो उसी धनराशि को वापस भारत भेज सकता है। इस प्रकार इस योजना से और आधिक काला धन बनेगा।

इसके साथ ही आप पूंजी का देश से बाहर जाने की स्थिति के बारे में तो जरा सोचिए। यह एक बड़ी धनराशि है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (अ०मू०को०) के हाल के एक अध्ययन में बताया गया है कि 1980 के अन्त से दिसम्बर 1989-90 तक आर्थिक मूल्य दर्ज करने और कम मूल्य दर्ज करने के कारण 2.81 अरब रुपए की धनराशि भारत से बाहर गई है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस से भी भुगतान संतुलन पर दबाव पड़ेगा और इसे नियंत्रित करना सरकार का कर्त्तव्य है? किन्तु बजट इस बारे में खामोश है।

बजट में यह धारणा बनाने की कोशिश की गई है कि कराधान के उपाय उत्तरोत्तर किए जाएंगे। किन्तु मैंने पाया कि यह एक पीछे ले जाने वाला बजट है, 85 प्रतिशत कर अप्रत्यक्ष कर हैं। केवल 15 प्रतिशत राजस्व प्रत्यक्ष करों से मिलता है। बेशक नियमित क्षेत्र से कर प्राप्ति अधिक हुई है। इसमें 40 से 45 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राजस्व की 1304 करोड़ रुपए की आय होगी, किन्तु विगत वर्ष की तुलना में केवल 350 करोड़ रुपए मूल्य के अतिरिक्त संसाधन जुटाए गए हैं। इस प्रकार सरकार का यह प्रयास, कि लोगों पर इस बात को मनवाने के लिए जोर दिया जाए कि सरकार प्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भर है और इस स्रोत से कर की उगाही बहुत अधिक है, सच सिद्ध नहीं हुई।

ब्याज पर कर है। जब ब्याज पर कर बढ़ाया जाता है, तो ऋण पर कर भी बढ़ाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भार जनता पर पड़ेगा। आधार भूत प्रत्यक्ष कर धन कर और अथवा आय कर की भांति पूर्णतः अपरिवर्तित रहता है।

उत्पाद शुल्क में वृद्धि और सीमा शुल्क में कमी हुई है। सीमाशुल्क में कमी होने से विदेशी माल सस्ता होगा और हम अपने बाजार विदेशियों के हवाले कर देंगे। गैर सरकारी क्षेत्र में सांझी निधि लगाने से ऋण लागत पर नियंत्रण छोड़ना होगा। यदि आप ऋण पर नियंत्रण छोड़ दिया जाएगा से ऋण का अन्त्य उपयोग क्या होगा, यही सरकार को सोचना चाहिए। यदि इसे बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया गया, तो ब्याज और बढ़ेगा और इसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ेगी।

इस प्रकार सम्पूर्ण बजट मुद्रास्फीतिकारी है। यह जनविरोधी है और यह सब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इशारों पर किया जा रहा है।

यह बात सही है कि आर्थिक संकट है। हमारा विदेशी ऋण बहुत अधिक है। हम कर्ज के जाल में फंसे हैं। भारत का विदेशी ऋण जुलाई 1989 के अन्त में 625090 लाख डालर था। आज यह लगभग 70000 लाख डालर है। रुपए के अनुसार मूल्यह्रासोपरान्त यह 1,81,00 करोड़ रुपये

है। 1990-91 में मूलधन पर ब्याज अवमूल्यन से पहले 15,300 करोड़ रुपए होगा। एक्सचेंज की चालू दर के अनुसार यह 18,900 करोड़ रुपए होगा। फिर भी हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष अथवा विश्व बैंक के आदेशों को मान लिया। त्रासदी यह है कि हम न तो वाणिज्यिक और न ही बौद्धिक स्तर पर स्वाधीन हैं। हम उन लोगों द्वारा दी गई दवाओं को अचूक मान रहे हैं जो अपने देश में व्यापार अवरोधों का पालन करते हैं, कोटों पर लेवी लेते हैं और तीसरी दुनिया के देशों में उदारीकरण, अवमूल्यन और इसी प्रकार की बातें करते हैं। क्या आप यह मानते हैं कि ये लोग स्वतन्त्र व्यापार में विश्वास रखते हैं। हम समझते हैं कि ये लोग आपके लिए अपने बाजार खोल देंगे और उनकी सिफारिशों पर वित्त मंत्री के अवमूल्यन का, औद्योगिक और व्यापार नीति का रास्ता चुना है। अब, जैसी औद्योगिक नीति सुझाई गई है, उसके मुताबिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए रास्ता खोलकर आत्म निर्भरता की संभावना को चौपट कर दिया गया है, उदार शर्तों पर आयात से भुगतान संतुलन चरमरा जाएगा, इससे उद्योग और अधिक पूंजी प्रधान हो जाएगा और रोजगारों में और कमी होगी, इससे औद्योगिक रुग्णता पड़ जाएगी और लघु उद्योग अपनी स्वाभाविक मौत मर जाएंगे। वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे, ये जो स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक हैं, अपने देश में क्या करते हैं ? यूरोपियन आर्थिक समुदाय अपनी कृषि की रक्षा करता है। डेसे फार्मिंग के लिए 3,000 लाख डालर की आर्थिक सहायता देता है, जो 7,00,000 करोड़ रुपए से अधिक है। अमरीका अपनी कृषि को बचाने के लिए बराबर धन खर्च करता है ताकि गेहूं, चावल और कृषि उपजों की कीमतें बाजार में कृत्रिम रूप से कम रखी जा सकें।

क्या दुनिया में कहीं स्वतन्त्र बाजार हैं ? हमारे भारत के भट्ठी इस्पात निर्माताओं ने कनाडा को स्टेनलैस इस्पात की चमकीली छड़ों का निर्यात करने की कुछ कोशिश की थी और वे उन्हें रद्द कर फेंके जाने के विरुद्ध मुकद्दमा लड़ते रहे, दुनिया के धनी लोग अपनी इच्छानुसार ढालते रहे हैं। 1990 में अमरीका ने सुपर 301 की धमकी की तहत थाइलैण्ड में अमरीकी सिगरेटों का बाजार बाध्य करके खुलवाया था।

संयुक्त राज्य अमरीका की प्रतिनिधि सभा के समक्ष बोलते हुए थाइलैण्ड के प्रतिनिधि ने पूछा :—

> "एक ऐसा उत्पाद, जिससे संयुक्त राज्य अमरीका में प्रति वर्ष 4,00,000 अकाल मृत्यु होती है, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार अपने नागरिकों को इसके प्रयोग को छुड़ाने का भरसक प्रयास कर रही है, वही उत्पाद एकाएक अन्य देशों के लिए अलग प्रकार का किस प्रकार बन सकता है ? जब अन्य देशों को उसी उत्पाद का निर्यात किया जाता है तो क्या स्वास्थ्य का प्रश्न असम्बद्ध हो जाता है ?"

अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें। हम उन्हें चेतावनी देते रहे हैं, वामपन्थी दल वर्ष 1961 से सरकार को चेतावनी देते आ रहे हैं। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चेरयल पायेंर की "डॅट ट्रेप" नामक पुस्तक है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था भारत के विकास के सम्बन्ध में एक अध्याय है, जिसमें उन्होंने हमें इस खतरे से सावधान किया है।

नोबल लारेंट और अर्थशास्त्री टिन वेरेंजन ने 'न्यूयार्क टाइम्स' में हाल ही में लिखे एक लेख में टिप्पणी की है :—

> "वर्ष 1985 से विकासशील देशों की ओर संसाधनों का बहुत कम प्रवाह हुआ है। इन देशों के समूह ने उस समय जो ऋण लिया था उन्होंने उससे कहीं अधिक धनराशि वापस करनी है। फिर अभी भी वह उतनी ही धनराशि उधार ले रहे हैं। इसके फलस्वरूप, मुद्रा के अवमूल्यन और ब्याज की दरों में प्रतिकूल प्रक्रिया ने विकासशील देशों को–उसी स्थान पर बने रहने के लिए शीघ्र आगे बढ़ने के लिए आन्तरिक ऋण की पांव-चक्की में फंसा दिया है।"

अतः हम विदेशों से ऋण ले रहे हैं, हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण ले रहे हैं, वह भी केवल इस बात की सन्तुष्टि के लिए कि हम उसी स्थान पर बने रहेंगे और न कि इसलिए कि हम आगे बढ़ेंगे। हमारी दुःखद स्थिति यह है कि हम उस रास्ते पर टेढ़े-मेढ़े चल रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि : क्या हमें रास्ता नहीं बदलना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या सरकार प्रगति की ओर अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए तैयार है।

हम पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बताए गए विकल्प पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त मंत्री के समक्ष एक विकल्प रखा था और इस पर विचार करने के लिए उनसे अनुरोध किया था। उन्होंने भारत सरकार से पूछा था कि उनका क्या दृष्टिकोण होगा तथा क्या वह आय के वितरण में वर्तमान असमानताओं को मानने के लिए तैयार है; क्या वह भूमि-कृषि के सम्बन्ध में वर्तमान असमानताओं को मानने के लिए तैयार है; और क्या वे पूंजीगत उद्योग अथवा हमारी जनसंख्या के 5 से 10 प्रतिशत धनी वर्ग की मांग पर, मांग पर आधारित औद्योगिक नीति को अपनाएंगे? यह प्रश्न पूछे गए थे तथा एक विकल्प तैयार किया गया था। यह एक दुःखद घटना है कि इस विकल्प को अस्वीकार कर दिया गया था। हम स्वदेशी बाजार पर निर्भर नहीं थे, हम लोगों की क्रय शक्ति पर निर्भर नहीं थे। दूसरी ओर, हमने सोचा कि हमारी अर्थव्यवस्था केवल उसी स्थिति में बच सकती है, यदि हम निर्यात को बढ़ावा देने वाले विकास मार्ग पर चलेंगे।

अब मैं वामपन्थियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन्हें केवल श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण की याद दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने इस संसद में 11 दिसम्बर, 1963 को दिया था, जब वह आयोजना के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था :—

> "मैं आधुनिक मशीनों का पूर्ण रूप से प्रशंसक हूं और मैं उत्तम मशीनरी तथा उच्च तकनीक चाहता हूं, परन्तु भारत में स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यद्यपि हम तीव्र गति से आधुनिक युग की ओर बढ़ रहे है, यह तथ्य है कि हमारे देश के अधिकांश लोग काफी समय तक इससे अछूते रहेंगे। कोई अन्य तरीका अपनाना होगा ताकि वे उत्पादन में सहयोगी बन सकें यद्यपि उत्पादन तन्त्र आधुनिक तकनीकी की तुलना में इतना कार्यक्षम नहीं होगा।"

अतः यदि आप हमारे लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे, यदि आप उन्हें योजना प्रक्रिया में जो आपने शुरू की है, शामिल नहीं करेंगे, तो मुझे बहुत खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कभी भी स्वावलम्बी नहीं बन सकेगी और हम कठिनाइयों को दूर नहीं कर

पाएंगे। हम समस्याओं को तभी दूर कर सकेंगे यदि हम अपने लोगों पर विश्वास करेंगे, यदि हम रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए स्वदेशी बाजार में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे और यदि हम गरीबी उन्मूलन का प्रयास करेंगे और ऐसे कार्यक्रमों को शुरू करेंगे जिनके लिए बजट में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। केवल इसी मार्ग को अपनाकर हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम लोगों से कह सकते हैं कि वे अन्ततः उन सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। महोदया, मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। सरकार ने राजीव गांधी फाऊंडेशन को दी गई अनुदान सहायता राशि वापिस ले ली है। परन्तु जिस ढंग से सरकार ने इस कार्य को किया है, हम उससे सहमत नहीं हैं।

जहां तक उवरंकों पर राज-सहायता का सम्बन्ध है, मेरे मित्र ने पहले ही उस बारे में बता दिया है। हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि उर्वरक पर दी जाने वाली राज-सहायता में जो कटौती का प्रस्ताव है उसे कम किया जाए अथवा उसे समाप्त किया जाए क्योंकि खाद्यान के उच्च प्रापण मूल्यों की पृष्ठभूमि में लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग): सभापति महोदया, एक अत्यधिक व्यावहारिक बजटीय विश्लेषण के लिए वित्त मंत्री को मैं बधाई देता हूँ। यदि हम उन्नति, विकास तथा प्रगति चाहते हैं तो हमें साथ-साथ कई परिवर्तन करने होंगे। यह सच है कि हमारा देश एक विशाल देश है और उन्नति तथा प्रगति लाने के लिये हमें अनेक उपादानों को ध्यान में रखना होगा। पर इसका सबसे बड़ा उपादान मानव है। यदि हम वर्तमान बजट को देखें, तो यह सच है कि हम इसकी तत्काल प्रशंसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें भारत की राजनैतिक और वित्तीय अस्थिरता को ध्यान में रखना पड़ेगा जो हाल ही मे भारत में आई है। हम देखते हैं कि 1989 से वित्तीय तथा आर्थिक, दोनों ही नीतियों का स्वरूप भारत की जनता से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए राजनीति प्रेरित रहा है। जिसके परिणाम-स्वरूप इस तरह के लोकप्रिय उपाय ने देश को गहरे राजनैतिक और आर्थिक संकट में डाल दिया। जब वर्तमान सरकार ने पदभार संभाला तो जैसी कि उम्मीद थी गम्भीर आर्थिक संकट था। वर्तमान वित्त मंत्री, जो कि स्वयं ही एक व्यावहारिक व्यक्ति हैं तथा वह विभिन्न पदों पर रह चुके हैं और उन्हें अतः भारत की वर्तमान वास्तविक स्थिति का पता है इसीलिये मैं कहता हूँ कि उन्होंने समस्या के प्रति बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण अपनाया है। फिर भी, मुझे उनसे सहानुभूति है क्योंकि भारत की आर्थिक समस्याओं को हल करने में उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हमारे इस महान देश में नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अलावा काले धन की एक समानान्तर अर्थव्यवस्था भी चल रही है। सरकार काले धन की अर्थव्यवस्था की समस्या का हल नहीं कर सकती है। यह सच है कि वित्त मंत्री ने काले धन के जमाखोरों से गृहनिर्माण परियोजनाओं में धन लगाने का अनुरोध किया है। फिर भी मुझे लगता है कि उनमें से केवल पांच प्रतिशत व्यक्ति ही ऐसा करना चाहेंगे। इस मामले में मेरी अपनी आशंकायें और शंकायें हैं। अतः हम में से सभी को बेहतर भविष्य के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा। हमें यह समझना चाहिए कि बेहतर भविष्य के निर्माण में हमारी भूमिका है और इसके लिए हमें स्वयं को बदलना होगा। अन्यथा, काले धन की अर्थव्यवस्था का हल कर पाना संभव नहीं होगा।

मैं सरकार से अपील करता हूँ कि खाद पर दी जाने वाली राज-सहायता का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाये। इस समय राज-सहायता वापस नहीं ली जा सकती है खासकर. उत्तर-पूर्व क्षेत्र के गरीब और सीमांत किसानों के लिए यह राज-सहायता जरूरी है। वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उनके लिए यह राज-सहायता जरूरी है। वहां के किसान ढालुंवा जमीन पर खेती करते हैं। इन ढालुवां जमीनों में खेती करने में उन्हें दिक्कत होती है तथा मानसून ऋतु में छह से सात महीने तक होने वाली लगातार वर्षा की वजह से वहां की उपमृदा बह जाती है। इन किसानों को खाद के मामले में विशेष सहायता की जरूरत होती है। राज-सहायता वापस लेने से इन लोगों को निराशा होगी। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पूर्वोत्तर सरकार क्षेत्र के किसानों के प्रति वास्तव में अधिक उदारता बरते।

मैं वित्त मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह कृषि विभाग को सुपारी के वृक्ष की ओर ध्यान देने का निदेश दें। हमें पता है कि मेघालय के बंगलादेश सीमा पर मीलों तक फैले सुपारी के वृक्षों में एक विचित्र बीमारी होती है। इस बीमारी के कारण पेड़ मर जाते हैं और उनके दाने और फल भी नष्ट हो जाते हैं। पिछले वर्ष भूतपूर्व कृषि मंत्री श्री देवी लाल शिलांग गये थे। उस समय मैंने इस विचित्र बीमारी के बारे में उन्हें बताया था। हालांकि उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के निदेशक से बात की थी फिर भी आज तक कुछ नहीं किया गया है। दूसरे, आज तक किसी ने भी इस बीमारी के कारणों को जानने की कोशिश नहीं की है। कोई भी इन पेड़ों की दुर्दशा को देखने मेघालय तक नहीं गया। मैं माननीय वित्त तथा कृषि मंत्री से अनुरोध करूँगा कि सुपारी के वृक्षों को संक्रामित करने वाले रोगों के कारणों का पता लगाने के लिये हमारे राज्य में विशेषज्ञ भेजे जायें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदया, उन सब बातों को दुबारा न दोहराते हुए, जिन्हें भारतीय कम्युनिस्ट ग्रुप के नेता सहित कुछ माननीय सदस्य पहले ही कह चुके हैं, मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। वित्त मंत्री जी सभा में उपस्थित नहीं हैं और मुझे आशा है कि वह इस बारे में ध्यान देंगे।

सबसे पहले तो भुगतान सन्तुलन का संकट इतना तीव्र है कि सरकार सभा को ऋण लेने की शर्तों के बारे में बताए बिना ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अधिक से अधिक ऋण लेने के लिए गहन प्रयास कर रही है। सरकार आयात से आवश्यक बचत करने का प्रयास क्यों नहीं करती ? मैं केवल कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगी।

सर्व प्रथम मैं वायुयान इंधन की बचत के बारे में उल्लेख करना चाहूँगी। दिल्ली से बम्बई के मार्ग पर दो एयर इंडिया की उड़ानों के अतिरिक्त पांच इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों की व्यवस्था पहले से ही है। अब एक अन्य प्राइवेट कम्पनी को दूसरी उड़ान की व्यवस्था प्रारम्भ करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। दिल्ली से ग्वालियर तक एक नई उड़ान भी प्रारम्भ की गई है। यदि इन उड़ानों को बन्द कर दिया जाए तो क्या आसमान नीचे गिर पड़ेगा ? क्या मैं जान सकती हूँ कि मंत्रियों, संसद सदस्यों, अधिकारी वर्ग, कम्पनियों के कार्यकारी अधिकारियों और ऐसे ही अन्य बड़े लोगों की इन हवाई यात्राओं से देश को क्या बड़ी उपलब्धि

होती है ? मुझे ग्वालियर अथवा किसी अन्य स्थान से कोई ईर्ष्या नहीं है। परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगरतला, इम्फाल, शिलांग, अण्डमान, लक्षद्वीप, लेह, इत्यादि को छोड़कर देश के अन्दर अनेक उड़ानों को निश्चित रूप से रद्द किया जा सकता है। क्या मैं जान सकती हूँ कि इससे कितनी अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है ?

अब मैं पैट्रोल की बचत के प्रश्न पर आती हूँ। मारुति कारों के मामले को लें। सीट कवर और कुछ नट बोल्टों को छोड़कर इस कार के सभी पुर्जे जापान से कीमती विदेशी येन खर्च करके आयात किए जाते हैं। हमारे देश में कुछ कारों की कमी से शायद हमारा देश अनाथ नहीं बन जाएगा। मारुति कारों तथा अन्य अनेक प्रकार की कारों पर पेट्रोल की बचत से हमारी विदेशी मुद्रा में बचत को भी बढ़ावा मिलेगा। इन उपायों से हमारे प्रति 5,000 लाख डालर के भुगतान सन्तुलन के अन्तर को निश्चित रूप से पूरा किया जा सकता है। हम पहले यह प्रयास क्यों नहीं करते ?

अब मैं अन्य छोटे परन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण आयात की मद का उल्लेख करती हूँ। पिछले कांग्रेस (इ) शासन के दौरान कृत्रिम कैफीन से आयात कर हटा दिया गया था। पेप्सी कोला कम्पनी को इस छूट से लाभ प्राप्त हुआ था। हम अपने देश में चाय का उत्पादन करते हैं तथा चाय से असली कैफीन का उत्पादन किया जा सकता है। जब कि कृत्रिम कैफीन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, असली कैफीन में कैंसर-विरोधी गुण विद्यमान हैं। इस कृत्रिम कैफीन के आयात पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती और हमारे देश में असली कैफीन का उत्पादन क्यों नहीं किया जा सकता ?

महोदया, अनिवासी भारतीयों से बहुत अधिक आशा की जाती है। अनेक प्रकार के अनिवासी भारतीय की कई श्रेणियां हैं। इनमें से एक ग्रुप भारतीय व्यापारियों का है जो अमरीका और यूरोप के बाजार तथा कुछ द्वीपों के कर मुक्त बन्दगाहों तथा अन्य स्थानों पर खूब उन्नति कर रहा है। जो धनराशि वह अधिकतर दिखाते हैं वह वास्तव में भारत का काला धन होता है जो स्विस बैंक के माध्यम से अवैध रूप से लाई जाती है। यह धनराशि अनेक घृणित उपायों से अर्जित की जाती है जिसमें अनेक नशीली दवाओं का निर्यात तथा भारत में ही सोने, हथियारों और सिलिकॉन चिप्स, इत्यादि की तस्करी भी शामिल है। यदि आपको सिलिकॉन चिप्स के बारे में एक बहुत बड़े घोटाले के बारे में याद हो ..... **(व्यवधान)** .....

4.00 म० प०

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या पीठासीन हुए

अन्य अनेक उदाहरण भी हैं। इस श्रेणी में अवैध कार्य करने वाले ऐसे अनिवासी भारतीय आते हैं। आप में से अनेक उनके नाम जानते हैं। मैं उन नामों का उल्लेख करके सभा के एक वर्ग के लिए परेशानी पैदा करना नहीं चाहती। परन्तु क्या मैं जान सकती हूँ कि इन अनिवासी भारतीयों से क्या आशा की जाती है ? क्या ऐसा कोई पूर्वोपाय सुझाया गया है कि इस प्रकार अवैध रूप से आने वाली धनराशि को रोका जाएगा तथा केवल उन्हीं अनिवासी भारतीयों को आमंत्रित किया जाएगा, जो इस प्रकार के कार्य नहीं करेंगे ? मैं अनिवासी भारतीयों को आमंत्रित करने के विरोध में नहीं हूँ परन्तु उन विशेष प्रकार के अनिवासी भारतीयों को आमंत्रित करने की विरोधी हूँ और मैं दृढ़ता-

पूर्वक यह महसूस करती हूँ कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है कि इस प्रकार के अवैध कार्य करने वाले अनिवासी भारतीयों को देश में वापस न लाया जाए।

श्री गोर्बाचेव के बारे में अनेक बातें कही गई हैं। मैं यहां उनका समर्थन करने के लिए नहीं हूँ परन्तु मुझे विश्वास है कि मुझे यह पूछने का अधिकार है कि विदेशी ऋण के भुगतान के बारे में पुनः कार्यक्रम बनाने की फिडेल कास्त्रो की मांग का समथन क्यों नहीं करना चाहते जिसे प्रतिष्ठित श्री जे० एन० टिम्बरगर का भी समर्थन प्राप्त है जो तीसरे विश्व के अधिकांश देशों के लिए अच्छा होता। मैं यह पूछना चाहूँगी कि क्या उपस्थित मित्रों को इस तथ्य की जानकारी है कि आज पोलैंड में मुद्रा स्फीति की तीन अंकों में वृद्धि हो गई है इसलिए कृपया इस बारे में सोचें। मुझे विश्वास है कि हमारा देश पोलैण्ड नहीं बनेगा। कृपया हमारे देश को ऐसा न बनाएं।

उत्पाद शुल्क में कुछ कटौती के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने एल्यूमीनियम के दरवाजों और खिड़कियों की चौखटों पर उत्पाद शुल्क में कटौती का प्रस्ताव किया है जिससे पहले से ही विद्यमान राजस्व घाटे में वृद्धि होगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या यह सच है कि ऐसी चौखटें देश के अधिकांश क्षेत्रों में मिट्टी के घरों की दीवारों में सही रूप से फिट नहीं होतीं। और आखिरकार मध्यम श्रेणी के कितने लोग एल्यूमीनियम की खिड़कियां और चौखटों को लगाने में समर्थ हैं ? मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस पर उत्पाद शुल्क हटाने की क्या आवश्यकता थी।

अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न पर आर्थिक सहायता के बारे में कुछ प्रश्न हैं। बजट दस्तावेज के विश्लेषण से रोचक चित्र प्रस्तुत होता है। वर्ष 1989-90 में गेंहूँ और चावल की वसूली 2,03,14,000 मीट्रिक टन थी तथा वर्ष 1990-91 में यह 2,42,90,000 मीट्रिक टन थीं। परन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई 1989 में 28 लाख मीट्रिक टन कम थी तथा 1990-91 में 82,64,000 कम की थी। इस अवधि में गेहूँ के मूल्य 49 प्रतिशत बढ़ गए थे और अनाज के मूल्य 22 प्रतिशत बढ़ गए थे। मैं यह जानना चाहती हूं कि इन वर्षों में खाद्यान्नों के इन मूल्यों को रोके रखने की क्या आवश्यकता थी। अब, जब बाजार मूल्य तीव्र गती से बढ़ रहे हैं —मैं केवल लाखों लोगों की तुलना में यह कह रही हूँ कि खाद्यान्न पर केवल 2600 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने से क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 240 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न सप्लाई करना सम्भव है। क्या मैं यह जान सकती हूँ कि आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सप्लाई को बढ़ाने के लिए इस स्टाक को क्यों नहीं देते ? इसके लिए क्या बाधा है ? मैं औद्योगिक नीति के बारे में गहराई में नहीं जाती जिसके बारे में दुबारा अलग से चर्चा की जाएगी। हम में अनेक सदस्यों ने सरकार द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक नीति का विरोध किया है और मैं इसका समर्थन करती हूँ।

मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूं वह ऐसा क्यों समझते हैं कि बड़े उद्योगपति—विदेशी और भारतीय दोनों अचानक ही अपना हृदय परिवर्तित कर लेंगे और संतों के समान व्यवहार करेंगे ? हमारा अनुभव क्या रहा है ? इस पहलू की गारंटी के लिए क्या सरकारी तन्त्र है ? मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। यदि आपके पास कोई है, तो कृपया स्पष्ट करें।

हम पश्चिम बंगाल के सदस्य एक दशक से आई० आई० एस० सी० ओ० के आधुनिकीकरण और विस्तार के बारे में सुना रहे हैं। इस सभा में मैंने तथा अनेक अन्य सदस्यों ने इस प्रश्न को अनेक

बार उठाया है परन्तु सभा में मंत्रियों द्वारा कम से कम छह बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद कुछ नहीं हुआ।

लघु उद्योगों के बारे में क्या स्थिति है। इन उद्योगों में पूंजीनिवेश की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 80 लाख रुपए कर दिया गया। इस प्रकार इन्हें बड़े उद्योगों द्वारा निगल लिया गया। इस सीमा को पुनः कम करके 35 लाख रुपए किया जाना चाहिए जो कि पिछले वर्ष की सीमा थी, यदि हम इन श्रम प्रधान उद्योगों का विस्तार करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का क्या उत्तर है ? रुग्ण उद्योगों के लिए यदि आप लोगों को दण्ड देना चाहते हैं तो आप बेईमान लोगों, प्रबन्धकों और नौकरशाहों को दण्ड दें। आप श्रमिकों को दण्ड क्यों देते हैं ?

मैं पश्चिम बंगाल पाटरी यूनियन की प्रेसीडेंट हूं। यहां हम सब मिल कर कार्य करते हैं।

पिछले 12 वर्षों से हमें सभा में तीन बार आश्वासन दिया जा चुका है, जिससे हम वेतन के भुगतान के माध्यम से श्रमिकों को सक्रिय रखने में समर्थ हैं। परन्तु यहां कोई कार्यचालित पूंजी नहीं है। क्या आप ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं ? टाटा कंस्लटैन्सी ने पश्चिम बंगाल पाटरीज की व्यवहार्यता के बारे में रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया है— "कि इसे व्यवहार्य बनाया जा सकता है यदि इसे पुनः चालू किया जाए, हम काफी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। पिछले वर्ष केवल कुछ वस्तुओं से हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई थी। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

यह बहुत चालाकी की बात है कि व्यय विभाग मन्त्री यहां उपस्थित नहीं हैं—परन्तु आप इस बात पर ध्यान दें—कि संशोधित प्राक्कलन में योजना व्यय के लिये 165 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी क्या गैर-योजना व्यय के लिये 260.59 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। इस वर्ष इस विभाग को 517.49 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई, जिसमें से योजना व्यय का अनुपात काफी बढ़ा दिया गया है। परन्तु क्या मैं जान सकती हूं कि व्यय विभाग का असली कार्य क्या है, जिसके लिये 517.49 करोड़ रुपए की स्वीकृति की जानी है। कृपया मैंने तथा अन्य अनेक मित्रों ने जो प्रश्न उठाए हैं कृपया उन्हें स्पष्ट करें। मैं बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं तथा मैं इसका विरोध करती हूं।

[हिन्दी]

श्री एम० बागा रेड्डी (मेडक) : सभापति जी, गुजिश्ता चन्द सालों की पौलिसीज के नतीजे में हमारी हकूमत को एक तो बजट में बहुत ज्यादा डैफिसिट का सामना करना पड़ रहा है और दूसरे बैलेंस ऑफ पेयमेंट में डिफीकल्टी पैदा हो रही है। इस मुश्किल को हल करने के लिये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को नये टैक्स लगाने पड़ रहे हैं। जनता पर टैक्स लगाना कोई उचित बात नहीं है लेकिन किसी भी हकूमत को, हकूमत चलाने के लिये, यह काम करना ही पड़ता है।

सभापति जी, हमारा देश जब स्वतन्त्र हुआ, तो उस समय 35 करोड़ की आबादी को खाने के लिये अन्न नहीं था, लेकिन गुजिश्ता सालों में कृषि में विकास हुआ और इतनी तरक्की हमारे देश में अन्न के क्षेत्र में हुई कि 1968 में 100 मिलियन टन अनाज पैदा करने का हमने टारगेट

सोचा था, लेकिन 180 मिलियन टन अनाज हमारे देश में पैदा हो रहा है। इसके अलावा हमारे देश की जनता में 350 मिलियन टन अनाज पैदा करने की क्षमता है। यानी जो अब पैदावार हो रही है, उसमें और इजाफा हो सकता है। दुनिया की और हमारे मुल्क की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई आबादी को सबसे पहले खाना देना पड़ता है और उसके लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। यदि हम अपना उत्पादन और बढ़ाएं तो एग्रीकल्चरल गुड्स को एक्सपोर्ट कर के हम फारेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। एग्रीकल्चरल और हार्टीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाकर तथा प्रोसैसिग यूनिट लगाकर हम 20 हजार करोड़ का फारेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। 20 हजार करोड़ रुपया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बाहर भेजकर हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस बीच में अभी तक जो इनपुट है, जो बेयर इनपुट है, फर्टीलाइजर है, इसकी कीमत बढ़ा दी गई है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को तो 4 हजार करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, लेकिन इन बढ़ी हुई फर्टीलाइजर की कीमतों के कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कमी आ जाए, यह आशंका है। इससे कहीं फायदे से बढ़कर नुकसान न हो जाए।

सभापति जी, मैं आन्ध्र प्रदेश में गया था वहां पर काश्तकारों से मिलने और बात करने का मौका मिला, जिससे मुझे पता लगा कि वहां पर फर्टीलाइजर पर कीमत बढ़ाने से आन्दोलन जैसा पैदा हो गया है। दूसरे प्रदेशों का तो मुझे मालूम नहीं है। हालांकि मैंने वहां के किसानों को समझाने की कोशिश की है कि हमारे फायनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाकर जो नुकसान काश्तकारों को होगा, उसकी भरपाई की जाएगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर वेस्ट दूसरे यूनिट लगाएंगे, उनसे भी उनको फायदा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि—कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक—मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यहां कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग यूनिट कायम किए जाएंगे और कहा गया है कि मुल्क में ऐसे यूनिट कायम भी हुए हैं, तो मेरा कहना है कि मुल्क के दीगर हिस्सों में ये यूनिट कायम हुए होंगे, लेकिन आन्ध्र प्रदेश में तो ऐसा एक भी यूनिट कायम नहीं हुआ है जिसके कारण आज जो प्रॉब्लम दरपेश है, वह हार्टिकल्चर सीजन में आती है। बहुत से ऐसे आयटम होते हैं, जो पैरीशेबल होते हैं और पैदा होने के बाद उनको ज्यादा समय तक नहीं रोका जा सकता है, जल्दी खराब हो जाते हैं जिसके कारण उनको तुरन्त बेचना पड़ता है, फौरी इन्तजाम करना पड़ता है। मंडी में दो-चार चीजों की ही कीमत फिक्स की हुई है, सब की नहीं। बहुत सी अभी ऐसी और चीजें हैं जिनकी मिनिमम प्राइस फिक्स नहीं हुई है जिसके कारण यदि कोई एक चीज मंडी में ज्यादा आ जाती है, तो उसकी कीमतें बहुत नीचे गिर जाती हैं। मिसाल के तौर पर टोमेटो या पोटेटो को ही ले लें। टोमेटो आन्ध्र प्रदेश गांवों में 2 रुपए किलो बिकता है, लेकिन शहर में 20 रुपए किलो बिकता है। इन बिटवीन जो लौस हो रहा है, मिडलमैन को जो फायदा हो रहा है, कमीशन एजेन्ट को जो फायदा हो रहा है उस फायदे को कम करके कन्ज्यूमर को बचाया जा सकता है। यह सही है कि फर्टिलाइजर की सबसिडी विदड्रा करने से हमारी सरकार को पैसा मिलेगा। लेकिन दूसरे भी तरीके हैं जिनसे हम अपनी इकोनोमी को, डैफिसिट बजट को, फौरन ऐक्सचेंज की कमी को दूर कर सकते हैं। उन पर गौर नहीं किया जा रहा है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात मालूम होती है कि इंडियन मरचैन्ट्स औफ चैम्बर की एक छोटी-सी मैग्जीन निकली है। उसमें इस मुल्क की माली हालत को बेहतरीन बनाने के लिए उन्होंने

सुझाव दिया है। यह मैग्जीन 5 जुलाई को ईशु हुई है, आज 8 अगस्त है, एक महीने पहले यह मैग्जीन ईशु हुई है। इसमें उन्होंने यह बात बताई कि इस देश को अच्छा करना है, इस देश की इकोनोमिक कंडीशन को अच्छा करना है तो फर्टिलाइजर सबसिडी को विदड्रा करना चाहिए। क्या हमारे लिए मरचैन्ट्स औफ चैम्बर गाईडलाइन है, क्या हम उनके इशारे पर काम करने के लिये तैयार हैं ? यह सही है कि बुद्धिजीवी लोगों की रिपोर्ट आई थी उसमें भी यही कहा गया था। आज मरचैन्ट्स ऐसोसिएशन की मैग्जीन में कोई बात ऐसी नहीं कही गई जिस पर इंडस्ट्रीज के ऊपर जो करोड़पति लोग हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों में, एक-एक ट्रस्ट की प्रौपर्टी इतनी है कि रूरल एरिया के पूरे एक जिले के लोगों की प्रौपर्टी है। ऐसे लोगों पर शिकायत करने के लिए इस मैग्जीन में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ ऐग्रीकल्चर को टारगैट बनाने के लिये कहा गया है। मेरा सुझाव यह है कि न सिर्फ सो-कौल्ड बुद्धिजीवी, इन्टलैक्चुअलस, जूरिस्ट्स, इकोनोमिस्ट्स की राय लें उनके साथ-साथ जो पौलीटिशियन्स हैं, गांवों में रहने वाले किसानों के जो नुमाइंदे हैं, उनकी राय, मशविरा लेना भी जरूरी है। ऐसे लोगों की कमेटी बनाकर उनकी राय लेकर आमदनी को बढ़ाएं। इस तरह से ऐग्रीकल्चर पर भी जो ऐसैट्स ऐड कर सकते हैं उसका यही उपाय है जो ऐग्रीकल्चरिस्ट्स दे सकते हैं। उसका मारजिन औफ प्रोफिट सिर्फ ऐग्रीकल्चर से बढ़ सकता है। वह जो पैदा करता है उसके प्राइस में भी इजाफा हो, उसमें जब इजाफा होता है साथ-साथ कल्टीवेशन बढ़ जाता है और मारजिन औफ प्रौफिट नहीं आता है। मुल्क की हालत आज भी यह है कि सबसे गया गुजरा प्रोफैशन, अनरैमुनरेटिव जौब ऐग्रीकल्चर है। आज आन्ध्र प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में लोग खेती करने के बजाए यूकिलपटिस की काश्त करते हैं। इस तरह से रुपया कम होता जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि उनको इनसैन्टिव इस तरह से दें कि वह जो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए प्रोसैसिंग यूनिट रखें, ग्रेडिंग रखें, मार्केटिंग रखें। खाली सबसिडी देते रहें तो मारजिन औफ प्रौफिट में कोई इजाफा नहीं होगा बल्कि मारजिन औफ प्रौफिट कम होगा। अनाज रखना काश्तकार का सबसे बड़ा मसला है। आज पूरे आन्ध्र प्रदेश में मैं देखता हूं एक भी कोल्ड-स्टोरेज नहीं है, न पब्लिक सैक्टर में है न प्राइवेट सैक्टर में है, न ही और किसी सैक्टर में है। प्रोसैसिंग यूनिट होना चाहिए, प्रीजरवेशन यूनिट होना चाहिए, ये तमाम चीजें जब तक नहीं करते तब तक ऐग्रीकल्चर अनरैमुनरेटिव जॉब रहेगा।

जो ऐक्सपैंडीचर दुबारा खर्च हो रहा है, इसमें यहां पर कहा गया है कि रूरल डैवलपमैंट के एक्सपैंडीचर में 80 फीसदी गवर्नमैंट के हिसाब से खर्च हो रहा है, 20 फीसदी लोगों तक पहुंचता है, इसको कम किया जाना चाहिए। पब्लिक सैक्टर में हम जो काम कर रहे हैं उसमें बड़ा लौस होता है।

आन्ध्र प्रदेश में एक पब्लिक सैक्टर की मैं मिसाल आपको दूंगा। निजाम शूगर फैक्ट्री आन्ध्र प्रदेश में जो है, वहां शूगर फैक्ट्री के साथ-साथ 16 हजार एकड़ जमीन है। उसमें से 4–6 हजार एकड़ में किसान गन्ने की काश्त करते हैं। उनको हर साल एक करोड़ सात लाख का नुकसान हो रहा है। अगर गवर्नमेंट खेती करती है और 10 हजार एकड़ में उसे एक करोड़ 60 लाख रुपये का नुकसान होता है तो हिन्दुस्तान भर के किसानों का जो नुकसान है, वह कितना होगा, करोड़ों में हो सकता है, अन्दाजा लगाइए। लिहाजा पब्लिक सैक्टर के एक्सपेंडिचर को कम किया जा सकता है, उसको ठीक बनाया जा सकता है।

91-M/J(N)406LSS—19

आपने काश्तकारों को फर्टिलाइजर पर दी जाने वाली सबसिडी को जो समाप्त कर दिया है, मैं ऐसा समझता हूं कि दूसरे तरीके इस्तेमाल करके, इसको कंटिन्यू करके प्रोडेक्शन को बढ़ाने की जरूरत है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ने से एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 20 हजार करोड़ रुपये का एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रोडेक्शन हम बाहर भेज कर फॉरेन ऐक्सचेंज कमा सकते हैं। इसके लिये सबसे जरूरी बात यह है कि प्रोसैसिंग, प्रिजर्वेशन, मार्किटिंग, ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट के लिये हम फैसिलिटेज प्रोवाइड करें।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय फाइनान्स मिनिस्टर द्वारा पेश बजट की ताईद करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री के० एच० मुनियप्पा** (कोलार) : सभापति महोदय, इस सम्मानित सभा में माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं। हमारे देश में लगभग 80% लोग किसान हैं और वे पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर हैं। अतः बजट में कृषि को उच्च प्राथमिकता देना अत्यधिक आवश्यक है। किसानों को उनके प्रयास में प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र को आगे आना चाहिए। हर एक किसान यह उम्मीद कर रहा है कि उर्वरकों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर दी जा रही राज-सहायता जारी रहेगी। कोलार के बहुत से लोगों ने स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था। अंग्रेजों के चंगुल से अपने देश को मुक्त कराने के लिए इस जिले के कई लोगों ने अपनी जिन्दगी कुर्बान की थी। कर्नाटक के पहले मुख्य मंत्री हमारे ही निर्वाचन क्षेत्र के थे। स्वर्गीय श्री के० पी० कृष्णप्पा केन्द्र में कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री थे। कोलार जिले की दुग्ध क्रांति का श्रेय उन्हीं को जाता है।

कोलार जिला देश का सबसे अभागा जिला है। वहां न तो कोई नदी है न ही कोई बांध। जहां तक उद्योग का सवाल है, यह पूरे कर्नाटक का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। इस जिले में रहने वाले हरिजनों का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा है।

पूरे जिले के किसान इंद्र देव पर आश्रित हैं। वहां परिवहन की भी कोई सुविधा नहीं है। इमली और आम वहां बहुत ज्यादा होते हैं पर वहां यातायात की ही कोई सुविधा नहीं है। इस मामले में केन्द्र को उचित कदम उठाने चाहिए। यहां कच्चा माल भी काफी उपलब्ध है, परन्तु इन पर आधारित कोई भी उद्योग नहीं है। यही समय है जब भारत सरकार को इस जिले में उद्योग लगाने चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां भी लगाई जानी चाहिए। किसानों को शीत-भंडारण सुविधा भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

यहां करीब पचास हजार नवयुवक बेकार हैं तथा इनमें से बहुत से स्नातक हैं। अतः माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि पूरे जिले में कृषि पर आधारित उद्योग खोले जाएं। बंगारपेट और मुलाबागल शहरों में खिलौनों और कृषि उपकरणों संबंधी उद्योग लगाए जाने हैं। ऐसा करने से जिले की बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी।

*मूलतः कन्नड़ में दिये गये भाषण का अंग्रेजी अनुवाद के हिन्दी रूपान्तर।

नवोदय विद्यालयों के कार्य के प्रति मैं नाखुश हूं। हरिजनों और पिछड़े समुदायों के बच्चों को वे कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों का प्रवेश इन नवोदय विद्यालयों में तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि ये विद्यालय समाज के सम्पन्न वर्गों की खातिर है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह हरिजन तथा गिरिजन समुदायों के बच्चों के लिए तालुका तथा जिला स्तर पर आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास खोलें। कुल बजट आवंटन का 8% दलित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए है। इस रकम का अधिकांश हिस्सा इन नीचे तब के के लोगों के लिए घरों की व्यवस्था के ऊपर खर्च होना चाहिए। इस रकम की काफी राशि को सामुदायिक सिंचाई पर भी खर्च किया जाना चाहिए। इसी तरह से तालुका तथा जिला स्तर पर आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों की स्थापना पर भी अच्छी रकम खर्च होनी चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में हरिजन छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

1911 में ही कोलार में एक रेल लाइन बिछायी गयी थी। इस छोटी लाइन को अभी तक यानि आजादी के 44 वर्ष बाद भी मीटर गेज लाइन में नहीं बदला जा सका है। यह कार्य तो तुरन्त किया जाना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आलू की खेती काफी होती है। इसमें सब्जी और फल भी बड़ी मात्रा में उपजाए जाते हैं। आपके जरिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे कोलार जिले में खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां लगाएं। कोलार, शिडलघट्टा, श्रीनिवासपुरा में सिल्क रोलिंग और टिवस्टिंग उद्योग खोले जाने हैं। चिंतामणि, कोलार और जेडाबल्लापुर में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करनी है। चिक्काबल्लपुर, मलूर तथा कोलार में शीत-भंडारण की सुविधा होनी चाहिए।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र के स्वर्ण खदानों को बन्द किया जा रहा है। सोने की इन खदानों में 11 हजार से अधिक लोग काम करते हैं तथा इन पर 2.5 लाख लोग अपनी आजीविका पर निर्भर हैं। यदि इन खदानों को बन्द कर दिया जाए तो करीब 2.5 लाख लोग बेसहारा हो जाएंगे। माननीय खान मंत्री ने हाल में इस जगह का दौरा किया है। मैं वहां पर उनके साथ था और मैंने उन्हें खदान-कामगारों की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया था। कामगारों की दुर्दशा को भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। वास्तविकता का पता लगाने के लिए केन्द्र को कोलार स्वर्ण-क्षेत्र में विशेषज्ञों का एक दल भेजना चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि अभी भी वहां से काफी मात्रा में सोना निकाला जा रहा है तथा इन खदानों को तब तक बन्द नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सरकार को इन खदानों के बारे में विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट न दे दें। सेवानिवृत्त कामगारों को घरों को खाली करने का आदेश भी नहीं दिया जाना चाहिए। इन कामगारों का स्थानान्तरण भी नहीं होना चाहिए।

औद्योगिक तथा विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाए जा सकते हैं। मिट्टी के तेल, गैस तथा आम आदमी की जरूरत की वस्तुओं पर कर का भार नहीं पड़ना चाहिए।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन मुद्दों पर विचार करेंगे तथा किसानों और अन्य दलित लोगों को अधिक से अधिक मदद देने की कोशिश करेंगे।

महोदय, मैं बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बजट जिस चतुरता के साथ सदन में पेश किया है, यह उस जादूगर के समान है, जो असत्य को भी सत्य सिद्ध करने की कोशिश करता है। यह सिद्ध कर देता है कि यही सत्य है। लेकिन अंत में वह जादूगर यह कह देता है—हाथ की सफाई, पेट के वास्ते है। उसी तरह से हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़ी सफाई के साथ यह बजट सदन में प्रस्तुत किया है और कहा है कि हम देश के किसानों को गरीबों को राहत देंगे, लेकिन देखने से ऐसा मालूम होता है कि किसानों को इससे भारी बोझ उठाना पड़ेगा और मैं यह समझता हूं कि यह बजट ज्यादातर काला-बाजार और चोर-बाजारी करने वालों को राहत देने वाला है, न कि किसानों, मजदूरों और छोटे वर्गों के लिए है। मैं यह, निवेदन करूंगा कि हमारे वित्त मंत्री जी जो किसानों के हितों में बातें कहते हैं, उसको करके दिखाएं उनकी कथनी और करनी में फर्क न हो। क्योंकि सरकार जो करेगी, उसको पूरे देश के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारे यहां गांव में कहावत है—"मार गोसैंया तोरी आशा"। सरकार की आशा है, अच्छा करें या खराब करें। इसलिए बजट को बहुत सोच-समझ कर पेश करना चाहिए, लेकिन इस बात को गम्भीरता से बजट में नहीं लिया गया है।

इसी संदर्भ में मैं पहली बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट सत्र बदलना चाहिए ,क्योंकि अभी भी बजट सत्र 31 मार्च तक होता है, जो मैं समझता हूं कि इस देश के लिए अनुकूल नहीं है। तीन महीने तक साल में बरसात होती है, उस बरसात में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होता है, बरसात होती है। इस प्रकार पूरे देश के बजट का तीन महीना बेकार हो जाता है और जब गर्मी का मौसम आता है तो जल्दी से जल्दी में बजट को खर्च करने के लिए हमारे अधिकारी लोग फर्जी बिल बनाकर दिखा देते हैं कि काम कर दिया है। मैं चाहता हूं कि ये बजट सत्र जो है, ये एक जून से लेकर 31 जुलाई तक चालू किया जाए, जिससे कि पहली जून के बजट सत्र चले और बरसात तक बजट का सैशन चले। 9 महीने तक पूरी तौर से इस देश का काम होता रहा और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि यह बजट जो आई०एम०एफ० और पूंजीपतियों के दबाव में पेश किया गया है इस पर तुरन्त विचार करना चाहिए। यह इस देश के अनुरूप नहीं है और दुहाई दे रहे हैं पूर्व प्रधान मंत्री जी की, राजीव जी की। राजीव जी ने अपने समय में ऐसा बजट पेश नहीं किया है, जोकि आज इस नयी सरकार ने पेश किया है, हमें इस बजट को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। राजीव ने कभी ऐसा बजट पेश नहीं किया, उन्होंने हमेशा जो बजट पेश किया, इतना गड़बड़ वाला बजट पेश नहीं किया, जैसाकि आज हमारे सामने आया है। इसमें आप देखेंगे कि पूंजीपरस्त लोगों को कितना बढ़ावा मिला है और जो उर्वरक, यूरिया, खाद के दाम जितने बढ़ा दिए गए हैं कि इससे देश में कितनी विषम परिस्थिति पैदा होगी, इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना आहता हूं। अगर हम इन चीजों के दाम बढ़ा देंगे तो किसान खेतों में कम खाद डालेंगे और कम खाद डालेंगे तो हमारा उत्पादन कम होगा और यदि उत्पादन कम होगा तो हमें देश में खाद्यान्न पदार्थों को फिर आयात करना पड़ेगा और इसका दूरगामी परिणाम बहुत बुरा होगा।

इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि देश के हित को ध्यान में रखते हुए तत्काल जो उर्वरकों का दाम बढ़ाया गया है उसको वापस कर लेना चाहिए, अन्यथा हमको वही दिन देखना पड़ेगा जो हम अमरीका से ललमा रोजो गेहूं मंगाया करते थे। अगर आपकी अमरीका से कोई सांठ-गांठ हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इससे इस देश में बहुत विषम परिस्थिति पैदा होगी, इसलिए मैं पहले से ही आपसे निवेदन कर रहा हूं। इसके साथ-साथ वेतन भोगियों के आय कर को बढ़ाया नहीं गया है, आय कर की सीमा को बढ़ाया नहीं गया है, पहले बाइस हजार रुपए पर ही आय कर लगता था, इस साल भी उतना ही किया गया है कि महंगाई चरम सीमा पर है और रुपए का अव-मूल्यन हो चुका है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी सीमा को भी बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को कुछ राहत मिल सके।

मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं आयात शुल्क की दर में अभी तक डेढ़ सौ से तीन सौ प्रतिशत तक लगाया जाता था, लेकिन आपने इसको घटाकर अधिकतम डेढ़ सौ प्रतिशत तक किया है, इससे इस मुल्क में कालाबाजारी और चोरबाजारी बढ़ेगी और स्मगलिंग का सामान हिन्दुस्तान में आएगा, हिन्दुस्तान के कल-कारखानों का सामान नहीं बिकेगा। हमारी औद्योगिक नीति असफल होगी, हमारे उद्योग बैठ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर पुर्नविचार होना चाहिए, जिससे इस देश में कालाबाजारी न बढ़ सके और साथ ही साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस देश में उद्योगों पर जो बुरा असर पड़ने वाला है उस पर विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमारा उद्योग बैठ जाएगा तो मैं समझता हूं कि देश को बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। उस स्थिति में हमारा देश कमजोर बनेगा और मैं विशेष तौर से आपसे निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी जी ने बार-बार यह कहा था कि मैं समझता हूं कि हमारी जितने भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं सभी के उसमें लिखा हुआ है कि नशाखोरी बन्द करेंगे, शराब पीने वालों को हम टिकट नहीं देंगे। करीब-करीब सब लोगों को मैंने देखा है और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, उसके आदर्शों को कायम रखना है तो हमें देश में मद्य-निषेध को लागू करेंगे, लेकिन इस बजट के अन्दर कहीं मद्यनिषेध की चर्चा नहीं है।

मैं समझता हूं कि इस मुल्क के बड़े-बड़े लोग जो बुद्धिजीवी बनते हैं, बड़े-बड़े होटलों में मद्यपान करके इस मुल्क को बरबाद कर सकते हैं, आज गरीब तबके का आदमी उसका सेवन करके अपने गांव और परिवार को बरबाद कर रहे हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने मद्यनिषेध को लागू करने के लिए कहा था। मैं चाहूंगा कि इसके लिए चाहे जितना भी नुकसान सरकार को उठाना पड़े, लेकिन पूरे मुल्क के अन्दर मद्यनिषेध को लागू कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इस समय जो तमिलनाडु की सरकार ने जो कदम उठाया है वह कदम सराहनीय है, उससे मद्यनिषेध लागू कर दिया है। इसके साथ-साथ महात्मा गांधी जी ने गांव के विकास के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण कुटीर उद्योगों के बढ़ाने की ओर ज्यादा ध्यान दिया था। लेकिन सरकार इसके लिए रुपया देती है वह रुपया गांव में नहीं जाता है बल्कि ऊपर के सब लोग इस रुपए को खा जाते हैं। इसकी कोई देख-रेख करने वाला नहीं है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको ध्यानपूर्वक देखे और मद्य-निषेध पर अवश्य सरकार को ध्यान रखना चाहिए।

मैं उत्तर प्रदेश की ओर से भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अन्दर शराब की दुकानों पर मधुशाला लिख दिया गया है। मधुशाला लिखना मैं समझता हूं कि इस शब्द का अपमान

करना है। इसलिए यह शब्द शराब की दुकानों पर नहीं लिखा जाना चाहिए। . . . (**व्यवधान**) . . . साहित्यिक शब्द नहीं है, लोगों में भ्रम पैदा करने वाला शब्द है।

सभापति महोदय, जो बजट पेश किया गया है, उसमें भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदलने की कोशिश की गई है। मैं दो या तीन बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि उपहार कर समाप्त किया जा रहा है। चाहे जहां से लोग रुपया पाएंगे, बेईमानी का, चोरी का, भ्रष्टाचार का, लेकिन उस पर उपहार कर समाप्त कर दिया गया है, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

इसी तरह से "भारत विकास बांड" जारी करने का निर्णय लिया गया है और कहा गया है कि विदेश से जो रुपया आएगा, सरकार नहीं पूछेगी कि यह रुपया कहां से आया। इन सब चीजों पर गौर करने की आवश्यकता है कि देश पर इसका क्या असर पड़ने वाला है।

"राष्ट्रीय आवास बैंक" बनाने का निर्णय लिया गया है और कहा गया है कि 30 नवम्बर 1991 तक जितना रुपया इसमें जमा किया जाएगा, 40 प्रतिशत रुपया काटकर 60 प्रतिशत रुपया उसको वापिस किया जाएगा। . . (**व्यवधान**) . . इस तरह से जो रुपया जमा होगा, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से बेईमानी, भ्रष्टाचार, चोरी और डकैती का ही रुपया जमा होगा। इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस बेईमान के यहां इस तरह का रुपया निकले, उसको पकड़ कर जेल में डाल दिया जाए। गांवों में 100—50 रुपए के पीछे आदमी को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अरबों खरबों बेईमानी का रुपया जमा करके उसको नम्बर एक का रुपया बनाने की कोशिश की जाती है, इस पर रोक लगानी चाहिए। 30 नवम्बर 1991 तक इस बैंक में रुपया जमा किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए उनके शेयर्स बढ़ाए गए हैं। इस तरह से उनका पूरा होल्ड हिन्दुस्तान पर हो जाएगा। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हिन्दुस्तान में व्यापार करने आई थी और हिन्दुस्तान को गुलाम बनाया था, यही स्थिति इसमें भी आपको अंत में देखने को मिलेगी। इसलिए इस ओर भी गौर करने की आवश्यकता है।

अत में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहले सुधार करने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति 20 लाख, 50 लाख रुपया खर्च करके चुनाव जीत कर आता है तो वह ठीक से अपना काम नहीं कर पाता, क्योंकि पता नहीं कहां कहां से उसने चन्दा लिया होता है, पैसा लिया होता है, इसलिए मेरे कुछ सुझाव हैं, इस पर अमल करने की आवश्यकता है, ताकि ईमानदार, चरित्रहीन और कर्मठ लोग ही चुनाव जीत कर आ सकें और चुनाव लड़ सकें।

सबसे पहले मेरा निवेदन है कि नामांकन और मतदान की तिथि की अवधि घटाकर ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन कर दी जाए, इससे ज्यादा अवधि नहीं रखनी चाहिए।

इसी तरह से बैनर्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आज देश में गरीब लोगों के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ ही दिनों में कितना ही कपड़ा बैनर्स बनाने में बरबाद कर दिया जाता है। इस कपड़े का गरीबों के लिए उपयोग हो सके, इसके लिए बैनर्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

इसी तरह से पोस्टर्स बनाने में भी कुछ ही दिनों में अत्यधिक कागज खराब किया जाता है इस पर भी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।

इसी तरह से लाउड-स्पीकर्स पर भी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। लाउड-स्पीकर्स से ध्वनि प्रदूषण होता है और लोगों का काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा विचार है कि केवल जनसभाओं के लिए इसकी इजाजत देनी चाहिए और आमतौर से जो हल्ला मचाया जाता है, उस पर रोक लगानी चाहिए।

मतदान के दिन किसी भी गाड़ी पर किसी भी पार्टी का झंडा लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि आप निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहते हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक है।

जहां तक संभव हो सके चुनाव कार्य एक दिन में ही पूरे प्रदेश में संपन्न कराया जाना चाहिए, इससे भी चुनाव निष्पक्ष होंगे।

मतदाताओं को परिचय पत्र दिए जाने चाहिए, ताकि जाली वोटों पर अंकुश लगाया जा सके।

मैं समझता हूं कि गरीब किसान के हितों के लिए हमें इन कदमों को अवश्य उठाना पड़ेगा।

अंत में एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यदि आप इस मुल्क को समान स्तर पर लाना चाहते हैं, देश में एकरूपता लाना चाहते हैं तो समान शिक्षा आवश्यक है। इससे चाहे जो भी आप निष्कर्ष निकालते हों, लेकिन इस देश को मजबूत बनाने के लिए समान शिक्षा की नीति को अख्तियार किया जाए।

मुझे आशा है कि हम सब लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में जो भी कमियां हैं, उनको दूर करेंगे। माननीय मंत्री जी को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि विदेशी पूंजी को देश की योजनाओं में लगाएंगे तो इस देश के लोग कैसे आगे बढ़ सकेंगे। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी न व्यापार के बहाने हिन्दुस्तान को गुलाम बनाया था, उसी ओर अग्रसर होने का लक्ष्य आज दिखाई दे रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: धन्यवाद देते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि जिस ढंग से बजट बनाया गया है, वह उचित नहीं है और मंत्री महोदय इस पर विचार करें तथा गरीबों के हितों में काम करें।

[अनुवाद]

श्री मुहीराम सैकिया (नागोंग) : सभापति महोदय, सामान्य बजट पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए मुझे जो अवसर प्रदान किया गया है उसके लिए म आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वित्तीय घाटे को कम करने की दिशा में सभी प्रयास किए गए हैं उन्होंने सरकारी राजस्व को बढ़ाने तथा जहां कही सम्भव हो व्यय को कम करने के लिए कुछ

उपाय किए हैं। परन्तु ये सब किस कीमत पर किया गया है ? क्या ये प्रयास सामान्य लोगों की कीमत पर नहीं किए गए हैं ? क्या समाज के गरीब वर्गों की लागत पर यह नहीं किए गए ? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की पद्धति से केवल सामान्य लोग ही अधिक प्रभावित होते हैं। इससे उच्च आय वर्ग के लोगों को कोई कठिनाई नहीं होती अपितु निम्न आय वर्ग के लोगों तथा सामान्य लोगों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती है।

महोदय, वित्त मंत्री ने चीनी के दाम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने पेट्रोल तथा पेट्रोल उत्पादों के मूल्य भी बढ़ा दिए हैं। इससे मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी। बाजार पर कोई निगरानी नहीं रखी जाती और इस कारण लोगों को कठिनाई होती है। हमारे वित्त मंत्री जी ने 7,790 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया है और वह बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं कि उन्होंने घाटे को कम किया है। परन्तु क्या वित्त मंत्री जी की ओर से कोई आश्वासन दिया गया है कि यह घाटा इसी सीमा के अन्तर्गत ही रहेगा ? हमने पिछले दशक में देखा है कि यह वर्ष 1980-81 से वर्ष-दर-वर्ष असाधारण तरीके से बढ़ रहा है। यह तो प्रारम्भ की बात थी परन्तु आज भी उसका अन्त नहीं हुआ है। यह संकटपूर्ण अनुपात में बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रा स्फीति बढ़ी है और इस कारण मूल्यों में वृद्धि होती है।

महोदय, उन्होंने उवर्रकों पर राज-सहायता को समाप्त कर दिया है जिस का साधारण किसानों और सीमान्त कृषकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्या उर्वरकों पर आर्थिक सहायता समाप्त कर देने से उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ? इसके बाद, मैं यह कहना चाहता हूं कि घाटे का बजट देश के लिए अच्छा हो सकता है बशर्ते कि अतिरिक्त संसाधनों का एकत्र किया जाए तथा अतिरिक्त धन-राशि प्राप्त की जाए और देश की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए ऋण का उपयुक्त प्रयोग किया जाए। हम यह देख रहे है कि इस प्रकार संघटित किए गए संसाधनों तथा एकत्र की गई अतिरिक्त धनराशि का उपयोग देश की सम्पति को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता। इसी कारण आज हम इस संकट का सामना कर रहे हैं।

फिर, वित्त मंत्री ने हमारी अर्थव्यवस्था का अप्रत्याशित रूप से एक निराशाजनक चित्र प्रस्तुत किया है। इसलिए, उन्होंने बजट के घाटे को कम करने तथा विदेशी व्यापार के क्षेत्र में हमारे देश की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए हैं। यहां विदेशी ऋण के ब्याज के भुगतान की समस्या है; बाजार में विदेशी मुद्रा की कमी है तथा आयात किए गए तेल के बिल के भुगतान की समस्या है। संभवतः इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए वित्त मंत्री ने एक ही माह में दो बार मुद्रा का अवमूल्यन किया। और बाहरी शक्तियों के दबाव के कारण ऐसा किया गया है, जिन्होंने हमारे वित्त मंत्री को यह कदम उठाने अर्थात्, दो बार मुद्रा का अवमूल्यन करने के लिए बाध्य किया है। उन्होंने भुगतान सन्तुलन और वित्तीय घाटे को कम करने के लिए ऐसे कठोर कदम उठाए हैं।

ऐसे कदम उठाने से उन्हें आशा है कि देश में विदेशी मुद्रा अधिक आएगी तथा पूंजीगत माल, मशीनें उपकरण तथा कलपुर्जे देश में अधिक आएंगे जिससे हमारे देश में उत्पादन अधिक होगा तथा हमारे उत्पादों के स्तर में भी सुधार होगा। परन्तु इतने वर्षों से हम क्या देख रहे हैं। इसमें खतरा है क्योंकि हमारे उत्पादों के लिए विदेशी बाजार में स्थान ढूंढ़ पाना आसान नहीं है इसलिये कि कुछ

विकसित देशों द्वारा सीमा-शुल्क प्रतिबन्ध लगाया जाता है। हमने पिछले अनुभव से देखा है कि पश्चिमी अथवा विदेशी पूंजी निवेशक श्रमिकों पर आधारित मशीनों के स्थान पर आधुनिक प्रकार की मशीनों को वरीयता देते हैं। पिछले दो दशकों से, हमारे देश में बेरोजगारी की ज्वलंत समस्या है। इसलिए, मैं समझता हूं कि उद्योगों में आधुनिक मशीनों के प्रयोग से बेरोजगारी की समस्या और अधिक बढ़ जाएगी तथा ये आधुनिक मशीनें जलती हुई आग में घी का काम करेंगी।

इसके अतिरिक्त उन लाखों लोगों का क्या होगा जो लघु तथा कुटीर उद्योगों में स्व-नियोजित हैं? लाखों युवा, आदमी और औरतें ऐसे उद्योगों में कार्यरत है जिनसे उन्हें रोजगार प्राप्त है तथा ऐसे रोजगार से अत्यधिक मात्रा में राजस्व अर्जित करने का भी अवसर है। विदेशी मुद्रा, विदेशी पूंजी निवेश के अन्त प्रवाह से सम्पूर्ण देश में ऐसे स्व-रोजगार में लगे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। क्या ऐसे छोटे लोगों के लिए जो लघु तथा कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं, आधुनिक मशीनों द्वारा तैयार उत्पादों से प्रतिस्पर्द्धा करना कठिन नहीं होगा? क्या ऐसी हालात में वह जीवित रह सकेंगे? ऐसे लोगों का भविष्य क्या होगा जो लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग तथा कुटीर, उद्योग में लगे हुए हैं? क्या इससे ऐसे उद्योग रुग्ण एककों में नहीं बदल जाएंगे, जिसके फलस्वरूप लाखों लोग, जो इन उद्योगों में कार्यरत हैं, रोजगार से वंचित नहीं हो जाएंगे?

हमने यह पाया है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही लोग भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लक्ष्य को संजोए हुए है। बजट में विदेशी पूंजी तथा पूंजी-निवेश की यह व्यवस्था भुगतान सन्तुलन तथा वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए की गई है। क्या इससे सरकार आत्मनिर्भरता के रास्ते को छोड़कर आत्म-परतन्त्रता का रास्ता अपनाने को बाध्य नहीं होगी? हमने पिछले वर्षों में क्या देखा है? एक कहावत है 'फ्लैग फॉलोस द ट्रेड' भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी व्यापार के लिए आई थी। परन्तु बाद में उन्होंने हमारे देश पर अपना झण्डा फहरा दिया क्योंकि हम ब्रिटिशवासियों पर बहुत अधिक निर्भर हो गए थे। अतः यह खतरा है यदि हम विदेशी पूंजी निवेशकों पर अत्यधिक निर्भर हो गए, तो कहीं हमारी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था विदेशियों, विदेशी पूंजी निवेशकों के हाथ में ही न चली जाए। इसलिए वर्तमान वित्त मंत्री को इस मामले में अत्यधिक सावधान और सचेत रहना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, बजट में क्षेत्रीय असन्तुलनों को समाप्त करने का कोई प्रावधान है। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैली इस वर्तमान अर्थव्यवस्था, संकट, आतंकवाद तथा हिंसा का अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण क्षेत्रीय असन्तुलन है। मैं अत्यन्त पिछड़े राज्य असम से आया हूं। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी तथा बराक घाटी के लोग इन दोनों नदियों में आने वाली विध्वंसकारी बाढ़ से पीड़ित है जिसके कारण सड़कें, पुल, वनों, मत्स्य उद्योग की अत्यधिक क्षति होती है तथा लोग बेघर हो जाते हैं। इस वर्ष इन दोनों नदियों में आई विध्वंसकारी बाढ़ से 30 लाख व्यक्ति बेघर हो गये हैं तथा ये लोग खुले आकाश के नीचे सूर्य, आंधी, हवा और वर्षा में शरण लिए हुए हैं।

लोग ब्रह्मपुत्र तथा बराक नदियों पर कुछ परियोजनाओं के निर्माण की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में मान्यता प्रदान की है। उन्होंने ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड का गठन किया है तथा उन्होंने केवल बोर्ड के रख-रखाव के लिए ही धनराशि स्वीकृत की है। बोर्ड ने सुबानसिरी परियोजना तथा धींग परियोजना नामक दो योजनाएं प्रस्तुत

की हैं परन्तु भारत सरकार ने उन दोनों परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धनराशि की कमी का तर्क दिया है। क्या मैं भारत सरकार से पूछ सकता हूं कि यमुना नदी के लिए कितनी परियोजनाएं हैं ? यमुना नदी की परियोजनाओं के मामले में, भारत सरकार धनराशि की कमी का तर्क नहीं देगी। उन परियोजनाओं के लिए सरकार के पास हमेशा धनराशि रहती है।

मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि असम के लोगों के लाभ के लिए बाढ़ पर रोक लगाई जाये तथा असम के लोगों को इन दोनों नदियों में आने प्रचंड बाढ़ के प्रकोप से होने वाली क्षति से बचाए।

असम में कई मिलियन घनमीटर गैस व्यर्थ जलाई जा चुकी है। गैस एक राष्ट्रीय परिसम्पत्ति है। क्या यह राष्ट्रीय संसाधन का अपव्यय नहीं है ? हम असम तेल क्षेत्र में गैस क्रेकर यूनिट की स्थापना की मांग पर जोर दे रहे हैं। भारत सरकार ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है परन्तु इस परियोजना की स्थापना के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, समझौते के अनुसार भारत सरकार ने असम में तीसरे तेल शोधक कारखाने की स्थापना का वादा किया था। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि असम के लोगों को ऐसे ज्वालामुखी पर बैठने न दें जो किसी भी समय फट सकता है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि पिछड़े हुए राज्य, असम के चहूंमुखी विकास के लिए कदम उठाए जायें ताकि क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जा सके और असम के लोगों के दिलों मे असंतोष को दूर किया जा सके।

5.00 म० प०

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** (कोयम्बटूर) : महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के बजट के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

काले धन को समाप्त करने के लिए घोषित किए गए उपायों का मैं पूर्णतया स्वागत करता हूं। काले धन को निकालने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिएं। इसी संदर्भ में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जमाखोरों और काला बाजारियों को पकड़ने के लिये विशेष कार्य दल का गठन किया जाये।

इस सदन में प्रत्येक सदस्य ने खाद पर मिलने वाली राज सहायता में कटौती करने पर आक्रोश प्रकट किया है। कृषक परिवार से सम्बन्धित होने के नाते मैं भी यह महसूस करता हूं कि इस कटौती का किसानों पर भारी बोझ पड़ेगा। हमारी अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है और खाद के लिये दी जाने वाली राज सहायता में की गई इस बड़ी कटौती को हम सहन नहीं कर पायेंगे। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से इस राज-सहायता को बहाल करने का अनुरोध करता हूं।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैं माननीय मन्त्री जी से रसोई गैस सिलेण्डरों के मूल्यों में 20% की वृद्धि के निर्णय पर पुनः विचार करने का भी अनुरोध करता हूं। रसोई गैस गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में आम इस्तेमाल की वस्तु है। इससे वृक्षों के अवैध रूप से काटे जाने को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

चीनी, चाय और कॉफी की दुकानों पर आम इस्तेमाल होती है। इसके मूल्य में वृद्धि कर दी गई है। इससे गरीब लोग प्रभावित होंगे। इसके मूल्य को भी कम किया जाना चाहिए।

मैं इस सम्माननीय सभा में 1984 से हूं। 13 कपड़ा मिलें बन्द हो चुकी हैं और मैं इस मामले को समय समय पर उठाता रहा हूं। सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। 15,000 व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार को मिलों के पुनः चालू करने के लिये विशेष सहायता प्रदान की जाये ताकि 15,000 गरीब कर्मचारियों के परिवारों की मदद की जा सके।

उत्तरी कोयम्बतूर रेलवे उपरि पुल, जिसके लिये वर्ष 1985 के रेलवे बजट में आबंटन किया गया था, को भी अभी पूरा किया जाना है। वार्षिक आबंटन या तो शून्य है या बहुत कम। मैं माननीय मन्त्री जी से इस योजना को शीघ्र पूरा करने के लिये अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, कोयम्बतूर में तिरपुर नामक एक शहर है। यह शहर बनियान उद्योग के द्वारा 680 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। बनियान उद्योग कुटीर उद्योग कहा जाता था। आज यह पूर्ण विकसित उद्योग है। वर्ष 1993 निर्यात व्यापार के द्वारा 1,000 करोड़ रुपये तक कमाये जाने की सम्भावना है। लेकिन शहर में जन-सुविधाओं का बहुत अभाव है। केन्द्र सरकार को चाहिये कि तिरपुर में सड़कों और घरों के निर्माण तथा पेयजल मुहैया करवाने के लिये विशेष धनराशि उपलब्ध करायी जाये। चुनाव घोषणा-पत्र में हमसे वायदा किया गया था कि 100 दिनों में 10 लाख कर्मचारियों को रोजगार दिलाया जाएगा। एक लम्बे समय से रेलवे, बैंकों तथा दूरसंचार विभागों में भर्ती पर रोक लगी हुई है। इन संगठनों में आप विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दें।

शिक्षित युवक क्यों नक्सलवादी बन जाते हैं? इसका कारण यह है कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। वे निरुत्साही और निराश हो चुके हैं। दिवंगत नेता श्रीमती गांधी तथा राजीव गांधी ने स्व-रोजगार योजनाओं को प्रोत्साहन दिया था। इन योजनाओं के अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तियों को स्व-रोजगार आरम्भ करने के लिए बैंकों से 75,000 रुपये ऋण के रूप में मिलते थे। वी० पी० सिंह सरकार तथा चन्द्रशेखर सरकार ने इन योजनाओं को समाप्त कर दिया। इन योजनाओं को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। शिक्षित बेरोजगारों को बिना अधिक शर्तों के बैंक ऋण उपलब्ध कराये जाने चाहिएं।

महोदय, मुझे स्वायत्तशासी संगठनों के बारे में भी कुछ कहना है। बहुत से इंजीनियरिंग और मैडिकल कालेज केन्द्र और राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करते हैं। वे बहुत अधिक प्रावेशिक शुल्क लेते हैं जिससे गरीब छात्रों को इनमें दाखिले से वंचित रहना पड़ता है। केवल अमीर लोग इन संस्थाओं में पढ़ाई कर सकते हैं।

औद्योगिकीकरण में तेजी लाने के लिये तत्काल पूंजी निवेश की आवश्यकता है। अपनी पूंजी बढ़ाने के लिये उद्योगपति बैंकों का सहारा लेते हैं। इसलिये बैंकों को बिना अनावश्यक शर्तों तथा ऋण के अवसर जुटाने की प्रक्रिया में बिना किसी मध्यस्थता के सभी उद्योगपतियों को ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। इस प्रणाली को रोकना होगा और बैंकों को उद्योगपतियों की प्रत्यक्ष तौर पर सहायता करनी होगी।

अन्त में, मैं अनुरोध करता हूं कि तिरपुर एक निर्यातक शहर बन गया है और अनेक विदेशी व्यापार के लिये इस शहर का दौरा करते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि उनके सुखद प्रवास के लिए तिरपुर में एक पंचतारा होटल का निर्माण कराया जाए।

5.05 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

गांवों में महिलाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए खादी उद्योग को प्रोत्साहन देना होगा। हालांकि खादी बोर्ड के कार्यकरण में अनेक कदाचारों की सूचना मिली है। बोर्ड को केन्द्र से जो सहायता मिल रही है वह गांवों में महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रही है। इस मामले की जांच के लिये एक जांच समिति का गठन किया जाना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि 18 से 25 वर्ष की आयु की निर्धन युवा महिलाओं को शादी के लिये भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

महोदय, राजीव गांधी न्यास के लिये 100 करोड़ रुपये के योगदान को अब वापस ले लिया गया है। हमने कहा है कि हम इस राशि को नहीं लेंगे। हमें सरकारी धन की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं। यदि प्रत्येक कार्यकर्त्ता द्वारा 1 रुपया भी दिया गया तो हम न केवल 100 करोड़ रुपये बल्कि 200 करोड़ रुपये एकत्रित कर सकेंगे। हम सरकार से एक पैसा भी नहीं लेंगे। महान नेता राजीव गांधी, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की प्रगति के लिये बलिदान कर दिया, अमर रहें।

[हिन्दी]

श्री मोहनलाल झिकराम (मांडला) : आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। अतः सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बजट ऐसे समय प्रस्तुत किया गया है जब कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, विदेशी मुद्रा की कठिनाई थी, और विदेशी कर्ज को उतारने के लिये रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसे बहुत समझदारी और होशियारी के साथ प्रस्तुत किया है। मैं भी इस बजट पर अपने विचार आपके सामने रखना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि खाद पर सबसिडी 40 प्रतिशत बन्द करने का इसमें प्रस्ताव है, मैं उसे किसानों के हित में अच्छी बात नहीं मानता क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति कृषि पर

आधारित है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थ-व्यवस्था किसानों पर निर्भर करती है। यदि उन्हें ही कमजोर बना दिया जाये तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ेगा। अतः किसानों को दी जाने वाली सबसिडी में कटौती उनके हित में नहीं है। मेरा निवेदन है कि आपने खाद पर जो सबसिडी बन्द की है, आप उसे हर हाल में फिर से बहाल कीजिये ताकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक तरह से चले। मुझे पूर्ण आशा है कि मन्त्री जी खाद पर मिलने वाली सबसिडी को यथावत रखने की घोषणा करेंगे। आज हर जगह इसका विरोध हो रहा है, आप किसी भी देहात में चले जाइये, जन-जन में चर्चा है कि सरकार ने खाद पर सबसिडी 40 प्रतिशत बन्द कर दी है उससे खाद्य और खाद्यान्न पर तत्काल बुरा प्रभाव पड़ा है। कीमतें बढ़ा दी हैं, का हम किसानों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। और आम लोग इसका विरोध करते हैं। आप कहीं भी चले जाइये, सभी जगह इसकी चर्चा चल रही है।

वित्त मन्त्री जी ने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर इस बजट को उन्हें समर्पित किया है। मेरा कहना है कि जब आपने यह बजट राजीव गांधी जी को समर्पित किया है तो उन्हीं की नीतियों के अनुरूप इसे होना भी चाहिए। राजीव गांधी जी ने जो घोषणाएं की थी इस बजट में हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने घोषणा की थी कि 100 दिन के भीतर हम सभी वस्तुओं के भाव जुलाई, 1990 के स्तर तक ले आयेंगे, मेरा निवेदन है कि सभी वस्तुओं की कीमतें कम करना तो सम्भव नहीं है परन्तु जो दैनिक उपयोग की, दैनिक व्यवहार की चीजें हैं, जैसे नमक है, मिट्टी का तेल है, खाने का तेल है, रसोई गैस है, शक्कर है, खाद्यान्न या दूसरी चीजें हैं, उनके भाव तो जुलाई, 1990 के स्तर तक लाने की कोशिश कीजिए। इससे जो घाटा आपको होगा, उसकी भरपाई विलासिता की वस्तुओं पर कर-भार बढ़ा कर की जा सकती है, जैसे मोटर, रेफ्रिजरेटर, टी० वी०, या विलासिता की दूसरी चीजें। उनकी कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं और वित्त मन्त्री जी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। किन्तु आम आदमी की दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, उनमें किसी तरह की बढ़ोतरी करना ठीक नहीं कहा जा सकता। यह मेरा ही कहना नहीं है, हर गांव में, हर आदमी यही कह रहा है कि हमने इस सरकार से जो आशाएं की थीं कि बजट आने पर हमें कुछ राहत मिलेगी, दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों के दाम कम होंगे। राजीव जी की घोषणा-पत्र के अनुसार इस बजट में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे लोगों में एक तरह की निराशा है जो बिल्कुल उचित प्रतीत होती है। विशेषकर बीड़ी तम्बाकू को ही ले लीजिये। यह ठीक है कि इनसे अनेकों बीमारियां होने की सम्भावना है परन्तु देश के 56 लाख गांवों में अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में इसका सेवन करते हैं। आज भी यदि देहात के लोगों को यदि 10 पैसे का तम्बाकू लेने की जरूरत होती है, 20 कि० मी० पैदल चलकर बाजार जाता है और तम्बाकू लाता है। इतनी आवश्यक चीज आज उनके लिये यह है। उनकी इस आवश्यकता और लाचारी को देखते हुए मेरा निवेदन है कि तम्बाकू पर भी टैक्स नहीं लगाया जाए, तो बहुत अच्छा है। 3-4 सालों से आपने बीड़ी पर कोई टैक्स नहीं लगाया, तो अब इस साल टैक्स लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी थी, उसे यथावत रहने देना था। ये खास बातें जो देहातों के कृषक मजदूरों की हैं, वे मैंने आपके समक्ष रखी हैं। उनकी जो भावनायें हैं उन्हें मैंने इस सदन में प्रकट किया है और वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देहात के गरीब और किसान की भावनाओं को देखते हुए निश्चय ही खाद की सबसिडी में कटौती न करते हुए दैनिक उपयोग की अनिवार्य वस्तुओं की कीमत कम करेंगे।

सभापति महोदय, कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन समय बहुत कम है इसलिये मैं अन्त में एक-दो सुझाव देते हुए निवेदन करता हूं कि पैट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं साथ ही कुछ डीजल के भाव में आंशिक बढ़ोतरी की गई है, यह ठीक नहीं हुआ है। इस पर आपको रियायत अवश्य देनी चाहिये क्योंकि अगर पैट्रोल और डीजल का भाव बढ़ाते हैं, तो उससे आवागमन पर सामान ढुलाई पर प्रभाव पड़ता है और खाने-पीने की चीजें उससे महंगी हो जाती हैं। दुकानदार किराये की बढ़त के कारण जब महंगी चीज लेगा, तो उसे महंगी ही बेचेगा। दूसरा निवेदन यह है कि जो हम बाहर से प्रति वर्ष 11-12 हजार करोड़ का डीजल तेल देश में होता है, उसी पर निर्भर रहना चाहिये। इसके लिये अच्छा होगा कि आप सप्ताह में दो दिन डीजल एवं पैट्रोल की बिक्री बन्द कर दें, अनिवार्य सेवा वाहनों को छोड़ कर। इससे समस्या कुछ हद तक ठीक हो सकती है।

जो सामान हम विदेशों से मंगाते हैं, वह बन्द होना चाहिए। इससे काफी बचत होगी। इसी प्रकार से विदेशों में अपने दूतावासों में हमारा ज्यादा खर्च अधिक स्टाफ ताम-झाम और सजावट होता है, इसको कम करना चाहिए। आफिस की साज-सज्जा, रख-रखाव में जो ज्यादा खर्च होता है, उसमें कमी करनी चाहिये। ऐसे अनेक बजट कार्य हैं जिससे आय बढ़ सकती है। इतना कहते हुए मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसानों और गरीबों के हितों पर बराबर ध्यान दें और उनके इस्तेमाल की चीजों पर जो टैक्स बढ़ा कर लगाया जा रहा है, उसे कम कर दें ताकि गरीबों को राहत मिल सके। यही समय की पुकार है।

श्री सयैद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद): चेयरमैन साहब, बजट पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं सिर्फ एक ही पाइंट को हाईलाइट करना चाहता हूं कि खाद की कीमत बढ़ाने से छोटे किसानों पर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। सरकार की तरफ से यह ऐलान तो किया गया है कि प्रोक्योरमेंट के टाइम पर किसान को राहत मिलेगी, लेकिन छोटे किसान को इससे राहत कहां से मिलेगी? जो सब्जी उगाते हैं, उन्हें क्या मिलेगा? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट सब्जियों की प्रोक्योरमेंट प्राइस नहीं करते है। जो छोटा किसान है, जो पहले ही ज्यादा कर्ज के बोझ से दबा हुआ है 3 सालों में उनके सामने यह नतीजा होगा कि खाद की 40 प्रतिशत कीमतें ज्यादा के कारण या तो उनको अपनी जमीनें बेचनी पड़ेंगी या फिर बड़े किसान के पास लीज पर देनी पड़ेंगी।

सभापति महोदय, पंजाब में उग्रवादियों की चर्चा हम करते हैं, पंजाब में कृषि में जिस तरह से काम हुआ है और जिस तरह से वहां कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ा है, उसके कारण वहां के जो छोटे किसान है, उनकी जमीन वह बड़े-बड़े किसान के हाथ में पहुंच गयी है। खाद की कीमत बढ़ने की वजह से पूरे भारत में यही हाल होगा। छोटे किसान की पूरी जमीन बड़े किसान के हाथ में चली जाएगी। बेकारी तो पहले से है और भी बेकारी बढ़ जाएगी और किसान मारा-मारा फिरता रहेगा।

अपने बजट के आखिर में वित्त मंत्री जी ने बताया कि वे गरीब घर से आए हैं। अफसोस इस बात का है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर गरीब घर से आए हैं उन्होंने गरीब की तरफ ध्यान नहीं दिया। छोटे किसान की जमीन किस तरह से बड़े किसान के हाथ में पहुंचेगी इसके लिए उन्होंने यह अजीब बजट पेश किया है। मैं इतना कहूंगा कि यह छोटे किसान के हाथ की जमीन छीनने की साजिश है। .... (व्यवधान) आज कहते हैं बड़े किसान कहां हैं। मैं आपको याद दिलाऊं इसी

सदन में आज से 7-8 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नें इन्टरवीन किया। लैंड रिफोर्मस के बारे में वे कहते है कि यह बहुत अच्छी तरह से हुआ है। बड़े किसान की जमीनें बिक रही है। लैंड रिफोंमस का मतलब यह नहीं है कि बड़े किसान की जमीन बिक जाए, इसका मतलब यह है कि जिसकी सीलिंग से ऊपर जमीन है उसपर कब्जा करके लैंडलैस को दिया जाए। देश के प्राइम मिनिस्टर का लैंड रिर्फोमस के बारे में यदि ऐसा ही कनसैप्शन है तो आपका भी किसान के बारे में ऐसा ही कनसैप्शन होगा। इतना कहते हुए मैं वित्त मंत्री से विनती करता हूं कि छोटे किसान के ऊपर जमीन छीनने की जो साजिश हो रही है उसको रोकने के लिए वजट पेश होने से पहले सबसिडी को बरकरार रखें।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : **महोदय, मैं इस बजट का खासकर इसलिए समर्थन** करता हूं कि इसमें सभी क्षेत्रों की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की गई है।

आज हिंदुस्तान को न तो धन की जरूरत है, न ही किसी दूसरे देश या पक्ष से किसी तरह की मदद की। भारत को आज हर व्यक्ति, हर समूह तथा हर क्षेत्र की कार्य कुशलता को बढ़ाने की जरूरत है। इस बजट का भी लक्ष्य यही है। अत: मैं सोचता हूं कि यदि कार्य कुशलता बढ़ती है तो हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं तथा इसके निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकार क्षेत्र में भी बेहतर परिणाम होंगे।

मैं जापान का उदाहरण देना चहाता हूं। जापान एक ऐसा देश है जिसने हर क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत की है तथा उसके परिणाम भी सबसे अच्छे हुए है। वहां ऐसा विभिन्न समूहों के बीच प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण तैयार करके किया गया है। वहां बाजार में पण्य मदों और उत्पादों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा है।

यह बजट न तो निजीकरण का पक्षधर है न ही यह सरकारी क्षेत्रों के खिलाफ है। सरकारी क्षेत्रों के खिलाफ बजट में आखिर है ही क्या? सच तो यह है कि निजीकरण के साथ-साथ सरकारी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। यदि ऐसा हुआ तो ज्यादा बेहतर प्रतिस्पर्द्धा होगी और इसके ज्यादा बेहतर परिणाम होने चाहिए। इस बजट में औद्योगिकीकरण रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, तथा मुद्रास्फीति को कम करने की कोशिश की गयी है क्योंकि इस बजट का लक्ष्य घाटे को सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 8.4 प्रतिशत से घटाकर 6.5% करना है। फिर से भारत में उत्पादित होने वाली सभी जिंसों के उत्पादन और निर्यात को भी बढ़ाने की भी कोशिश की गई है। यदि हम अपने निर्यात को खासकर, उन चीजों के निर्यात को, जिनके लिये आयात की जरूरत नहीं है, बढ़ा सकें तो इससे हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मैं एक या दो उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे जूतों का। जूते या जूतों के हिस्सों को भारत में ही बनाया जाता है। यदि हम जूतों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दें तो इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।

मैं आपका और आपकी सरकार का ध्यान कृषि क्षेत्र में उत्पादित होने वाली निर्यात वस्तुओं को बढ़ावा देने की ओर भी खींचना चाहता हूं। उदाहरणार्थ, रबड़ एक ऐसी चीज है जो भारत में उत्पादित की जाती हैं। मेरे ख्याल से भारत का 90 प्रतिशत रबड़ केरल में पैदा होता है। अतः

मैं समझता हूं कि इस समय इस विषय पर अपनी बात कहना मेरा कर्तव्य है। रबड़ एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग हर वस्तु के लिए होता है। यह उद्योग के लिए भी आवश्यक है। यदि हम रबड़ तथा अन्य सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दें तो मैं सोचता हूं कि प्राकृतिक रबड़ के निर्यात में हम काफी प्रगति कर सकते हैं।

भारत में रबड़ के भंडारण का तरीका गलत है। इसके भंडारण के तरीकों में हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। अभी अतिरिक्त भंडारण के रूप में तीन महीने का भंडारण किया जाता है। मान लें कि यदि हम इस अतिरिक्त भंडारण की दुवधि को घटा कर एक महीना करें तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे पास निर्यात करने के लिए भी कुछ प्राकृतिक रबड़ होगा।

मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा था। कुछ और चीजें भी है जिनका निर्यात किया जाता रहा है। मैं समझता हूं कि मसालों के निर्यात में काली मिर्च पहले स्थान पर है। इससे प्रति वर्ष 150 करोड़ रु० की आय हो रही है। यदि इसकी खेती को और बढ़ावा दिया जाये तो हम इस कृषि उत्पाद के निर्यात से बेहतर परिणामों की आशा कर सकते हैं।

मैं समझता हूं कि बजट की आलोचना मुख्यतः राजनीति प्रेरित है। अब ऐसा सोचा जा रहा है कि यदि निजी कंपनियां आती है या निजीकरण कुछ हद तक बढ़ता है तो यह समाजवाद के खिलाफ है। मैं सोचता हूं कि ऐसा सोचना बहुत गलत है क्योंकि समाजवाद में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। हम जिस तरह के समाजवादी लक्ष्य की बात करते है उसमें यह तो आशा नहीं की जाती है कि निजीकरण बिल्कुल ही खत्म हो जायें।

कृषि क्षेत्र के उत्पादों के साथ-साथ अन्य चीजों के उत्पादन के मामले में भी हमें निजी एजेंसियों को बाजार स्पर्द्धा में बढ़ावा देना चाहिए।

अब मैं अपने भाषण को संक्षिप्त करूंगा। मैं अपने जन्म स्थान केरल की कुछ जरूरतों पर जोर देना चाहता हूं। उनमें से एक है, बाढ़ के लिए और ज्यादा कोष के आवरण की जरूरत, केरल कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हर साल बाढ़ आती हो। किन्तु इस वर्ष कई महीनों के मानसून की वजह से जैसी कि खबर है 300सौ करोड़ रुपये की हानि हुई है। लगभग 6000 घर बह गये हैं। लगभग छह लाख हेक्टेयर भूमि की फसल पूर्णतः नष्ट हो गयी है। लगभग तीस हजार घर भी पूर्णत क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस राज्य की दिक्कत यह है कि यह केन्द्र से न तो निवेदन कर सकता है, न ही यह मांग कर सकता है कि क्षति का आकलन करने तथा राहत का निर्धारण करने के लिए वहां एक दल भेजा जाये। नौवें वित्त आयोग की रिपोर्ट इसके खिलाफ है। किन्तु मैं समझता हूं कि उस रिपोर्ट में भी यह बात कही गयी हैं कि किसी राज्य या इलाके में कुछ बिल्कुल अप्रयाशित हानि की संभावना हो सकती है। नौवें वित्त आयोग के रिपोर्ट में भी एक ऐसी पंक्ति है जिसमें विशेष मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा धनराशि के आबंटन की बात कही गयी है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इस संबंध में कुछ ध्यान दे।

मैं सरकार का ध्यान उर्वरक समस्या की ओर भी दिलाऊंगा जिसका सामना सभी राज्यों तथा किसानों द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो रियायतें दी जा रही हैं वह बहुत प्रशंसनीय नहीं है। परन्तु जैसाकि मैंने कहा है कि हम अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को और अधिक प्रभावी-

बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब तक हम इस उद्देश्य को वास्तव में प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हमें कुछ मदों पर रियायतें देनी होंगी जिनका कि उत्पादन किया जाता है जैसे उर्वरक। चूंकि हम रियायतें दे रहे हैं और यदि इस प्रथा को पूरी तरह रोक दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह उर्वरक रियायतों में कुछ संशोधन करें।

मैं विनम्रतापूर्वक सरकार का ध्यान कोचीन में एक अच्छा हवाई अड्डा बनाने के संबंध में दिलाऊंगा। यह कार्य भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था तथा भारत सरकार ने यह रिपोर्ट दी है कि कोचीन में हवाई अड्डे का विस्तार करने के लिये वहां पर अधिक स्थान नहीं है। परन्तु अन्य स्थानों की तलाश की जा रही है। यह पता लगाया गया है कि एरनाकुलन जिले में एदाक्क ट्टू वायाल में इस कार्य के लिये लगभग 300 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है जोकि कोचीन से अधिक दूर नहीं है। एक और स्थान है जिसे वेट्टूर कहते हैं जोकि कोचीन हवाई अड्डे से कुछ किलोमीटर दूर है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि सरकार द्वारा इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक केरल का सवाल है एक और समस्या है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तब हम हमेशा यह कहते हैं कि पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए तथा वनों को नहीं काटना चाहिये। केरल ऐसा स्थान है जहां पर वास्तव में सरकार नें किसानों को इस बात के लिये प्रोत्साहन दिया है कि वे वनों में जायें तथा भूमि को जोतें तथा अधिक अनाज उगायें जब एक समय में केरल में जबर्दस्त भुखमरी थी। अतः उस समय बहुत से लोग पर्वतीय क्षेत्रों में गये थे तथा उन्होंने इन जंगलों को गांवों तथा कृषि सम्पत्ति में परिवर्तित कर दिया था। केरल काली मिर्च जैसे कृषि उत्पाद से जो विदेशी मुद्रा कमाता है, वह उन स्थानों से आता है जो पंजीकृत भूमि नहीं है। अब यह गैर-पंजीकृत भूमि को वनों की परिभाषा में ला सकते हैं परन्तु वे वास्तव में वन नहीं है। उन्हें वनों से कुछ नहीं करना है। उन्हें पूर्णतः वनों से कोई संबंध नहीं है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह ऐसी भूमि के लिये पंजीकरण पट्टे जारी करने के लिये उचित कदम उठायें तथा किसानों को ऋण प्रदान करने की सुविधा दें, ताकि वे इस बात के भय के बिना अपना उत्पादन करें कि सरकार उनकी भूमि किसी भी समय ले सकती है।

मैं एक बार फिर वित्त मंत्री तथा इस सरकार की प्रशंसा करता हूं जो ऐसा बजट लाये हैं जो कुछ परिवर्तन लाने के लिये कटिबद्ध है। जबकि हम, जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति में है। आखिर किसी को तो पहल करनी होगी। हम पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति में हैं। इसमें कोई शक नहीं है तथा इसके बारे में कोई असहमति नहीं है। हमें इस अव्यवस्था से बचना है और यदि यह करना है तो हमें कुछ परिवर्तनों के बारे में सोचना होगा। मुझे विश्वास है कि इस बजट का उद्देश्य वे परिवर्तन करने का है जिनसे हमारी आर्थिक स्थिति में वास्तव में अच्छे परिणाम सामने आयेंगे।

श्री डी० पंडियन (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1991-92 के लिये प्रस्तुत किए गए बजट पर बोलने के लिये खड़ा होता हूं। जैसाकि बहुत से वक्ताओं ने पहले ही कहा है तथा बहुत से महत्वपूर्ण मद्दों पर बोले हैं मैं संक्षेप में केवल विषय से सम्बन्धित तथ्य कहूंगा।

बजट प्रस्तुत करते हुये हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारा देश विभिन्न कारणों से कठिन स्थिति में है। वर्तमान परिस्थितियों में इन कठिनाइयों से उबरने के लिये उन्होंने इसके समाधान हेतु कुछ सुझाव देने की कोशिश की है। समाधान के रूप में उन्होंने तुरन्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की सहायता का जिक्र किया है। अनेक दलों के अनेक सदस्यों के भाषणों को सुनने के बाद मैं समझता हूं कि इस पर कुछ अपवादों के साथ सर्वसम्मति है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के सिवाय इस बार कोई अन्य विकल्प नहीं है। परन्तु सावधानीपूर्वक कार्य करना होगा क्योंकि शर्तों को घोषित नहीं किया गया है इस सभा को भी शर्तों के बारे में नहीं बताया गया है। अतः शंका एवं भय बना हुआ है। मैं वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से संपर्क करके इस कठिनाई को दूर करें। परन्तु वह यह बात भी दिमाग में रखें कि यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इतने निकट जाते हैं तो हम जल कर मर जायेंगे और यदि हम दूर रहते हैं तो हम कांपकर मर जायेंगे। अतः एक निश्चित दूरी बनायी रखनी चाहिए। हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक का इतिहास पता है तथा हमें जमैका तथा ब्राजील से सबक सीखना चाहिए। वास्तव में भारत एक बड़ा देश है और हमें इसी जमेका से तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन तथा 80 करोड़ लोग हैं। फिर भी हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की शर्तों को मानने से पहले बहुत सावधान रहना होगा। यह हमारी आर्थिक स्वतन्त्रता तथा आर्थिक नीतियों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सम्पर्क करना चाहिए। परन्तु यह कोई स्थायी समाधान नहीं है, यह एक अस्थायी विकल्प है। हमें इसे ठीक करने के उपाय के रूप में लागू कर रहे हैं। यह किसी बीमारी का इलाज नहीं है। इलाज कहीं ओर है। ....**व्यवधान**

सभापति महोदय : श्री पंडियन एक मिनट रुकें। वह माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं दुनिया में दस बारह देश ऐसे हैं जिनकी प्रति-व्यक्ति आमदनी पांच लाख है और इस देश में प्रति व्यक्ति आमदनी चार सौ रुपए है। माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं अमरीका के हाथ में यह बजट गिरवी रख दिया है। ऐसी कंडीशन आ सकती है इसलिये वित्त मंत्री को इस पर जबाव देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री डी० पंडियन : मुझे क्षमा कीजिये। मैं माननीय सदस्य की बात का जबाब नहीं दे सकता हूं क्योंकि मुझे हिन्दी नहीं आती है। मैं आशा करता हूँ कि वह मुझे क्षमा करेंगे।

मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वह भारत के उत्पादनकर्ताओं को विश्वास में लें यही स्थायी समाधान होगा। जब मैं उत्पादनकर्त्ताओं की बात करता हूँ तो मैं औद्योगिक तथा कृषि दोनों क्षेत्रों के उत्पादकों की बात करता हूँ। संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता है, जैसाकि आज सुबह समाचार पत्रों में बताया गया है, कि अतीत में उर्वरकों की रियायतों का दुरुपयोग किया

गया है। यह बताया गया है कि उर्वरक क्षेत्र को दी जाने वाली राजसहायता उद्योगों को जा रही थी न की किसानों को अतः कुछ फैक्टरियों ने इसमें इस तरह हेरफर की है कि बिना किसी उर्वरक के उत्पादन के वे राजसहायता प्राप्त करने में सफल हो गये हैं। इसे रोकना चाहिये। यदि इस तरह से राजसहायता का उपयोग होगा तो इसे समाप्त कर देना चाहिये। परन्तु महोदय, उर्वरकों के मूल्यों को बजट-पूर्व स्तर पर रखा जाना चाहिये। केवल एक सप्ताह में उर्वरकों का मूल्य जाने कितना बढ़ गया है। यही नहीं। एक समय जब दक्षिण में अच्छी बारिश हुई थी तथा जब उत्तर में सामान्य बारिश हुई थी तो उर्वरक बाजार से गायब हो गया। जब हमारे किसानों ने खेती का कार्य शुरू किया तो दुर्भाग्यवश उन्हें गलत संकेत दिया गया है तथा यह संदेश आया कि उर्वरकों का मूल्य बढ़ गया है। यह किसानों को प्रोत्साहन नहीं है। यदि हम उन्हें प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं। तो हमें कम से कम ऐसे समय में उन्हें हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिये। हमें जानना चाहिये कि कोई भी देश जितना उत्पादन करता है उससे अधिक खपत नहीं कर सकता है। हमारे कृषि क्षेत्र से अधिक उत्पादन की अपेक्षा की जाती है। और हमें अपने पिछले रिकार्डों पर गर्व है। ऐसा देश, जो कुछ दशक पूर्व अनाज आयात करता था आज ऐसा देश बन गया है जो प्रतिवर्ष 1800 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन कर रहा है। हरित क्रांति इन नीतियों के बिना नहीं हुई होती। वास्तव में लाभ इन हेरा फेरी करने वाले उत्पादकों को नहीं मिलना चाहिये। यह सीधे किसानों को मिलना चाहिये। इससे सीधे किसानों को लाभ मिलना चाहिये। हमें यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ तरीका निकालना चाहिये।

मैंने कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय सीमांत किसानों को कुछ नियंत्रित समर्थन मूल्य देने की बात सोच रहे हैं। भारत जैसे देश में—हमारा अपना अनुभव है—यह व्यवस्था कार्य नहीं करेगी। यह केवल तहसीलदारों तथा अन्य छोटे अधिकारियों को गरीब किसानों को ठगने के लिये शक्ति प्रदान करेगा। एक बार फिर गरीब किसानों के नाम पर, एक बार फिर गरीब लोगों के नाम पर अमीर लोग इसका उपयोग करेंगे तथा यह गरीब लोगों तक नहीं पहुंचेगा। आज केवल यही विकल्प है कि उर्वरकों की कटौती को छोड़ दें, ताकि किसानों को प्रोत्साहन मिल सके। यह कहना कि वसूली मूल्य बढ़ाकर उन्हें मुआवजा दिया जा सकता है, का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपको वसूली मूल्य केवल फसल की कटाई के बाद मिलेगा। जब उसने बीज तक नहीं बोया है तथा खाद तक नहीं डाली है तो आप उनसे बिक्री के लिए अधिक अनाज की अपेक्षा कर रहे हैं। अतः ऐसा कोई वायदा करने का कोई लाभ नहीं है जिसको प्राप्त करना संभव न हो। बिक्री के लिए अतिरिक्त अनाज केवल बड़े जमींदारों के पास से आयेगा तथा ऐसे लोगों से आएगा जिनके पास बहुत अधिक भूमि है। अतः जब गरीब किसानों के पास बिक्री के लिए अतिरिक्त अनाज नहीं होगा तो उसे वह लाभ नहीं मिलेगा जो आप उन्हें देना चाहते हैं। अतः हम यह सुनिश्चित करें कि उन्हें बजट पूर्व स्तर पर उर्वरक दिया जायेगा। इस मांग को छोड़ना नहीं चाहिये। वित्त मंत्री को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये तथा यह नहीं कहना चाहिये कि विपक्षी सदस्य उन्हें धमकी दे रहे हैं तथा समर्थन करने वाले सदस्यों की ओर से भी दबाव है। यह धमकी या दबाव का सवाल नहीं है। यह दलगत स्थिति से ऊपर उठकर न्यायोचित मांग है तथा 60 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। अतः इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। मुझे आशा है कि हमारे वित्त मंत्री इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे तथा यह घोषणा करेंगे कि उर्वरक रियायतों को वापस लेने के मामले में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

एक छात्र तथा एक नागरिक के रूप में मैं समाचार पत्रों में 1952 से अब तक काले धन के बारे में पढ़ रहा हूँ। प्रत्येक वित्त मंत्री कालेधन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा के साथ शुरुआत करता है तथा सभी काले धन रखने वालों के साथ बिना शर्त क्षमा याचना के साथ ये मामले समाप्त कर देता है। यह हमारा इतिहास है। अब कुछ परिवर्तन हुआ है। हमारे वित्त मंत्री ने वास्तविकता के साथ समझौता करते हुये आरम्भ से ही बिना शर्त क्षमा याचना दे दी है। कालेधन के उपयोग करने का कोई खतरा नहीं है तथा उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। जब वह कठिन स्थिति, वित्तीय संकट, विदेशी मुद्रा का अभाव, घाटे के बजट, मूल्यों में वृद्धि, बेरोजगारी, आदि की बात करते हैं तथा काले धन को छूने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं तथा साथ ही साथ कुछ कर लगाने की बात सोचते हैं तो मैं समझता हूँ कि वे बीमारी का इलाज करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। काले धन को निकालने का वास्तविक प्रयास किया जाना चाहिये। उनको स्वतंत्र लाइसेंस देने का मतलब यह है कि हम उनके सामने घुटने टेक रहे हैं तथा उनके दिलों में डर पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय में जब देश संकट में है तो उन्हें बता देना चाहिये कि इस देश में काला धन नहीं रखा जा सकता है। यह समय की मांग है। और हम आशा करते हैं कि वित्त मंत्री इस संबंध में कुछ कदम उठायेंगे।

वित्त मंत्री ने बजटीय प्रस्तावों पर दवाब को कम करने के लिये घरेलू शान्ति का जिक्र किया है, तथा कहा है कि वह बर्तनों पर कर नहीं लगा रहे हैं। यह स्वागत योग्य प्रस्ताव है। परन्तु मैं कहूंगा कि बर्तन जीवन में एक बार खरीदे जाते हैं अथवा कुछ वर्षों में, प्ररन्तु प्रति माह नहीं। घरेलू गैस पर खर्च लगातार होता है जोकि हर घर में इस्तेमाल की जाती है। तथा इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिये। यदि हम वनों को काटना तथा नष्ट करना रोकना चाहते हैं तथा इस ईंधन को प्रोत्सहन देना चाहते हैं तो हमें उस गैस के उपयोग के बारे में सोचना चाहिये जिसे हवा में जला दिया जाता है तथा इसे घरेलू उपयोग में लाना चाहिये तथा घरेलू गैस को एक साथ 12 रुपये प्रति सिलैण्डर वृद्धि नहीं करनी चाहिये। किसी भी पत्नी से घर में यह कहकर शान्ति बनाना बहुत मुश्किल है। अतः मैं समझता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री से इस बात पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया जायेगा।

पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि के बाद हम अन्य मूल्यों के कम होने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यदि हम मूल्यों का कम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिये जिससे मूल्यों में वृद्धि हो। चूंकि पहले ही लोगों पर भारी दबाव पड़ रहा है तथा मूल्यों में पहले ही वृद्धि हो रही है तथा यह योजना आवंटन को भी प्रभावित करेगा जिसके परिणामस्वरूप सरकार की अपेक्षाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। वित्त मंत्री ने आशापूर्ण तरीके से यह कहते हुये, समाप्त किया कि इस अर्थ-व्यवस्था में आने वाले छह महीनों में सुधार होगा। उन्हें आशापूर्ण तरीके से उस पर कायम रहना चाहिये तथा छह महीनों में उन्हें उत्पादकों को प्रोत्साहन देना चाहिये तथा उन्हें गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहिये तथा छह महीने बाद उन्हें सभा के समक्ष बदले हुये प्रस्ताव के साथ आना चाहिए जब स्थिति में सुधार हो चुका होगा तथा जब देश किसी भी सदमें का अधिक शक्ति के साथ मुकाबला कर सकेगा।

इस समय मैं निवेदन करूँगा कि ये तीन मुख्य मांगें अर्थात् वित्त मंत्री द्वारा राजसहायता वापस लना, घरेलू गैस तथा पेट्रोल पर पुनर्विचार करके कोई स्वीकार्य प्रस्ताव लाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पहली बात तो यह है कि मैं इस बजट का विरोध करने के लए खड़ा हुआ हूं।

मैं इस बजट पर बोलते हुए एक ही बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि यह बजट गरीबों और किसानों का विरोधी बजट है। इससे कमजोर और मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है और यह मंहगाई बढ़ाने वाला बजट है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। आज स्थिति यह है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। इस साल रेल किराए में और माल भाड़े में जो वृद्धि की गई है, उसका भी जनमानस पर विपरीत असर पड़ा है। इस बजट ने गरीब मजदूर, किसानों के मुंह से बीड़ी छीन ली है, उनके बच्चों के मुंह से सुबह की चाय छीन ली है। इतना ही नहीं सभापति महोदय, चीनी और कुकिंग गैस पर भी करों में वृद्धि की गई है। इस सारी वृद्धि के बावजूद वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में 7719 करोड़ रुपए का घाटा बताया है। दूसरी ओर 13854 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा दिखाया है और 37727 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है।

सभापति महोदय, मैं समझ नहीं पाया हूँ कि इस बजट के माध्यम से देश को कहां ले जाना चाहते हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि उर्वरकों पर जो मूल्य वृद्धि की गई है, जो सबसिडी विघड़ा की गई है, 40 फीसदी जो मूल्य वृद्धि उर्वरकों पर की गई है, उस मामले में सारे सदन में रोष है। प्रत्येक सदस्य ने अपने भाषण में यह कहा है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने उर्वरकों पर जो मूल्य वृद्धि की है, सबसिड़ी वियड़ा की है, उसको वापिस लिया जाना चाहिए। मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वृद्धि को समाप्त किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि यदि सरकार ने उर्वरकों पर हुई मूल्य वृद्धि को वापिस नहीं लिया तो यह सरकार टिक नहीं सकती है, इस सरकार को जाना पड़ेगा, यह सरकार गिर जाएगी। इसलिए सरकार को इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, आज स्थिति क्या है कि वित्त मंत्री महोदय ने, कहा है कि समर्थन मूल्य बढ़ा कर किसानों के घाटे को पूरा किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जो सीमांत और लघु किसान हैं, वे इतना पैदा नहीं कर पाते कि अपने परिवार के लिए दो समय का भोजन जुटा सकें। इस तरह से गरीब किसान का घाटा कैसे पूरा होगा। आज देश का गरीब किसान बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाता है। देश में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि जिससे किसान आज बहुत चिंतित हैं। आज किसान की परेशानी को वही समझ सकता है जो किसानों के बीच में रहता है। अध्यक्ष महोदय भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। आज भी 72 फीसदी आबादी गांवों में निवास करती है। किसान धरती मां का बेटा है और हमारा अन्नदाता है। 18–18 घण्टे सर्दी, गर्मी और बरसात में खेत–खलिहान में काम करके देशवासियों को दो समय का भोजन देता है। लेकिन आज उसकी हालत ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी माननीय मंत्री महोदय ने किसानों के ऊपर 40 फीसदी टैक्स लगाया है।

माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि 1981 के बाद उर्वरकों पर कोई कर वृद्धि नहीं की गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 1981 के बाद जब कांग्रेस की सरकार

थी, स्वर्गीय श्रीमति इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं, उस समय 1981–82 में यूरिया की बोरी 80 रुपये में मिलती थी और जब श्री राजीव गांधी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, प्रधान मंत्री थे, यही यूरिया की बोरी 117 रुपये में मिलती थी और उसके बाद वी. पी. सिंह और चन्द्र शेखर जी प्रधान मंत्री थे, यही यूरिया की बोरी 125 रुपये में बिकने लगी। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि 1981 से यूरिया की कीमत नहीं बढ़ी है। यह एक प्रकार से सदन को गुमराह करने वाली बात है। उस वक्त भी यूरिया और फर्टिलाइजर पर वृद्धि हुई थी, लेकिन अभी जो वृद्धि की है माननीय मंत्री जी, उससे तो किसानों की कमर ही टूट गयी है। आज यूरिया की बोरी 175 रुपये में मिल रही है। 40 परसेंट जो वृद्धि हुई है उसके कारण आज किसानों के अन्दर बड़ी मायूसी छा गयी है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उर्वरक पर आपने वृद्धि की है इससे जहां किसान की कमर टूट जाएगी, हरित क्रांति पर कुठाराघात होगा, वहीं किसान का उत्पादन भी घटेगा। किसान बड़ी मेहनत कर के अन्न पैदा करता है, लेकिन आप यूरिया और दूसरी चीजों पर भाव बढ़ा रहे हैं उसके कारण उत्पादन घटेगा। जब उत्पादन घटेगा तो इसका खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा।

मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अन्त में निवेदन करना चाहता हूँ कि जो उर्वरकों के ऊपर सब्सिडी थी यह यथावत रखी जाए और 40 प्रतिशत जो कर लगाया गया है, इसे वापस लिया जाए। शूगर और गैस पर से कर वृद्धि वापस ली जाए। शराब को वित्त मंत्री जी ने छोड़ दिया है। यदि वे चाहें तो घाटा पूर्ति शराब पर कर वृद्धि कर के पूरी कर सकते हैं। आय की जो सीमा है जिससे कर्मचारी और मध्यम वर्गीय व्यक्ति अफैक्टिड होते हैं, अटल जी बैठे हैं, इन्होंने अपने भाषण में भी इस बात को कहा है, लेकिन मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि 48 हजार रुपये तक आय कर में छूट देनी चाहिए। यदि यह हमने किया तो निश्चिय रूप से आम आदमी को इससे राहत मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे निश्चित रूप से सदन की भावनाओ को ध्यान में रखते हुए, देश के 72 प्रतिशत किसान जो गांवों में रहते हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों से कर वृद्धि वापिस लें और सब्सिडी जारी रखें। नहीं तो एक बार फिर इस देश को मध्यावधि चुनाव के दौर से गुजरना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इन्हें गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़): सभापति महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के केन्द्रीय बजट का समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री ने प्रशंसनीय कार्य किया है। कठिन आर्थिक संकट की स्थिति में जब हमारी आर्थिक स्वतन्त्रता खतरे में है उन्होंने वित्तीय गड़बड़ियों को ठीक करने के लिये साहसिक कदम उठाये हैं।

भुगतान संतुलन की स्थिति की गम्भीरता तथा तात्कालिकता को देखते हुए हमारे पास अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार लेने के तत्काल विकल्प के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण इसलिये आवश्यक है यदि हम अपने ऋण प्रभार दायित्व से बचना चाहते हैं। उर्वरकों तथा पैट्रोलियम उत्पादों जैसी आवश्यक वस्तुओं का आयात करना भी आवश्यक है। ताकि उद्योग तथा परिवहन सुचारू रूप से चलते रहें तथा कृषि का विकास होता रहे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण हमको वही राहत देगा जिससे वृहत-आर्थिक व्यवस्था प्रभावी बनाया जा सके। इससे हमें राजस्व तथा बजरीय घाटा कम करने का समय मिलेगा।

महोदय, उर्वरकों के मूल्यों का मामला सारे देश को क्षुब्ध कर रहा है। सभा में व्यक्त किया गया रोष दलगत भावना से हटकर है। मैं यहां व्यक्त किये गये विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। मैंने पहले ही अपनी चिन्ता पार्टी के मंच पर व्यक्त कर दी है। मूल्यों को कम करने की तत्काल आवश्यकता है। मैं इस सम्मानित सभा से निवेदन करूंगा कि इस मामले को राजनीति का रूप न दें। हम सबको चिन्ता है वित्त मंत्री ने बजटीय घाटे को कम करने की कोशिश की है। तथा हमें कुछ विकल्पों का सुझाव देना है, यदि उन्हें 6–5 प्रतिशत के वित्तीय घाटे की सीमा को पूरा करना है। मैं सुझाव देता हूं कि हम ऋणों को माफ करने की योजना पर गम्भीरता से विचार करें। जिसके लिये 1,500 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। मैं सुझाव देता हूं कि इसे समाप्त कर देना चाहिये। यह परम्परा अच्छी नहीं है तथा इससे जो धनराशि बचायी गयी है उसको उर्वरकों का मूल्य कम करने के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये।

महोदय, अब मैं दक्षिण महाराष्ट्र के कृष्णा बेसिन में सिंचाई परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की गम्भीर समस्या पर आता हूं। कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने महाराष्ट्र को 585 टी एम सी पानी देने को कहा है। हमें इस जल का उपयोग वर्ष 2,000 तक करना हैं जब इसके निर्णय की पुनरीक्षा होगी। ऐसा सारा जल जिसका उपयोग नहीं किया गया है को फिर से बांटा जायेगा और हम इसे हमेशा के लिये खो देंगे यदि हम इस जल का उपयोग वर्ष 2,000 तक नहीं करते हैं।

इस बात पर विचार करते हुए कि सारी खेती योग्य भूमि की 14 प्रतिशत भूमि पर ही सिंचाई होती है। हमारे राज्य महाराष्ट्र में सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। अकेले कृष्णा बेसिन में चल रही परियोजनाओं में 1850 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और भविष्य की परियोजनाओं में वर्तमान मूल्यों के आधार पर 600 करोड़ रुपये और चाहिये होंगे। राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं है।

महाराष्ट्र में सातवीं योजना में सिंचाई योजना के लिए आवश्यक 5000 करोड़ रुपये के मुकाबले में वे 300 से 400 करोड़ रुपये तक का आबंटन कर सके हैं। परियोजना विशेष-बांड जारी, करक धनराशि जुटाने देने की महाराष्ट्र की मांग केन्द्र द्वारा स्वीकार किए जाने बिना कृष्णा बेसिन परियोजना के समय-सीमा के भीतर पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने 750 करोड़ रु० के बांड को जारी करने संबंधी अनुमति के लिए योजना आयोग को पहले से ही लिखा है। यह अनुरोध काफी समय से लंबित है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय, और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : यदि माननीय सदस्यों को आपत्ति न हो तो हम सभा की बैठक को आधे घंटे तक बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : क्या सभा का यही मत है ?

एक माननीय सदस्य : नहीं, हम एक घंटे तक बैठेंगे ।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : कई वक्ता अभी बाकी हैं।

सभापति महोदय : क्या हम इसे एक घंटे तक बढ़ा सकते हैं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यदि वे एक घंटे तक का समय चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : एक घंटा। इस अतिरिक्त आधे घंटे को विपक्षी सदस्यों को देना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापित महोदय, आपके पास कितने वक्ताओं की सूची है ।

सभापति महोदय : बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि सदस्य सहयोग करें तभी सूची के सभी वक्ताओं को बोलने का मौका मिल सकेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कृपया इसे एक घंटे तक बढ़ा दें। सभी वक्ताओं को मौका मिलना चाहिए । **(व्यवधान)** हालांकि सुनने वाले लोग कम हीं होंगे फिर भी चिंता की बात नहीं है ।

सभापति महोदय : सभा सात बजे रात्रि तक चलेगी ।

6.00 म० प०

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : महोदय, हम, निजीकरण की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों को अपनी लाभदायक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वंय धन जुटाने दें। महोदय, पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है तथा वहां निजीकरण की गुंजायश नहीं है। एक मात्र आशा सिंचाई तथा कृषि-आधारित उद्योग हैं। यह सबको मालूम है कि सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च किए गये हर एक करोड़ रुपये से एक लाख श्रमदिवसों के बराबर रोजगार पैदा होता है। अतः यह आवश्यक है कि परियोजना-विशेष बांड शुरू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के निवेदन को स्वीकार किया जाये ।

महोदय, अब मैं कार्यचालन पूंजी पर ब्याज दर में अप्रात्याशित वृद्धि की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे सारे उद्योग को झटका लगा है। कुछ बैंकों ने तो ब्याज दर को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 से 35 प्रतिशत तक कर दिया गया है। यह रातों रात शत-प्रतिशत

बढ़ोत्तरी है। इससे लघु उद्योगों पर बड़ा आघात् लगा है। इससे तो यह बर्बाद ही हो जायेगा। आज लघु उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे जीवंत और गतिमान क्षेत्र है। करीब 20 लाख यूनिटों में 1 करोड़ 30 लाख लोग कार्यरत हैं जबकि संगठित क्षेत्र में सिर्फ 7 लाख लोग कार्यरत हैं। निर्यात के क्षेत्र में भी कार्य संगठित निजी क्षेत्र से ज्यादा अच्छा रहा है। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राम निहोर राय (राबर्ट्सगंज) : आप सदस्यों को बुलवा रहे हैं, लेकिन हाउस में कोरम बिल्कुल नहीं हैं।

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : घंटी बज रही है—अब कोरम हो गया है। माननीय सदस्य श्री पृथ्वीराज चव्हाण अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : मैं ब्याज दर में वृद्धि के मुद्दे पर बोल रहा था। मुझे तो लगता है कि सरकार लघु उद्योगों को तहस नहस करना चाहती है। उद्योग नीति भी इस मामले में चुप है तथा अब ब्याज दर बढ़ा दी गयी है।

महोदय, बैंक द्वारा दिये गये कुल ऋणों में से 40 प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को, 15 प्रतिशत लघु उद्योगों को और करीब 10 प्रतिशत अल्पावधि के कार्यचालन ऋण होते हैं। ब्याज दर की इस वृद्धि से लघु उद्योगों को अलग रखना अत्यावश्यक है, क्योंकि यह बिल्कुल अनधिकृत है।

महोदय, मुझे तो लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र की अक्षमता का खामियाजा लघु उद्योगों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को भुगतना पड़ रहा है।

आपके जरिये मैं वित्त मंत्री से यह जोरदार अपील करता हूं कि लघु क्षेत्र के लिये कार्य चालन पूंजी पर ब्याज दर में वृद्धि पर पुनर्विचार करें।

अब मैं एक खास क्षेत्र की चर्चा करना चाहूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा बजट, दोनों में साफ्ट वेयर के निर्यात पर जोर डालने की बात कही गयी है। अनेक प्रशिक्षित लोग निसन्देह हमारे निर्यात प्रयास में काफी योगदान करेंगे। मैं धारा 80 एच० एच० सी० के अन्तर्गत साफ्ट-वेयर निर्यात से आमदनी पर आय कर-छूट देने के लिये भी वित्त मंत्री को धन्यावाद देता हूं।

आज पूरी दुनिया सूचना-क्रान्ति के दौर से गुजर रही है। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अब परिपक्व हो चला है। पिछले वर्ष 2000 करोड़ रुपये का उत्पादन करके उद्योग के रूप में इसने अपना सिक्का जमा लिया है। पिछले दस वर्षों में इसमें दस गुनी वृद्धि हुई है। यह जरूरी है कि भारत में इसे विशेष स्थान दिया जाये। इस में कुछ थोड़ी अनियमितता है। साफ्टवेयर निर्यात के लिये आर० ई० पी० हकदारी को 10 प्रतिशत रखा गया है। इस बात में जरूर चूक हो गयी है। इसे 30 प्रतिशत होना चाहिए। इसे तुरन्त ही सुधारा जाना चाहिये।

हार्डवेयर निर्यात के बारे में दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया में ही सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आयात-उन्मुख है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संघ के साथ सलाह करके इलेक्ट्रानिकी विभाग ने एक विशेष इलेक्ट्रानिक आर० इ० पी० योजना की सिफारिश की है। इस उद्योग को यह सुविधा शीघ्र दी जानी होगी।

जहां तक काले धन के निकालने के लिए बनायी गयी विभिन्न योजनाओं का सवाल है, इससे देश की ईमानदार नागरिक काफी नाखुश है। हर वित्त मंत्री एक अंतिम मौका दे ही देता है। अब तो यह एक मजाक बन गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त मंत्री की कुछ विवशतायें होंगी तथा कालेधन के बारे में बताये जाने के बारे में भी उनकी कुछ आशायें होंगी। फिर भी इस योजना की सफलता और असफलता का अंदाजा लगाने के लिए यह आवश्यक है कि इस योजना से जो उम्मीद की जा रही है वह हमें भी बतायी जाये ताकि हम यह जान सकें कि योजना सफल रही है या असफल।

अंततः मैं यह कहना चाहूंगा कि इन गंभीर हालातों में कुछ अलोकप्रिय निर्णय आवश्यक है। आज हमारी इस हालत का कारण यह है कि पिछली सरकारों ने, खास करके दो सरकारें समस्या को सीधे निपटाने में असफल रही हैं। अलोकप्रिय निर्णयों को स्थगित रखा है तथा लोकप्रिय योजनाओं को लागू किया है। इन सबके कारण ही वित्तीय अनुशासनहीनता आयी है।

मैं वित्त मंत्री को फिर से धन्यावाद देता हूं। यह सचमुच एक दुविधा वाली स्थिति थी। उन्हें कीमतों में वृद्धि के बारे में कांग्रेसी घोषणा पत्र का पालन करना था, अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष को खुश करना था, बड़े आर्थिक परिवर्तन करने के साथ-साथ एक त्रिशंकु संसद को ध्यान में रखते हुए घाटे को भी कम करना था। उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री गोबिन्द चन्द मुण्डा** (क्योंझर) : सभापति महोदय, सत्तापक्ष के कुछ माननीय सदस्य गपशप कर रहे हैं। संभवतः किसी विषय में विचार कर रहे हैं। पता नहीं, वे इस देश के भले की ही बात कर रहे हैं। महोदय, बजट हर वर्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। पंचवर्षीय योजनायें तैयार की जाती हैं जिनके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यन्वयन के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आवंटित की जाती है। योजनाओं की सफलता अधिकांशतः इस बात पर निर्भर करती है कि प्रशासन इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कार्यकारी अधिकारियों को किस प्रकार प्रभावित करता है। एक 1977 और 1979 के बीच, दूसरा और तीसरा 1989 और 1991 के बीच, और चौथा, वर्तमान वित्त मंत्री इस प्रकार चार वित्त मंत्री देख चुका हूं। इन चार वित्त मंत्रियों में, मेरे विचार से वर्तमान वित्त मंत्री, जिन्होंने वर्ष 1991-92 का बजट प्रस्तुत किया है, सबसे सरल हैं। किंतु यह सच नहीं हैं। वह बहुत कुशाग्र बुद्धि और चतुर व्यक्ति हैं। संभवतः उन्होंने प्रधान मंत्री अथवा अपने दल के नेताओं से मंत्रणा ली है और तदनुसार बजट प्रस्तुत किया है।

महोदय, यह बजट इस देश की गरीब जनता के हितों की रक्षा नहीं करता है। इससे अमीर और गरीब के बीच काफी खाई बढ़ जायेगी। धनी और धनी और गरीब और गरीब हो जायेगा। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट से ठीक ऐसा ही होगा। यदि मुझे ठीक याद आ रहा है, तो एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने 'गरीबी हटाओ' का नारा लगाया था। उन्होंने सभा में घोषणा की थी कि गरीबी का उन्मूलन कर दिया जायेगा। एक दूसरे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने इस सभा में वचन दिया था कि इस देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार जुटाये जायेंगे। इन वादों का क्या

*मूलतः उड़िया में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

हुआ ? गरीब अधिक गरीब हो रहे हैं। योजनायें लाई जाती हैं, परियोजनायें निष्पादित की जाती हैं अथवा कार्यक्रम शुरू किये जाते हैं। इन योजनाओं की तहत करोड़ों रुपये नियत किये जाते हैं। निधि-आबंटित होती है और व्यय कर दी जाती है। किन्तु लाभ उस जनता तक नहीं पहुंचता जिसके लिये योजनायें चलाई जाती हैं। गरीब जनता के नाम पर, ग्रामोत्थान, निर्धन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्थान के नाम पर पैसा खर्च किया जाता है, । किन्तु क्या कोई यह पता लगाने आया कि क्या इस धन का उचित उपयोग हुआ या नहीं, धन वस्तुतः खर्च किया गया है और उसका दुरुपयोग किया गया है।

अब किसान सरकार के लक्ष्य हैं। किसानों के विकास की बात भूल जाओ। यह सरकार उर्वरकों पर राज सहायता वापस ले लेना चाहती है : इसका कृषिक्षेत्र के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपने गरीब को हटा दिया, गरीबी को नहीं, आप घर बैठे करोड़ों युवाओं को रोजगार नहीं दे सके। आप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को इंसाफ नहीं दे सके। अब आप किसानों पर निषिद्ध चोट कर रहे हैं। इस बजट से किसका उत्थान होगा ? आप केवल बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को और दे रहे हैं ? वे कौन हैं ? वे उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी हैं, केन्द्रीय सरकार अथवा सरकारी निगमों के अधिकारी हैं। आप केवल सरकारी कर्मचारियों की ही देखभाल करना चाहते हैं। वहां भी आपका रवैया पक्षतापूर्ण है। सभा में रेल बजट पेश किया गया था। मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट रखने का श्रेय प्राप्त कर लिया। किन्तु वहां भी मंत्री महोदय निष्पक्ष न थे। उन्होंने सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों की पेंशन बढ़ा दी है। किन्तु किसी ने भी राज्य सरकारों के गरीब कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा। हमारे अनेक राज्य गरीब हैं। राज्यों के परिवहन विभागों में ड्राइवर और कण्डक्टर जैसे कर्मचारियों की अनेक समस्यायें हैं। इन गरीब राज्य सरकारों के कर्मचारियों की पेंशन या वेतन में वृद्धि नहीं की गयी है। ऐसा दोहरा मानदण्ड क्यों ? सर हमारा देश लोकतांत्रिक है। इस देश में हर किसी को समान अवसर दिये जाने चाहिये। लोकतन्त्र में प्रत्येक नागरिक को उसका उचित भाग मिलना ही चाहिये। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने देश में काले धन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने प्रशासन को कालाबाजारियों को कुचल डालने के लिये कहा था। उन्होंने कहा था कि उन्हें गलियों में फांसी दी जानी चाहिये। जब श्रीमती गांधी प्रधान मंत्री थीं, उन्होंने कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि यदि उन्होंने कालाबाजारी नहीं रोकी, तो वे उन्हें जेलों में बन्द कर देंगी। किन्तु ठीक ऐसा हुआ नहीं। एक के बाद एक प्रधान मंत्री भारत के राजनीतिक दृश्यों से चले गये। उन्होंने जो वादे किये वे पूरे नहीं किये गये हैं। गरीबी कायम रही बेरोजगारी बढ़ गई, कालाबाजारी जारी रही और कीमतें अत्यधिक बढ़ गई। जमाखोरों और मुनाफाखोरों की बहार रही। वित्त मंत्री महोदय द्वारा पेश किया गया बजट भेदभाव पूर्ण है। इससे इस देश की गरीब जनता को मदद नहीं मिलेगी। यह किसान विरोधी बजट है। यह सर्वसत्तावादी बजट नहीं है। इससे देश के हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। जैसाकि मैंने पहले कहा था कि कीमत वृद्धि रोकने वाला कोई नहीं है। हर आवश्यक जिंस के दाम बढ़ रहे हैं। बाजार में चावल का भाव 8 रुपये से 20 रुपये, सरसों का तेल 38 रुपये प्रति किलो और चीनी 10.30 रुपये प्रति किलो है। जनता सरकार के राज में, 1977—79 में प्रत्येक वस्तु बाजार में उचित मूल्य पर उपलब्ध हुआ करती थी। जनता को प्रचुर मात्रा में जनता धोती और साड़ियां

मिला करती थीं। अब अधिकांश जिंसे बाजार से गायब है। गुणवत्ता की बात जाने दीजिये, आवश्यक वस्तुयें बाजार से गायब हो रही हैं। तो फिर गरीब, हरिजन और आदीवासी किस भांति जीवनयापन करेगें। आपने यह बजट किसके लिए प्रस्तुत किया है ? यदि योजनाओं और कार्यक्रमों से गरीब और दलित जन लाभांवित न हो, तो इन्हें मत बनाइये। महोदय, मुझे यह कहते हुए सचमुच खेद है कि यह बजट सामान्य जन-वि ोधी होगा। जरूरी जिंसों की बढ़ती कीमतों से उन्हें गंभीर समस्यायें हो रही हैं। वे कुछ नहीं खरीद सकते ।

महोदय, कांग्रेस पार्टी सदा से कहती आई है कि वह जनरक्षक है। वह गरीबों और दलितों की प्रबल हितरक्षक है, किन्तु वे जो कहते आये हैं, वह अब कर नहीं रहे। उनकी कथनी करनी में काफी अन्तर है। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्योंकि केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लिये आवण्टित करोड़ों रुपये धन को उन योजनाओं पर खर्च नहीं किया गया। गरीबों के लिये आवण्टित धन को किसी और कार्य पर खर्च कर दिया गया अथवा बिचौलियों, ठेकेदारों अथवा भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग किया गया। आदि वासी गऊ है। वे अब भी भीषण गरीबी में हैं। वे आजीविका नहीं कमा सकते। वे आत्मनिर्भर होने में असमर्थ हैं। वे आत्मनिर्भर होने योग्य नहीं हैं। सरकारी अमले और बिचौलिये उनका शोषण कर रहे हैं। खेद की बात है कि सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें भी नहीं बिछाई हैं। वहां रेलें नहीं जातीं। दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों के वासी, आदिवासी सड़क, रेल, स्वच्छ पेयजल, और चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें सभ्य और विकसित क्षेत्रों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल ी । मैं हमेशा से जाखपुर-बांसपानी रेल लाइन बिछाने और उड़ीसा में एक और हस्पताल कारखाना खोलने की मांग करता आया हूं। ये दोनों मांगे वाजिब हैं। इन दो परियोजनाओं से समूचे उड़ीसा का आर्थिक परिदृश्य बदल जायेगा। यदि ये दो परियोजायें क्रियान्वित हो गई, तो देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या भी काफी हद तक हल हो जायेगी। ये परियोजनायें राष्ट्रीय हित में क्रियान्वित की जानी चाहिये, किन्तु दुर्भाग्यवश किसी ने भी इनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मेरे लोग इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कुछ राज्यों अथवा अंचलों की निरन्तरिक उपेक्षा से वहां के वासियों में गंभीर असंतोष व्याप्त हो गया है। इसीलिए स्वायतत्ता की बात उठी है। मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से अपील है कि वे कृपया हमें स्वायत्तता दें। हम अपनी समस्याओं का पता लगा लेंगे और यदि स्वायत्तता मिल गई, तो उन्हें प्राथमिकता देकर हल कर लेंगे। यदि हर राज्य को स्वायत्तता दे दी जाये, तो वे स्वाधीन रूप से उन निधियों का उचित उपयोग कर सकते हैं।

यदि उनसे अन्याय किया गया, तो वे केन्द्रीय सरकार को गिरा सकते हैं। अतः मेरी मांग है कि हर राज्य को वित्तीय स्वायतता दी जाये ।

यदि मैं अपने संसदीय निर्वाचन के बारे में कुछ न कहूं तो में अपने कर्त्तव्य से चूक जाऊंगा। मैं उड़ीसा के क्योंझर जिले का हूं। यह एक गरीब और पिछड़ा जिला है। लोगों को हर तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जखपुरा -बांसपानी लाईन की नितांत आवश्यकता पर मैं पहले ही कह चुका हूं। हमारा जिला एक आदिवासी जिला है। मेरे जिले में पर्याप्त सड़क सुविधाओं का प्रावधान भी नहीं किया गया है। ऐसे बहुत सारे अगम्य जंगली इलाके और दूर-दराज के गांव हैं जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी मेरे जिलों में बिल्कुल कार्य नहीं कर रही है। इस जिले में अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। एक आरामदेह जिन्दगी

तो उनके लिए बस सपना है । उन्हें तो दोनो वक्त का खाना भी नहीं मिलता है । उनके लिए सबसे आवश्यक चीज नमक है जो कुछ क्षेत्रों में हमेशा उपलब्ध नहीं होता है । नमक प्रति किलो 2 रुपये के भाव से बिकता है । गरीब लोग तो नमक तक नहीं खरीद सकते हैं । क्योंझर के लोगों की स्थिति को देखिए । यहां खानों बहुत अधिक मात्रायें हैं । वहां औद्योगिक इकाइयों तथा खनिज और वन पर आधारित उद्योगों को लगाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है । परन्तु सरकार क्योंझर में औद्योगकि इकाइयों की स्थापना और विस्तार की ओर उचित ध्यान नहीं दे रही हैं । यदि और ज्यादा अनदेखी की गयी तो इसे मेरे जिले के लोगों में गंभीर असंतोष पैदा हो सकता है । अतः इन क्षेत्रों पर मैंनें अपने भाषण में जोर दिया है कि उनका अविलम्ब विकास इस समय की एक बड़ी मांग है । जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इन परियोजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं और अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

श्री गंगाधरा सानीपल्ली (हिंदुपुर) : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट का समर्थन करता हूं । यह एक जरूरत पर आधारित बजट है तथा देश की आर्थिक समस्याओं को हल करने में इसका प्रभाव काफी हद तक दृष्टीगोचर होगा । मैं माननीय वित्त मंत्री के सामने निम्नलिखित मुद्दों को रखना चाहूंगा ।

छोटे तथा सीमांत किसानों को बचाने के लिए उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता को हटाने के प्रस्ताव को छोड़ देना चाहिए । अब मैं बाढ़ तथा सूखे जैसी यदा कदा आने वाली प्राकृतिक विपदाओं का आकलन एवं नियंत्रण करने के लिए एक स्वशासी विशेषज्ञ बोर्ड के गठन के लिये बहुत दिनों से महसूस की जा रही एक जरूरत का भी जिक्र करना चाहूंगा । मेरा निवेदन है कि इन बोर्डों को समुचित धनराशि का आवंटन किया जाना चाहिए ।

महोदय, सामान्य रूप से आंध्र प्रदेश तथा रायलसीमा क्षेत्र का अनंतपुर जिला खास कर सर्वाधिक सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में से है । यहां प्रति वर्ष 544 मिलीमीटर वर्षा होती है । यह आंध्र प्रदेश में न्यूनतम है तथा राजस्थान के जैसलमेर के बाद इसका न्यूनतम में दूसरा स्थान है । विश्व बैंक के विद्वानों और विशेषज्ञों के अनुसार यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाये गये तो अनंतपुर जिला रेगिस्तान बन सकता है । अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इन सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए, एक स्वशासी बोर्ड का गठन करें जिसमें पर्याप्त कोष का भी प्रावधान हो । ताकि वर्तमान तालाबों की सफाई, नयी रेल लाइनों का निर्माण तथा मीटर गेज का ब्रॉड गेज में परिवर्तन, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, रिसने वाले तालाबों का तथा रोक-बांध का निर्माण तथा भू-क्षरण के रोकने के लिए मिट्टी संरक्षण कार्यक्रम तथा सामाजिक वानिकी तथा लघु और मध्यम सिंचाई योजनाओं को शुरू करने को उचित महत्व दिया जा सके ।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भी, जो केंन्द्र के पास बहुत समय से लम्बित पड़ी हैं, तुरन्त स्वीकृति दी जानी चाहिए । राष्ट्रीय राजमार्ग को भी इस पिछड़े क्षेत्र से जोड़ा जाना चाहिये ।

मैं माननीय वित्त मंत्री से विनम्र अनुरोध करूंगा तथा एक सूखा प्रवण बोर्ड का गठन करने की जरूरत पर जोर देना चाहूंगा ताकि इस जिले के रेगिस्तान बनने से बचाया जा सके और समेकित विकास कार्य इन कुछ शब्दों के साथ आपने मुझे जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यावाद देता हूं ।

[हिन्दी]

श्री अंकुशराव टोपे (जालना) : सभापति जी, आपनें मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। हमारा देश एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब यह संकट किसने लाया, इस पर कुछ बोलने की मुझे जरूरत नहीं है परन्तु उससे निपटने के लिए, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है..... **(व्यवधान)** .... यह संकट कांग्रेस की वजह से नहीं आया है, इतना ही मैं बता सकता हूं। इसके पहले जिनकी सरकारें यहां थीं, उनकी वजह ही देश पर यह संकट आया है। इस स्थिति मे निपटने के लिए जो बजट वित्त मंत्री जी ने सदन में पेश किया है........ **(व्यवधान)**

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : 41 वर्षों की कमाई क्या 11 महीने में ही चली गयी।

श्री अंकुशराव टोपे : ऐसी परिस्थितियों में, जो भी अच्छा बजट हो सकता था, वही वित्त मंत्री जी ने सदन में पेश किया है, जिसके लिये मैं बधाई देता हूं।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और पूरे बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा, किसानों के लिये जिसमें ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सुधार भी शामिल है, नियत करने के लिये भी वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं कि महंगाई होने के बावजूद भी, जो सामान्य आदमी है, नीचे का आदमी है, उसके लिये इस बजट में व्यवस्था है कि हर रोज के इस्तेमाल की चीजें उसे सस्ते दामों पर मिलती रहेंगी। उदाहरण के लिये बाईसिकल है, केरोसिन ऑयल है, खाद्य तेल है, माचिस है, दो पहिया वाहन हैं, खेती के काम आने वाले कीटनाशक, डीजल है, इन वस्तुओं का ख्याल रखकर, वित्त मंत्री जी ने आवश्यक चीजों के दामों में बढ़ौत्तरी न करके उन्हें सस्ता रखा है, इसके लिये भी वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। उत्पादन शुल्क में भी जो छूट देते हुए टिफिन बॉक्स, एल्यूमिनिय के खिड़की और दरवाजे, जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके लिये भी छूट दी गई है। उसके लिए भी मैं उनको बधाई दूंगा। बजट में रेवेन्यू बढ़ाने के लिये जो चीजें बढ़ाई गई हैं और जो जरूरी हैं, इनके लिए हमें ज्यादा खेद करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल, कार, फ्रिज, टी० वी०, एयर कंडीशनर, औडियो, वीडियो कैसेट्स पान मसाला आदि के ऊपर जो बढ़ौत्तरी की गई है, यह करनी चाहिए। इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। यह अच्छी बात है। इसलिए हमें खेद करने की जरूरत नहीं है। इस काम के लिये मैं अपने अर्थ मंत्री को बधाई और धन्यावाद देता हूं।

सभापति महोदय, जहां वित्त मंत्री जी ने जो अच्छी बातें बजट में की हैं वहां दो-तीन बातें मुझे तो लगता है कि गलती से उनसे हो गई हैं जिनका आम जनता पर असर पड़ रहा है। इनमें मुख्यतः फर्टिलाइजर पर कीमतें जो बढ़ाई गई हैं, मैं तो कहूंगा कि यह गलती से ही किया गया है। क्योंकि कीटनाशक और डीजल को भी वित्त मंत्री जी ने ध्यान में रखा है, तो खाद की कीमतों को बढ़ाने का काम तो मुझे लगता है कि गलती से ही हो गया है। इस देश में जो 80 प्रतिशत किसान रहते हैं, उनके ऊपर इस फर्टिलाइजर की कीमतों में वृद्धि का असर पड़ेगा और इस ओर माननीय अर्थ मंत्री जी ने नहीं देखा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वे अपनी इस गलती को दुरस्त करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं।

दूसरी बात मैं बीड़ी के संबंध में कहना चाहता हूं कि बीड़ी पर टैक्स बढ़ाया गया है, यह भी ठीक नहीं किया गया है क्योंकि बीड़ी सामान्य आदमी पीता है । अभी एक माननीय सदस्य ने उधर से बोलते हुए ठीक ही कहा था कि व्हिस्की पर दाम नहीं बढ़ाए, टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन जो आम आदमी के पीने की चीज बीड़ी है, इस पर दाम बढ़ा दिए हैं । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस ओर भी ध्यान देंगे और इस टैक्स को समाप्त करेंगे ।

सभापति महोदय, इस देश में 80 प्रतिशत किसान रहते हैं इसलिए मैं इनके हित की बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो यह फर्टिलाइजर की सब्सिडी समाप्त कर के दाम बढ़ाए गए हैं, यह ठीक नहीं हुआ है । हमारे देश के किसान के ही कारण हम आज अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके हैं । पहले हम अन्न का इम्पोर्ट करते थे, लेकिन अब किसान की मेहनत के कारण ही हम इस स्थिति में हैं कि हम अन्न का एक्सपोर्ट कर रहे हैं । यह सब इसी कारण हुआ है कि हमने किसान को सहूलियत दी है । यदि किसान को सहूलियत नहीं दी होती तो आज हम अन्न को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे । मेरा निवेदन है कि किसानों को 40 प्रतिशत सबसिडी फर्टिलाइजर पर खत्म करके जो दाम बढ़ाए गए हैं, वे एकदम वापस लिए जाएं । मैं सुन रहा हूं कि ऐसी भी बात चल रही है कि 10 या 20 प्रतिशत किसान को खाद में राहत दी जाएगी, मैं इसे ठीक नहीं समझता हूं । मैं चाहता हूं कि 40 टके राहत किसान को दी जाए ।

सभापति महोदय, यहां बात हो रही थी कि छोटे किसान खत्म हो जाएंगे और उनकी जमीन बड़े किसान ले लेंगे । मैं महाराष्ट्र की हद तक तो जानता हूं । वहां कोई छोटा और बड़ा किसान नहीं है । क्योंकि वहां पर लैंड सीलिंग एक्ट पर बहुत सख्ती से अमल हुआ है इसलिए वहां पर 18 एकड़ इरिगेटेड लैंड और 54 एकड़ ड्राई लैंड वाले किसान हैं । इसलिये महाराष्ट्र में फर्टिलाइजर का प्रभाव छोटे बड़े किसानों पर पड़ने वाली बात नहीं है, वहां तो सभी किसानों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और खेती को छोड़कर लोग चले जाएंगे । मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि खाद में 5, 10 या 20 टके राहत दी जाए या 5 या 10 एकड़ वाले किसानों को ही दी जाए, लेकिन मेरा आपके माध्यम से महोदय निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए । अगर ऐसा हुआ तो फिर लोग जमीन के टुकड़े करेंगे । इसलिए यहां तो वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्टिलाइजर की कीमतों में कमी की जाए, तो सभी के लिए की जाए, कोई छोटे और बड़े किसान का आप डिवीजन मत कीजिए । यदि ऐसा किया गया तो फिर जमीन के टुकड़े हो जायेंगे ।

सभापति महोदय, प्रोक्योरमेंट प्राइस के रूप में जो राहत देने की बात कही गई है, मेरा निवेदन है कि इससे किसी की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है । इसलिए मैं इस बात को नहीं दोहराते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर की कीमत में 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है, उसे वापस लिया जाए और बजट-पूर्व स्थिति बनाए रखी जाए ।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहता हूं । 18 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्रीज को मुक्त किया गया है । इन 18 इंडस्ट्रीज में जो चीनी इंडस्ट्री है, उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में कोआपरेटिव चीनी इंडस्ट्री में काम करने वाला मैं एक कार्यकर्त्ता हूं और महाराष्ट्र में कोआपरेटिव इंडस्ट्रीज जिस प्रकार से तरक्की कर रही है, उस पर हम सबको अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए । पूरे देश में 120 लाख टन चीनी

आज पैदा हुई है । पूरी दुनिया में भारत का नम्बर पहला आया है और महाराष्ट्र काउस में हिस्सा 42 लाख टन है । 35 प्रतिशत चीनी महाराष्ट्र ने अकेले पैदा की है । हमारी सभी इंडस्ट्रीज सौ प्रतिशत को-ऑपरेटिव्ज हैं, उसमें एक भी इंडस्ट्री प्राइवेट नहीं है, इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि इंडस्ट्रियल लाईसेंस के बारे में जो पॉलिसी एडोप्ट करने वाले हैं उसमें आप को-ऑपरेटिव फैक्टरीज को प्रायरिटीज दीजिए । आज ढाई हजार टन के 38 कारखानों को महाराष्ट्र में लाइसेंस दिए हैं । आज उनकी कीमत 34 करोड़ तक हो गई है, बजट में और बढ़ जाएगी । इसलिए उनको आई० एफ० सी० आई०, आई० डी० बी० आई, और फाईनेंशल इंसटीयूट्शन्स पैसा देने को तैयार नहीं हैं । इस हालत को देखते हुए इनीशियल स्टेज में ढाई हजार टन की यूनिट फिज़ीबल नहीं है । इसलिए आप 1500 टन कैपेसिटी की फैक्टरीज रखिए । बीच में जो सरकार आई थी उसमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट ने लाईसेंस के लिए डायरैक्ट अपनी तरफ ऐप्लीकेशन मंगवाए थे । उनके पहले स्क्रीनिंग होती थी, स्टेट से ऐप्लीकेशन आती थी, फूड डिपार्टमैंट उसकी स्क्रीनिंग करता था फिर स्क्रीनिंग डिपार्टमैंट में रिकमैंड करने के बाद ही इंडस्ट्रियल डिपार्टमैंट उसको सिफ लाईसेंस देता था । मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली पॉलिसी सबसे अच्छी थी, वही पॉलिसी इंडस्ट्रीज के बारे में एडोप्ट करनी चाहिए ।

आखिरी प्वाइंट मोलैसेस के बारे में है । मोलैसेस में 120 रुपये टैक्स है और 120 रुपये शूगर मिल को मोलैसेस के मिलते थे । अब 120 रुपये से 150 रुपये बढ़ोतरी हो गई मगर मोलेसेस को 120 रुपये ही रह गए हैं जबकि टैक्स 150 देना पड़ता है । यह जो ऐम्बीग्विटी रह गई है इसको निकाल देना चाहिए कम से कम मोलैसेस का भाव भी 150 होना चाहिए । इसलिए उसमें भी मिनिमम बढ़ोत्तरी करनी चाहिए ।

एक बार फिर इस बजट को सपोर्ट करते हुए आपने हमें जो बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यावाद करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : (विजयवाड़ा) सभापति महोदय, मैं आपको यह अवसर देने के लिये धन्यवाद देता हूं तथा मैं केवल चार या पांच मिनट लूगां । मैं इस अवसर पर केवल एक बात पर जोर दूंगा जोर इस देश में सभी किसानों को बिना किसी अपवाद के परेशान कर रही है । मैं विस्तार पूर्वक इस रियायत को वापस लेने की बात तथा उर्वरकों के मूल्यों में 40 प्रतिशत वृद्धि की बात को दोहराऊंगा नहीं । पिछले दिनों कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ यह कह रहे थे कि उर्वरकों के मूल्यों में यह वृद्धि खरीद मूल्यों में वृद्धि करके पूरा कर दिया जायेगा । मैं सरकार की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि लगभग 900 लाख भूमि जोतों में से 75 प्रतिशत पर छोटे और मझोले किसानों का स्वामित्व है तथा उनके पास बाजार में बेचने के लिये अतिरिक्त अनाज नहीं है । अतः यह स्पष्ट रूप से सरकार ने किसान विरोधी कदम उठाया है । मैं सरकार से अपील करता हूं कि इसे झूठी शान के रूप में न लें तथा वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस पर पुनर्विचार करें क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में, बजट में, तथा औद्योगकि नीति में इस सरकार ने यह आशा व्यक्त की है कि कृषि उत्पादों के निर्यात से और अधिक निर्यात के लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते हैं जिससे हमारे भुगतान संतुलन तथा व्यापारिक घाटे को कम किया जा सकता है । परन्तु

यह कदम आपके प्रयासों में आपकी सहायता नहीं करेगा । उत्पादन की लागत बढ़ेगी और इसके कारण कृषि वस्तुओं के कुल उत्पादन में कमी आयेगी । उदाहरणार्थ , धान के संबंध में चीन में वे 4.5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन कर रहे हैं । हम इस समय 1.5 मिट्रीक टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन कर रहे हैं ।

इसी प्रकार भारत में उर्वरकों के मूल्य में पड़ौसी देशों पाकिस्तान तथा बंगला देश के मुकाबले अधिक है । मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि 1989 में डाई एमोनियम फासफेट (डी० ए० पी०) हमारे देश में 3,600 रु० प्रति टन है जबकि पाकिस्तान में यह 3211 रुपये प्रति टन तथा बंगला देश में 2700 रुपए प्रति टन है । 1989 में एस० एम० पी० के संबंध में हमारे देश में यह 950 रुपये थी जबकि पाकिस्तान में यह 791 प्रति टन थी । उर्वरकों को दी जाने वाली वर्तमान राजसहायता के बावजूद हमारे देश में मूल्य पड़ौसी देशों के मुकाबले काफी अधिक हैं । राजसहायता में कटौती तथा 40 प्रतिशत वृद्धि के साथ उर्वरकों का मूल्य और अधिक बढ़ रहा है तथा उत्पादन का मूल्य बढ़ेगा तथा हमारे कृषि उत्पाद इस स्थिति में नहीं होंगे कि वे विश्व बाजार में स्पर्धा कर सकें । इस दृष्टि से आप सारी स्थिति की किस प्रकार पुनरीक्षा करेंगे ?

आज मैंने इसका जिक्र शून्य काल के दौरान किया है, अतः मैं इसको दोहराऊंगा नहीं । परन्तु मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि सभी किसान चिन्तित हैं तथा विरोध व्यक्त करते हैं तथा यह सभा के सभी पक्षों के सदस्यों को बहुत अधिक चिन्तित कर रहा है । लगभग सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लिया है, ने इस पर अपनी चिन्ता० यक्त की है । आन्ध्र प्रदेश में सम्पूर्ण राज्य में आज बंद का आयोजन किया गया है, तथा विभिन्न किसानों के संगठनों द्वारा रास्ता रोको का आह्वान किया गया है ।

मेरा सरकार से निवेदन है कि आप कृपया जी वी के राव समिति की रिपोर्ट की जांच करें, जिन्होंने इस पहलू की जांच की है । रिपोर्ट 1987 में दी गयी थी । उसमें कहा गया था कि जब कभी उर्वरकों की खपत में तीन लगातार वर्षों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो उर्वरकों के मूल्यों में पांच से सात प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिये । अब आपने उर्वरकों के मूल्यों में 40 प्रतिशत की वृद्धि की है । किसान इस बोझ को कैसे सहन करेंगे ? भारत के नागरिक की हैसियत से उसे कुछ हद तक समाज के अन्य किसी वर्ग की तरह इसे वहन करना चाहिये । परन्तु उसे इस उद्देश्य के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिये । एकाधिकार घरानों की सीमा 100 करोड़ रुपये से 1000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गयी है । आपने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम द्वारा लगाए गये प्रतिबन्धों को हटा दिया है । आपने उनको फलने-फूलने के लिये रास्ता साफ कर दिया है, परन्तु आप केवल किसानों को सजा दे रहे हैं ।

मैं देश के व्यापाक हित में सरकार से अपील करता हूँ—इसलिये नहीं कि मैं किसान हूँ, मैं केवल किसानों के लिये ही नही बात कर रहा हूँ बल्कि समस्त राष्ट्रीय हित में कि निसन्देह अपने निर्णय की पुनरीक्षा करें और उर्वरकों पर जो राजसहायता दी जा रही है उसको बहाल करें जोकि बजट प्रस्तुत करने से पहले थी ।

मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि आज भी—जापान और दक्षिण कोरिया को छोड़कर—एशियाई देशों से, अपने पड़ौसियों से तुलना करते हुए हमारी प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की

खपत सबसे कम है। जबकि हम प्रति हेक्टेयर केवल 55 किलो पौधों के पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं पाकिस्तान 80 किलो का उपयोग करता है और चीन प्रति हेक्टेयर 190 किलो का उपयोग करता है। आपको स्थिति की गम्भीरता समझनी चाहिये।

समाचार पत्रों में एक समाचार छपा है कि सरकार उर्वरकों के मूल्यों को छोटे किसानों के मामले में कुछ हद तक कम करने की बात सोच रही है। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों को लागू होने के बाद छोटे किसानों और बड़े किसानों का सवाल कहां रहा है। अधिक से अधिक कुछ किसान मझोले किसान हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि किसानों के साथ कोई भेदभाव नहीं करें।

व्यावहारिक दृष्टि से यह सम्भव नहीं है कि किसानों के उर्वरकों की सप्लाई किसी दर पर की जाये तथा कुछ किसानों को किसी दर पर दी जाये। इस पहलू पर जी० वी० के० राव समिति द्वारा पूरी तरह से जांच की गई है। उस समिति ने यह सलाह दी है कि व्यावहारिक दृष्टि से यह संभव नहीं है। अतः आप सभी किसानों को उर्वरक एक ही दर पर दें।

मैं इसको सरकार की जानकारी में लाना चाहूँगा। आपको भी यह पता होना चाहिये—कि आपके क्षेत्र में भी जब किसी कन्या का पिता अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है तो दुर्भाग्यवश वह एक किसान के बेटे के मुकाबले किसी कार्यालय में कार्यरत चपरासी को अधिक पसन्द करता है क्योंकि किसान को यह निश्चित रूप से पता नहीं होता है कि वह इस वर्ष लाभ कमा पायेगा या नहीं। यह सब वर्षा के ऊपर निर्भर करता और अकसर ऐसा होता है कि किसान की सारी फसल किसी प्राकृतिक विपदा के कारण नष्ट हो जाती है। आप उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। यह आश्चर्य की बात है। यह अफसोस की बात है।

आज समाचार पत्रों में यह छपा है कि 65 प्रतिशत राजसहायता निर्माताओं को मिल रहीहै। तथा केवल 35 प्रतिशत राजसहायता किसानों को मिल रही है। निर्माताओं को 65 प्रतिशत राज-सहायता इसलिये दी जा रही है क्योंकि उर्वरक कारखाने संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। श्री एम० एस० मराठे की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के अनुरूप नाइट्रोजन उर्वरकों के लिये धारक मूल्य व राजसहायता योजना शुरू की गयी है। योजना के अधीन प्रत्येक परिष्करण इकाई के लिये मूल्य इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि वह इकाई सामान्य क्षमता उपयोग और विभिन्न लागत आदान के लिये मानदण्ड और वास्तविक तथ्यों के संयोजन के आधार पर कर के बाद 12 प्रतिशत का लाभ कमा सकती है।

जबकि सरकार ने इन फैक्ट्री मालिकों का इतना अधिक ध्यान रखा है और इन लोगों के प्रति इतना अधिक लगाव दर्शाया है जिन्होंने इन इकाईयों की कीमत को कम कर दिया है तथा जिन्होंने इतना अधिक लाभ कमाया है, आप किसानों को दण्डित करने की बात क्यों सोचते हैं ?

मैं सरकार से अपील करता हूँ कि कृपया मूल्य स्तर पर पुर्नविचार करके उसे बजट पूर्व की स्थिति पर ले आयें।

श्री एस० मल्लिकारजुनय्या (तुमकुर) : मुझे खुशी है कि मुझे बोलने का मौका दिया गया है। मैं किसान होने के नाते किसानों की समस्याओं के बारे में जानता हूँ। कर्नाटक में, भूमि सुधार अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया गया है। अतः बड़े किसानों तथा छोटे किसानों का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि का सीधा प्रभाव तथा जबर्दस्त प्रभाव अनाज के उत्पादन पर पड़ेगा। यदि आप विदेशों से अनाज का आयात करना चाहते हैं तो हममें से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यदि आप यह चाहें कि भारत सरकार अनाज के क्षेत्र में आत्म निर्भर हो तो आपको किसानों को रियातें देनी होंगी। अब उत्पादन की लागत भी बहुत अधिक है। आपने न्यूनतम वेतन लागू कर दिया है तथा कृषि श्रमिकों के काम के घंटों को सीमित एवं निर्धारित कर दिया है। परन्तु कृषि श्रमिक से कोई भी व्यक्ति कितना काम करने की अपेक्षा कर सकता है? किसान खेतों पर कितने घंटे काम करता है। केवल एक किसान ही इन कठिनाईयों को समझ सकता है। अतः किसान आत्म निर्भर और खेतों पर काम करने योग्य बनाने के लिये उन्हें पूरी राजसहायता दी जानी चाहिये। उर्वरकों के मूल्यों को पिछले स्तर पर कर देना चाहिये। यदि आप अनाज के क्षेत्र में आत्म निर्भर होने के बहुत अधिक उत्सुक हैं।

आपने उद्योगपतियों को तो बहुत सारी रियायतें दे दी हैं परन्तु कृषकों को आपने कौन सी बेहतर सुविधायें दी हैं? क्या आप निश्चित रूप से उनके लिए पानी का इंतजाम कर सकते हैं? पानी के लिए तो वह अभी भी मानसून पर निर्भर हैं। क्या आप को विश्वास है कि उनकी फसलों में कीड़े नहीं लगेंगे। यह भी तो इसमें स्पष्ट नहीं है। वस्तुतः कृषक अभी भी मानसून के मामले में जुए के खेल में लगे हैं। इन कृषकों को परेशान करने की कोई तुक नहीं है। वे आप लोगों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गियों के समान हैं। अंडे के लालच में आपको मुर्गी को ही नहीं मार देन चाहिए। कृपया आप इन्हें परेशन न करें तथा अपने तौर पर काम करने दें।

देश के किसान कृषि से पूर्णतः उक्ता चुके हैं। अब वे अपने बच्चों को कृषि के काम में लगाने की बजाय उन्हें फैक्ट्री में भेजना या उनसे पान-बीड़ी की दुकान चलाना ज्यादा पसंद करते हैं। यदि कृषि सचमुच कोई बहुत फायदेमंद चीज होती तो इससे अच्छे ढंग से जीवनयापन सम्भव होता तो छोटी नौकरियों की तो बात क्या है वे उन्हें अभियांत्रिकी या चिकित्सा या अन्य अच्छी नौकरीयों के लिए भी बाहर नहीं भेजते। आज वे छोटी से छोटी नौकरी के लिए यहां तक कि फैक्ट्री में दैनिक मजदूरी के लिए भी अपने बच्चों को बाहर भेजने को तैयार हैं। अतः यह स्पष्ट है कि किसानों की आर्थिक दशा बहुत बुरी है।

दूसरे हमारे जिले तुमकुर में जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें नारियल पर कीड़ों का आक्रमण हो रहा है। वस्तुतः सारे बगीचे नष्ट हो चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय नारियल शोध संस्थान क्या कर रहा है और वह किसानों की मदद किस तरह से करना चाह रहा है। सच तो यह है कि किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। यदि कोई किसान सक्षम है तो वह भले बच जायें परन्तु उन्हें नष्ट तो होना ही है।

जहां तक दरों का सवाल है, उनमें बड़ी विभिन्नता होती है। एक क्विन्टल गरी (नारियल) को 1600 रुपये से 2,000 रुपए की दर से बेचा जाता है तो कुछ दिनों बाद इसे 2,000 रुपये प्रति

क्विन्टल की दर से बेचा जा सकता है फिर एक सप्ताह के भीतर इसकी कीमत 200–300 रुपये प्रति क्विन्टल घट जाती है। मेरा अनुरोध है कि कॉफी बोर्ड की तरह एक गरी (नारियल) बोर्ड भी बनायी जाये।

मेरा अगला मुद्दा यह है कि आयकर दाताओं के लिए छूट की सीमा को बढ़ा कर 35,000 रुपए कर दिया जाना चाहिए। कम वेतन पाने वाले लोगों के लिए कर दे पाना बड़ा मुश्किल होता है।

मेरे कुछ मित्र बीड़ी की बात कर रहे थे। बीड़ी पीने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। यह गरीब कामगारों के लिए एक सस्ता व्यसन है। यदि आप बीड़ी पर कुछ कर लगा कर धन कमाना चाहेंगे तो वह पूछेगा कि एक विधायक के रूप में क्या आपने अपने दैनिक खर्चे को कम किया है? क्या अधिकारीगण अपने खर्च को कम कर रहे हैं। विभिन्न जगहों से दिल्ली आने जाने की सुविधाओं पर क्या नियंत्रण किया गया है। वाहनों द्वारा पेट्रोल के खर्चे को क्या कम किया गया है? यदि आप विभिन्न विभागों के ऊपरी खर्च को कम करें तो किसानों को ज्यादा मदद मिलेगी। जरा विभिन्न जगहों पर स्थित कार्यालयों के प्रबंध-निदेशकों को देखिये। उनके भवन राजमहलों की तरह लगते हैं। मैंने कई बार किसानों को कहा भी है कि यदि वे इनमें से किसी अधिकारी के पास जायें तो उसके चेम्बर में जाकर यह देख सकते हैं कि वह किस तरह से सजाया जा रहा है। इसके लिए धन कौन देता है। इसमें तो इन्हीं गरीबों का धन लगता है। ये ग्रामीण गरीब लोग जहां रहते हैं वहां पहले तो कोई विद्यालय ही नहीं है और यदि विद्यालय हैं भी तो कोई शिक्षक नहीं है जो नियमित रूप से आता जाता हो। वहां न तो अस्पताल है न सड़क, न ही कोई अन्य सुविधायें हैं। वे तो अपने स्थानीय बाजारों में भी हर मौसम में नहीं जा पाते हैं। बरसात में वे नहीं जा पाते हैं। जब हालात इतने बुरे हैं तो आपको क्या नैतिक अधिकार है कि आप उनसे कर लें? जब हम अपने ही लोगों को इस तरह के दर्दनाक हालातों में रखते हैं तो फिर उनका खून चूसने का हक हमें कहां से मिला? अतः मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप उर्वरकों की दर घटा दें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप राज सहायता को फिर से शुरु करें और किसानों की मदद करें। हम किसानों की कीमत पर रह रहे हैं। एक विधायक, एक मंत्री या सरकारी अधिकारी के रूप में हम किस तरह की जिन्दगी जी रहे हैं? जब उनकी जिन्दगी के हालातों की तुलना हम अपनी जीवन शैली से करते हैं तो हमें लगता है कि हम उनके साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार को सिर्फ औपचारिकताओं में नहीं उलझना चाहिए। मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप किसानों को तरक्की करने दें। उन्हें ज्यादा से ज्यादा अनाज उपजाने दें। उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में आने दें ताकि उपभोक्ता कम दरों पर उन्हें खरीद सकें। यदि आप बड़े और छोटे किसानों का फर्क करेंगे तो छोटे किसान सिर्फ अपने परिवार की जरूरतों के मुताबिक ही अनाज उपजायेंगे। फिर आपको बाजारों में ये उत्पाद कहां मिलते हैं? मान लें कि कोई बड़ा किसान है तो वह व्यावसायिक फसलों को उपजाना चाहेगा क्योंकि अनाज से ज्यादा फायदा होता नहीं। अतः किसानों को इससे बड़ा झटका लगता है। आपको भगवान की कसम है आप किसानों को मत सतायें। आप उन्हें खुशी-खुशी जीनें दें। यदि हम उन्हें जिंदगी की आवश्यक चीजें भी न दे पायें तो कम से कम उन्हें हम शांतिपूर्वक जीने तो दें।

मेरा विश्वास है कि यहां उपस्थित अधिकांश लोग किसान हैं। हर किसी ने खुले दिल से रियायतों को बढ़ाने की हिमायत की है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस मामले पर जरूर विचार करेगी। क्या आपको पता है कि बाजार में टमाटर, बैंगन या अन्य सब्जियों की कीमत क्या है?

यदि आप सामान्य मौसम में इन सब्जियों को बाजार में लायें तो यातायात का खर्च भी नहीं निकलता है। यह तो हालात है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि किसानों को बढ़ावा मिलना चाहिए।

[redacted]) : सभापित महोदय, मैं 1991-92 के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सच तो यह है कि किसी अरामदेह बजट की आशा किसी ने भी नहीं की थी। यह सभी को लग रहा था कि यह बजट कठोर होगा। हर व्यक्ति को आर्थिक पृष्ठभूमि का पता है। यह कठिन स्थिति है। देश एक गंभीर आर्थिक संकट में है। अतः जनप्रियतावाद का तो कोई सवाल ही नहीं था। अतः इस बार एक जनप्रिय बजट के साथ संसद में आना किसी भी वित्त-मंत्री के लिए संभव नहीं था। बढ़ते राजस्व घाटे, भुगतान-संतुलन में घाटा तथा बढ़ते कर्ज भार और दो अंकों वाली मुद्रा स्फीति के चलते देश बड़े गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अतः इस नये बजट में अर्थ व्यवस्था के पुनर्निर्माण तथा कड़े आर्थिक और वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करने वाले कदमों को शामिल किया गया है। सरकारी खर्चे को कम करने और सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री के पास कोई और रास्ता ही नहीं था। इस पृष्ठभूमि के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस कठिन स्थिति में वित्त मंत्री ने ऐसा बजट पेश करके बड़ा सराहनीय कार्य किया है।

हम जानते हैं कि उन्होंने वर्ष 1991 के 10,772 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्र के अनुमानित बजट घाटे को घटा कर 7,719 करोड़ रुपए रखा है। वित्तीय घाटा, जो कुल राजस्व प्राप्ति और कुल खर्च के बीच का अंतर होता है, पिछले साल के कुल घरेलू उत्पाद के 8.4 प्रतिशत के मुकाबले 6.6 प्रतिशत रह गया है। फिर वित्तीय घाटे को भी 1990-91 के बजटीय प्रावधान 36,790 करोड़ रुपये तथा अंतिम घाटे 43,331 करोड़ रुपए से घटाकर वर्तमान वर्ष के लिए 37,727 करोड़ पर लाया गया है।

वित्त मंत्री के अनुसार यह राशि 52,000 करोड़ रुपये हो गयी होती यदि ये उपचारात्मक उपाय नहीं किये गये होते। यह बहुत अधिक 52,000 करोड़ से भी अधिक रुपए हो जाती। अब मैं बजट के कुछ अन्य पहलुओं की चर्चा करूंगा। सवाल यह है कि इस आर्थिक स्थिति से निबटा कैसे जाये। यह स्वाभाविक है कि सरकार को अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सहायता के लिए जाना पड़ेगा। विपक्ष के लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये दुनिया भर में हो रहे महान परिवर्तनों की ओर नहीं देख रहे है। स्थिति तो यह है कि कल ही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बुश सोवियत संघ के गणराज्यों को गोर्बाचेव का समर्थन करने की सलाह दे रहे थे। हमें इन परिवर्तनों पर गौर करना चाहिये। गोर्बाचेव खुद ही अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटा रहे हैं तथा वह न सिर्फ ऋण बरन् सदस्यता की मांग कर रहे हैं। इसकी बजाय उन्हें सिर्फ यह सदस्यता का आश्वासन दिया गया है। श्री गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में शत प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश की कोशिश की थी परन्तु वामपंथी दलों के लोग जो उस ओर बैठे हैं, अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाने के लिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इस सरकार ने आखिर कौन सा पाप किया है ?

[redacted]—वह विपक्ष के सदस्य हैं और इसी कारण वह आलोचना कर रहे हैं।

[redacted] यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चूंकि वह विपक्ष में है और इसलिए केवल विपक्ष के लिए वह ऐसी आलोचना कर रहे हैं।

महोदय, बजट घाटे के संबंध में, मैं एक बात कहना चाहता हूं । बहुत कुछ कार्य किया जाना है । किसी प्रकार की आत्म-सन्तुष्टि के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने में बहुत अधिक खतरा है । इस ऋण से अधिक से अधिक कार्य करने हैं । सभी प्रकार के व्यय के खर्चों में कठोरता से कटौती करनी होगी । मेरे से पहले बोलने वाले विपक्ष के सदस्य ने जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत हूं । देश में आर्थिक आपात्तकालीन स्थिति लगाए जाने का वातावरण बनाया जा रहा था और मैं सुस्पष्ट रूप से यह बात कहता हूं । अब ऐसी स्थिति कहां है ?

जब श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो सीमा के दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से आक्रमण किया गया था–तथा ऐसी स्थिति हो गई थी कि श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सप्ताह में एक व्रत शुरु कर दिया । उन्होंने सोमवार की शाम का भोजन अर्थात् रात्रि भोज छोड़ दिया था । इससे लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा तथा बहुत से लोगों ने उनका अनुकरण किया । उन्होंने भी सप्ताह में एक दिन रात्रि भोज करना छोड़ दिया । इस प्रकार के सन्देश से उस प्रकार की आपात्त-कालीन स्थिति का वातावरण बनाने में काफी सहायता प्राप्त हुई । सार्वजनिक क्षेत्र में वह लोग जो राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं अर्थात् प्रबन्धक इत्यादि और भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी जो वातानुकूलित कक्षों में बैठते थे, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, धन ऐसे खर्च करते हैं जैसे कि यह उनकी पूंजी न हो, तो उससे किस प्रकार का वातावरण बनेगा ? इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि पहले यह मूल्यांकन किया जाए कि वास्तव में कितने वाहनों की आवश्यकता है और शेष वाहनों को एकत्र करके रखा जाए तथा आवश्यकतानुरूप उनका प्रयोग किया जाना चाहिए ।

हमें प्रबन्धमंडल में श्रमिकों की सहभागिता को सुनिश्चित करना है । हमें अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करनी है तथा सार्वजनिक क्षेत्र को हमारी अर्थव्यवस्था में उच्च पराकाष्ठा पर पहुंचाया जाना चाहिए । इन बदली हुई स्थितियों में हम इस सार्वजनिक क्षेत्र की महत्ता को कम करने की अनुमति नहीं प्रदान कर सकते ।

हमें स्पष्ट रूप से यह पता लगाने के लिए सही प्रयास करना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकरण में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें दूर किया जाए और वह उपयुक्त रूप से कार्य करें और इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यकरण सही ढंग से चले ।

मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा परन्तु निश्चित रूप से मैं उर्वरकों पर राज-सहायता के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा ।

उर्वरकों पर राज-सहायता के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है । हमारी अर्थव्यवस्था का आधार अथवा हमारे देश का आधार किसान हैं । हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसका किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । वास्तव में कुछ किसानों को छोड़कर मैं यह कहना चाहूंगा कि किसान समुदाय की स्थिति निराशाजनक है । मैं इस बात से सहमत हूं कि वित्त मंत्री द्वारा राज सहायता वापिस लेना आर्थिक दृष्टि से न्यायसंगत है, क्योंकि उनके अनुसार देश अथवा राजकोष, स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए राज-सहायता के रूप में 6000 करोड़ रुपए को व्यय करने में समर्थ नहीं है । परन्तु किसानों की दयनीय और दुःखद स्थिति को देखते हुए यही उचित समय है कि बजट में जो कुछ कहा गया है हम उसे वापिस ले लें, तथा किसानों को दी जाने वाली राज-सहायता का लाभ उठाने की उन्हें अनुमति दें ।

वर्ष 1981 से उर्वरकों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई: यह सच है। परन्तु एक ही बार में यदि आप राज सहायता वापिस ले लेते है और जिसमें ऐसे कठिनाई पूर्ण वर्ष में जबकि मानसून की स्थिति बहुत अनिश्चित हो, उर्वरकों के मूल्य 40 प्रतिशत बढ़ जाए, तो इससे किसानों के हित्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा सामान्य रूप से राष्ट्र की खेतीबाही पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त खरीद मूल्यों को बढ़ाने कई किसानों को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का प्रस्ताव है। यह हम समझ रहे हैं। परन्तु इन दोनों को बराबर नहीं किया जा सकता। इन सब में जो वृद्धि हुई है, वह खरीद मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए आवश्यक है। जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले मेरे अनेक मित्रों ने सही कहा है कि 75 प्रतिशत किसानों को पास बाजार में बेचनें के लिए अधिक माल नहीं होता है। परन्तु वह भी उर्वरकों पर निर्भर हैं। अपने उत्पादों को उगाने के लिएं वह उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि स्वाभाविक रूप से इस तरीके से केवल अमीर वर्ग के पक्ष में भेदभाव होता है। इसलिए मेरा यह तर्क है कि उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

किसान समुदाय में अब कोई आदर-सम्मान वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हम किस प्रकार की वित्तीय सहायता और किस प्रकार की खेतीबाड़ी इस देश के किसानों के लिए चाहते हैं ? हम उनकी आय और आर्थिक दृष्टि के संबंध में औद्योगकि श्रमिकों अथवा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से तुलना उनकी करें । इस देश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को अब लगभग 1500 रुपए प्रतिमाह प्राप्त होते हैं। उसकी वार्षिक निवल आय 18,000 रुपए प्रति वर्ष है। इस देश का किसान किस प्रकार की भूमि, कितनी भूमि से 18,000 रुपए प्रतिवर्ष निवल आय प्राप्त कर सकता है ? हमारे वित्त मंत्री अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ है, उन्हें इसका अनुमान लगाने दें। क्या आय की दृष्टि से हमें अपने किसानों को कम से कम को अपने देश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर स्तर पर नहीं लाना चाहिए ? क्या इस प्रकार की मूल्य नीति से हम यह कर सकते हैं ?

यह बात सब जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के दिनों से ही भारत का बजट वर्षा पर निर्भर होता है। अच्छी वर्षा होने से ही हम अच्छी फसल की आशा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में इन पहलूओं के बारे में काफी कुछ कहा गया है–सिंचाई की सुविधाओं में सुधार रोजगार के अवसरों का सृजन, जन विवरण प्रणाली को सरल और कारगार बनाने के बारे में। एक अन्य पहलू बढ़ता हुआ क्षेत्रीय असन्तुलन है जो हमारी राष्ट्रीय अखण्डता के लिए खतरनाक सावित होगा। इसलिए उचित अथवा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना होगा, इसके लिए जिला स्तर पर योजना बनाई जानी चाहिए । (**व्यवधान**)

7.00 म० प०

यह केन्द्र सरकार का वार्षिक बजट है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिला स्तर पर योजना बनाने के लिए भारत सरकार के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए ताकि उपयुक्त क्षेत्रीय विकास हो सके ।

ऊर्जा क्षेत्र के बारे में एक बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। आजकल कोई योजना नहीं चल रही है और आठवी पंचवर्षीय योजना को अभी बनाया जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा प्रगति और सम्पन्नता की कुंजी हैं। अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाते

समय इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उड़ीसा में कुछ बिजली तथा ऊर्जा परिसरों की स्थापना की जानी चाहिए । इसे प्रारम्भ करने के लिए सांभलपुर में मुख्यालय सहित एक कोयला कम्पनी बनाई जानी चाहिए। इसके लिए पहले ही प्रस्ताव किया गया है ।

मैं वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करते हुए इस बजट का समर्थन करता हूं कि मैंनें उर्वरकों पर राजसहायता के बारे में जो टिप्पणियां की हैं, उन पर विचार किया जाये ।

माल भाड़े में दस प्रतिशत की वृद्धि तथा पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि से वित्त मंत्री जी ने यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया है कि इससे मुद्रा स्फीति न बढ़े तथा उन्होंने कुछ आवश्यक वस्तुओं पर किसी भी प्रकार का कर नहीं बढ़ाया है।

इसके साथ ही, जब हम इन दृष्टिकोणों से इस बजट पर विचार करते हैं, तो वित्त मंत्री जी द्वारा कुछ सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा, वर्तमान स्थिनि को देखते हुए यह एक बहुत ही अच्छा बजट है । माननीय वित्त मंत्री जी ने यह भी ध्यान रखा है कि हमारी विकास दर पर कोई प्रभाव न पड़े ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, हमनें पहले इस बजट पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय बढ़ा दिया था । अब वह एक घन्टे का समय भी समाप्त हो गया है । अब मेरे पास बोलने वाले सदस्यों की सूची है जिसमें कांग्रेस पार्टी के लगभग 6 सदस्य तथा विपक्ष के 3 सदस्य हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : अब चर्चा कल करें ।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : कृपया इस पर चर्चा के लिए आधे घण्टे का समय बढ़ाएं ।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं ।

सभापति महोदय : मैं आपको एक बात बताता हूं । हमनें पहले ही इस पर चर्चा के लिए एक घन्टे का समय बढ़ा दिया था । प्रारम्भ में ही, मैंनें अनुरोध किया था कि प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष-पीठ के साथ सहयोग करें तभी हम इस चर्चा को समाप्त कर सकेगें अन्यथा नहीं । मैं भी आप लोगां में से ही एक हूं तथा आप लोगों को मुझे सहयोग देना होगा । यदि सभा और आधा घण्टा बैठने के लिए सहमत हो तो हम आज ही इस पर चर्चा समाप्त कर लेंगे ताकि कल माननीय वित्त मंत्री कल उत्तर दे सकेंगें । इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि इस पर और चर्चा के लिए कल कोई समय नहीं होगा । यदि सभा आज आधा घन्टे तक और बैठने के लिए सहमत हो, तो हम आज इस पर चर्चा समाप्त कर सकते हैं बशर्ते कि सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो । प्रत्येक सदस्य पांच मिनट का समय ले सकता है ।

व्यवधान

श्री मसूवल हुसैन सैयद : महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है । जब गणपूर्ति ही नहीं है तो आप सभा का समय कैसे बढ़ा सकते हैं ?

सभापति महोदय : गणपूर्ति की घन्टी बज रही है । चूंकि गणपूर्ति नहीं है, सभा कल 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है ।

7.11 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 6 अगस्त 1991/15 श्रावण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

21 LS/91/GIPF—325—16-7-91—GIPF—